राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] नवम् विधान सभा के सातवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

गुरुवार,

17 सितम्बर, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्नकाल के स्थगन की मांग

पैट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा हेतु

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डीजल और पेट्रोल और गैस की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है....(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल, डीजल....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि प्रश्नकाल स्थगित होना चाहिए। जो पैट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं यह साधारण आदमी के बर्दाश्त के बाहर है.... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर प्रसाद यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, सेन्टर ने जो पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की है और राजस्थान सरकार ने बिजली में भी वृद्धि की है.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की जो रेटें बढ़ी हैं उनको कम किया जाए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये प्लीज (व्यवधान).... बैठिये आप....बैठिये आप.... (व्यवधान)....

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : सत्ता पक्ष केन्द्र में और यहां यह दोनों जनता के दुश्मन हैं। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाई हैं और ये यहां बिजली की दरें बढ़ाते हैं.... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : केन्द्र सरकार किसानों की विरोधी सरकार है (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये....(व्यवधान)....मेरे पास श्री महावीर प्रसाद जी का मोशन आया हुआ है। डा. चन्द्रभान का एडजोर्नमैण्ट मोशन भी आया हुआ है और आप चाहते हैं तो शून्यकाल के बाद आप इस पर डिबेट कर लेना। वैसे पैट्रोल और डीजल स्टेट का सबजैक्ट नहीं है.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय कल तो 17 लोगों की जान की बात थी और इसमें तो लाखों किसान

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

बर्बाद हो रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ेगी। गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगी....(व्यवधान)....यह कल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आज किसान बर्बाद हो रहा है। आज गरीब आदमियों की कमर तोड़ दी गयी है....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल स्थगित करके इस पर बहस कराई जाये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप बैठिये....(व्यवधान)....मैं आज ही इस पर बहस करवा लूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : पैट्रोलियम प्राडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं इससे राजस्थान की जनता में असन्तोष है....(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : प्रश्न संख्या 24. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं ले लूंगा। प्रश्नकाल के बाद इसको ले लूंगा....(व्यवधान)....प्लीज....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, लाखों किसानों का सवाल है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। गृह मंत्री जी। (व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल स्थगित किया जाये। यह महिलाओं के साथ धोखाधड़ी है कांग्रेस सरकार की।....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आज का प्रश्नकाल स्थगित किया जाये और जो पैट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उस पर विचार किया जाये। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल स्थगित करके पहले इसको लिया जाये। इससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान की जनता के सामने (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, महंगाई के कारण हमारी कमर टूट गयी है, यह देश के साथ धोखाधड़ी है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। प्रश्न संख्या 24।

तारांकित प्रश्नोत्तर

अधिशासी अभियंता के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

24. **श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :** क्या मुख्य (भ्रष्टाचार निरोधक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बी. आर. गोयल, अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य के विरुद्ध राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा हैण्ड-टूल्स की आपूर्ति में परचेज आर्डर का सामान प्राप्त न होने पर भी ट्रान्सपोर्ट पर फर्जी निरीक्षण बताकर पेमेण्ट करने का

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

केस नम्बर 53/90 दर्ज किया है ? यदि हां, तो अब तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट तथा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : जी हां। अपराध अन्वेषणाधीन है। अन्वेषण पूर्ण होने पर, अन्वेषण रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, अन्वेषण तो 6–1–92 को हो गया। सरकार से केस चालान की परमिशन मांगी है। 1990 में एफ. आई. आर. लाज हुई हैं, 2 साल में अन्वेषण ब्यूरो ने इसकी जांच की है और दो साल बाद सरकार से परमिशन मांगी है, सरकार परमिशन देने में क्यों हिचक रही है ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 21–5–90 को यह केस रजिस्टर हुआ और अन्वेषण करने के बाद राज्य सरकार को डी. ओ. पी. में इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट बनाकर भेजी है और सैंक्शन भी मांगी है, शीघ्र ही इनके विरुद्ध सैंक्शन निकल जायेगी और उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा निवेदन यह है कि यह गलत है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, क्या सही है कि 6–4–92 को इसके बारे में विचार-विमर्श हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अन्वेषण पूरा हो चुका है आर. एस. बी. आई. की लेवल पर मामला आया है डी. ओ. पी. में जब भी मामला आता है तो सारे केस को उसी रूप में देखा जाता है कि कोर्ट में कामयाब होगा या नहीं। अगर कोर्ट में कामयाब होने की स्थिति नहीं रहती है तो उस स्थिति में डिपार्टमेण्टल कार्यवाही इसमें की जाती है। इन दोनों मामलों में कुछ क्लेरीफिकेशन किये हैं और क्लेरीफिकेशन आने के बाद गुणावगुण के आधार पर इसका निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह उत्तर आया है कि अन्वेषणाधीन है। मेरा कहना यह है कि जो स्पष्ट भ्रष्टाचार है जिस पर एस.ई. ने अपनी रिपोर्ट दी है और सरकार ने पिछली बार उत्तर दिया है कि 6–4–92 को इसके ऊपर विचार कर लिया जायेगा। 6–4–92 निकल गयी उस पर विचार हुआ या नहीं ? इसके ऊपर विचार कब तक होगा ? आज कई भ्रष्टाचारी केवल इसलिये बच रहे हैं कि सरकार से परमिशन नहीं मिल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलत है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : और जब अन्वेषण ब्यूरो ने जांच रिपोर्ट मांग ली है, सरकार को चार-चार साल जांच में लग जायेंगे तो भ्रष्टाचारी बचे रहेंगे। अन्वेषण ब्यूरो दो साल लगाता है, दो साल परमिशन देने में लगायेंगे तो आखिर यह भ्रष्टाचारियों का क्या होगा ? मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही आपको कह सकता हूं, जितनी मैंने अनुमति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दी है प्रोसीक्यूशन की, पिछले वर्षों में नहीं दी गयी है। लेकिन मेरी यह जिम्मेदारी भी है कि प्रोसीक्यूशन की परमिशन देने के बाद आदमी कोर्ट से बचकर आ जाये इससे भी करप्शन को एनकरेजमैण्ट मिलता है। उसमें किसी प्रकार का लूप-होल्स नहीं रहे इसलिए 15–20 दिन से जितने भी इस प्रकार के केसेज आते हैं मैं स्वयं उनका रिव्यू करता हूं। जो प्रोसीक्यूशन के लायक हैं तुरन्त प्रोसीक्यूशन की परमिशन मिल जाती हैं और जिन मामलों में और क्लेरीफिकेशन की आवश्यकता होती है, क्लेरीफिकेशन लेकर उनमें अपना निर्णय करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : स्टेट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के डायरेक्टर क्या यह नहीं देखते हैं कि उनका चालान सक्सेसफुल जायेगा या नहीं जायेगा ? वह आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। you are proud of him. अगर उन्होंने इन्वेस्टीगेशन करके देखा है और जब चालान के लिए तैयार हैं फिर आपको परमिशन देने में क्या दिक्कत आयेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह देखना ही पड़ता है। वह मेरी व्यवस्था की हुई नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : How much time you will take ? कितना समय लेंगे आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, समय लेने का सवाल ही नहीं है। अबकी नैक्स्ट टर्न में जब केस आयेगा, दोनों को डिस्पोज आफ करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाईमाधोपुर के चुनाव

25. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला सवाई माधोपुर के चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) अब तक इस सम्बन्ध में क्या कोई नयी प्रक्रिया अपनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) जी हां। केन्द्रीय सहकार बैंक लिमिटेड सवाई माधोपुर के संचालक मण्डल के चुनाव 15.9.92 को सम्पन्न हो गये हैं।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालकों के चुनाव हेतु निम्न नई प्रक्रिया अपनाई गई है :—

1. संचालक मण्डल के चुनाव में सदस्य सहकारी समितियों की ओर से केवल अध्यक्ष ही भाग ले सकते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के संचालक मण्डल के प्रस्ताव पर समिति का उपाध्यक्ष निर्वाचन में भाग ले सकता है।

2. संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या नौ है जिनमें सात प्राथमिक कृषि

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

ऋणदात्री सहकारी समितियों से, एक क्रय विक्रय सहकारी समितियों से तथा एक अकृषि सहकारी समितियों से होगा। प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियों के प्रतिनिधियों में से एक पद, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में से चुने जाने वाला एक पद एवं अकृषि सहकारी समितियों में से चुने जाने वाला एक पद, कुल तीन पद कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों के लिये आरक्षित हैं।

3. प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों से भरे जाने वाले 6 पदों (सामान्य वर्ग) के निर्वाचन हेतु उक्त सदस्य समितियों को 6 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन द्वारा एक पद भरा जावेगा।

4. केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव में भाग लेने के लिये सहकारी अधिनियम की धारा 34(4) के प्रावधानों से डिफाल्टर समितियां निर्वाचन में भाग नहीं ले सकती थी, राज्य सरकार ने उन समितियों को ऐसी नियोग्यता से उन्मुक्त किया है जिन्होंने 1991–92 की कुल मांग की कम से कम 60 प्रतिशत राशि वसूल कर ली है।

5. राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम संख्या 3 में प्रावधित कमजोर वर्ग की परिभाषा में 500 रु. व्यक्ति की वार्षिक आय के प्रावधान में परिवर्तन कर 11,000/– रुपये ऐसे व्यक्ति के परिवार की आय का प्रावधान किया है।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल तो क्या रहा, चुनाव हो गये। सवाल चुनाव का पूछा है, चुनाव हो गये।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह तो मैं बताऊंगा साहब, चुनाव हुए हैं और आगे कुछ और भी, एक दूसरा प्रश्न भी है साथ में साहब, और भी कई प्रश्न हैं....

श्री अध्यक्ष : इसमें कौनसा है दूसरा प्रश्न ?

श्री रामस्वरूप मीणा : देखो साहब, आप, जो मुझे जवाब दिया है उसमें····

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें कोई नहीं है दूसरा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मुझे जवाब दिया है इसमें देखो साहब, यह मुझे जवाब दिया गया है साहब, दूसरा प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, यह समाप्त हो गया। नैक्स्ट।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न है कि अब तक क्या कोई नयी प्रक्रिया अपनायी गयी है ? यदि अपनायी गयी है तो····

श्री अध्यक्ष । डा. जितेन्द्र।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, चुनाव के बारे में मेरा नहीं था, प्रक्रिया में था....

श्री अध्यक्ष : हां, प्रक्रिया के बारे में चुनाव की थी····

श्री रामस्वरूप मीणा : यह इसमें जवाब दिया है साहब, इसलिए····

श्री अध्यक्ष : चुनाव की प्रक्रिया के बारे में था, चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया दोनों हो गयी। डा. जितेन्द्र····

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, तो चुनाव की प्रक्रिया जो इसमें अपनायी है, इसमें एस.सी., एस.टी. का जो प्रतिनिधित्व था उसको क्यों खत्म किया ? इस बारे में मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : वह बाद में करना। दूसरा सवाल कर लीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : और वहां जो चुनाव हुआ हैं वह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। उस दिन झगड़ा हुआ····

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खां। माननीय मंत्री रमजानखां जी। जवाब दे सकते हैं। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)····

श्री रामस्वरूप मीणा : वोट की व्यवस्था यहां सवाई माधोपुर में नहीं की इस प्रकार की····

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जवाब दे सकते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बतायें आपने पक्षपात किया इस बारे में। निर्वाचन अधिकारी आपने निष्पक्ष नहीं भेजा और आपने चुनाव के दिन झगड़ा कराया···· (समय–समाप्ति–सूचक–घंटी) ····और जो व्यक्ति वोट देने के लिए गये थे उनसे झगड़ा हुआ, उनका अपहरण हुआ, इसलिए आप उसके बारे में पहले जवाब दें। निष्पक्ष चुनाव आपने नहीं किया। सहकारी बैंक के····(व्यवधान)····

श्री अध्यक्ष : अब आप मुझे बताइये, फिर माननीय सदस्य कहेंगे कि आप जोर से बोल रहे हैं। मैं चुप रहूं या बोलूं ? अब कि जब मैं बोल रहा हूं, आप बैठ जाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : एस.सी., एस.टी. के जो चुनाव कराये हैं वह निष्पक्ष नहीं कराये हैं····

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन····

श्री रामस्वरूप मीणा : चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया है। चुनाव में इन्होंने भ्रष्टाचार अपनाया है। मंत्री महोदय ने····

श्री अध्यक्ष : I say sit down. Please sit down.

श्री रामस्वरूप मीणा : जो पद्धति अपनायी है वह पद्धति बिल्कुल गलत अपनायी है इसलिए····

श्री अध्यक्ष : इनका अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बोलिये आप।

जिला जैसलमेर के पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा

26. डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. जितेन्द्रसिंह)

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सुलभ कराने की राज्य सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या उपरोक्त योजना के लिए चालू वर्ष में कोई राशि स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो कितनी ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री रमजान खां) : (1) जैसलमेर जिले के लिए ऐसी कोई योजना वर्तमान में नहीं है।

(2) इस वर्ष के बजट में इस प्रयोजन हेतु कोई राशि आवंटित नहीं की गई। अतः योजना बनाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि समस्या समाधान शिविर का जब आयोजन जून के माह में हो रहा था तो पशुपालन के सचिव महोदय स्वयं जैसलमेर दौरे पर पधारे थे उन्होंने समस्या समाधान शिविरों में एक नहीं अनेक गांवों में घोषणा की थी कि जैसलमेर जिले के पशुधन को देखते हुए डोर स्टैप पर चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जायेगी, क्या माननीय मंत्री महोदय ने सचिव महोदय से इस विषय में मंत्रणा करली है ? मंत्री महोदय विधान सभा में एक उत्तर दे रहे हैं और सचिव महोदय दूसरी घोषणा कर रहे हैं तो इस विरोधाभास का क्या कारण है ? क्या इस विषय पर यहां सरकार आपस में मंत्रणा कर उत्तर दे रही है क्या विधान सभा में....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह : मेरे और सप्लीमेण्ट्री हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि एक तरफ तो यह घोषणा की जाती है कि पशु बहुल जिला देखते हुए हर घर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। दूसरा, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में 25 से 30 प्रतिशत से भी अधिक पशु चिकित्सकों के रिक्त पद पड़े हैं, जो कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं, उनको भरने की क्या प्रक्रिया है और क्या सरकार उनको भरने की मंशा रखती है ?

तीसरा प्रश्न यह है कि क्षेत्रफल में जैसलमेर जिला राजस्थान का लगभग 10 प्रतिशत है और उसमें जो भी पशु चिकित्सक कार्यरत हैं उनको क्या साधन संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं जिससे वह गतिशील हो सकें, उनको मोबिलिटी प्रदान हो सके। आप डोर स्टैप की बात करते हैं। पांच-पांच सौ किलोमीटर ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं उनको कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, माननीय मंत्री जी।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, जहां तक घर-घर में चिकित्सा पहुंचाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल एक चल इकाई जैसलमेर में कार्यरत है और यह सम्भव नहीं है कि घर-घर जा कर इस सुविधा को उपलब्ध करवाया जाय परन्तु हर गांव में वहां

(श्री रमजान खां)

पर शिविर आयोजित कर पशुओं की चिकित्सा समस्या का समाधान किया जाता है और अगले बजट में इसके बारे में देखा जायेगा कि और भी चल इकाई को बढ़ाया जाय ताकि इस समस्या का कुछ समाधान हो सके। इसके अलावा माननीय सदस्य ने चिकित्सकों के पड़े हुए रिक्त पद के बारे में पूछा है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि लोक सेवा आयोग से हमने अभ्यर्थी मांगे थे और वह अभ्यर्थी हमें मिल चुके हैं और मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि एक महीने के अन्दर-अन्दर जितने भी जैसलमेर में चिकित्सकों के रिक्त पद पड़े हैं वह भर दिये जायेंगे।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : पहले उनका सवाल पूरा होने दीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि जो सचिव महोदय ने अपने जैसलमेर दौरे के दौरान घोषणा की थी उसके बारे में मंत्री महोदय ने कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को क्या पता इसका। मंत्री महोदय ने कोई उनको पूछ कर थोड़ी किया है।

डा. जितेन्द्र सिंह : फिर यह विरोधाभास तो आ रहा है, उत्तर में।

श्री अध्यक्ष : वह तो इनका डिपार्टमेण्ट है....

श्री नत्थीसिंह : सचिव के जरिये ही आती है यह बात। जो विभाग का सचिव है उनके जरिये जवाब देते हैं यह तो सब पता होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जो गवर्नमेण्ट पालिसी है वह इन्होंने बता दी, अब उन्होंने क्या कहा, कोई गवर्नमेण्ट पालिसी इफेक्ट थोड़े ही होती है। आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : मंत्री महोदय के पास भेड़ ऊन विभाग है और भेड़ों में इतनी बीमारी फैल गयी है हमारे जालौर जिले में, इतनी वर्षा हुई है, अतिवृष्टि के कारण कोई हजारों भेड़ें मर गयी और दवाई का प्रबन्ध नहीं है....

श्री अध्यक्ष : हां, वह ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखिये।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो है, उनका थोड़ा आश्वासन दें लोगों को कि वह भेड़ों का इलाज अविलम्ब कराएंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट : श्री चुन्नीलाल पूछिये।

सवाईमाधोपुर का श्री गणेश मन्दिर रणथम्भौर ट्रस्ट

27. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाईमाधोपुर में स्थित श्रीगणेश मंदिर रणथम्भौर ट्रस्ट किस नाम से देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है एवं उसमें कितने सदस्य हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री चुन्नीलाल)

(2) गत 5 वर्षों में श्रीगणेश मन्दिर रणथम्भौर ट्रस्ट को कितनी आय वर्षवार हुई एवं ट्रस्ट द्वारा मन्दिर विकास एवं जल पूर्ति, बिजली, धर्मशाला, सड़क आदि के क्या-क्या कार्य करवाये एवं उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ? प्रत्येक कार्यवार व्यय की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त मन्दिर की आय को देखते हुए क्या सरकार इस मन्दिर को राज्य सरकार के अधीन लेकर राजकीय ट्रस्ट बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

देवस्थान मन्त्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) यह प्रन्यास "गणेशजी किला रणथम्भोर सवाईमाधोपुर" के नाम से पंजीकृत है । इसके एक मात्र ट्रस्टी महन्त श्री नन्द किशोर शर्मा हैं ।

(2) गत पांच वर्षों में वर्षवार आय एवं व्यय की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । परिशिष्ट "क" ।

(3) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें ।)

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने 5 वर्ष के आय-व्यय की जानकारी चाही थी । गणेशजी के मन्दिर मे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश के अन्य प्रान्तों तथा विदेशों से दर्शनार्थी आते हैं, कम से कम 50 लाख और एक करोड़ के बीच में उस मंदिर की आय है, परन्तु महन्त के द्वारा एक पैसा भी आज तक विकास कार्यों पर खर्च नहीं किया गया है । यह जो सूची दी गयी है मुझे बिल्कुल गलत दी गयी है । इसमें दर्शाया गया है कि वर्ष 1986-87 में 82,781, 1987-88 में 91,961; 1988-89 में 1,13,804, की आय हुई है । महन्त द्वारा जो हिसाब पेश किया गया है यह बिल्कुल मन गढ़न्त है और गलत है जबकि इस समय 50 लाख और एक करोड़ रुपये के बीच में इस मन्दिर की आय है । मैं समझता हूं कि आज तक इस मन्दिर की आय से मन्दिर के विकास में, जल, बिजली, पानी, धर्मशाला के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं किया गया है । जबकि एक महन्त सैंकड़ों वर्षों से इस ट्रस्ट को चला रहा है और सरकार के सामने फर्जी आंकड़े पेश करता है । इसलिए मेरी मांग है कि इस ट्रस्ट को गवर्नमैण्ट अपने हाथ में ले, और इस व्यवस्था को सरकार चलाये और महन्त से इस काम को हटाया जाए ।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इनकम के बारे में बताया हैं, हमारे जितने भी पब्लिक ट्रस्ट हैं उनका विश्लेषण इस विभाग द्वारा होता है । उसमें व्यवस्था यह है कि प्रत्येक वर्ष की जितनी भी इनकम और खर्चा होता है उसका आडिटर से, चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट से आडिट करा कर हमारे डिपार्टमेंट को भेजा जाता है । इस मन्दिर के बारे में प्रत्येक साल चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट

(श्री रामकिशोर मीणा)

से सर्टिफाई होकर लेखा हमारे पास आया है। आय और व्यय के बारे में एक शिकायत सवाई माधोपुर जिला विकास समिति द्वारा 16.7.92 को मिली थी। इसके बारे में हमने कमिश्नर को आदेश दिया कि वह जांच करें। जांच करने के बाद यदि किसी प्रकार की अनियमितता दिखेगी तो उसके आधार पर हम आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो खर्चे का हिसाब इन्होंने दिखाया है, ट्रस्टी ने अगर एक पैसा भी कहीं विकास के नाम पर लगा हो तो इसकी जांच क्या मंत्री महोदय करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जांच करवा रहे हैं ना। जांच करवा रहे हैं उसकी। व्यय की जांच करवा रहे हैं।

श्री चुन्नी लाल : सरकार इस ट्रस्ट को अपने हाथ में कब तक लेने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : हां, आप क्या पूछ रहे हैं, मोती लाल जी।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाईमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो यह खर्चा बताया गया है, बिल्कुल असत्य है। कहीं हजारों का खर्चा बताया गया है, हजारों तो क्या सैंकड़ों का खर्चा भी नहीं किया गया है। गणेशजी के मन्दिर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां ठहरने की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा खर्चा क्या बताऊं, इन्होंने दारू की दुकान मंदिर के सामने खोल रखी है। शराब की दुकान ठीक मन्दिर के सामने खोल रखी है, इसकी शिकायत देवस्थान मंत्री को की है। यह इन्होंने बतायी है इनकम, पर बुधवार को करीब एक लाख रुपये वहां इनकम है और मेले के अवसर पर कम से कम करीब दस लाख, बीस लाख की इनकम होती है। आपने बताया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की जनता लाखों की तादाद में आती है, एक आदमी यदि दो रुपये से लेकर दस रुपये दे तो कम से कम 30 लाख रुपये पर मेले की वहां इनकम है। हर बुधवार को एक लाख और आषाढ़ के बुधवार को पांच लाख। महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जाली आंकड़े दिये गये हैं, बिल्कुल असत्य हैं।

श्री अध्यक्ष : जांच करा रहे हैं।

श्री मोतीलाल मीणा : जांच कब तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : यह जांच कब तक हो जायगी ? बता रहे हैं।

श्री मोतीलाल मीणा : यह असम्बली में असत्य जवाब दिया गया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये, विराजिये। हो गया। जांच कब तक हो जायगी ? बैठिये। उनका जवाब तो आने दीजिये।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, 16.7.92 को लिखी हुई हमको 18 जुलाई को यह शिकायत मिली है। उसके बाद हमने 7.8.92 को कमिश्नर को निर्देश दिये हैं कि वह जो बिन्दु दिखाये गये हैं शिकायत में, उन बिन्दुओं पर जांच

(श्री रामकिशोर मीणा)

करके दें। जांच में जैसा भी होगा उसके हिसाब से कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री महावीर प्रसाद जी। अब हो गया। शिक्षा मंत्रीजी।

श्री मोतीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, पूजा करने वाली पुजारिन है या पुजारी है? मंदिर की पूजा पुजारी करती है या पुजारिन करती है?

श्री अध्यक्ष : यह जांच के बाद सब क्वेश्चन लेंगे उसमें।

श्री मोतीलाल मीणा : पूजा औरत करती है या मर्द करता है?

श्री अध्यक्ष : वह भी ले लेंगे, पूजा का भी हो जायेगा उसमें।

टौंक के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

28. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक शहर एवं पंचायत समिति क्षेत्र में किस-किस उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं? प्रत्येक स्कूल में कितने-कितने अध्यापक पिछले एक वर्ष से कार्यरत हैं? प्रत्येक की पृथक-पृथक सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अध्यापकों के अभाव में छात्रों की शिक्षा में व्यवधान हो रहा है? यदि नहीं, तो किस-किस स्कूल तथा कक्षाओं का क्या-क्या परिणाम पिछले सत्र का रहा? सरकार आवश्यकता एवं नियमानुसार अध्यापकों की स्वीकृति एवं नियुक्ति कब तक करने का विचार रखती है?

राज्य मन्त्री, उच्च शिक्षा (डा. रतनलाल जाट) : (1) टौंक शहर एवं पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की छात्र संख्या एवं पिछले एक वर्ष से कार्यरत शिक्षकों की सूचना सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। परीक्षा परिणाम परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है। अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, एवं शीघ्र ही पद भर दिये जायेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ा हाउस है और इसकी कोई विश्वसनीयता है। धीरे-धीरे रटे रटाये जवाब से संवेदनशीलता कम हो रही है। जैसा कल मंत्रीजी कह रहे थे कि विभाग इनके पास नहीं है, यह बात सही है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैंने बार-बार यह प्रश्न पूछे, बारबार मन्त्री महोदय को पत्र लिखे उनके जवाब भी आये कि इन पदों को भरा जा रहा है। सबसे बड़ा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सवाल यह है कि पहले तो अभी इनको यही पता नहीं है कि कितने पद स्वीकृत करने हैं। आठ कक्षाएं चल रही हैं और तीन अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। कितनी ऐसे स्कूल हैं जहां 8 कक्षाएं हैं और अध्यापक हैं 3–4–5 ? आखिर आप बच्चों को शिक्षा क्या देना चाहते हैं ? क्या यह आपके ध्यान में है, ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां मापदंड के अनुसार स्वीकृत पद नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : पहले इनका जवाब तो दें। मूल प्रश्न है, पहले मूल प्रश्न वालों का जवाब आ जाय।

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष जी, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने टौंक जिले में कितने स्कूलों में रिक्त पद हैं उसके बारे में निवेदन किया था। टौंक शहर और टौंक पंचायत समिति क्षेत्र में जो रिक्त पद हैं, माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय वेतन श्रेणी के पद जो हैं, बिल्कुल रिक्त नहीं हैं और द्वितीय वेतन श्रेणी के पद मात्र 9 रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टौंक शहर और टौंक पंचायत समिति में तृतीय वेतन श्रेणी के 3 पद रिक्त हैं, द्वितीय वेतन श्रेणी के तीन और तृतीय वेतन श्रेणी के केवल 8 पद रिक्त हैं। जहां तक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का सवाल है, गत वर्ष काफी नये विद्यालय खुलने पर कई स्तर के अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे थे। शिक्षा व्यवस्था में इससे काफी व्यवधान भी रहा है लेकिन सरकार ने विशेष प्रयत्न करके नवम्बर, 91 से इस दृष्टिकोण मार्च, 92 तक लगभग 2500 थर्ड ग्रेड के टीचर्स के रिक्त पद पड़े थे उनको भर दिया गया था, 1500 सैकण्ड ग्रेड के जो पद रिक्त पड़े थे उनको को भर दिया था, कुल मिलाकर 4000 थर्ड और सैकण्ड ग्रेड के रिक्त पदों को सरकार ने भर दिया है। इसके साथ ही साथ जहां तक मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का सवाल है, लगभग 100 प्रधानाध्यापकों को तदर्थ पदोन्नति दे करके उनके रिक्त पदों को सरकार द्वारा भर दिया गया है। प्रमोशन के आधार पर भरा है। जहां तक सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापकों का सवाल है, आर. पी. एस. सी. से सलेक्टेड केण्डीडेट्स के आधार पर 292 चयनित विद्यार्थियों को उन प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर लगाया गया है। इसलिये यह कहना कि सरकार ने इन रिक्त पदों पर नहीं लगाया है, माननीय सदस्य का कहना....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा, मैं पूछ क्या रहा हूं और जवाब क्या दे रहे हैं। यानि हम पूछते हैं टौंक विधान सभा क्षेत्र में आपने कौनसे विद्यालय खोले, जवाब आता है टौंक जिले में यह विद्यालय खोले गये। हम पूछ रहे हैं कि आपके नार्म्स के अनुसार, छात्रों की संख्या के अनुसार, जितनी कक्षाएं हैं उनके अनुसार, आपने कोई मापदण्ड तय कर रखे हैं उसके अनुसार आपने स्वीकृति जारी क्यों नहीं की ? यह मैं पूछना चाहता हूं और आप कह रहे हैं, केवल तीन पद रिक्त हैं। यह आपको गलत सूचना है। यह भी आपको गलत सूचना है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : टौंक जिले में टौंक शहर तो अपने आप ही आ

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

जायगा। टौंक जिले में जो नये विद्यालय खुले उनकी सूची होगी तो उसमें टौंक शहर तो अपने आप ही आ जायगा अगर वहां खुले होंगे तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी अक्ल जो है वह कहीं गयी हुई है, इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे तो ज्यादा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी तो कब्रिस्तान की ओर निगाह है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे तो ज्यादा है। आपको अपने क्षेत्र के अध्यापकों का पता नहीं है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, यह कोई वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है. शिक्षा का मामला है यह।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अक्ल के मामले में तो परीक्षण करा लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम छात्रों को शिक्षा दें। या हम नहीं दे सकते हैं तो प्राइवेट सैक्टर को छूट दें। यदि हम शिक्षा देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिये। आज ब्यूरोक्रेट्स इस प्रकार हावी हो रहे हैं और हम देखने की कोशिश नहीं करें, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : महावीरजी, विराजिये। एक मिनट बैठिये। आपका सवाल देखिये। आप अपना सवाल देखिये, आप जो पूछ रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : छात्रों की संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष : हां तो, आपने जो पूछा है वह जवाब मिल गया, छात्रों की संख्या क्या है। प्रत्येक स्कूल में कितने अध्यापक पिछले एक वर्ष से कार्यरत हैं, प्रत्येक की सूचना अलग-अलग रख दी। आपने परिणाम पूछा है परीक्षाओं का, वह आपको दे दिया। अब आप जो नयी बात उठा रहे हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, नयी बात कहां बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अब पूछ रहे हो, मानदण्ड।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने यह पूछा है, छात्रों की संख्या क्या है, अध्यापक कितने कार्यरत हैं। अब छात्रों की संख्या है 300, कक्षाओं की संख्या है 8, उसके अनुसार नियमानुसार पद चाहिये 8, इन्होंने स्वीकृत कर रखे हैं 4-3-2 तो यह जो कमी है इसकी पूर्ति के लिये हमेशा जवाब यह दिया जाता है, रिक्त स्थानों पर भरा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : इसलिये आपका सवाल इतना ही है।

श्री मोतीलाल मीणा : एक ही ब्रांड याद आ गयी आज परचूनी की।

श्री अध्यक्ष : कि मानदंड क्या है और उसके मुताबिक नियुक्तियां हो गयीं या हो जायेंगी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मानदंड के अनुसार स्वीकृत नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : हां, बस यही पूछ लीजिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यही पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : इतना ही है और कुछ नहीं है ।

श्री बिरधाराम चौधरी : एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, यह पूरे राजस्थान का नहीं है । हर आदमी अपनी निर्वाचन क्षेत्र का पूछेगा । यह केवल टौंक पंचायत समिति का सवाल है । हां, बोलिये आप ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह 42 नम्बर में पूछेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप टौंक तक ही सीमित हैं ना । नहीं, राजस्थान का कहां बता रहे हैं ....(व्यवधान)....आप तो टौंक का ही बताइये पहले ।

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मानदण्ड और छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापकों की संख्या का जो सवाल पूछा है उसके आधार पर निवेदन है कि एक से लगाकर 40 तक के छात्रों पर एवरेज के आधार पर एक अध्यापक और 50 से ज्यादा होने पर दूसरे अध्यापक की स्कूल में नियुक्ति की जाती है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मिडिल स्कूल में....

डा. रतनलाल जाट : जहां तक राजस्थान के सेकेण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर्स को भरने का सवाल है; राजस्थान सरकार ने सभी सम्बन्धित शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिये हैं कि वह 30 सितम्बर तक इन रिक्त पदों को भरने की अपनी कार्यवाही शुरू कर दें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सवाल रिक्त पदों को भरने का नहीं है । अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं बताता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों खड़े हो रहे हो । अकेले महावीर जी ही बहुत हैं । (व्यवधान)....आप बैठिये वह बहुत है । वे एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपके मानदंड के मुताबिक आपने बताया टौंक पंचायत समिति में, उसके मुताबिक जो शिक्षकों के पद कम स्वीकृत हैं, उनको कब तक भर रहे हैं, यह पूछ रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : पूरे राजस्थान का ही यह हाल है ।

डा. रतनलाल जाट : एक तो मैंने अभी जैसा निवेदन किया कि सैकिण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जितने अध्यापकों के पूरे राजस्थान में जितने पद रिक्त पड़े हैं....

श्री अध्यक्ष : रिक्त नहीं पूछ रहे हैं । आपने जो मानदंड बताया उसके हिसाब से पद कम हैं । मानदंड के हिसाब से पद ज्यादा होने चाहिए, पद कम हैं और फिर भी रिक्त हैं, वह तो आप भर रहे हैं,

(श्री अध्यक्ष)
लेकिन यदि मानदंड के मुताबिक पद स्वीकृत नहीं हैं तो उसकी क्या कार्यवाही कर रहे हैं.... (व्यवधान) अब आप सुन लीजिए। जवाब आने दीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी में मानदंड नहीं होता वहां सब्जेक्ट वाइज अध्यापकों की....

श्री अध्यक्ष : तो वह बतायेंगे। सवाल यह पूछ रहे हैं और जवाब वह दे रहे हैं तो दे दीजिए मानदंड नहीं होता है।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : इसी संबंध में एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये मंत्रीजी, यह मिडिल स्कूल्स के बारे में जो भी होता है.... (व्यवधान) आप सुनिये पहले उनको जब तक मैं नहीं समझ लूं....मुझे समझने दीजिए....(व्यवधान) आप बैठिये। मुझे समझने दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, आप पहले यह समझ लीजिए कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में पूरे पद भरे हुए हैं क्या ? अगर भरे हुए हैं तो हम संतुष्ट हैं।

श्री ईश्वर लाल सैनी : मुझे एक प्रश्न के लिए अलाउ कर दीजिए साहब।

श्री अध्यक्ष : हां, बताइये।

डा. रतनलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का टौंक क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में, पंचायत समिति क्षेत्र में अध्यापकों को नार्म्स के आधार पर जहां तक भरने का सवाल है, सरकार इस पर विचार करेगी और शीघ्र ही उनको भर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह क्या है ? कब तक ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं इसमें विचार की क्या बात है ? इस पर विचार क्या किया जा रहा है ? (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। माननीय राजस्व मंत्रीजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कर लेंगे अब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, क्या विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अगला सैशन और आयेगा तब पूछ लेना....(व्यवधान) देखिये, मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है। आपकी आश्वासन समिति फिर क्या करेगी। बैठिये आप.... (व्यवधान) दस सवाल लेते हैं। आप बोलिये ना, यह तो बोलते रहेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, आप एक क्वेश्चन के लिए अलाउ कर दीजिए, सबका जवाब इसमें आ जायेगा। फिर बीकानेर के डायरेक्टर महोदय ने एक मीटिंग बुलायी और उसमें आंकलन किया और आंकलन में उन्होंने यह कहा कि 10 हजार से ज्यादा रिक्त पद राजस्थान में हैं, अगर रिक्त पद हैं तो फिर इन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

ग्राम पंचायत बाबई (बून्दी) क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रीय ग्राम

29. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले की अतिरिक्त इन्द्रगढ़ की पंचायत बाबई के कौन कौनसे गांव सिंचित क्षेत्र दर्ज हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के सिंचित क्षेत्र दर्ज होने से पूर्व हुआ भू-आवंटन निःशुल्क था ?

(3) यदि हां, तो उक्त गांवों के किसानों को सिंचित क्षेत्र दर्ज होने से पूर्व हुए भू-आवंटियों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार सिंचित क्षेत्र दर्ज होने से पूर्व हुए भू-आवंटियों को शीघ्र निःशुल्क खातेदारी अधिकार दिये जाने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) बून्दी जिले की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ की पचायत बाबई के निम्न गांव कालोनी क्षेत्र (सिंचित) घोषित हुए हैं :—(1) बाबई (2) बेलनगंज (3) संग्रामगंज (4) सुमेरपुरा (5) रमजपुरा (6) बोहरिया गांव (7) जयनिवास ।

(2) जी, हां ।

(3) इन आवंटियों को सिंचित क्षेत्र के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के अनुसार भूमि की कीमत जमा करवाने के बाद ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं ।

(4) जी, नहीं ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस पंचायत क्षेत्र में कई गांवों में सिंचित क्षेत्र दर्ज करने से करीब 15-15, 20-20 साल पूर्व से ही निःशुल्क आवंटियों को खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं । यदि नहीं मिले हैं तो इसका क्या कारण है ? इसमें किसानों का क्या दोष है ? क्या यह सही है कि इसमें भू-राजस्व विभाग में जो आपके अधिकारी हैं उनका दोष यह है कि 15-15, 20-20 साल तक उन्होंने उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये ? क्या यह सही है कि अभी 25 अगस्त को जो वहां समस्या समाधान शिविर लगा था उसमें इस प्रकार के सैकड़ों मामले वहां आये थे कि साहब, हमको अधिकार दिये जाने चाहिए, वहां उनको यह कहा गया कि भई, यह तो सिंचित क्षेत्र दर्ज हो गया ? लेकिन उनको जो जमीन का आवंटन हुआ वह तो सिंचित दर्ज होने से पूर्व ही हुआ था इसलिए नियमानुसार 10 साल के बाद खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए थे । सिंचित दर्ज होने से 15-15, 20-20 साल पूर्व तक के भी उनको खातेदारी अधिकार नहीं देना, यह किसानों के साथ सरासर जुल्म और अन्याय है । इस प्रकार के मामले 25 अगस्त को समस्या समाधान शिविर में आये लेकिन उनका निस्तारण नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, इन गावों के क्षेत्रों को मिडियम प्रोजेक्ट के कमाण्ड एरिया में

(श्री गंगाराम चौधरी)

घोषित कर दिया गया है। कमाण्ड एरिया में घोषित होने के बाद में कमाण्ड एरिया के नियम ही लागू होते हैं। जिन लोगों को पहले खातेदारी मिल गयी वह तो खातेदार माने जायेंगे लेकिन जिन लोगों ने खातेदारी प्राप्त नहीं की वह कमाण्ड एरिया घोषित होने के बाद में उन नियमों के अन्तर्गत जब तक वह रिजर्व प्राइस नहीं अदा करेंगे तब तक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, यह नियमों की बात है।

श्री हीरालाल आर्य : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि वह जो सिंचित दर्ज हुआ उससे पहले ही नियमानुसार 10 साल में उनको खातेदारी अधिकार मिलने चाहिए थे। अब किसान कहते हैं कि 10 साल हो गये हमको यह मिलना चाहिए और यह कहते है कि भई सिंचित क्षेत्र दर्ज हो गया तो इस पर वह कहते हैं कि इसमें हमारा दोष क्या है ? हमें खातेदारी अधिकार मिलने चाहिए थे 10-10, 15-15, 20-20 साल पहले वाले किसान वहां शिविर में आये थे। उन्होंने निवेदन किया कि हमें अधिकार दें।

श्री अध्यक्ष : यही है ना आपका सवाल।

श्री हीरालाल आर्य : अब वह कहते हैं कि पैसे जमा कराओ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इनका यही सवाल है कि कमाण्ड एरिया घोषित होने के बाद में तो नियमानुसार पैसे लेकर खातेदारी देंगे लेकिन जो पहले से ही, आलरेडी एनटाइटल हैं खातेदार बनने के वह जो पैंडिग केसेज हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : एनटाइटल हैं, उन पर विचार कर लिया जायेगा जो पहले से ही एनटाइटल हैं, जिनको 10 साल हो गये हमारी घोषणा से पूर्व, उन पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : हां, उनको देने की आप····

श्री हीरालाल आर्य : उनको खातेदारी अधिकार के लिए फरमाइये। आप इस पर विचार क्या करेंगे ? वह तो कह देंगे पैसे जमा कराओ। आप स्पष्ट घोषणा करें कि उनको खातेदारी अधिकार दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप बोलो। आप बैठिये। आप बैठोगे तब करेंगे ना। उनको बोलने तो दो।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट घोषणा इसलिए नहीं की जा सकती है कि खातेदारी अधिकार देने की भी कुछ शर्तें हैं। वह शर्तें उन्होंने पूरी की हैं, नियमानुसार काश्त कर ली है, नियमानुसार लगान दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रक्रिया आपने शुरू कर दी····

श्री गंगाराम चौधरी : इसको एग्जामिन करके····

श्री अध्यक्ष : यही तो पूछ रहे हैं, कब कर रहे हैं प्रक्रिया चालू।

श्री गंगाराम चौधरी : हां, मैं निर्देश जारी कर दूंगा। जल्दी कर दूंगा।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, किसान खेती कर रहे हैं, नियमा-

(श्री हीरालाल आर्य)

नुसार लगान दे रहे हैं। किसान कहते हैं कि हमारा दोष क्या है, ऐसे किसान आये थे शिविर में। शिविर में निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : तो अब आप उनको खातेदारी अधिकार देने की प्रक्रिया चालू करने के आर्डर्स देने का आश्वासन दे रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : यह बात तो आप आज फरमा रहे हैं लेकिन समस्या समाधान शिविर में किसानों ने यह बात कही....

श्री अध्यक्ष : अब वह छोड़िये पुरानी बात।

श्री हीरालाल आर्य : और सक्षम अधिकारी से उनको नियमानुसार निपटाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : अब आगे की करिये ना आप। प्रश्न संख्या। 30

श्री मदन दिलावर।

निर्वाचन क्षेत्र अटरू में एनीकट/ पुलियाओं का निर्माण

30. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अटरू विधान सभा क्षेत्र में रिछन्दा व चरडाना ग्राम पंचायतों तथा लटूटी व लवानियां ग्राम पंचायतों (सांगोद) के अंतर्गत छोटे-छोटे एनीकट/पुलियाओं का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो ये कहां–कहां, कितनी–कितनी लागत से कब–कब बनाये गये ?

(2) उक्त पुलियाओं का कितना कार्य पूर्ण हो गया है, कितना अपूर्ण है ? अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

(3) एनीकट या पुलियाओं हेतु कितनी राशि की स्वीकृति दी गई तथा उसमें से कितनी राशि व्यय हुई ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी स्थगित करवाना चाहते हैं ?

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : हां, साहब। इसी सत्र में लगाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में लगाना है। इसी सत्र में लगेगा। प्रश्न संख्या 30 स्थगित किया जाता है। श्री जगमालसिंह यादव।

(तारांकित प्रश्न संख्या 30 स्थगित किया गया)

मण्डल आयोग की सिफारिशें

31. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा), **श्री हीरालाल देवपुरा** (केसरीसिंहपुर) एवं **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करना चाहती है ? यदि हां, तो किस रूप में ?

(2) क्या सरकार इसे वी.पी. सिंह

(श्री सम्पत सिंह)

सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लागू करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) मन्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने बाबत सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये ? क्या सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की कोई सूची बनायी है ?

राज्य मंत्री, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (श्री कुन्दनलाल मिगलानी) :

(1) राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 13.8.90 को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का आदेश जारी किया गया था। उसके विरुद्ध याचिका होने पर उच्चतम न्यायालय ने उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हाराव भी इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में 10.4.92 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रीगण का एक सम्मेलन भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं प्रधानमंत्री के प्रयत्नों के परिणाम के आधार पर राज्य सरकार अगली कार्यवाही करेगी।

(2) उपरोक्तानुसार

(3) सरकार के पास अन्य पिछड़ी जातियों की सूची सन् 1951 से उपलब्ध है, जिसके आधार पर शैक्षणिक सुविधाएं देने का प्रावधान है। मण्डल आयोग द्वारा भी राजस्थान की पिछड़ी जातियों की एक सूची उनकी रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई है।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक खण्ड एक का जवाब आया है, मेरा निवेदन करना इतना है कि इस प्रश्न के उत्तर में भी यह साफ लिखा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट की सर्विसेज और कार्पोरेशन या जो भी हों उनमें 27 फीसदी रिजर्वेशन देने का प्रावधान भारत सरकार ने किया था केवल स्टे सुप्रीम कोर्ट ने उस सीमा पर दिया। मैं पहले तो यह पूछना चाहता हूं कि दक्षिण की बहुत सी सरकारों ने इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया और वहां कोई कोर्ट में नहीं गया और वहां आज भी इम्प्लीमेण्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पर कर्नाटक में यह 72 फीसदी है, तमिलनाडु में 66 फीसदी, अन्य पिछड़ों को मिला कर यह रिजर्वेशन हो रहा है। कहने का मतलब 50 फीसदी से ऊपर हो रहा है तो यह सरकार का अपना काम है कि दिल्ली सरकार उसको लागू करें या नहीं करें। केन्द्रीय सेवाओं में और सेन्ट्रल कार्पोरेशन में, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार की ओट को लेकर इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट को कब तक टालते रहेंगे। कृपया आप अपनी नीयत साफ बतायें कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को स्टेट सर्विसेज और स्टेट की जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें लागू करना चाहते हैं या नहीं ? एक चीज।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दूसरी चीज का जवाब दिया है, इन्होंने कहा है कि दूसरा भी मेरा यही है। तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देखेंगे कि राज्य सरकार का यह जवाब आया। मैंने एक सवाल पूछा कि अन्य पिछड़ी जातियों की कोई सूची राज्य सरकार ने अब तक तैयार करवायी है या नहीं? उसका जवाब दिया है कि हमारे पास 1951 से ही पिछड़ी जातियों की सूची है। इस देश और प्रदेश में भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको आप 1951 में पिछड़े मानते थे और आज अगड़ी मानने लगे। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो 1951 की सूची से बच गयी थीं जिनकी पिछडी जाति के रूप में पहचान और आइडेन्टीफाई नहीं किया गया था और आज मंत्रीजी कहते हैं कि 1951 की सूची को हमने आधार मानकर उनको सुविधा दे रहे हैं। यह बात साफ है कि आज 41–42 साल पहले 1951 की सूची जो आपने बनायी थी अन्य पिछड़ों की उसी को आधार मान रहे है। अब जब मण्डल आयोग की रिपोर्ट का मुद्दा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्ट्रोवर्सल हो गया। इसका मतलब यह साफ जाहिर है कि सरकार····

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। सवाल पूछें आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं वही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अपने कमेण्ट्स मत करिये। सवाल पूछिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसका सीधा सा सवाल मैंने पूछा है...

श्री अध्यक्ष : अब सवाल हो गया आपका, भाषण मत करिये। प्लीज सिट डाउन। अब मुझे 10 सवाल लेने हैं। नैक्स्ट श्री हीरालाल इन्दौरा, श्री सम्पतसिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा तो अधूरा ही रह गया सवाल।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया अब आप भाषण झाड़ रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया, सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब आप विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक सवाल मेरा अधूरा ही बचा है उसको तो पूरा करने दें।

श्री अध्यक्ष : अधूरा नहीं, आपने तीनों पर सवाल कर लिये। अब आप कमेण्ट्स शुरू कर रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मिनट में पूरा कर देता हूं, आधा मिनट में ही पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछें। हां पूछिये। तीनों का जवाब आऐगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा यह कहना है कि 1951 के बाद कोई सूची सरकार अन्य पिछड़ों की आज वर्तमान परिस्थिति में बनाने की बात सोच रही है या 1951 के आधार पर जो सूची है उसी को आधार मान रही है?

श्री अध्यक्ष : हां, अब आप विराजिये। श्री सम्पतसिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव : पहले जवाब आ जाय।

श्री अध्यक्ष : यही सवाल रिपीट होगा। आप भी पूछ लीजिये श्री सम्पतसिंहजी आपको पूछना है।

श्री सम्पत सिंह : जवाब तो दिलायें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप पूछ रहे हैं कि नहीं। आप पूछ लीजिये। आपका जवाब दिया जाएगा। सवाल मिले-जुले हैं इसमें कोई नये सवाल नहीं होंगे।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी पहली जिज्ञासा तो यह है कि बगैर केन्द्र के इन्तजार किये मंत्रीजी और राज्य सरकार अपने इनिशियेटिव पर मण्डल आयोग की सिफारिशों को अपने प्रांत में मध्य-प्रदेश और उत्तर-प्रदेश की तर्ज पर ही लागू करेगी क्या? दूसरा, मेरा यह है अगर वह लागू नहीं करते हैं तो जब चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के में, जनता दल के में, स्पष्ट यह था कि हम मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे। फिर कौन सी ऐसी वजह या अड़चन है जो उसको लागू करने में परेशानियां आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय इसमें जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने पूछे हैं मण्डल आयोग की सिफारिश लागू करने में राज्य सरकार की नीति क्या है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राज्य सरकार की नीति वही है जिस पर जिस समय मंत्रि-मण्डल में विचार किया गया था और माननीय सदस्य दोनों उपस्थित थे। उस समय जो निर्णय लिया गया, वही निर्णय आज लागू है।

श्री हेतराम बेनीवाल : हमें तो बतायें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सदन को तो बतायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बता रहा हूं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : सदन यह जानना चाहता है कि मंत्रिमण्डल की क्या मन्शा है? आप यह बात कह कर इधर जो बैठे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं। आप सुनिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : यह कौन सा तरीका हुआ।

श्री अध्यक्ष : यादव साहब, आप देखिये, बात पूरी सुन कर खड़े हों तो कोई समझ में आता है। अब एक पंक्ति उन्होंने बोली और आप खड़े हो गये। जब वह शुरू कर रहे हैं तो वह भी बतायेंगे। जब आपके सामने कहा है कि वह नीति क्या है, बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जब मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू की गयी उसके तुरन्त बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया। हमने भी इस पर विचार किया कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे का इन्तजार करना चाहिये और उसी सुप्रीम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोर्ट के स्टे के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसकी हम प्रतीक्षा करेंगे। दूसरा, यहां पर भी कहा गया कि राजस्थान में इस प्रकार की जातियों की गणना कराने के सम्बन्ध में या जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी। मैं इतना कह सकता हूं कि पूर्व सरकार ने श्री मालीरामजी वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी अपाइंट की थी। उस कमेटी ने कुछ इस प्रकार की जातियों का आइडेन्टीफाई किया है और आइडेन्टीफाई करने के बीच में यह इस प्रकार का विवाद खड़ा हो गया। इसमें आइडेन्टीफिकेशन की ज्यादा प्राब्लम नहीं आयेगी ज्यों ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, कुछ आइडेन्टीफाइड हैं, कुछ मण्डल कमीशन ने सिफारिशें करके भेजा है तो उसमें कोई ऐसा विवाद का मुद्दा नहीं रहेगा।

विवाद का मुद्दा केवल आपके लिये बन रहा है कि तीन इश्यूज, अभी प्रधान मंत्री की जो कान्फ्रेंस हुयी थी उसमें तीन इश्यूज खड़े हुये। एक तो पहला इश्यू यह था कि मण्डल कमीशन ने जिन जातियों को इसमें शामिल किया है उन जातियों के नाम पर जितना रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन में इकोनोमिक क्राइटेरिया के आधार पर जो लोग गरीब हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई सदस्य इसका विरोधी नहीं है। दूसरा प्रश्न यह आया कि जो बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट में नहीं आते और वह भी गरीब हैं, उन गरीब परिवारों का रिजर्वेशन फिक्स-अप किया जाय या नहीं किया जाय। वहां यह क्वेश्चन भी आया कि इकोनोमिक क्राइटेरिया क्या होगा जिसके आधार पर हम किसी आदमी को यह कह सकें कि अमुक जाति में अमुक प्रकार का तबका या अमुक प्रकार का परिवार गरीब है और इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उसके ऊपर भारत सरकार भी विचार कर रही है और हमने भी राजस्थान के मुख्य सचिव को यह कहा है कि वह इस सम्बन्ध में अपने राजस्थान में किस प्रकार का इकोनोमिक क्राइटेरिया बैकवर्ड क्लासेज के लिये और बाकी के क्लासेज में किस प्रकार इकोनोमिक क्राइटेरिया को लागू किया जाय। इस पर चर्चा चल रही है। जहां तक मण्डल कमीशन में बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशन दिया जाय यह सुप्रीम कोर्ट का किस सीमा तक फैसला होता है उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : मंत्रिमण्डल में क्या बात हुई थी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्रिमण्डल में यही था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह तो आ गया ना।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी ने दिल्ली में 10 अगस्त को बैठक हुई उसके मामले में बताया। मैं यह नहीं पूछना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जब तक भारत सरकार इस मामले में कोई फैसला नहीं करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार करें क्या उससे पहले राजस्थान को, इस सरकार को मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की....

श्री अध्यक्ष : यह तो नीति बता दी इन्होंने। आपने यही नीति बतायी है कि यह तय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद ही करेंगे, पहले नहीं करेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा सेन्टेंस क्या है, मेरा सवाल ही दूसरा है। आपने मेरा सेन्टेंस ही पूरा नहीं होने दिया। मैं क्या पूछना चाहूंगा आप अन्तर्यामी हो गये....

श्री अध्यक्ष : पूछिये। क्या पूछना है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा यह पूछना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या दिल्ली जब तक फैसला करें तब तक राज्य सरकारें इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर सकेंगी या नहीं ? कहीं कानूनी बाध्यता है कि दिल्ली के फैसले की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार किया जाय ? क्या राजस्थान सरकार को इसमें कोई कानूनी अड़चन आ रही है ? मैं दूसरा सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने अगर सैन्ट्रल सर्विसेज, सैन्ट्रल कारपोरेशन में इस रिजर्वेशन को लागू कर दिया तो कहीं आप फिर बाध्य हैं क्या कि आप भी अपने सूबे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने सूबे में इसको लागू कर लेंगी ? मेरी राय में प्रधान मंत्री के फैसले से आप बधे हुए नहीं हैं। इसलिये आप दिल्ली का इन्तजार नहीं करके यह बतायें कि कब तक इसको लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते है ? विचार है या नहीं ? दिल्ली का सहारा क्यों लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिल्ली का सहारा इसलिए लिया कि थ आउट इण्डिया सुप्रीम कोर्ट के स्टे आर्डर होने के बाद में इसके ऊपर कहीं भी किसी भी कोई निर्णय नहीं लिया नम्बर एक। आपने जिन राज्यों का उल्लेख किया है कि दक्षिण में लागू हुआ है, मुझे मालूम है कि तमिलनाडू में, कर्नाटक में सब जगह लागू है लेकिन मण्डल आयोग की रिपोर्ट आने से पहले से लागू है आज से लागू नहीं किया है। अब इस स्टे के बाद केवल एक राज्य (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उत्तर-प्रदेश और बिहार में बाद में हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक राज्य ने जरूर लागू किया था। उड़ीसा की सरकार ने अभी लागू किया था फिर आपने देखा उसको विथड्रा किया। अब सम्मेलन बुला रहे हैं और उसमें निर्णय होगा लेकिन वहां भी अल्टीमेटली यही चीज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं हो तब तक सारा फुल प्रूफ सिस्टम किस प्रकार से रिजर्वेशन हो, किस सीमा तक रिजर्वेशन लागू किया जाय... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : कानूनी दिक्कत तो आपको नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लीगल क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैं आर्डर करूं और स्टे हो जाय मैं समझता हूं इससे बड़ा तो अपमान नहीं हो सकता है। कानून....

श्री सम्पत सिंह : कानून तो स्टे नहीं करेगा आप दबाव में स्टे करो तो आपकी मर्जी। (व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 32

औषधियों की खरीद

32. **श्री हजारीलाल** (खेतड़ी) व **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में आयुर्वेद विभाग में औषधियों की खरीद हेतु कितना-कितना बजट स्वीकृत किया गया ? उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग खरीद में किया गया व कितना बजट लैप्स हुआ ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने बजट लैप्स न होने बाबत कोई प्रभावी कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या और उसका क्या प्रभाव रहा ?

(3) क्या दवाइयों की पहले की खरीद के मामलों में हुए भ्रष्टाचार के कारण ही समयबद्ध तरीके से खरीद नहीं हो पा रही है ? यदि हां तो पूर्व की खरीदी में हुई गड़बड़ी की सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) गत दो वर्षों से औषधियों व अन्य घटक द्रव्यों के क्रय हेतु स्वीकृत संशोधित बजट व्यय व अध्यर्पण का विवरण निम्न प्रकार है—

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने जो बात कही है उस पर मैं एक सप्लीमेण्ट्री नहीं पूछ सकता ?

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेण्ट्री पूछने के अधिकारी नहीं है। वह तो केवल वही थे, मूल प्रश्नकर्त्ता ही दो प्रश्न पूछ सकते हैं, आप नहीं पूछ सकते हैं। आप नहीं पूछ सकते हैं....(व्यवधान) केवल मंत्रीजी का ही लिखा जाय।....(व्यवधान)...

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	स्वीकृत बजट	संशोधित बजट	व्यय	अध्यर्पण (लेप्स)
1990-91	55.99	73.35	56.69	16.66
1991-92	74.12	74.37	74.36	0.01

वर्ष 1990-91 में बजट अध्यर्पण के मुख्य कारण निम्न रहे हैं—

(1) मार्च, 91 के अन्तिम सप्ताह में ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल होना। रुपये 17.36 लाख की राशि फरवरी, 91 के अन्त में विभाग को आवंटित होने से।

वर्ष 1991-92 में पूरे बजट का उपयोग हुआ है। नाम मात्र का (एक हजार रुपये का) बजट अध्यर्पण हुआ है जो नगण्य है।

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 27.11.91 द्वारा निविदा शर्तों में संशोधन किया है फलस्वरूप क्रय प्रक्रिया में सुधार हुआ है और वर्ष 1991–92 में बजट का पूरा उपयोग कर लिया गया है।

(3) जी नहीं। दो प्रकरण/जांच विभाग एवं राजस्थान राज्य ब्यूरो के विचाराधीन है।

श्री हजारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब समस्त राशि माह फरवरी, 91 में उपलब्ध हो चुकी थी तो मार्च माह में औषधि किस-किस तारीख को खरीदी गयी....(व्यवधान) मार्च माह में 31 दिन होते हैं तो अंतिम दिन ही औषधियां खरीदने का इन्तजार क्यों हुआ ?

श्रीमती विद्या पाठक : फरवरी, 91 के लास्ट में यह बजट स्वीकृत हुआ और उसकी वजह से दवाइयों की खरीद नहीं हो सकी (व्यवधान) आवंटित हुआ उसके बाद की प्रक्रिया में समय लगता है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए खरीद नहीं हो सकी और 1990–91 में इस वजह से 16.66 लाख का लेप्स हुआ।

श्री रामनारायण वर्मा : प्रश्न 1 के खण्ड में जो कारण बताये गये हैं। 17.36 लाख रुपया फरवरी, 91 में आवंटित हुआ और ट्रक की हड़ताल के कारण लैप्स हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि 1991–92 में भी यह आखिरी में सारा सामान खरीदा गया या नहीं ? दूसरा क्या आपकी ऐसी कोई एजेंसी है जो आखिरी दिनों में सामान खरीदा जाता है, दवाइयां खरीदी जाती हैं उनको चैक किया जाता है या ग्रामीण क्षेत्रों के औषधालयों में कोई दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं और रसीद लेकर बिल भरपाई कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो करप्शन फैल रहा है इसके बारे में आपने क्या कोई एजेंसी नियुक्त कर रखी है ? तीसरा आपने विभागीय जाँच विचाराधीन बताई है स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में बतायी है, वह कब से लम्बित है और कितने वर्षों तक लम्बित रहेगी व इसके बारे में विभाग क्या कर रहा है क्योंकि आजकल रोज मुख्य मंत्रीजी भ्रष्टाचार मिटाने की घोषणाएं करते रहते हैं। जब इस प्रकार के प्रकरण बने हुए हैं तो मुख्य मंत्रीजी का प्रयत्न धूमिल होता जा रहा है। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं। एक तो पूछा है कि फरवरी, 91 में जो लास्ट में 17.36 लाख रुपये आवंटित हुए उसकी दवाई नहीं खरीदी जा सकी उसका जवाब मैं दे चुकी हूं। 1991–92 में कोई बजट लैप्स नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा यह कहना है कि सामान पहुंचा नहीं। आपने जो खरीद बता रखी है वह भण्डार में नहीं है। इसके बारे में सरकार को जानकारी है या नहीं ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सिद्धान्त रूप से वर्ष के अन्त में सारी परचेज करना

(श्रीमती विद्या पाठक)

अच्छी बात नहीं। इसलिए इस वर्ष विभाग को यह आदेश दिया गया है कि कलैण्डर बना ले और यह इन्श्योर करे कि बहुत जल्दी 31 तारीख को या अप्रेल के प्रथम सप्ताह तक सारी औषधियां पहुंच जाये। समय से बजट बुक कर दिया जाय, आडर्स बुक कर दिये जायं और कलैण्डर के मुताबिक दवाइयों की खरीद कर ली जाय। ताकि लास्ट में परचेज सही की जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा। एक सवाल और। दसवां सवाल है।

जोधपुर को अल्प बचत फण्ड से मिली राशि का उपयोग

33. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या अल्प बचत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर में अल्प बचत के फण्ड से मिली राशि से क्रय किये गये नये सामानों की एवज में पुराने वी. सी. आर. एवं टी. वी. रखे जाने का प्रकरण सरकार की जानकारी में आया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण के दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उपरोक्त वर्णित सामान इस समय कहां रखा हुआ है ? तथा उक्त सामान की निर्माता कम्पनी का नाम क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, अल्प बचत (श्री जगत सिंह दायमा) : (1) यह सही नहीं है कि अल्प बचत फण्ड से मिली राशि से क्रय किये गये नये सामान की एवज में पुराने वी.सी.आर. एवं टी. वी. रखे गये हैं।

(2) खरीद शुदा सामान उपलब्ध है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) उपरोक्त वर्णित सामान जिला कलक्टर कार्यालय में उपलब्ध है। उक्त सामान के निर्माता ईसी.टी.वी. एवं बी.पी. एल. इण्डिया कम्पनी है।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगा कि जो अल्प बचत फण्ड से टी. वी. व वी.सी.आर. खरीदे गये थे वह वास्तव में तो ईसी कम्पनी के थे लेकिन जो वहां के अधिकारी थे, उन्होंने अपने पुराने वी.सी. आर. व टी.वी. को कलेक्ट्रेट में रखा और नया टी.वी., वी.सी.आर. अपने साथ ले गये। दूसरा, जो टी.वी. व वी.सी.आर. खरीदे गये हैं वह कम्पनी के बिल और नम्बर से मिलान किये जा सकते हैं दोनों में नम्बर अलग-अलग हैं। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इसके बारे में स्पष्ट कहें और जांच करायें।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं भी पूछ लूं साथ-साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, इसलिए गम्भीर है कि साधारण आदमी के खिलाफ 406 और 409 राजस्थान पंचायत में दर्ज किये

(श्री रामनारायण वर्मा)

जा रहे हैं और यहां एक अधिकारी है। मंत्री महोदय यह बतायेंगे दिनांक 7.8.90 को जो वी.सी.पी. खरीदा गया उसके जो नम्बर है वह आपके कलेक्ट्रेट के यहां मौजूद से मिलते हैं या नहीं ? दूसरा, यदि नहीं मिलते हैं तो क्या विभाग धारा 409 में उस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करायेगी? तीसरा, यह है कि आपने कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में पड़ा है। मेरा निवेदन है कि 26.4.85 को जो वी.सी.पी. खरीदा गया था वह क्या सैण्ट पैट्रिक स्कूल में गया ? वहां रहा तो कब से कब तक रहा, उसका उपयोग किसने किया ? दूसरा उसे खरीदने की इजाजत किसने दी ? इसका जोधपुर के मार्केट में या किसी गांव में या किसी दुकान में या सार्वजनिक स्थान पर दिखाया गया ? यदि दिखाया नहीं गया तो क्या यह मिस यूज की श्रेणी में नहीं आता है ? मिस यूज करने का, दुरुपयोग करने का कौन अधिकारी दोषी है और क्या आप इसके बारे में जांच कराने और कमेटी गठित करने को तैयार हैं ?

(12.00 मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, जवाब सुनिये।

श्री हेमराज मीणा : आज ही सील करा देना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, नहीं तो यह बदल जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 28.4.1985 को एक वी. सी. पी. खरीदा गया। उस वक्त कलक्टर स्वर्गीय श्री एस. डी. श्रीवास्तव जी थे। उन्होंने वह वी.सी.पी. सेण्ट पैट्रिक स्कूल को भेंट स्वरूप दे दिया। एडवर्टाइजमैण्ट करने के लिए जो हम कैसट वगैरह बनाते हैं इसलिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। हमने जो वी.सी.पी. या कलर टीवी वगैरह खरीदे हैं, उनमें से, जो भेंट कर दिये वे तो कर दिये, वे इस वक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं। माननीय, आपने जो एक क्वेश्चन किया उसकी मैं जांच करा लेता हूं कि उसके नम्बर हैं या नहीं। मेरी नालेज में यह नहीं लाया गया है। मैं इसकी जांच करा लेता हूं।

श्री रामनारायण वर्मा : इसका मतलब जवाब गलत आया है।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो सामान खरीदा गया है वह कलक्ट्रेट में पड़ा हुआ है। उसको आज ही सीज कराएं नहीं तो वह फिर बदल दिया जाएगा। मिलान करने में आसानी रहेगी।

श्री रामनारायण वर्मा : आपके जो वी.सी.पी, वगैरह हैं क्या उनको सीज करेंगे ? और फिर जांच कराएंगे ताकि वापस नहीं बदल जाय। इसके बारे में क्या कहना है आपका ?

श्री अध्यक्ष : जांच करवा रहे हैं। मंत्री जी, ये पूछ रहे हैं कि क्या सीज करके जांच करवाएंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : उसके नम्बर मिलाकर....

श्री अध्यक्ष : आप सुन लें। जवाब तो सुनो।

श्री जगतसिंह दायमा : आप नम्बर बता देना, उनको और उनको, दोनों को मिलाकर····

श्री रामनारायण वर्मा : आपके तो नम्बर मेरे पास हैं। आपके वी.सी.पी. के नम्बर हैं 10669137, जो आपने खरीदा है। आपका जो जोधपुर में है वह वी.सी.पी. क्या इसी नम्बर का है ? नहीं है तो किसने बदला ? बदलने वाला अधिकारी कौन था ? सरकारी सम्पति का दुरुपयोग किसने किया ?

श्री अध्यक्ष : इन सबकी आप जांच करवा लीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : यह सारी जांच करवा लूंगा और जांच करवाकर····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गणेश चतुर्थी एवं महाशिवरात्रि के पर्व पर अवकाश

28. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जन आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए गणेश चतुर्थी व महाशिवरात्रि को भी सरकारी अवकाश घोषित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा गणेश चतुर्थी एवं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में क्रमशः ऐच्छिक अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाश प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 29
(स्थगित)

सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हिन्दी विषय

30. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के बी.ए. प्रथम वर्ष में हिन्दी व अंग्रेजी दोनो ही विषय अनिवार्य हैं और उत्तीर्ण होने के लिए 25 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं।

(2) क्या यह सही है कि सुखाड़िया विश्व विद्यालय, उदयपुर के बी.ए. प्रथम वर्ष में हिन्दी या अंग्रेजी में से कोई एक विषय ही लेना पर्याप्त है। यदि हां, तो हिन्दी के बिना भी वह परीक्षा उत्तीर्ण हो जाता है। यह निर्णय राज्य सरकार का है या एकेडेमिक काउन्सिल का है।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में बी.ए. के पाठ्यक्रम के द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में हिन्दी अनिवार्य विषय नहीं है। क्या यह हिन्दी के प्रति विश्वविद्यालयों की उपेक्षा नहीं है।

(4) क्या यह सही है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अन्तर्गत एम.बी.ए. में हिन्दी माध्यम नहीं है। यदि हां, तो हिन्दी भाषी क्षेत्र के छात्रों के प्रति अन्याय नहीं माना जायेगा।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(5) क्या सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में विदेशी छात्रों के लिए पहले प्रारम्भिक हिन्दी थी। यदि हां, तो कब हटाया गया और हटाने के क्या आधार रहे ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान विश्वविद्यालय के बी.ए. प्रथम वर्ष में हिन्दी व अंग्रेजी दोनों ही विषय अनिवार्य है। विद्यार्थियों को इनमें उत्तीर्ण होने के लिए 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(2) जी हां, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के बी.ए. प्रथम में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से कोई एक ही विषय लेना पर्याप्त है। अंग्रेजी विषय लेने पर हिन्दी के बिना भी वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है यह निर्णय एकेडेमिक काउन्सिल का है।

(3) जी हां। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में बी.ए. के पाठ्यक्रम के द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में हिन्दी अनिवार्य विषय नहीं है। जी नहीं, यह हिन्दी के प्रति विश्वविद्यालयों की उपेक्षा नहीं कही जा सकती है क्योंकि प्रथम वर्ष तक हिन्दी का अध्ययन आवश्यक है।

(4) सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम.बी.ए. में हिन्दी माध्यम नहीं है। यह हिन्दी भाषी क्षेत्र के छात्रों के प्रति अन्याय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि 10+2 तक छात्र हिन्दी पढ़ चुका होता है। पूर्व में भी प्रथम वर्ष 11+1 में ही हिन्दी पढता था।

(5) सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में विदेशी छात्रों के लिए पहले प्रारम्भिक हिन्दी अनिवार्य थी जिसे विदेशी छात्र सलाहकार जे.जी. मेसी की अनुशंषा पर एकेडेमिक काउन्सिल के 24.12.1981 के निर्णय संख्या 18 द्वारा समाप्त कर दिया था। विदेशी छात्रों के हित में एकेडेमिक काउन्सिल ने यह निर्णय लिया था।

सरकार के आदेश की अवमानना

31. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) व श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 14(84) कार्मिक/क-5/77 दिनांक 7.10.1977 अभी प्रभावी है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश की पालना नहीं करने वाले विभागाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों को उक्त आदेश की परिधि में नहीं रखने के क्या कारण हैं ? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार विभाग के उक्त आदेश के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 9(5) सांप्र/2/89 दिनांक 28.2.90 जारी होने से आदेश संख्या 14 (84) कार्मिक/क–5/77 दिनांक 7.10.77 स्वत: ही प्रभावहीन हो गया है। इस आदेश के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर का कोई भी मंत्रालयिक कर्मचारी इस परिधि में नहीं आता है। अत: किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

राज्य कर्मचारियों को देय ग्रामीण भत्ता

32. **श्री सम्पतसिंह** (नगर), **श्री हीरा लाल इन्दोरा** (केसरीसिंहपुर) व श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या कर्मचारियों को नियमों में शहरी भत्ता देय होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता देय नहीं होता ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ग्रामीण भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक यह भत्ता स्वीकार कर दिया जावेगा।

(3) क्या सरकार उन कर्मचारियों के वेतन से कटौती करने का निर्णय लेगी जो शहर में ही रहना चाहें ? यदि हां तो कब तक।

उत्तर

(1) राज्य के सभी शहरों में शहरी (क्षतिपूर्ति) भत्ता देय नहीं है किन्तु भारत सरकार द्वारा शहरों के किये गये वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के बी I एवं बी–II श्रेणी के शहरों मे पदस्थापित राज्य कर्मचारियों को नगर (क्षतिपूर्ति) भत्ता दिया जाता है। राजस्थान में जयपुर को बी–I तथा अजमेर, जोधपुर एवं बीकार को बी–II श्रेणी के शहर घोषित किये हुये हैं। उक्त शहरों में पदस्थापित केन्द्रीय कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पदों पर नगर (क्षतिपूर्ति) भत्ता दिया जा रहा है, उसी के अनुरूप राज्य सरकार के, उक्त शहरों में पदस्थापित कर्मचारियों को नगर (क्षतिपूर्ति) भत्ता दिया जा रहा है। राजस्थान में इन शहरों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के पदस्थापित कर्मचारियों को किसी प्रकार का शहरी (क्षतिपूर्ति) भत्ता/ग्रामीण भत्ता भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। अत: राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त शहरों के अतिरिक्त अन्य किसी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मचारियों को इस प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

महावीर गृह निर्माण समिति, जयपुर द्वारा भू-खण्डों के आवंटन में अनियमितताएं

33. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मदन दिलावर)

(1) महावीर गृह निर्माण समिति, जयपुर का रजिस्ट्रेशन कब हुआ तथा वर्तमान में इसके कौन-कौन पदाधिकारी हैं ? समिति का संविधान तथा पदाधिकारियों के नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति ने जगतपुरा में शान्ति विहार कालोनी में व्यावसायिक/आवासीय भू-खण्डों का आवंटन किया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कौन-कौनसा भूखण्ड, कब-कब आवंटित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भू-खण्ड संख्या 45 से 65 तक तथा 125 से 135 तक का या दो से अधिक व्यक्तियों को विक्रय किया गया ? यदि हां, तो क्यों यदि नहीं, तो प्रत्येक की प्राप्ति रसीद पट्टे तथा साइट प्लान की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि भूखण्ड संख्या 50,51,55 एवं 130 के आवंटियों से समिति द्वारा पूर्ण राशि प्राप्त कर भी उनको पट्टे एवं साइट प्लान नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक उनको दे दिये जावेंगे ?

(5) क्या सरकार उक्त समिति द्वारा की जा रही अनियमितता के कारण समिति के पदाधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) महावीर गृह निर्माण समिति जयपुर के नाम से कोई गृह निर्माण समिति पंजीकृत नहीं है।

(2, 3, 4 व 5) प्रश्न के भाग संख्या 1 में वर्णित समिति पंजीकृत नहीं होने से सूचना प्रासंगिक नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 34

(स्थगित)

देवस्थान विभाग की सम्पत्ति

35. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देवस्थान विभाग की सम्पत्ति चल-अचल देश में कहां-कहां पर है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्ष में देवस्थान की किसी चल-अचल संपत्ति का विक्रय किया है ? यदि हां तो विक्रय की गयी संपत्ति का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :

(देवस्थान मंत्री)

सम्भाग का नाम 1	कुल सम्पदा की संख्या 2	कृषि भूमि (बीघा में) 3	आभूषण (संख्या) 4
जयपुर	339	1126.00	1756
जोधपुर	296	92.03	56
उदयपुर	394	12119.03	8986
कोटा	223	1651.09	4700
बीकानेर	151	15061.18	2472
भरतपुर एवं	648	61.17	751
राज्य से बाहर			479
योग :	2051	30112.10	20200

राज्य एवं राज्य के बाहर देवस्थान विभाग के मंदिरों की संख्या :

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार	391
राजकीय आत्म निर्भर	204
राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	405
योग :	1000

(2) वर्ष 1989 के पश्चात् देवस्थान की किसी भी सम्पत्ति का विक्रय नहीं हुआ है।

भरतपुर जिले के पेट्रोल/डीजल पम्पस

36. **श्री सम्पतसिंह** (नगर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पैट्रोल एवं डीजल की जांच किस तरह कितने–कितने समय में की जाती है ? भरतपुर जिले के प्रत्येक पैट्रोल/डीजल पम्प की एक वर्ष में कब–कब जांच की और क्या अनियमितताएं पाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सम्पतसिंह)

(2) नगर तहसील में कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकान कस्बा एवं गांवों में हैं ?

उत्तर

(1) पैट्रोल एवं डीजल पम्पों की जांच विभाग द्वारा प्रवर्तन स्टाफ के लिए निर्धारित निरीक्षण मापदण्ड के अनुरूप की जाती है। प्राप्त शिकायत पर भी आकस्मिक निरीक्षण प्रवर्तन स्टाफ द्वारा किया जाता है। जांच के दौरान मिलावट का संदेह होने पर उत्पाद का सैम्पल लेकर प्रयोगशाला से जांच कराई जाती है। भरतपुर जिले के पैट्रोल एवं डीजल पम्पों की एक वर्ष में की गई जांच और जांच में पाई गई अनियमितताओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगर तहसील में कस्बा एवं गांवों में क्रमश: 7 एवं 37 सस्ते गल्ले की दुकानें हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

सुजानगढ़ तहसील में कैरोसिन वितरक

37. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ तहसील के खुदरा डीलर्स को डूंगरगढ़ के थोक विक्रेता द्वारा कैरोसीन सप्लाई किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि डूंगरगढ़ के एक थोक व्यापारी डीलर द्वारा सुजानगढ़ के खुदरा व्यापारियों की एकरूपता के मुताबिक कैरोसीन तेल आवंटन नहीं किया जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जनसंख्या अनुपात के हिसाब से तहसील सुजानगढ़ की जनसंख्या डूंगरगढ़ तहसील से ज्यादा है तथा उस अनुपात में कैरोसीन तेल नहीं सप्लाई किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार सुजानगढ़ तहसील के लिए अलग से थोक व्यापारी डीलर बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) सुजानगढ़ के खुदरा व्यापारियों को जिला प्रशासन द्वारा उनकी मांग, उठाव एवं क्षमता के आधार पर कैरोसीन सप्लाई किया जाता है न कि थोक व्यापारी डीलर द्वारा अपने स्तर से।

(3) यह सही है कि तहसील सुजानगढ़ की जनसंख्या डूंगरगढ़ तहसील से ज्यादा है तथा उसी अनुपात में कैरोसीन तेल सप्लाई किया जाता है।

(4) जी हां। इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि., जयपुर को दिनांक 23.7.92 को सुजानगढ़ तहसील के लिए अलग से कैरोसीन थोक विक्रेता नियुक्त करने के लिए लिखा गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर द्वारा अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

38. **श्री नारायण लाल** (लसाड़िया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जिला उदयपुर द्वारा निर्वाचन क्षेत्र लसाड़िया की तहसील धरियावद से वर्ष 1992–93 में कितने अध्यापकों की तहसील के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया ? आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रतिनियुक्ति पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो प्रतिबन्ध के बावजूद भी प्रतिनियुक्त किये जाने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

(3) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में किसी भी अध्यापक की प्रतिनियुक्ति तहसील के बाहर अन्य विद्यालयों में नहीं की हुई है।

(2) जी हां। अध्यापकों की प्रतिनियुक्तियां नहीं की गई है। अतः किसी की जिम्मेदारी ठहराये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेसिक माडल उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सामग्री का रख-रखाव

39. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के बेसिक माडल उच्च प्राथमिक विद्यालय में पड़ी हुई शिक्षण सामग्री खराब हो रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सामग्री कितनी, क्यों तथा कब से खराब हो रही है।

(2) क्या सरकार उक्त मामले में दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बेसिक माडल उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर में रखी हुई सामग्री टाटपट्टी, ढोलक अच्छी स्थिति में है। पाठ्य पुस्तकें पुराने पाठ्यक्रम की है जो अब चलती नहीं हैं। सामग्री सम्बन्धित विद्यालयों को वितरित की जा रही है।

(2) उक्त मामले की जांच के उपरान्त ही दोषारोपित किया जा सकेगा।

वर्ष 1992–93 में संस्कृत विद्यालय

40. **श्री रिछपालसिंह** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वित्तीय वर्ष 1992–93 के दौरान नागौर जिले में संस्कृत विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर, सूची सदन को मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह)

(2) वर्तमान में नागौर जिले में कुल कितने संस्कृत विद्यालय कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार मोगासा (डेगाना) के संस्कृत विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) नागौर जिले में विभिन्न स्तर के कुल 24 संस्कृत विद्यालय कार्यरत है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय मोगासा (डेगाना) की प्रवेशिका (सैकण्डरी) स्तर पर क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं गुणावगुण के आधार पर चालू सत्र में क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें ।)

पंचायत मुख्यालयों में प्राथमिक शालायें

41. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में पंचायत मुख्यालयों पर आज भी उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु शालायें नहीं हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक शालायें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सरकार अपने सीमित उपलब्ध वित्तीय साधनों, ग्राम की जनसंख्या, छात्रों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु भरसक प्रयत्नशील है ।

राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय खण्डार में विज्ञान विषय

42. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, खण्डार जिला सवाईमाधोपुर कब खोला गया एवं उसमें अभी तक विज्ञान विषय नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय में उस क्षेत्र के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये विज्ञान विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय खण्डार, जिला सवाई माधोपुर वर्ष 1988–89 में क्रमोन्नत किया गया । विज्ञान विषय खोलने के प्रस्ताव

(शिक्षा मंत्री)

प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय में विज्ञान विषय नहीं खोला जा सका है।

(2) उक्त विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने एवं वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

चूरू जिले के विद्यालय

43. **श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चुरू में कुल कितने उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) चूरू जिले के शहरी क्षेत्र में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? इन्हें कब तक भर दिया जावेगा ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में राज्य सरकार द्वारा 296 उच्च प्राथमिक, 94 माध्यमिक एवं 25 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चूरू जिले के शहरी क्षेत्रों में 112 प्राथमिक विद्यालय हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उपरोक्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

पद	छात्र	छात्रा	प्रा.शि.	योग
व्याख्याता	51	09	—	60
वरि. अध्या.	33	04	06	43
व.श्र.शा.शि.	—	01	—	01
अध्यापक	28	18	35	81
तृ.वे.शा.शि.	07	05	—	12

विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद राज- लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। तृतीय एवं द्वितीय वेतन श्रृंखला के पदों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भरतपुर में नवोदय विद्यालय

44. **श्री सम्पतसिंह (नगर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सम्पतसिंह)

(1) क्या सरकार प्रदेश में नए नवोदय विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने कहां-कहां व कब तक ?

(2) क्या सरकार द्वारा ग्राम रसिया, तहसील नगर, जिला भरतपुर में नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । सत्र 1992–93 में भारत सरकार से निम्न स्थानों/जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है :—

(1) गजनेर (बीकानेर)
(2) खेडली (भांडारेज) (दौसा)
(3) कालन्द्री (सिरोही)
(4) सवाई माधोपुर
(स्थगन चयन प्रक्रियाधीन)

(2) ग्राम रसिया तहसील नगर जिला भरतपुर में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को दि. 20-5-92 को भिजवाये गये है स्वीकृति प्राप्त होते ही उक्त विद्यालय प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत प्राप्त शिकायतें

45. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत खरीदी गई सामग्री के घटिया होने तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार के ध्यान में आई थी ?

(2) उक्त मामले की जांच किस से कराई गई तथा इसमें कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा की जा रही है । जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

आयुर्वेद चिकित्सालय, बामनिया कलां तहसील रेलमगरा में वैद्य का पदस्थापन

46. **श्री शान्तिलाल** (राजसमन्द) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद चिकित्सालय 'बामनिया-कलां' तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द में 1-4-1990 से आज दिन तक वैद्य के पद पर किस-किस व्यक्ति का पदस्थापन रहा है ?

(2) उक्त अवधि में कब से कब तक वैद्यों ने उपस्थिति दी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, बामनियाकलां जिला राजसमन्द में निदेशालय के आदेश दिनांक 4–7–89 से आयुर्वेद चिकित्सक पद पर श्री हरिवल्लभ रत्नावत का पदस्थापन रहा है।

(2) श्री हरिवल्लभ रत्नावत के द्वारा उक्त औषधालय में कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थिति नहीं दी है।

आयुर्वेद चिकित्सक

47. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) व **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कितने आयुर्वेद कालेज है एवं उनमें प्रतिवर्ष कितने आयुर्वेद चिकित्सक शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं तथा उनमें से कितनों को नियुक्तियां दे दी जाती हैं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इस समय प्रदेश में कितने आयुर्वेद चिकित्सक कार्यरत हैं ? इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने हैं ?

(3) क्या सरकार बैकलॉग सहित आरक्षण कोटे की बकाया संख्या के पदो पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 5 आयुर्वेद महाविद्यालय हैं। इनकी कुल प्रवेश क्षमता 280 छात्र है तथा प्रतिवर्ष लगभग 225 से 250 के मध्य आयुर्वेद चिकित्सक उत्तीर्ण होकर निकलते हैं। विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के आधार पर नवीन नियुक्तियां दी जाती हैं।

(2) वर्तमान में आयुर्वेद विभाग राजस्थान में 3631 आयुर्वेद चिकित्सक कार्यरत है, इनमें 34 अनुसूचित जाति के एवं 26 अनुसूचित जन-जाति के हैं।

(3) जी हां। अनुसूचित जाति/जनजाति के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध होने पर आरक्षित पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

इन्दिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार व गबन के प्रकरण

48. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) व **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं गबन–घोटालों आदि के कुल कितने मामले इस समय विचाराधीन हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में अनियमितताओं के समाप्त किए गये प्रकरणों में कुल कितनी राशि के मामले किन–किन के खिलाफ अन्तर्गस्त रहे है ?

(3) विचाराधीन मामलों में कुल कितनी राशि के मामले अन्तर्गग्रस्त है ?

(श्री हेमराज मीणा)

राज्य सरकार द्वारा इन मामलों की जांच किये जाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में इस परियोजना में प्रशासनिक विभागीय स्तर पर अनियमितताओं के 23, भ्रष्टाचार के 11 एवं गबन-घोटालों आदि के कुल 14 मामले विचाराधीन चल रहे हैं जिनका विवरण संलग्न मान चित्र में दिखाया गया है ।

(2) गत दो वर्षों में समाप्त किये गये प्रकरणों के बारे में सूचना उपरोक्त मानचित्र में दिखाई गयी है । कुल मिलाकर 7.93 लाख रु. के मामले समाप्त किये गये हैं । व्यक्तियों के नाम मानचित्र में अंकित है ।

(3) विचाराधीन मामलों में कुल राशि 84.41 लाख रु. अन्तर्गस्त है । राज्य सरकार द्वारा इनकी जांच के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग आदि में उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र निबटारा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें ।)

धानुगांव (बून्दी) का पटवार भवन

49. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धानुगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी में पटवार भवन का कार्य अकाल राहत के तहत प्रारम्भ करवाया जाकर नीवें खोदी गई थी ? यदि हां, तो बकाया कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

(2) क्या सरकार उक्त पटवार भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक, तथा किस योजना के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 90-91 में पटवार भवन का निर्माण कार्य जवाहर रोजगार योजना (अकाल राहत) के तहत प्रारम्भ करवाया जाकर नीवें खोदी गई थी । पटवार घर निर्माण हेतु जब भी पूर्ण राशि आवंटन करना सम्भव होगा बकाया निर्माण कार्य पूरा करा लिया जावेगा ।

(2) विभाग की आयोजना सीमा में उपलब्ध राशि के अनुसार प्रत्येक वर्ष जिलों में पटवार घरों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जब भी आयोजना सीमा अथवा किसी अन्य योजना के तहत इस कार्य के लिये राशि उपलब्ध हो पायेगी, निर्माण कार्य पूरा करा दिया जावेगा । इसके लिये कोई निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है ।

उपनिवेशन क्षेत्र जैसलमेर में भूमि का आवंटन

50. **श्री अमीन खां** (शिव) व **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनूं) : क्या

(श्री अमीन खां)

उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिला जैसलमेर में इस वर्ष भूमि के विशेष आवंटन के लिए कितने लोगों ने फार्म भरे हैं ? उपनिवेशन तहसीलवार संख्या बताई जावें।

(2) उक्त व्यक्तियों का उपनिवेशन क्षेत्र में कब तक भूमि आवंटन कर दी जावेगी ?

(3) उपनिवेशन क्षेत्र जिला जैसलमेर के किसानों के कितने फार्म भरे हैं ? व अन्य जिलों के कितने फार्म भरे हैं ? जिलेवार संख्या बताई जावे।

(4) उपनिवेशन क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने फार्म भरे गये हैं ? जिलेवार सूची बताई जावे।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में जिला जैसलमेर में इस वर्ष विशेष आवंटन के लिए 15, 140 लोगों ने फार्म भरे हैं। उपनिवेशन तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :–

1. नाचना नं. 1	2,950
2. नाचना नं. 2	979
3. मोहनगढ़ नं. 1	1,070
4. मोहनगढ़ नं. 2	5 043
5. मोहनगढ़ नं. 3	4,072
6. रामगढ़ नं. 1	1,026
	15,140

(2) आवेदनकर्ताओं को पात्रता एवं प्राथमिकता तय करने के उद्देश्य से प्राप्त समस्त आवंटन पत्रों की जांच की जा रही है। इस जांच कार्य में करीब दो माह का समय लगेगा तथा इसके बाद पुलिस से जांच करवाई जावेगी जिसमें कम से कम एक माह का समय लगेगा। इस प्रकार माह दिसम्बर, 1992 के बाद ही इन आवेदन-पत्रों में पात्र पाये जाने वाले लोगों को आवंटन किया जा सकेगा।

(3) उपनिवेशन क्षेत्र में जिला जैसलमेर के 1,547 लोगों ने फार्म भरे हैं। अन्य जिलों के 13,593 फार्म भरे गये हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(4) उपनिवेशन क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के 299 फार्म भरे गये हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

जयपुर दौसा व सीकर जिलों में सिवाय चक भूमि का आवंटन

51. **श्री सम्पतसिंह** (नगर);

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) व

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर, दौसा और सीकर जिलों में कितनी खेती योग्य सिवायचक भूमि विगत दो वर्षों में आवंटन की गयी है, किस-किस को किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सम्पत सिंह)

(2) पिछले वर्षों में जन-प्रतिनिधियों एवं उच्च सरकारी अधिकारियों द्वारा जमीन काश्त के लिये ले लेने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में गत 2 वर्षों में सिवाय चक भूमि का कृषि हेतु कुल 2642 व्यक्तियों को 6123 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया, सूची संलग्न है (परिशिष्ट 'क') एवं

दौसा जिले में वर्ष 1990 व 1991 में सिवाय चक भूमि का आवंटन नहीं किया गया, वर्ष 1992 में कुल 992 व्यक्तियों को 1159.05 एकड़ कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया गया। सूची परिशिष्ट 'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है।

सीकर जिले में 3 व्यक्तियों को क्रमशः 1.59 हैक्टेयर 5 बीघा व 1.14 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। सूची परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(2) जयपुर, दौसा एवं सीकर में पिछले 2 वर्षों में किसी भी जन-प्रतिनिधि एवं उच्च सरकारी अधिकारियों को काश्त हेतु भूमि आवंटन नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला बाड़मेर, जैसलमेर में भूमिहीन किसानों की भूमि का नियमन

52. **श्री अमीन खां** (शिव) एवं **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1992 में जिला बाड़मेर, जैसलमेर में भूमिहीन किसानों के कितने मामलों का नियमन किया गया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन जिन किसानों को उक्त वर्ष में भूमि आवंटन से आज तक कब्जा नहीं मिला व लगान नहीं भरा उनको भी राज्य आदेश से खातेदारी दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सीमा से 10 कि.मी. क्षेत्र में नियमन या आवंटन बन्द है ? यदि हां, तो क्या नियमन किया गया है ? वर्ष 1992 में नियमन किये गये मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार रेगिस्तानी जिलों में रेगिस्तान को रोकने व चरागाहों के विकास के हित में भूमि आवंटन व नियमन बन्द रखना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1992 में जिला बाड़मेर में नियमन किये गये मामलों की तहसीलवार सूची निम्न प्रकार है :—

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	तहसील	संख्या	क्षेत्रफल
1.	बाड़मेर	10	100.00
2.	शिव	1	16.00
3.	चौहटन	6	94.50
4.	पचपदरा	215	1011.16
5.	सिवाना	16	68.00
	योग	248	1289.66

जिला जैसलमेर में कोई मामला नियमन नहीं किया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 कि.मी. तक के क्षेत्र में नियमन प्रतिबन्धित नहीं किया गया है। लेकिन भाग-4 में अंकित अनुसार मरूस्थलीय जिलों में भूमि के आवंटन पर प्रतिबन्ध है।

(4) मरूस्थल जिले में स्थित भूमि को मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने हेतु राज्य सरकार का निर्णय है। अतः मरूस्थलीय जिलों में 1 हैक्टेयर तक भूमि के टुकड़े के आवंटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जाता है।

कोटा जिले में सीलिंग कानून के तहत भूमि अवाप्ति

53. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में अब तक कुल कितनी भूमि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई ? तथा उसमें से कुल कितनी भूमि का आवंटन किया जा चुका है। अवाप्त की गई भूमि में से शेष भूमि का आवंटन नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(2) सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की जाने योग्य कितनी भूमि उक्त जिले में अवाप्त नहीं की जा सकी और क्यों ?

(3) उक्त अवाप्त की गई भूमि का कितने किसानों को कितना मुआवजा चुकाया गया ?

(4) क्या सरकार सीलिंग में अवाप्त भूमि का शीघ्र मुआवजा भुगतान की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में अब तक कुल 23751 एकड़ भूमि सीलिंग कानून के तेहत अवाप्त की गई है। इसमें से 17266 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है। अवाप्त की गई भूमि में से उक्त भूमि आवंटन हो जाने के पश्चात् शेष 6485 एकड़ भूमि में से 5029 एकड़ भूमि पर विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश होने, 788 एकड़ भूमि नाकाबिल काश्त होने तथा 6 एकड़ भूमि नगरपालिका क्षेत्र की होने से आवंटन नहीं की जा सकी है। अब 662 एकड भूमि आवंटन से शेष रही है, जिसमें से 262 एकड़ भूमि तहसील दीगोद में पुनः भू-प्रबंन्ध विचाराधीन होने के कारण आवंटित नहीं

(राजस्व मंत्री)

की जा सकी है। शेष 400 एकड़ भूमि का आवंटन बरसात के पश्चात आवंटन कार्यक्रम निश्चित कर, कर दिया जावेगा।

(2) सीलिंग कानून के तहत अवाप्त किये जाने योग्य 5746 एकड़ भूमि के प्रकरणों में वरिष्ठ न्यायालयों के स्थगन आदेशों के कारण अवाप्त नहीं की जा सकी है।

(3) अवाप्त की गई भूमि के 9 किसानों को 82,486/- रु. का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।

(4) जी हां। राजस्व मण्डल को निर्देशित किया जा रहा है कि कलक्टर, कोटा को वांछित राशि उपलब्ध कराई जावें।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

उपखण्डाधिकारी, रतनगढ़ के पास भूमि रूपान्तरण के लम्बित प्रकरण

54. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू की नगरपालिका क्षेत्र सुजानगढ़ के भूमि रूपान्तरण के कितने प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ के पास विचाराधीन हैं ? तथा कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इतने दिनों तक प्रकरण लम्बित होने के क्या कारण हैं ? अब कब तक इन प्रकरणों का निपटारा कर दिया जावेगा ?

(3) क्या उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ के पास कार्यभार का दबाव ज्यादा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन प्रकरणों के जल्दी निपटारे के लिए सुजानगढ़ के सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिकृत करने का विचार रखती है ? नहीं तो क्यों ? हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्र सुजानगढ़ के भूमि रूपान्तरण के 253 मामले उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ के न्यायालय में 1982 से विचाराधीन थे, जिन्हें हाल ही में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़ को स्थानान्तरित कर दिया गया है। विचाराधीन मामलों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों के लम्बित रहने के निम्नांकित कारण हैं :—

1. उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ अन्य कार्यों में बहुत व्यस्त रहे हैं।

2. नगर नियोजन विभाग से सहमति प्राप्त करने में काफी समय लगता है।

राज्य सरकार ने अब सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़ को इस कार्य हेतु अधिकृत कर दिया है। अतः अब शेष मामलों के निस्तारण में गति आयेगी।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या प-6(81) राज/4/82 दिनांक 27-7-1992 द्वारा तहसील क्षेत्र सुजानगढ़ के लिए उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ के स्थान पर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत कर दिया गया है तथा

(राजस्व मंत्री)

ये बकाया मामले सहायक कलेक्टर सुजानगढ़ को स्थानान्तरित किया जा चुके हैं।

टौंक जिले में रिकार्ड दुरुस्ती प्रकरण

55. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक जिले में पिछले सैटलमेन्ट के दौरान किन-किन तहसीलों के रिकार्ड दुरुस्ती हेतु कितने-कितने दावे कृषकों द्वारा खातेदारी भूमियों के संबंध में दिये गये ?

(2) ऐसे दावों में चरागाह, सिवाय चक हो जाने अथवा उनके क्षेत्र कम हो जाने कई सरकारी भूमियों "यथा चरागाह, सिवाय चक आदि कई कृषकों के खाते में लगा दिये जाने अथवा भूमि को खातेदारी गैर खातेदारी में एवं गैर खातेदारी को खातेदारी में बदल दिये जाने के कितने दावे कहां-कहां प्रस्तुत किये गये हैं अथवा जिलाधीश, टौंक को जिले में ऐसे मामले कब-कब और किस-किस के द्वारा ध्यान में लाये गये हैं ?

(3) ऐसी त्रुटियों को दूर करने की दृष्टि से एक मुश्त या त्वरित राहत प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी है ?

(4) क्या यह सही है कि सम्पूर्ण जिले में यह अभियान या शिविरों का आयोजन नहीं चलाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में भू-प्रबन्ध के दौरान तहसील उनियारा में 2799 एवं देवली में 949 उजरदारियां प्राप्त हुई। उक्त तहसीलों की भू-प्रबन्ध संक्रियाएं बन्द होने पर समस्त रेकार्ड जिला कलक्टर, टौंक को संभालने के पश्चात् तहसील देवली में 296 एवं उनियारा में 285 दावे राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये।

(2) इस प्रकार के दावे तहसील देवली में उपखण्ड अधिकारी, टौंक के यहां 43, सहायक कलक्टर (प्रथम) टौंक के यहां 53, सहायक कलक्टर (मु.) टौंक के यहां 123 एवं सहायक कलक्टर क्लक्टरस (प्रशिक्षण) टौंक के यहां 77 एवं तहसील उनियारा में सहायक कलक्टर उनियारा के यहां 285 दावे प्रस्तुत किये गये। ऐसे मामलों की जानकारी काश्तकारों एवं अधिवक्ताओं से प्राप्त की गई।

(3) दौरान बन्दोबस्त सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा पंचायत मुख्यालयों पर कैम्प आयोजित कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया गया। भू-प्रबन्ध संक्रियायें बन्द होने के पश्चात् जिला प्रशासन द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक मुख्यालयों पर वर्ष 1990 एवं 1992 में अभियान चलाकर आपत्तियों का निस्तारण किया गया।

(4) सम्पूर्ण जिले में अभियान या शिविरों का आयोजन नहीं किया गया है। जिले की तहसील देवली एवं उनियारा में ही हाल में सैटलमेन्ट हुआ है और इन दोनों तहसीलों में सैटलमेन्ट की त्रुटियों की अधिकता को देखते हुये इन दोनों तहसीलों में ही अभियान चलाया जा रहा है।

फतहसागर, पिछौला एवं उदयसागर के पेटे की भूमि

56. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर के समीप स्थित फतहसागर, पिछौला एवं उदयसागर की डूब की भूमि पर पेटा काश्त का हक किन-किन व्यक्तियों को वर्तमान में दिया हुआ है।

(2) क्या यह सही है कि विधानसभा के गत सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में यह बताया गया था कि फतहसागर, पिछौला व स्वरूपसागर (उदयपुर) की डूब की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा भराव किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा ?

(3) पिछौला, फतहसागर, उदयसागर के पेटे की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों में कितने एवं किन-किन को अतिक्रमण से हटाया गया है ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर के समीप स्थित फतहसागर, पिछौला एवं उदयसागर के डूब की भूमि पर पेटा काश्त हेतु किसी भी व्यक्ति को आवंटन या कब्जा वर्तमान में नहीं दिया गया है।

(2) पिछौला व स्वरूपसागर की डूब की भूमि पर कोई भराव नहीं किया गया है। फतहसागर की डूब की भूमि पर निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा भराव किया गया है :—

1. होटल लेकेण्ड—श्री प्रतापसिंह भण्डारी।
2. श्री सिंघवी जी की बाडी—श्री शान्तीलाल सिंघवी
3. श्री सोहनलाल अग्रवाल
4. कांची होटल
5. श्री कुंज बिहारी
6. श्री कंचन सिंह हिरण।

(3) पिछौला व उदयसागर के पेटे की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। फतहसागर के पेटे की भूमि पर निम्न व्यक्तियों के अतिक्रमण हटाये गये :—

1. सिंघवी जी की बाडी :—श्री शान्तीलाल सिंघवी के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। अब कोई अतिक्रमण नहीं है व भूमि भी जलमग्न है।

2. श्री कुंज बिहारी के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

3. श्री कंचनसिंह हिरण के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

निम्न व्यक्तियों के अतिक्रमण हटाने के संबंध में स्थिति इस प्रकार है—

(1) **होटल लेकेण्ड**—श्री प्रतापसिंह भण्डारी के अतिक्रमण के विरुद्ध वर्ष 1986 में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई जिस पर प्रार्थी द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर से रिट याचिका संख्या 1680/87 व 1840/87 में स्थगन ले लिया गया है।

(राजस्व मंत्री)

(2) श्री सोहन लाल अग्रवाल के मामले में सरकारी भूमि को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उसके खातेदारी की दर्ज करने से उक्त भू-प्रबन्ध के इन्द्राज को निरस्त करने हेतु न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

(3) कांची होटल द्वारा स्वयं की आबादी की 4844 वर्गगज भूमि में भराव किया गया है।

कर्मचारियों के न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

57. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के कार्यरत कर्मचारी जिनके केस न्यायालय में चल रहे हैं, यथा केस नं. 13/75, 18/84, 19/84, 20/84 को पेंडिग जांच बहाल कर दिया गया है? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या न्यायालय में केस चलते पेंडिग जांच बहाल करने का प्रावधान है? यदि हां तो समाज कल्याण विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी एवं अधिकारी हैं जिनको पेण्डिग जांच बहाल कर रखा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ अधिकारी या कर्मचारी जिनके प्रकरण न्यायालय में चल रहे है उनको विभाग ने पदोन्नति दे दी है? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जिन लोगों को पेण्डिग जांच बहाल किया गया है, उनकी सूची संलग्न है। परिवाद संख्या 13/75 इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(2) जी हां। न्यायालय में केस चलते (पेंडिग जांच) निम्न अधिकारी बहाल किये गये :—

1. श्री नाथूराम अभय
2. श्री रामलाल मीणा
3. श्री मोहन लाल जावा

(3) जी नहीं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री सोमा व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में चरागाह भूमि में अतिक्रमियों द्वारा पशुओं को चरने से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(2) श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा सत्र प्रारम्भ हुए तीन माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों के न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(3) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के निकट चौमूं कस्बे में मई-जून माह में मिलावटी

(श्री अध्यक्ष)

तेल बेचने से हुई जनहानि व इस प्रकरण की समुचित जांच न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(4) श्री नत्थी सिंह, श्री यदुनाथ सिंह, डा. चन्द्रभान, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री भरोसीलाल, श्री निर्भयलाल और श्री महीपाल यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायती राज संस्थाओं को भंग करने तथा उनके चुनाव न करवाये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में,

(5) श्री गोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर में असामाजिक तत्वों द्वारा सम्भ्रान्त मासूम बालिकाओं की अश्लील तस्वीरें खींचने तथा इस प्रकरण की समुचित जांच प्रशासन द्वारा नहीं करने से वहां की जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में,

(6) श्री परसादीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील में चरागाह व सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(7) श्री ईश्वरलाल सैनी व तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रान्त के पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करने में कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(8) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव के गांव कलवा, गडरा रोड में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत के बिल अधिक राशि के भेजने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(9) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर कस्बे के खसरा नम्बर 682 गैर मुमकिन भूमि तथा खसरा नं. 683 के कृषि मण्डी की आबादी भूमि पर कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(10) श्री बिरधाराम व चार अन्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से, मकराना में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(11) श्री रामस्वरूप मीणा व चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभियन्ताओं की पदोन्नति एवं पदस्थापन में अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में,

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं

(1) श्री रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा डी.ए.पी. खाद को डीकण्ट्रोल करने की योजना से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में,

(2) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से विगत 11 वर्ष की अवधि

(श्री अध्यक्ष)

में हजारों की संख्या में कथित फर्जी एवं जाली 'एल' फार्म विद्युत मण्डल की फाइलों में लगे होने और आवासन मण्डल द्वारा जारी किये गये ऐसे फार्मों की जिम्मेदारी तथा विद्युत निरीक्षणालय के 'एल' फार्मों और विद्युत ठेकेदारों के रिकार्ड की जांच किये जाने के सम्बन्ध में,

(3) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में,

(4) श्री हरीश कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नावां में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(5) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना नगर पालिका क्षेत्र के मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान करके आवासन मण्डल द्वारा आवासीय गृह बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

(6) श्री लक्ष्मीचन्द मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले की मालवाड़ा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के स्थान पर करड़ा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में,

(7) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरपुर के ग्राम धोलिया, पंचायत उदरासर की खराब विद्युत लाइनों को तत्काल ठीक करवाये जाने के सम्बन्ध में,

(8) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ायी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर छापने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(9) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के कतिपय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों, कर्मचारियों व फर्नीचर का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(10) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर की बी.जी.एस. कालोनी का नगर सुधार न्यास द्वारा नियमितीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

(11) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में बाढ़ से नष्ट हुए मकानों को दी गयी सहायता में भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में;

(12) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव काटवी एवं कातरवास के पास गुजरात राज्य से सीमा विवाद का समाधान लम्बे समय से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(13) प्रो. केदार नाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से रावी-व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में पंजाब, हरि-

(श्री अध्यक्ष)

याणा एवं राजस्थान के बीच हुए अन्तर्राज्यीय समझौते का कोई हल नहीं निकलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(14) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से खेती में प्रयुक्त फव्वारा सिंचाई प्रणाली के उपकरणों को कर मुक्त करने की घोषणा के उपरान्त भी कर मुक्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(15) श्री बृजराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के कैचमैण्ट एरिया में स्थित नहरों एवं कैरियर तथा ड्रेनर की तुरन्त सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में,

(16) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले के गजसिंहपुर कस्बे में बिनौले की खपत को बढ़ाने के लिए स्थापित तेल मिल को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

295 के बाद एक घण्टे के समय में जो आज मेरे पास मोशन आया है महावीर जी का, उस पर आपको चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : काहे के ऊपर ?

श्री अध्यक्ष : पैट्रोल और डीजल।

श्री जुबेर खान : और बिजली ?

श्री अध्यक्ष : बिजली का भी हो जाएगा, जब बिजली का मोशन आएगा तो बिजली का भी आ जाएगा। ....(व्यवधान) मेरे पास जो मोशन आया है मैं उसी पर तो यहां चर्चा करा सकता हूं।....(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने और मेरे साथी माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव आपको दिया है पंचायती राज संस्थाओं को भंग करके चुनाव नहीं कराने के सम्बन्ध में। आपने कहा कि उनसे जानकारी मांगी है। महीने में दो दफा मुख्य मंत्री बयान देते हैं, हर महीने कहते हैं कि फलां तारीख को चुनाव हो जाएगा। फिर कहते हैं फलां तारीख को चुनाव हो जाएगा। पिछली बार कहा कि जुलाई में तो जरूर ही चुनाव हो जाएगा। इस सरकार से और क्या जानकारी चाहते हैं ? ये जानबूझकर चुनाव नहीं करा रहे हैं, ग्रामीण जनतन्त्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नौकरशाही को इन्होंने पतला दिया है। वहां पर पंचायतों को भंग कर दिया, ग्राम सेवक और दूसरे लोग बैठा दिये। कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यह सरकार जानबूझकर लोकतन्त्र की जड़ों पर कुठाराघात कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह सरकार अभी जवाब दे। रोजाना बयान देते रहे हैं ....(व्यवधान)....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : हमारे दल की तरफ से भी पंचायती राज के चुनाव नहीं कराने के मामले में स्थगन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रस्ताव दिया गया है, श्रीमान । ....(व्यवधान)....

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर । ....(व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये किसान विरोधी, गरीब विरोधी पैट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उन पर विचार नहीं करना चाहते हैं । ....(व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, उस पर तो विचार कर रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रो. केदार नाथ ....(व्यवधान) ।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, जब से जनता दल (डी) का जो अधिवेशन कोटा में हुआ है और जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, उस प्रस्ताव का मास-मीडिया ने जो इम्प्रैशन दिया है हमें कि मौजूदा सरकार में उनका कोई विश्वास नहीं रहा ।

श्री नत्थी सिंह : पंचायत का हो जाने दो पहले । मुख्य मंत्रीजी बतायें । मुख्य मंत्रीजी तो रोज चुनाव कराते हैं । कोई दिन नहीं जाता जब चुनाव नहीं कराते हो, रोज करा देते हैं । कभी कोई बहाना ले आते हैं, कभी किसी और का बहाना ले आते हैं । कभी बच्चों का बहाना लेते हैं, कभी किसी और का बहाना लेते हैं । कभी दिल्ली का बहाना लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, जोशीजी बोल रहे हैं । ....(व्यवधान)....माननीय विपक्ष के नेता खड़े हैं, उनको बोलने दीजिये । माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं ।

श्री हरिदेव जोशी (नेता प्रतिपक्ष) अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में और उसके पहले वाले सत्र में मैंने इस प्रश्न के ऊपर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने वायदा किया था यहां इस सदन के अन्दर कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन्स करा देंगे । इसके बाद में जब नहीं हुए तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी । उस चिट्ठी के आधार पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और कारण बतायें कि ये-ये कारण हैं, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा । उसके बाद फिर सदन आहूत हुआ तो इस प्रश्न को फिर मैंने उठाया तो उन्होंने कहा कि जल्दी करवा रहे हैं । मैंने कहा कि आप नहीं करवाओगे, मैं जानता हूं । मैं फिर कहता हूं कि इनकी नीयत पहले दिन से चुनाव नहीं करवाने की थी । पहले दिन से इस प्रकार से चल रहे थे कि चुनाव पूरे नहीं होंगे । इससे परेशान होकर के आम जनता का विश्वास उठ गया और इस सरकार की साख नहीं रही ।

अब परसों हमने आपके सामने यह निवेदन रखा है कि आप इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं देते । सरकार से कोई जवाब लेने की जरूरत नहीं है, वह तो पहले दिन दे चुके हैं । रोज घोषणा करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कल आपका मोशन आया है । 24 घण्टे का समय देना, यह जरूरी है । आखिर मैं भी रूल्स से चलता हूं । ....(व्यवधान)....

श्री नत्थी सिंह : उनको जरूरत है क्या ? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनको है या नहीं है, देखिये 24 घण्टे से कम समय तो कर नहीं सकता।....(व्यवधान)...आपको मैं टाइम बताता हूं। एग्जेक्टली कल शाम को गया है। कहां से हो गये 24 घण्टे ? ....(व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, साहब, हमने परसों दिया है सेक्रेटरी साहब को।

श्री अध्यक्ष : कोई एडजोर्नमेंट मोशन परसों नहीं हो सकता। एडजोर्नमेंट मोशन तो हाउस चलने के बाद ही होगा। पहले से कोई एडजोर्नमेंट मोशन होते हैं क्या ? आप सोचिये जरा। आप एडजोर्नमेंट मोशन को उठाकर पढ़िये। एडजोर्नमेंट मोशन आप 10 दिन पहले दे दोगे, वह एडजोर्नमेंट मोशन नहीं हुआ। 10 दिन पहले दिया हुआ एडजोर्नमेंट मोशन होता है क्या ? तो हाउस चलने के बाद आपका कल एडजोर्नमेंट मोशन आया। शाम को हमने गवर्नमेंट को भेजा है। 24 घण्टे का मैक्सिमम टाइम है और क्या चाहते हैं आप ?....(व्यवधान) इसलिये मैं जो काम है, कायदे से कर रहा हूं। कल मेरे पास मोशन महावीरजी का आया, आज मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज चन्द्रभानजी ने भी इसके लिये दिया है, तो उसकी मैंने डिबेट कराने की बात तय कर दी।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने आज बिना सरकार से समय मांगे हुए....

श्री अध्यक्ष : किसने कहा सरकार के बिना ? मेरे पास यह कल आ चुका है मोशन। मेरे पास कल आ चुका है। कल सुबह 11 बजे आ चुका है, 11 बजे मैंने सरकार को दे दिया है। 24 घण्टे होने के बाद ही कर रहा हूं, पहले नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारा कल 9 बजे मान लीजिये। तो 24 घण्टे तो हो गये, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : नहीं, सरकार को तो शाम को ही जाता है। आते ही थोड़े चला जाता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो महावीरजी का सरकार को चला गया। ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : सरकार खुद आकर के ले लें तो मैं क्या करूं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनजीवन को आन्दोलित करने वाला है। यह चुनाव का मामला है, यह राजनीतिक मामला नहीं है।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल। (अनुपस्थित)।

श्री रामकिशन जी।....(व्यवधान)।

डा. चन्द्रभान : यह जनतन्त्र विरोधी सरकार है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब आप जो चाहें, कहें। नीयत रखती है ....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : क्या सरकार की

(श्री नत्थी सिंह)

चुप्पी इस बात की द्योतक है कि यह सरकार चुनाव कराने की नीयत नहीं रखती है। क्या यह साफ है ? ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, पंडितजी, बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा कह देऊं।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने कहा कि पंचायत के चुनाव नहीं कराने के कारण यह सरकार जनता का समर्थन खो चुकी है। मैं समझता हूं कि इससे तो आपको खुश होना चाहिये। हम कोई ऐसा काम करें और जनता का समर्थन निकल जाय तो आपको तो दाद देनी चाहिये। ....(व्यवधान)....

श्री हरिदेव जोशी : इसका परिणाम यह होना चाहिये, उसको करो जो हम रोज कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा हूं कि अगर आप अनुमति दें तो यह सारा जो भी चुनाव का कार्यक्रम है, उसके ऊपर मैं सोमवार को वक्तव्य दे दूं। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब एक दिन ही तो बाकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सोमवार को पूरा चुनाव का कार्यक्रम तारीख सहित आपके सामने रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष : चलिये, हो गया। बोलिये आप।

श्री हरिदेव जोशी : आप कई बार कह चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको न्याय करना चाहिये और हमको संतोष देना चाहिये। देखिये, न्याय करना ही एक बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक बकिंग-डे है। फिर सोमवार ही है नेक्स्ट वर्किंग-डे।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, सोमवार नहीं, आज कीजिये।

श्री नत्थी सिंह : इसका मतलब यह है कि सरकार आज भी तैयार नहीं है। चुनाव के लिए इनके दिमाग आज भी साफ नहीं है जो सोमवार की बात कर रहे हैं। हम मसला उठा रहे हैं तो कहते हैं सोमवार को जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप मतलब निकाल रहे हो।

श्री नत्थी सिंह : रोजाना ये वक्तव्य देते हैं। अगर तैयार हैं तो आज ही दे दें।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं तो आपकी बात का भी मतलब नहीं निकालता। जो कह रहे हैं, वह ही ठीक है। मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा है, वह ही ठीक है। अब उसका मतलब आप निकालें। वे कह रहे हैं कि पूरे ब्यौरेवार चुनाव की तिथि सहित आपको वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं): चुनाव की तिथि बतायेंगे या प्रक्रिया बतायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तिथि भी बता दूंगा।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्षजी, ये छह महीने में छह बार तारीखों की घोषणा कर चुके हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। यह पालियामेंट्री प्रैक्टिस है कि रूलिंग पार्टी एडजोर्नमेंट मोशन नहीं देती। यह पालियामेंट्री प्रैक्टिस है। इसके बाबत में आपको क्या कहना है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही है आपकी बात।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिए आप, इस सदन की व्यवस्था यह है, मेरे से पूर्व के अध्यक्षों की व्यवस्था है कि यद्यपि एडजोर्नमेंट मोशन देने में कानूनी कोई बात नहीं है लेकिन पालियामेंट्री प्रैक्टिस के मुताबिक रूलिंग पार्टी को एडजोर्नमेंट मोशन नहीं देना चाहिये। इसके पीछे बैक ग्राउण्ड यह है कि एडजोर्नमेंट मोशन जब शुरू हुआ था तो उस समय सरकार ब्रिटिश थी और रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट नहीं थी। उस सरकार में अविश्वास प्रकट करने के लिये, लेक आफ कॉफिडेंस प्रकट करने के लिये एडजोर्नमेंट मोशन इण्ट्रोड्यूस किया गया था। अब चूंकि सरकार रेस्पांसिबल है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है इसलिये एडजोर्नमेंट मोशन की वह व्यवस्था नहीं रही। इसलिये एडजोर्नमेंट मोशन अमूमन असेप्ट नहीं होते, डिबेट होने के बाद भी खारिज होते हैं, क्योंकि वह अविश्वास की भावना से ही शुरू किया गया था। वह प्रैक्टिस चल रही है, परन्तु उस पर यह प्रैक्टिस थ्रूआउट इण्डिया चल रही है कि कोई भी रूलिंग पार्टी का मैम्बर एडजोर्नमेंट मोशन नहीं देगा अन्यथा उसका मतलब यह होगा कि उसका सरकार में विश्वास नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इन्होंने वह अविश्वास किया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास किसी का नहीं है। किसी का एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है। किसने कहा आप से ? मेरे पास किसी का नहीं है। ....(व्यवधान)....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे 7–7 दिन में नहीं लगते हैं। महावीरजी का कल आया और आज ही आपने व्यवस्था दे दी। ....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : अब यह तो विषय की बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपसे हमको यह अपेक्षा नहीं थी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, बिजली कोई विषय नहीं है क्या इस प्रदेश में ? बिजली पर तो आप कराने को तैयार नहीं थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिजली के मामले पर तो आपने कहा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपके मामले में तो मैं निष्पक्ष हो सकता हूं, जनता के मामले में नहीं हो सकता। यदि पैट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने से आम जनता में इस बात को लेकर किसी प्रकार का कोमोशन है तो उसको मैं नहीं रोक सकता हूं। ....(व्यवधान)....

श्री नत्थी सिंह : नहीं, बिजली की जानकारी जो आपने चाही है, उसको भी आज 24 घण्टे हो जायेंगे। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास सभी दलों के, आपको छोड़िये, बाकी सभी दलों के लगभग एडजोर्नमेंट मोशन आये हैं, इसी पाइण्ट पर आये हैं। अब कोई अकेले महावीर जी का हो, ऐसा नहीं है, बाकी लोगों के भी हैं।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्षजी क्या आप यह आशा करते हैं कि बिजली की रेट्स बढ़ने से आम पब्लिक खुश है? क्या आपकी यह मान्यता है कि बिजली की रेट्स बढ़ने से आम आदमी खुश है, किसान खुश है?

श्री अध्यक्ष : मैंने बिजली के बारे में कुछ नहीं कहा है।

डा. हरिसिंह : नहीं, आपने कहा है अभी ....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल, डीजल, बिजली इन तीनों पर आज चर्चा करवाएं।

श्री अध्यक्ष : देखिए, मैंने आपको कहा है कि बिजली के बारे में आपने जो मोशन दिया है उस पर मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बिजली और खाद पर पैसे बढ़ने से किसानों की कमर टूटी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसके बारे में व्यवस्था दे दी है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मैंने उसकी व्यवस्था दे दी है और अभी आपको बता दिया था कि अभी तो आपका मोशन आया है। आज आपका मोशन आया है और अभी आप चाहते हैं, अब यह तो सोचिए आप।

श्री नत्थी सिंह : तब आपने कहा था कि जानकारी चाही है, बिजली का हमने परसों प्रस्ताव दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : देखिए, आपने जो दिया उसमें बिजली और पैट्रोल दोनों मिला दिए हैं इसलिए उस पर... (व्यवधान)।

श्री नत्थी सिंह : सारा बिजली ही है।

श्री अध्यक्ष : हां, जो एक्सक्ल्यूजिव मोशन है उस पर व्यवस्थाएं दे दी हैं। जो एक्सक्ल्यूजिव दिया है व्यवस्थाएं दे दी हैं, ठीक है चर्चा हो जाएगी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्षजी, अगर न्याय होता है तो पहले आया उसको पहले टाइम दीजिए और जिसका बाद में आया है उसको बाद में दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह ऐसा तो नहीं है। देखिए ....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : बिजली और पैट्रोल दोनों का है।

श्री अध्यक्ष : मैं उसको कम नहीं कर रहा हूं ....(व्यवधान)....हां है तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तब आप दोनों पर चर्चा करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : उस स्टेज पर आपको भी कहने का मौका मिलेगा।

श्री जुबेर खान : उसको हटा कर बिजली पर चर्चा करवाएं (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह डीजल और पैट्रोल की चर्चा को गुमराह कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय····(व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : आप जो काम करवा सकते हैं उस पर चर्चा करवाइए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये घबरा क्यों रहे हैं ?

डा. हरि सिंह : अध्यक्षजी, बिजली वाले मामले में तो एक आदमी पर गोली चलवा दी थी झुन्झुनूं में। मुख्य मंत्रीजी उस समय क्या विश्लेषण करते थे ? (व्यवधान)····

श्री महावीर प्रसाद जैन : डीजल और पैट्रोल के कारण सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है (व्यवधान)····

श्री जुबेर खान : बिजली की रेट कम करवा सकते हैं उस पर चर्चा करवाएं। (व्यवधान)····

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो किसान और गरीब की बात करते हैं लेकिन उसकी चर्चा कराने से घबरा रहे हैं (व्यवधान) चुनाव घोषणा-पत्र में 100 दिन में महंगाई कम कर देने की बात कही थी, लोगों की कमर तोड़ दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, और कह रहे हैं कि प्रस्ताव पर चर्चा क्यों हो रही है ? 127 पर मैंने प्रस्ताव दिया है और चर्चा कराने पर ही घबरा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है। आज सारा जनजीवन अस्त-व्यस्त है···· (व्यवधान)····

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : No point of order can be raised when there is no business before the House. As there is no business before the House, there can be no point of order.

कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दी है एडजोर्नमैंट मोशन पर····(व्यवधान)····

श्री अध्यक्ष : श्री देवपुराजी बोल रहे हैं। आपके नेता श्री देवपुराजी बोल रहे हैं। आपके नेता जब खड़े हों तब तो बैठो आप। (व्यवधान)····

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपकी व्यवस्था के अनुसार आपने अभी यह फरमाया कि बहुत इम्पोर्टेन्ट इश्यू है सारी पब्लिक को उद्वेलित किए हुए है उसको मैं नजरन्दाज नहीं कर सकता। इसलिए आपने यह व्यवस्था फरमाई। ठीक उसी तरह से बिजली की जो रेट्स बढ़ाई गई है वह रेट्स भी सारी पब्लिक को आज उद्वेलित कर रही है। पैट्रोल और डीजल सब लोग काम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में नहीं लेते हैं लेकिन बिजली तो गरीब से गरीब के घर में पहुंची हुई है। उसके ऊपर भी उसका असर है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने उस प्वाइंट को तो महत्व दिया जिसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है केन्द्रीय सरकार से है, जो इस हाउस में प्रिंसिपली डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। वह एक अलग इश्यू है लेकिन जो इस राज्य सरकार से सम्बन्धित बिजली का इश्यू है उसके लिए आप कह रहे हैं कि वह इतना इम्पोर्टेन्ट नहीं है, उसको बाद में लूंगा। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में न्याय की दृष्टि से सोचना चाहिए और बिजली का इश्यू पहले लेना चाहिए और उसके बाद दूसरे इश्यू की आपको बात करनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक तो बिजली का मामला, डीजल, पैट्रोल और गैस का मामला (व्यवधान)....

श्री नत्थी सिंह : और एक खाद का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक खाद भी आ गया, इन इश्यूज पर आप कोई समय निश्चित कर दीजिए। मैं तैयार हूं। बिजली, खाद और पैट्रोल (व्यवधान)....

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : खाद का भारी मसला है, लोग आन्दोलन कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजली, खाद और पैट्रोल इन तीनों पर चर्चा करवा दें मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : कल इन सब पर बहस करवा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री नत्थी सिंह : कल इन सब पर बहस करवा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजली, खाद, पैट्रोल, डीजल और गैस इन तीनों मामलों पर और आज जो आपने समय दिया है वह तो रहने दीजिए, कोई समय निश्चित कर दीजिए उसके ऊपर जो चर्चा करना चाहे, वह कर लेगा।

श्री जुबेर खान : आज क्यों नहीं करवाते हैं?

श्री अध्यक्ष : अभी मैं आपको चेम्बर में बुलाकर तय कर देता हूं।

श्री केदार नाथ शर्मा : मैं बीच में ही रह गया था। अध्यक्षजी, कोटा के अधिवेशन के बाद (व्यवधान)....जनता (डी) का अधिवेशन हुआ उससे जो डिफरेंसेज अण्डर कारपेट थे....(व्यवधान)....जो डिफरेंसेज अण्डर कार्पेट थे पहले, वह कोटा अधिवेशन के बाद में सरफेस पर आ गए। रिजोल्यूशन में यह कहा गया है कि मौजूदा मुख्य मंत्री अन-डेमोक्रेटिक हैं....(व्यवधान)....सुन लो भैयाजी, बिजली से ज्यादा महत्वपूर्ण है.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, आप बोल रहे हैं।

श्री केदार नाथ शर्मा : सारी पावर्स, एब्सोल्यूट पावर उनके पास है। हम लाइफलेस लिम्ब्स हैं इस कौंसिल आफ स्टेट के,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

नौकरशाही एडमिनिस्ट्रेशन पर हावी है, पालिसी मेटर में हमें बुलाया नहीं जाता है, पावर में शेयर देना तो दरकिनार रहा, दूर रहा हमें जो लीस्ट रेस्पेक्टबिलिटी है वह भी हमें नहीं दी जाती है, हमारे मैम्बर्स, कार्यकर्ता और मंत्रियों को, और सीटों का अलाटमेंट करने में, विधान सभा की सीटों का अलाटमेंट करने में हमसे धोखा हुआ···· (व्यवधान)····

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह प्रस्ताव है क्या आपके पास ?

श्री केदार नाथ शर्मा : हां, मेरे पास प्रस्ताव है।

श्री सम्पत सिंह : आपने ही तो दिया था।

श्री केदार नाथ शर्मा : पेज 9 यहां तक कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : प्रस्ताव पढ़ो आप।

श्री केदार नाथ शर्मा : प्रस्ताव पढ़ रहा हूं, पेज 9···(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : यह मिनिट्स हैं, प्रस्ताव नहीं है।

श्री केदार नाथ शर्मा : मिनिट्स प्रस्ताव ही होते हैं साहब। मिनिट्स जब लिखे जाते हैं और जनता दल (डी) के अध्यक्षजी के दस्तख्त हो जाते हैं तो प्रस्ताव ही होते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पहले अपने आपको करेक्ट कर लो कि यह प्रस्ताव नहीं है, ये मिनिट्स हैं। जो वहां पर चर्चा हुई वह आप पढ़कर सुना रहे हैं।

श्री केदार नाथ शर्मा : पहले मुझे बोलने दो आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, नहीं। आपकी मीटिंग्स में जो कुछ बोलते हैं वह लिखा जाता है वह मिनिट्स में आता ही नहीं है।

श्री केदार नाथ शर्मा : हमारी मीटिंग ओपन होती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है।

श्री केदर नाथ शर्मा : हमारे मंत्री भी मजबूर हैं। कुछ तो मुख्य मंत्री ने सभी विभागों को नियंत्रित कर रखा है, अधिकारी उनके इशारे पर चलते हैं···(व्यवधान)····यह जनता दल (डी) बोल रहा है, (व्यवधान)····

श्री नत्थीसिंह : जिसमें आप भी हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रोफेसर साहब समझ नहीं पाया कि आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री केदार नाथ शर्मा : जनता (डी) का कोटा में जो अधिवेशन हुआ और उन्होंने जो प्रस्ताव पास किया, वह एक्सप्रेशन, जो भाषण दिया, जो मीडिया ने इम्प्रेशन दिया है उसमें आपस में इनके बीच ग्राफ फेथ हो गया है (व्यवधान)····

श्री नत्थी सिंह : कलेक्टिव रेस्पांसीबिलिटी नहीं रही है।

श्री केदार नाथ शर्मा : कलेक्टिव रेस्पांसीबिलिटी नहीं रही है और इन्डिक्टमेंट

(श्री केदार नाथ शर्मा)

के जरिए इनके प्रति विश्वास जाहिर हो गया और जो डिफरेंसेज अण्डर कार्पेट थे पहले वह डिफरेंसेज सरफेस पर आ गए। उसका असर सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत डिसक्वाइटिंग असर पड़ा है। नौकरशाही हावी हो गई विकास के सारे काम बन्द हो गए, जो सरकार की इमेज है, बची-कुची इमेज है उस पर बहुत सैट-बैक पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह तो हो गया बस आपका, और क्या कहना है ?

श्री केदार नाथ शर्मा : नहीं, पढ़ दूं अब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं पढना क्या है ? आपने अपनी बात कह दी बस खत्म हुआ। अब इसमें कोई मोशन नहीं है, फिर किस बात पर बहस हो रही है। समझ में नहीं आता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माइनोरिटी गवर्नमेंट है, कहने का मतलब यह है।

श्री अध्यक्ष : इससे क्या होता है, माइनोरिटी और मैजोरिटी तय करने की प्रक्रियाएं हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : वह तो कारण बता दिया आपने।

श्री अध्यक्ष : उसी आधार पर तय होगी। (व्यवधान)····

श्री केदार नाथ शर्मा : उस आधार पर तय होगी। वह ठीक है, आप मुझे क्षमा करेंगे (व्यवधान)····

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन यह तय करेगा कि जनता दल टुकड़े हो गया, बिखर गया, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजे, आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जनता दल का अस्तित्व खत्म हो गया। इससे सारे देश में इसका इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है। कभी आपने इस पर विचार किया है। अभी आपने कहा है....(व्यवधान) जैसे आपके दल के टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं····(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : हमारे टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं तो आपको यह लाइसेंस नहीं मिला है कि 'डी" के नेता को पीटते ही चले जायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले आप पीटते रहे हो उस समय क्या हुआ था आपका ?····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आगे बिजनस चलने दें, आगे बहस होनी है, 295 श्री रघुवीर सिंहजी कौशल।

(12.30 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इनको परेशानी यह है कि सदन के नेता तो अकेले बोलते हैं और इधर नत्थी सिंह जी भी बोले, पण्डितजी भी बोले, श्री दिग्विजयसिंहजी भी बोले, हमारे तीन-तीन बोल रहे हैं····(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता

(श्री दिग्विजय सिंह)

हूं कि प्रो. केदार नाथ ने जनता दल (डी) (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिबेट शुरू करवा रहे हैं ? (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : सब तो एक साथ बोल नहीं सकते आप।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा के जिस अधिवेशन की बात कही कोटा के अन्दर कोई जनता दल (डी) का अधिवेशन नहीं हुआ, केवल कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि यह दल पूरा सरकार के साथ में है, कोई हमारे अन्दर मतभेद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंहजी कौशल 295 पढ़िये। (अनुपस्थित)।

श्री रामकिशन।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

विद्युत मण्डल में फर्जी 'एल' फार्म

श्री रामकिशन (भरतपुर) : महोदय, विद्युत निरीक्षणालय ने 'एल' फार्म किताबें बेचने का कार्य 15 जनवरी, 1979 से अपने हाथ में लिया है। इसकी मुख्य शर्त थी कि 'एल' फार्म किताबें राजकीय प्रेस में छपेंगी। इस्तेमाल के बाद तीसरी पड़त विद्युत निरीक्षणालय में जमा होंगी।

उक्त समस्त कार्यों के नियंत्रण के लिये विद्युत निरीक्षणालय की एक तकनीकी समिति है जिसके चैयरमैन मुख्य विद्युत निरीक्षक, एक सदस्य राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जयपुर सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता, एक सदस्य प्रिन्सिपल आई. टी.आई. जयपुर और सचिव, सदस्य, सहायक विद्युत निरीक्षक (मुख्यालय) विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर है।

15 जनवरी, 1979 से एल. फार्मों के वितरण पर सम्पूर्ण नियंत्रण विद्युत निरीक्षणालय का है। इसका इस्तेमाल केवल विद्युत मण्डल में ही होता है। आश्चर्य की बात है कि लगभग 11 वर्ष की अवधि में हजारों बल्कि एक लाख से दो लाख के बीच फर्जी और जाली एल फार्म विद्युत मण्डल के फार्मों में छप चुके हैं।

पिछले वर्ष 15 जनवरी, 1990 को समाचार पत्र नव भारत टाइम्स में "शेखावत-जोशी" के नाम नकली बिजली के कनेक्शन" शीर्षक से समाचार छपा था। इसी प्रसंग में आगे चलकर 20 जुला 1990 को माननीय ऊर्जा मंत्री ने सदन में उक्त फर्जीवाड़े की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से कराने की घोषणा की थी। उक्त जांच का कहीं अता-पता नहीं है।

मुख्य विद्युत निरीक्षक के पत्र संख्या निल दिनांक 26.3.1990 से जो उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर को उनके पत्र संख्या 546 दिनांक 22.3.90 के उत्तर में लिखा था, के अवलोकन से मान सकते हैं कि उक्त जांच ठप्प करवा दी गई है।

दिनांक 26.3.90 के पत्र में मुख्य

(श्री रामकिशन)

विद्युत निरीक्षक के पत्र सं. 3080 दिनांक 21.3.90 मानसरोवर, जयपुर को भी दिया था। इसमें लिखा था कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी के नाम से छपा फार्म एल फार्म इन्होंने दिया था, इसलिए इनका लाइसेंस निरस्त किया जाये। मुख्य विद्युत निरीक्षक ने इनकी एल. फार्म की सात किताबें बन्द कर दीं। लम्बे पत्र व्यवहार के बाद भा इलेक्ट्रिक वर्क्स के निवेदन खुशामद करके नव भारत टाइम्स से उक्त छपे एल. फार्म की फोटो प्रति लेकर इन्हें पेश की। उसके बाद मुख्य विद्युत निरीक्षक ने एल. फार्म किताबें देना पुन: शुरू कर दी। उक्त एल. फार्म नम्बर 455271 वास्तव में चतुर्भुज इलेक्ट्रिक एण्ड डेकोरेटर लाइसेंस नं. 1335–ए, जयपुर का था।

अभी पिछले दिनों 7 जून, 1991 को ... तादाद में नकली एल. फार्म कोतवाली ...त, चांदपोल बाजार जयपुर से बरामद किये गये थे जिसकी एफ. आई. आर. नं. 387/97 है। उक्त जांच भी सम्भवत: ठप्प करवा दी गई है।

आवासन मण्डल की निर्देश पुस्तिका के क्र. सं. 3 पर लिखा है "एल फार्म शेल बी मेड अवेलेबल टू दी अलाटी आन दी डेट आफ पजेशन"। राष्ट्रदूत 8 अक्टूबर, 1991 के अनुसार आवासन मण्डल ने एक लाख पांच सौ इकतालीस मकान आवंटित किये हैं। इस प्रकार के दस्तावेज की कोपी आवासन मण्डल के रिकार्ड में मिलेगी। लेकिन आवंटियों को दिये गये मूल एल. फार्म की कापियां आवासन मण्डल के पास नहीं है, ना ही इन एल. फार्मों के नम्बर व ठेकेदारों के नाम पते ही हैं।

फर्जी एल. फार्मों की हजारों शिकायतें विद्युत निरीक्षणालय को प्राप्त होती हैं। लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। विद्युत निरीक्षणालय द्वारा बड़ी तादाद में फर्जी विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस दिये गये हैं। एल. फार्मों पर राजकीय प्रेस की प्रिन्ट लाइन नहीं छपवाई गई है। इनके स्टॉक से बड़ी संख्या में किताबें गायब हैं। जिन ठेकेदारों को किताबें देना दर्शाया गया है उन्हें नहीं देकर अन्य को दी गई हैं। केवल जयपुर जिले के लिये जारी बी–क्लास लाइसेंस वाले ठेकेदारों की एल. फार्म किताबें जयपुर में इस्तेमाल नहीं होती हैं बल्कि मूल रूप से एल फार्म अधिकांशत: जयपुर से बाहर बेच दिये जाते हैं। कई फर्मों ने विद्युत मण्डल के सहायक अभियंता के फर्जी सील और दस्तखतों से स्टाक प्रमाणित कर विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस प्राप्त किये हैं। जानकारी के उपरान्त भी इसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं कराई गई है। अत्यन्त विवश होकर जिन ठेकेदारों के लाइसेंस निलम्बित या रद्द होते हैं उनके नाम बदल कर पुन: लाइसेंस दे दिये जाते हैं। एल. फार्मों की तीसरी प्रतियां जानबूझकर नष्ट कर दी गई हैं। समस्त ठेकेदारों के मासिक प्रतिवेदन फाइलों में नहीं हैं। पंजीकृत ठेकेदारों की पूर्ण सूची उपलब्ध नहीं हैं। ठेकेदारों के पास सुपरवाइजर भी पूर्णकालिक नहीं है, फैक्ट्रियों या सरकारी संस्थानों में कार्य करते हैं। सुपरवाइजर्स के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल होता है।

इन्हीं फर्जी एल. फार्मों के कारण राज्य विद्युत मण्डल को करोड़ों रुपये की सिक्योरिटी राशि का भी नुकसान होता है।

(श्री रामकिशन)

वास्तविक लोड से बहुत कम कनेक्टेड लोड के एल. फार्म उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाते हैं और विद्युत मण्डल द्वारा स्वीकार किये जाते हैं।

माननीय उर्जा मंत्री ने 20 जुलाई, 1990 को सदन में कहा था कि एल. फार्मों से दुर्घटनायें नहीं होती हैं। जब एल. फार्मों से दुर्घटनायें नहीं होती है, फर्जी एल. फार्मों और नकली एल. फार्मों के चलन को रोक नहीं सकते हैं तब उक्त एल. फार्म वितरण का कार्य और वह भी दोषपूर्ण प्रोफार्मा द्वारा विद्युत निरीक्षणालय ने अपने हाथ में क्यों कर लिया था ? किसी भारतीय विद्युत अधिनियम या नियम में कहीं भी नहीं लिखा है कि विद्युत निरीक्षक एल. फार्म किताबें बेचेंगे। भारत वर्ष में अकेले मुख्य विद्युत निरीक्षक राजस्थान ही एल. फार्म किताबें बेचते हैं।

विद्युत मण्डल की फाइलों में लगे लाखों एल. फार्मों और आवासन मण्डल द्वारा जारी किये फर्जी एल. फार्मों के लिये कौन जिम्मेदार है ? विद्युत निरीक्षणालय के एल. फार्म और विद्युत ठेकेदारों से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड की जांच अविलम्ब होनी चाहिये। साथ ही क्या मुख्य विद्युत निरीक्षक के अपने पद पर रहते हुये उक्त जांच सम्भव है ? सरकार द्वारा जनहित में इस पर कार्यवाही नितान्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही में पूर्ण साक्षरता अभियान

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष जी, आज समूचे राष्ट्र में साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राजस्थान में भी कई जिलों को पूर्ण साक्षर करने का अभियान चलाया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये सदन का ध्यान सिरोही जिले की ओर दिलाना चाहूंगी।

महोदय, सिरोही जिला भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के अन्तिम सिरे पर गुजरात की सीमा के साथ लगा हुआ है। राजधानी से दूर आखिरी छोर पर होने के कारण यह जिला हमेशा से ही पिछड़ा हुआ चला आ रहा है। सिरोही जिला बहुत ही छोटा जिला है। इसमें मात्र तीन विधान सभा क्षेत्र हैं जिसमें एक क्षेत्र अनुसूचित जाति का दूसरा जनजाति एवं तीसरा क्षेत्र (जनरल) सामान्य है।

इस जिले में अधिकतम जनसंख्या अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों की है। जिले में व्यापार, उद्योग, मंडी इत्यादि भी ज्यादा विकसित नहीं होने के कारण लोगों का मुख्य धंधा खेती और मजदूरी है परन्तु यहां की अधिकतम जनसंख्या अनपढ़ होने के कारण लोगों में चेतना का अभाव है। हमारे जिले में 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र केन्द्रीय योजना के तहत एवं 100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र राज्य योजना के तहत चलाये जाते थे, परन्तु वर्ष 1991 एवं वर्ष 1992 में ये सभी केन्द्र बन्द कर दिये गये। चूंकि हमारा जिला एक पिछड़ा जिला है। अधिकतम लोग खेती तथा मजदूरी से जुड़े हैं। उन्हें इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों से काफी लाभ मिलता था, परन्तु ये केन्द्र बंद कर दिये जाने से हमारे नागरिक इस लाभ से वंचित हो गये हैं।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

मान्यवर, सिरोही जिले की कुल जनसंख्या 6 लाख 53 हजार 324 है जिसमें से मात्र 1 लाख 69 हजार 703 लोगों तक ही शिक्षा का प्रकाश पहुंच पाया है। यानि हमारे सम्पूर्ण जिले में मात्र 25.98 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत केवल मात्र 18.80 प्रतिशत है तथा ग्रामीण महिलाओं का तो साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम है। हमारे जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि सिरोही जिला बहुत ही छोटा जिला है। इसमें सम्पूर्ण अभियान लाना तथा सम्पूर्ण जिले को साक्षर करना बहुत सरल तथा उपयोगी भी होगा। अतः सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में लिये जा रहे जिलों में सिरोही जिला भी जोड़ा जाये एवं सिरोही जिले को प्राथमिकता देकर सम्पूर्ण जिला साक्षर करने की घोषणा की जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरीश कुमावत।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : अब आपका लास्ट में आएगा।

राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नावां में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नावां) : माननीय उपाध्य महोदय, राजकीय सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल नावां में लम्बे अर्से से अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण छात्र आंदोलन के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करना चाहता हूं।

महोदय, नावां तहसील हैड क्वार्टर है वहां की सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में निम्न पद रिक्त पड़े हैं : (1) प्रधानाचार्य 1 जुलाई, 1991 से (2) उप प्रधानाचार्य-1 जून, 1992 से, (3) भौतिक विज्ञान—21 अगस्त, 1989 से (4) राजनीति विज्ञान-1 मार्च, 1992 से (5) इतिहास-अक्टूबर, 1991 से (6) गणित—सितम्बर, 1989 से (7) हिन्दी--28 अगस्त, 1992 से (8) अंग्रेजी--31 अगस्त, 1992 से (9) पुस्तकालय सहायक--अगस्त 1986 से (10) थर्ड ग्रेड अध्यापक--अप्रेल 1992 से।

इस सम्बन्ध में समय समय पर शिक्षा मंत्री महोदय, निदेशक महोदय, को अवगत कराया गया तथा रिक्त पद भराने हेतु अनुरोध भी किया गया, परन्तु रिक्त पद भरने की बजाय माह अगस्त में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अध्यापकों को और हटा दिया गया। इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम मात्र 16 प्रतिशत रहा है। छात्रों के साथ निरन्तर उपेक्षा कर खिलवाड़ किया जा रहा है जिससे विद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ गई तथा युवा शक्ति का ध्यान पढ़ाई की बजाय अन्य प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहा है जो घातक होगा। इसी सन्दर्भ में दिनांक 19.9.92 को नावां बंद का आयोजन इस विद्यालय की छात्र संघर्ष समिति ने किया जिससे अप्रिय घटनाएं भी घटित हुई हैं। नावां में जन आक्रोश है। शिक्षा जैसे कार्य में नावां विद्यालय के इस प्रकार के बने

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत)

हालात कतई उचित नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी ने भी यहां की विद्यालयों के परीक्षा परिणाम में आई गिरावट के लिए चिन्ता व्यक्त की। अधिकारियों को सुधार हेतु निर्देश भी दिये परन्तु अधिकारियों ने अब तक अनदेखा किया है, अतः तत्काल इस ओर ध्यान दिया जाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कराई जावे। यहां पहले से अध्यापकों की कमी होते हुए उल्टा माह अगस्त में और दो अध्यापकों को हटा दिया गया। इसे ओर भी अनदेखा किया गया है। यह कैसी शिक्षा नीति है, इस विद्यालय की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावे। यहां की रिक्त पूर्ति शीघ्र नहीं हुई तो और भी जन आंदोलन भड़केगा। अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि शीघ्र कार्यवाही की जावे।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर को भी वायरलैस कर सूचित किया है और नावां में शांति स्थापित करने का प्रयास किया है, परन्तु लम्बे अरसे से ये चल रहे रिक्त पदों के लिए जन आक्रोश भड़का हुआ है। अतः इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाय। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फूलचन्द जी गुर्जर।

नीम का थाना नगरपालिका क्षेत्र का मास्टर प्लान

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नियम 295 के तहत प्रस्ताव है कि नीम का थाना नगरपालिका क्षेत्र का मास्टर प्लान बनवाकर हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय गृह बनवाने के क्रम में।

महोदय, नीम का थाना नगर की जनसंख्या अब 35,000 के लगभग है तथा लगातार आबादी बढ़ती जा रही है जिससे आवासीय समस्या पैदा हो रही है। नगर में आवासीय भूखण्ड भी नहीं है तथा नगर के आसपास केवल मात्र कृषि भूमि है जिसमें बिना नक्शे के बिखरे आवासीय गृह बन रहे हैं। उक्त नगर में काफी अधिक जनसंख्या गरीब अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की है तथा आसपास की कम उपजाऊ जमीन है। नीम का थाना में रेल्वे स्टेशन है, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। इसमें छोटे-बड़े उद्योग हैं। नगर में राजकीय महाविद्यालय है, सीनियर हायर सैकण्डरी व सैकण्डरी बालिका विद्यालय है, इसके अलावा बीस अन्य राजकीय उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय है तथा सभी विभागों के कार्यालय है तथा अधिशाषी अभियन्ता विद्युत व जलदाय विभाग भी उक्त नगर में है। जिले का सबसे बड़ा सब-डिवीजन होने के साथ ए.डी.जे. कोर्ट भी उक्त नगर में है। इस प्रकार बड़ी संख्या में विभागीय कर्मचारी, उद्योगों के मजदूर व अन्य गरीब पिछड़ी जातियां निवास करती हैं। कम आय के व्यक्ति आवासीय गृह स्वयं बनाने में सक्षम नहीं हैं जिससे उन्हें आवासीय समस्या हो रही है और बिना आय के आवास नहीं बनाये जाने के कारण से उनको रहने में बड़ी दिक्कत आ रही है।

अतः मैं नगर एवं आवासीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए नियम

(श्री फूलचन्द)

295 के तहत मांग करता हूं कि उक्त नगर का मास्टर प्लान, जो काफी समय पहले बना था, मंजूरी के लिए पड़ा हुआ है, उसको मंजूरी प्रदान की जाय तथा आवासीय गृह निर्माण की योजना हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनवाकर गृह निर्माण की कार्यवाही करवाकर जनता की आवासीय समस्या हल करावें।

मैं यह भी मांग करता हूं कि राजस्थान में काफी नगरों में जनसंख्या आज इतनी बढ़ गई है तथा विकास कार्यों के अभाव के कारण उनकी सुन्दरता खत्म होती जा रही है और अस्त-व्यस्त कालोनियां वहां बन रही हैं जिनसे नगर में आने जाने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैं पुनः मांग करता हूं आवासीय मंत्रीजी से, कि वे नीम का थाना नगरपालिका क्षेत्र का मास्टर प्लान बनवाकर हाउसिंग बोर्ड द्वारा वहां आवासीय गृह निर्माण करवाने की तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीचंद जी मेहता।

करड़ा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नति

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव पेश करता हूं।

मान्यवर, जालौर जिले के मालवाड़ा पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाया जबकि करड़ा पुलिस चौकी क्रमोन्नत करने योग्य थी। वह मालवाड़ा पुलिस थाना के अन्तर्गत सांचौर पुलिस थाना के 8 गांव ताकड़, गुंदाऊ, खेड़िया, मीरपुरा, खारा, अरणाय इत्यादि को मालवाड़ा लगाया जबकि सांचौर पुलिस थाना 23 किलोमीटर दूर है एवं मालवाड़ा जाने के लिए रानीवाड़ा होकर जाना पड़ेगा। रानीवाड़ा से उपरोक्त गांव सांकड़ से 24 किलोमीटर है, जहां थाना पहले से है। पर रानीवाड़ा से 11 किलोमीटर मालवाड़ा पड़ता है। इस प्रकार 34 किलोमीटर की दूरी पार करना पड़ता है व अरणाय को भीनमाल पुलिस थाना पार कर मालवाड़ा आना पड़ेगा जो करीब 50 किलोमीटर दूरी रहती है जिससे जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। पुलिस चौकी को थाना में क्रमोन्नत करना था तो जनहित में करड़ा पुलिस चौकी को थाना में क्रमोन्नत किया जाकर सांचौर तहसील के गांव उक्त थाने में लगाये जाते तो ज्यादा उपयोगी होता व करड़ा पुलिस चौकी से 25 किलोमीटर के दायरे में कोई पुलिस थाना नहीं है। अतः माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि मालवाड़ा पुलिस चौकी को थाना में क्रमोन्नत करने के बजाय करड़ा पुलिस चौकी को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम जी।

घोलिया ग्राम जिला चूरू में विद्युत संकट

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री किशनाराम नाई)

डूंगरगढ़ जिला चूरू के ग्राम धोलिया पंचायत उदरासर में व्याप्त विद्युत संकट की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमान् उक्त गांव में वर्ष 1987 में बिजली पहुंच गई थी और इस ग्राम को विद्युतीकृत घोषित किया गया था। इस ग्राम हेतु पूरी लाइन का कार्य तथा ट्रान्सफार्मर का कार्य भी 1987 में पूरा हो चुका था, तभी से इस लाइन के 4-5 बिजली के खम्बे आंधी से गिरे हुए हैं। आज तक इस ग्राम में न तो कोई घरेलू कनेक्शन और न ही कुओं का हुआ है जबकि नियमानुसार यह कार्य ग्राम के विद्युतीकृत होते ही होना चाहिए था। इस संबंध में पिछले दो वर्षों से सहायक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशाषी अभियंताओं को बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से निवेदन करता आ रहा हूं फिर भी आज तक इस ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग इस ओर समुचित ध्यान नहीं देना चाहता है जो कि जनहित में नहीं है।

अतः मेरा निवेदन है कि कृपया इस तरफ उचित ध्यान देकर विद्युत लाइन को तत्काल ठीक किया जावे और गांव में घरेलू एवं कुओं में कनेक्शन दिये जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन-दिलावर।

पाठ्य पुस्तकों में गलत इतिहास

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कक्षा 7 की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में एक ही पाठ में अकबर महान् व महाराणा प्रताप को पढ़ाया जा रहा है। बड़े दुःख का विषय है कि अकबर को महान् बताकर हम बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? यही कि वह अकबर जिसने हमारे देश को लूटा, अत्याचार किया, क्या वही अकबर महान् है जो मीना बाजार लगाकर बुर्का पहनकर महिला वेश में महिलाओं का शील भंग, बलात्कार करने हेतु सबसे रूपवती हमारी माताओं और बहनों को शिकार बनाता था। कक्षा 9 की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 59 पर यह अंकित है कि अकबर राष्ट्र निर्माता था। यह पढ़ाना क्या इस स्वतंत्र देश के नागरिकों व परम् पवित्र जननी इस भारत माता का अपमान नहीं है। यदि इस प्रकार महिलाओं की इज्जत लूटने वाला ही राष्ट्र का निर्माता होता है तो फिर हमारे पूज्य बापू को राष्ट्र निर्माता कहकर उसका अपमान करना होगा।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कक्षा 7 की सामाजिक ज्ञान के पृष्ठ संख्या 25 व 26 पर मोहम्मद गौरी को एक वीर, योद्धा व कुशल सेना नायक बताकर इस देश के महान् सपूत पृथ्वीराज चौहान का सीधा-साधा अपमान है। जबकि मोहम्मद गौरी सोलह बार चौहान द्वारा हराया गया था, परन्तु हमारे महान् सपूत की उदारता के कारण उसको क्षमा कर दिया जो 16 बार जीवनदान की भीख मांग चुका, कायरता व चाटुकारिता दिखा चुका वह वीर योद्धा कैसे हो सकता है। वह तो एक कायर, धोखेबाज व देश का दुश्मन था। उसको इस स्वतन्त्र भारत के बच्चों को वीर पढ़ाना

(श्री मदन दिलावर)

सीधा-सीधा हमारे महान् देशभक्तों को व जगत जननी इस भारत माता का अपमान है। जबकि कक्षा 9 की सामाजिक ज्ञान के पृष्ठ 52 पर मोहम्मद गौरी को मात्र दूसरी बार हराना बताया गया है तथा महान् सपूत पृथ्वीराज की हत्या होना लिखा गया है एवं मोहम्मद गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के द्वारा नहीं बताया गया है। जबकि सत्र–हवीं बार जब चौहान को मोहम्मद गौरी द्वारा बन्दी बनाकर निर्दयतापूर्वक उसकी आंखों में नमक मिर्च डालकर तथा गर्म सलाखों द्वारा अन्धा कर दिया था उस समय पृथ्वीराज का अपमान गौरी कर रहा था। उस समय चन्दबरदाई भाट द्वारा चौहान की वीरता बखान करने पर मोहम्मद गौरी ने उसको सही नहीं माना तथा प्रयोग कर दिखाने को कहा और ऊपर जाकर एक अज्ञात स्थान पर बैठ गया। उसी समय चन्दर बरदाई भाट द्वारा दोहे के द्वारा चौहान की दूरी बताते हुए लक्ष्य पर तीर मारने को कहा था।

"चार बांस चौबीस गज, अंगुल अष्ठ प्रमाण।

ताहु पर सुल्तान है, मत चूके चौहान।"

इतना तो भाट का कहना था कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना लक्ष्य साध कर सीधा गौरी पर बाण छोड़कर उसकी हत्या कर दी और चौहान व चन्दर बरदाई ने भी अपवित्र हाथों नहीं लगने की कसम खाकर दोनों ने अपनी देहलीला समाप्त कर ली। परन्तु किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई बताया गया है तथा पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के द्वारा हत्या होना बताया गया है जो सरासर गलत है। इस प्रकार इतिहास को तोड़कर लिखना एक चाटुकारिता है और पूर्व सरकार द्वारा भी मान्यता देना सीधा–सीधा इस देश का अपमान है जिसे कभी भी, कैसे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

श्रीमान्, कक्षा 9 की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में आर्यों का इतिहास 1500 ई. पू. का ही बताया जाता है, जबकि आर्यों का इतिहास हजारों वर्ष पूर्व का है। यह हमारे वेदों एवं धर्मग्रन्थों में स्पष्ट अंकित है। इसके साथ-साथ आर्यों को बाहर से आने वाली जाति बताया गया है जो कि सरकार गलत है। आर्य शब्द का गुणवाचक अर्थ श्रेष्ठ व्यक्ति के लिये है। हमारे पवित्र ग्रन्थों में श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए "आर्य" शब्द का सम्बोधन किया गया है।

(1) वेदों में "सप्त सिन्धवे" का गुणगान कई जगह किया गया है। अतः यही भूमि आर्यों का आदि देश है।

(2) आर्यों के सम्पूर्ण वैदिक साहित्य की रचना भारत में हुई है अन्य कहीं नहीं तो फिर आर्य भारत के बाहर से कैसे आये ?

(3) भारत का प्राचीन नाम "आर्या–व्रत" है।

(4) आर्यों की एक शाखा पारस (वर्तमान ईरान) में चली गई। इस बात का उल्लेख उनके धर्म ग्रन्थों में भी मिलता है। महर्षि व्यास का भारत से ईरान गमन का उल्लेख उनके धर्म ग्रन्थ की 65वीं आयत में स्पष्ट मिलता है।

(श्री मदन दिलावर)

अतः भारतीय इतिहासकारों को चाहिये कि वह पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर आर्यों को बाहर से आना न बताकर भारतीय चिन्तन की दृष्टि से आर्यों का मूल देश भारत ही है और सारे विश्व की भाषाओं की जननी संस्कृत है जिसने सारे विश्व को ज्ञान दिया है। आर्य ही जगत गुरू भारत माता के सपूत हैं। ऐसा इतिहास में होना चाहिए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस प्रकार की पुस्तकों में संशोधन करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं फर्नीचर का अभाव

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना 295 का प्रस्ताव रखूं उससे पहले मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जिनके पास यह विभाग है कम से कम वह तो यहां विराजमान हों। उनके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। सीटें खाली पड़ी हुई हैं। साहब, यह दुखड़ा किसको सुनाऊं ?

श्री उपाध्यक्ष : किसी न किसी के पास चार्ज होगा, आप अपनी बात कहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री महोदय को आप कहें वे यहां आकर बिराजें। विशेष उल्लेख का मामला है, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, शिक्षा का मामला मैं पेश कर रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ करिए, सुनने वाले बैठे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहां बिराजमान नहीं हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, आपकी बात तो आपकी पार्टी वाले ही सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। राजस्थान की उच्च प्राथमिक शिक्षा के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं ? प्रारम्भ कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : ठीक है, मंत्री महोदय नहीं आये। मैं तो अपना दुखड़ा सुनाऊंगा ही, जनता ने मुझे यहां भेजा है। (व्यवधान)....मंत्री महोदय नहीं आते, उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको पाबन्द करें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन चल रहा है, सुनने वाले सभी कैबिनेट मंत्री बैठे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान की उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्याओं के बारे में प्रस्ताव करता हूं।

राजस्थान के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक पद होता है। वह 10 वर्ष से खाली पड़ा हुआ है और विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने के कारण स्वयं अध्यापकों को जो पढ़ाने के लिए आते हैं उनको पानी लाना पड़ता है और बच्चों का जो अमूल्य

(श्री रामस्वरूप मीणा)

समय है वह पानी पीने और पेशाब करने में ही बर्बाद ही जाता है। इसलिए जो महत्वपूर्ण समस्या है, छोटा सा पद है जो 10 वर्ष से खाली पड़े हुए हैं उनकी पूर्ति तो कम से कम सरकार से करायें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद 1981 की छात्रसंख्या के आधार पर चल रहे हैं जिनको कि 11 वर्ष हो गये हैं। 11 वर्ष के बाद छात्र संख्या दुगुनी हो गई है लेकिन अध्यापकों की संख्या उसी आधार पर चल रही है। इसलिए छात्रों की संख्या को देखते हुए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके पद हैं वे सृजित किये जायं ताकि जो छात्र संख्या बढ़ गई है। एक स्कूल में जहां 10 मास्टरों की जरूरत है वहां केवल 2 ही मास्टर काम कर रहे हैं। इनके अभाव से छात्रों की पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे खेलकूद करके वापस अपने घर चले जाते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी सदन में इस बात की घोषणा कराई जाय कि इन अध्यापकों के पद सरकार कब तक सृजित कर रही है ?

तीसरा, मेरा निवेदन है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील टोडाभीम में 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं पर वहां पर उप-जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय आज तक नहीं खोला है। पूर्व में एक कार्यालय जो खोल रखा था, महुआ में लगा रखा था वह भी दौसा जिले में मिला दिया गया है। अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय जिस तहसील में हों उसका कार्यालय अलग से टोड़ाभीम के अन्दर खोलने की मेहरबानी करें ताकि शिक्षा की जो समस्यायें हैं उनके बारे में अवगत कराया जा सके और समस्यायें हल हो सकें।

चौथा, मेरा निवेदन है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टियां तक नहीं हैं, कुर्सी-टेबिल का तो सवाल ही नहीं है। बच्चे जमीन के ऊपर ही बैठते हैं लेकिन उनको बैठने के लिए टाट-पट्टियां नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़िये उसमें लिखा हुआ है।

श्री रामस्वरूप मीणा : कंठस्थ याद है साहब मुझे पूरा। यह समस्या ही ऐसी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : रटकर आये हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : शिक्षा का मामला है इसलिए रटना पड़ता है। मंत्री महोदय भी इसको रटें। मेरा चौथा निवेदन है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए टाट-पट्टियों की व्यवस्था नहीं है। चाक, ब्लैक बोर्ड और अन्य सामान जो विद्यालयों के अन्दर काम में आता है वह भी वहां पर उपलब्ध नहीं है जिसके कारण शिक्षा देने में अध्यापकों को परेशानी आती है। इसके साथ-साथ अध्यापकों को बैठने के लिए कुर्सी-टेबिल नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों के बैठने की व्यवस्था एवं बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए जरूरी साधन उपलब्ध करायें।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1.00 म. प.)

अतः मैं आपके माध्यम से पुनः इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों के पद भरे जायें। उनके साथ-साथ हमारे यहां टोड़ा-भीम में उप जिला शिक्षाधिकारी का कार्यालय खोला जाये और इसके साथ-साथ अध्यापकों के जो रिक्त पद हैं उनके लिए इसी सदन में घोषणा की जाय कि भर दिये जायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मुझे जो समय दिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, द्रोपदी का चीरहरण हो गया यह।

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठ रहे हैं यह। बिराजिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, इतनी महत्वपूर्ण समस्या को सुनने के लिए आपने समय दिया। माननीय मंत्री महोदय को आप अवश्य अवगत करायेंगे, उनको पाबंद भी करेंगे कि इसकी वह घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। माननीय श्री राजेन्द्रजी गहलोत। (अनुपस्थित) माननीय श्री घासीलालजी चौपड़ा। (अनुपस्थित) माननीय श्री दयाराम जी परमार।

काटवी एवं कातरवास ग्राम, खैरवाड़ा तहसील के पास गुजरात राज्य से सीमा विवाद

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव काटवी एवं कातरवास के पास गुजरात राज्य से सीमा विवाद का समाधान लम्बे समय से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव काटवी और कातरवास जो कि गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित है और उधर गुजरात राज्य के गांव केलाउआ और खोखरा राजस्थान की सीमा के नजदीक बसे हुए हैं। इन चारों गांवों की जनता में लम्बे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। इस विवाद का समाधान करने के लिए कई बार कलक्टर स्तर की मीटिंग भी हुई है लेकिन अभी तक उसका कोई भी समाधान नहीं निकला है और आये दिन वहां रहने वाले लोगों के बीच झगड़ा होता रहता है। कई बार तो ऐसी स्थिति भी आई है कि आपस में तीर चल गये हैं और पथराव भी हो गया है तथा कई दिनों तक जाप्ता लगाकर शांति बहाल की जाती रही है। उधर गुजरात राज्य के लोग और अधिकारी आये दिन कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं जिससे तनाव बना रहता है। अभी-अभी जून माह में राजस्थान की सीमा में एक यात्री विश्राम गृह ग्राम पंचायत

(श्री दयाराम परमार)

निचली सिगरी, पंचायत समिति झाड़ोल ने बनवाया था जिसको गुजरात के विजय नगर तालुका के तहसीलदार ने तुड़वा दिया जिसकी सूचना जिला कलेक्टर, उदयपुर को दे दी गई है। गत चालीस वर्षों से बराबर यह देखने में आया है कि राजस्थान के अधिकारी इस विवादपूर्ण मसले में कोई रुचि नहीं लेते हैं और उधर गुजरात राज्य के अधिकारी जनता के साथ सभी प्रकार का सहयोग कर रहे हैं और अपने पक्ष में सबूत जुटाने में भी सहयोग कर रहे हैं, अपने पक्ष में सबूत जुटाने में राजस्थान के अधिकारियों से कई जगह आगे हैं और यहां तक कि मौके पर कब्जा करने के लिए भी स्वयं आगे आते हैं।

महोदय, इस विवाद का आज तक निराकरण नहीं निकलने का मुख्य कारण यह रहा है कि सबूतों के आधार पर सरकारी अधिकारी बैठकर फैसला करना चाहते हैं जो कि होना सम्भव नहीं है, क्योंकि मूलतः यह झगड़ा दोनों सरकारों के बीच का न होकर वहां रहने वाले लोगों का है। इसलिए जब तक समझौते में अधिकारियों के साथ-साथ वहां रहने वाले मौतबीर व्यक्तिओं को नहीं रखा जायेगा तब तक जो भी फैसला होगा उसको कोई भी पक्ष स्वीकार नहीं करेगा। पहले एक बार अधिकारियों ने खैरवाड़ा डाक बंगले में बैठकर मौके की स्थिति को देखे बिना ही एक खूटियांड़ समझौता कर दिया जो राजस्थान के लोगों को मंजूर नहीं है और न ही होगा, क्योंकि इस खूटियाड़ समझौते के आधार पर राजस्थान को विवादग्रस्त भूमि का एक भी इंच हिस्सा नहीं मिलता है और उस भूमि पर जो लाखों रुपये के सागवान के पेड़ हैं जिनको राजस्थान की जनता ने पाल रखा है वे सभी गुजरात के हिस्से में चले जाते हैं और मूल झगड़ा भी उसी का है। अतः मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करता हूं कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव काटवी एवं कातरवास में गुजरात राज्य से सीमा विवाद है उसका समाधान करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने के कदम उठाये जायें और खूटियाड़ समझौते को आधार नहीं मानकर अधिकारियों के साथ-साथ वहां के रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों को भी समझौते में सम्मिलित किया जाय ताकि सही एवं स्वीकार योग्य समझौता हो सके अन्यथा कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर केदारनाथ (अनुपस्थित) माननीय श्री गोपीरामजी चौधरी।

फव्वारा सिंचाई प्रणाली में दी गई कर की छूट

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी, जिनके पास वित्त मंत्री का दायित्व भी है, का ध्यान फव्वारा प्रणाली में दी गई कर में छूट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इस साल 92–93 के लिए प्रस्तुत बजट प्रस्तावों में खेती में प्रयुक्त फव्वारा सिंचाई प्रणाली को पूर्णतया कर मुक्त किये जाने की घोषणा के सन्दर्भ में माननीय मुख्य

(श्री गोपीराम जाट)

मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट प्रस्ताव में फव्वारा सिंचाई प्रणाली में प्रयुक्त साधनों को पूर्णतया कर मुक्त करने की घोषणा चार मार्च को सदन के प्रांगण में की तथा हर्षध्वनि के साथ इसका स्वागत किया गया। बाजार में जब किसान फव्वारा सिंचाई प्रणाली खरीदने गया तो विक्रेताओं ने बिक्री कर अधिकारियों के निर्देशानुसार उसे बताया कि सिर्फ नोजल पर ही बिक्री कर में छूट है बाकी अन्य उपकरण जो कि संयत्र की लागत के 95 प्रतिशत हैं उन पर टैक्स लगेगा। उच्च अधिकारियों के पास फव्वारा उपकरण बेचने वालों ने मुद्दा उठाया तो 17 जुलाई, 92 को गजट स्पष्टीकरण निकाला गया जिसमें फव्वारा सिंचाई उपकरण को कर मुक्त बताया गया पर स्टील पाइप, सीमेंट पाइप, एच डी.पी.ई. पाइप व एल्यूमिनियम पाइपों को कर मुक्त नहीं किया गया। अब निवेदन है कि सिर्फ अधिकारीगण की हठधर्मिता से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिस भावना के साथ किसानों को राहत प्रदान करने की घोषणा की थी उसका दुरुपयोग हो रहा है तथा ब्यूरोक्रेट्स के उलझावों में यह मुद्दा उलझ कर रह गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फव्वारा सिंचाई प्रणाली में प्रयुक्त साधनों पर बिक्री कर में पूर्ण छूट दी पर प्रयुक्त साधन कौन–कौन से है यह स्पष्ट नहीं होने से यह उलझनें पैदा हो रही है। फव्वारा सिंचाई के जानकारों के अनुसार इसमें निम्न उपकरण सम्मिलित है—पम्पिंग सेट यूनिट, जिसकी लागत करीब 30 प्रतिशत आती है। मैन लाइन, लेटरल/सहायक लाइन, जिसकी कीमत करीब 50 प्रतिशत लागत आती है। बैण्ड टी-वाल्व-डाट इत्यादि, जिसकी लागत 10 प्रतिशत आती है। फव्वारा नोजल, ट्राइपाड, राइजर पाइप, 5 प्रतिशत जिसकी लागत आती है व अन्य फिटिंग वाशर इत्यादि की 5 प्रतिशत लागत आती है। अतः अगर सिर्फ फव्वारा (नोजल) पर छूट प्रदान की जाती है तो यह बजट भाषण में दिये गये आश्वासन का क्रूर मजाक है। 17 जुलाई, '92 को गजट स्पष्टीकरण के अनुसार भी फव्वारा प्रणाली को कर मुक्त रखा गया है किन्तु पाइप–एल्युमिनियम, एच डी.पी.ई., सीमेंट व स्टील पाइप को शामिल नहीं किया गया है, भी सही हो सकता है क्योंकि जो पाइप फव्वारा उपकरण के अलावा अन्य व्यावसायिक उपयोग में आते हैं वे कर योग्य ही रहेंगी। अतः फव्वारा प्रणाली में प्रयुक्त पाइप लाइन को उपकरण के साथ मानने का निर्देश दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाइप, जो कि फव्वारा प्रणाली में प्रयुक्त होती है, फेब्रिकेटेड आइटम है व उपकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ब्यूरोक्रेट्स द्वारा पैदा की जा रही उलझनें दूर होनी चाहिए तथा आम किसान को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। जहां एक ओर हम खेती को बढ़ावा देने के लिए इस मरू प्रदेश में किये जा रहे हर प्रयास का स्वागत करते हैं तथा प्रोत्साहन देते हैं। वहीं बजट में प्रस्तुत माननीय मुख्य मंत्री महोदय की भावनाओं को भी चन्द ब्यूरोक्रेट्स गलत अवधारणायें बनाकर नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं।

आशा है माननीय सदस्यगण भी मेरी इस भावना से सहमत होंगे कि जो भी छूट

(श्री गोपीराम जाट)

दी गई है उसे अलग-अलग गलत अवधारणाओं द्वारा नष्ट न होने दिया जाये तथा किसान को दी जा रही छूट को स्पष्ट रूप से लागू किया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्री बृजराजजी मीणा।

पंचायत समिति सुल्तानपुर कैचमेण्ट एरिया में स्थित नहरों आदि की सफाई

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 295 के अन्तर्गत सूचना कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के कैचमेन्ट एरिया में स्थित नहरों, कैरियर तथा मैनड्रेन्सर की तुरन्त सफाई करवाने हेतु आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के कैचमैण्ट एरिया में स्थित नहरों, कैरियर एवं मेनड्रेन्स की हालत बड़ी खराब है। आज से करीब 13-14 वर्ष में कैचमैण्ट एरिया में कैरियर एवं मैनड्रेन्सर को खोदा गया था, परन्तु इतने लम्बे अन्तराल के बाद आज तक भी कैचमैन्ट एरिया की इन ड्रेन्सर की सफाई नहीं की गई है, सफाई नहीं होने के कारण वाटर लागिंग की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है तथा भूमि की उत्पादन क्षमता भी लगातार घटती जा रही है। सीपेज बढ़ने के कारण पैदावार काफी कमजोर होती है तथा काश्तकार को उसके लागत मूल्य की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। सीपेज के कारण काश्तकारों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है, 14-15 वर्षों से लगातार ड्रेन्स की सफाई नहीं होने के कारण सिल्ट जमा हो चुकी है तथा खेतों में तथा रास्तों में पानी भरा रहता है। सिल्ट जमा होने के कारण नालियां बिलकुल अवरुद्ध हो गयी हैं। खेतों में पानी भरा रहने के कारण हंकाई, जुताई नहीं हो पाती है तथा वाटर लागिंग की वजह से सिंचित क्षेत्र की भूमि पड़त रहती जा रही है।

पंचायत समिति सुल्तानपुर के कैचमैन्ट एरिया में बमोरी, खेड़ली, महादीत, गड़पान, ढाबा, छीछाहेड़ी किशोरपुरा, बुदादीत, सनीजाववण, टाकरवाड़ा कैचमैन्ट से 15 वर्ष पूर्व ड्रेन्स बनाई गई थी। उक्त ड्रेनों को प्राथमिकता के आधार पर खुदवाने की आवश्यकता है। यदि शीघ्र ही कैचमैन्ट एरिया में स्थित नालियों में भी सफाई शीघ्र नहीं हुई तो वाटर लागिंग की समस्या और भी विकट रूप से बढ़ जायेगी। पंचायत समिति सुल्तानपुर के कैचमैन्ट एरिया की नहरों की सफाई भी पच्चीस सालों से नहीं हो पा रही है। नहरों की सफाई नहीं होने से नहरें ओवर फ्लो होती हैं तथा पानी नहरों के ऊपर होकर बहता है, तथा टेल पोरशन में पानी नहीं पहुंच पाता है। घोरी माइनर, किशनगंज माइनर, नरपत खेड़ी माइनर, पीलत्या माइनर प्लायतन माइनर, आदि नई नहरों की सफाई जब से नहरें खुदी तब से आज तक नहीं हुई।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सुल्तानपुर कैचमैन्ट एरिया स्थित नहरों के कैरियर व मैनड्रेन्सर की सफाई प्राथमिकता के आधार पर करवाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल ।

गजसिंहपुर कस्बे की तेल मिल

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 295 के तहत लोक महत्व का प्रश्न इस प्रकार है कि श्री गंगानगर जिले के गजसिंहपुर कस्बे में वहां की जनता की मांग पर सीमान्त के लोगों को रोजगार देने व किसानों के बिनोलों की खपत को बढ़ाने के लिए एक तेल मिल 1982 में स्थापित की गई । इस पर उस समय दो करोड़ 10 लाख रुपये खर्च हुये । 20 हजार मीट्रिक टन उत्पादन की क्षमता इस मिल की थी और क्षेत्र में कच्चा माल 20 लाख टन से ज्यादा है इस मिल में साल्वेन्ट प्लान्ट भी है जो बिनोला सरसों, मूंगफली आदि खलों का तेल भी निकालता है । 1982 से ही कुप्रबंध व भ्रष्ट अधिकारियों के कारण यह मिल घाटे में है । 1983 से 1986 तक इसमें केवल 15 प्रतिशत उत्पादन किया गया । बाद में 1988–1991 तक भी 10–35 प्रतिशत तक उत्पादन किया गया । इस मिल में आधुनिकीकरण हेतु 8 करोड़ रुपया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से स्वीकृत हुआ व तिलम संघ में विलय की सिफारिश हुई है पर राज्य सरकार का सहकारी विभाग और गंगानगर के क्षेत्र से विद्वेश रहने वाले अधिकारी इसे बन्द करना चाहते हैं उन्होंने इसमें तालाबन्दी घोषित कर दी ।

गंगानगर जिले में औद्योगिकरण हेतु कोई भी बड़ा उद्योग आज तक किसी भी सरकार ने स्थापित नहीं किया । हमेशा ही राज्य सरकारों को इस जिले के धन धान्यपूर्ण क्षेत्र से ईर्ष्या रही है ।

औद्योगिकरण में पिछड़े इस क्षेत्र में बड़े ही गंभीर प्रयत्न और आन्दोलन के पश्चात् यह कृषि जिन्सों पर आधारित उद्योग बनाया था । उस समय के क्षेत्र के भूतपूर्व उप मंत्री के प्रयास से यह उद्योग खड़ा हुआ था और वर्तमान राज्य मंत्रीजी है, उस क्षेत्र से, उनकी मेहरबानी के इसका पिंजर उखाड़ कर जयपुर में बैठे बैठे अपने आकाओं को भेंट करना चाहते हैं । यह बन्द ही नहीं किया जा रहा है इसकी मशीनें उखाड़ कर जिले के बाहर ले जाने की योजना है । वर्तमान राज्य सरकार की उद्योग के विकेन्द्रीकरण की नीति का मजाक उड़ाया जा रहा है । वर्तमान सहकारी मंत्री तो उच्च अधिकारियों के दबाव में गंगानगर जिले के 200 परिवारों का रोजगार ही छीनना चाहते हैं । लाखों किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परन्तु स्थानीय मंत्री जी भी इस प्रयत्न में लगे हैं कि यह जल्द उठ जाये । गंगानगर क्षेत्र के गरीब मजदूरों के रोजगारदाता व किसानों की हितैषी इस मिल को यहीं रखा जाये व चालू किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति 1992–93 का 71, 72, 73, 74 एवं 75वां प्रतिवेदन

श्री हीरालाल देवपुरा (सभापति, जनलेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति 1992-93 के निम्नांकित प्रतिवेदनों को उपस्थापित करता हूं :

(1) जनलेखा समिति, 1973–74 के

(श्री हीरालाल देवपुरा)

चतुर्थ प्रतिवेदन (पांचवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 71वां प्रतिवेदन;

(2) जनलेखा समिति 1974–75 के दसवें प्रतिवेदन (पांचवी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित क्रियान्विति विषयक समिति का 72वां प्रतिवेदन;

(3) जनलेखा समिति, 1974–75 के ग्यारहवें प्रतिवेदन (पांचवी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 73वां प्रतिवेदन;

(4) जनलेखा समिति, 1980–81 के चौथे प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में वन तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 74वां प्रतिवेदन; एवं

(5) जनलेखा समिति, 1990–91 के बारहवें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में वन विभाग से संबंधित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक 75 वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव पेश करेंगीं।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति द्वारा प्राधिकृत करने पर सदस्य प्रवर समिति प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य पुरः स्थापित किए जाने वाले विधेयक श्री दिग्विजयसिंह जी प्रभारी मंत्री मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरः स्थापन

मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोटर यान (राजस्थान)

(श्री दिग्विजयसिंह)

संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुरः स्थापित भी करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं, मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती विद्या पाठक, प्रभारी मंत्री राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरः स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक, मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992, माननीय श्री दिग्विजय सिंहजी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार
मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महावीर जी जैन।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,····(व्यवधान)····बोलना इसलिए नहीं है कि बोलना है····

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं और बिना सोचे-समझे हम विधेयक लाते हैं। इसके बारे में क्या कॉम्प्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। माननीय श्री कैलाश मेघवाल साहब, आप हमारे एम.एल.ए. हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अपनी बात प्रारम्भ कीजिए, महावीरजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके उद्देश्यों और कारणों-कथनों पर पहले आपको बताना चाहता हूं कि क्यों यह विधेयक लाया जा रहा है ? इसमें संशोधन क्यों लाये जा रहे हैं ?

यानों को छिपे तौर से, अनधिकृत रूप से मार्ग पर चलाना, चाहे फिर वह किसी भी परमिट के बिना हो या अवधि मान्य परमिट के साथ या परमिट में अधिरोपित परमिट शर्तों के प्रतिकूल यान सेवा को चलाने के लिए प्रवृत्ति दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। यह अनाधिकृत आपरेटर न केवल उपभोक्ताओं के जीवन को संकट में डालते हैं अपितु इस प्रकार यान चला कर वे ऐसे कार्यों में लिप्त भी होते हैं जिनसे सरकारी राजस्व की भारी हानि हो। इन सेवाओं को राष्ट्रीयकरण की स्कीम के निबन्धों और शर्तों के प्रतिकूल भी चलाते हैं इसलिए इन आपरेटरों पर सख्ती बरतने की दृष्टि से मोटर यान, अधिनियम, 1988 की धारा 192, और 207 में ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे गलत रूप से यानों के चलाये जाने को अलाभकारी और अपेक्षाकृत भारी शास्तियों के दायित्व का बनाया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारी शास्ति और अपराधिक दण्ड को बढ़ाने के लिए यह संशोधन ला रहे हैं। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही वेदना पूर्वक यह तथ्य प्रकट किया था कि आज हमारी न्याय व्यवस्था गरीबों के प्रति नहीं है, आम आदमी के लिए हमारा न्याय नहीं है। आज की सारी व्यवस्था में आम आदमी, गरीब आदमी न्याय प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन होने चाहिए, क्योंकि वह राज्य सरकार नहीं कर सकती। यह बात हमारे समझ में आती है। मुख्य मंत्रीजी की जो पीड़ा है वह वास्तव में ऐसी है कि वह गरीबों को न्याय दिलाना चाहते हैं। मैं माननीय प्रभारी मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह भारी शास्ति लगा कर गरीबों को न्याय दिलाना चाहते हैं ? आज प्रभावशाली व्यक्ति तो, जिनके राजनीतिक प्रभाव के कारण से केसेज विथड्रा नहीं हो लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति एक दिन न तो कस्टडी में रह सकता है, स्वयं प्रभारी मंत्रीजी जानते हैं कि कानून ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, हम देते हैं। कानून की मंशा तो, पहले से हमारे यहां कानून मौजूद है, फिर ऐसी कौनसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिनके कारण पूर्व शास्ति के आधार पर अवैध वाहन चल रहे हैं। अवैध वाहनों को नहीं रोका जा सकता है। फिर भी धड़ल्ले से अवैध वाहन चल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, अवैध वाहन चल रहे हैं, रोज आप आते–

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

जानते है, सड़कों पर अवैध वाहन चल रहे हैं और प्रभारी मंत्रीजी भी जानते हैं, बिना आपकी मशीनरी के कोई अवैध वाहन चल सकता है क्या ? बिना आपकी निगाह में आये, कोई चीटियां-मच्छर-मकौड़े तो हैं नहीं कि वह चुपचाप चल कर बिल में घुस जाएं। वाहन सड़क पर चलता है। आपके पास ट्रांसपोर्ट विभाग भी है और पुलिस विभाग भी है। आज कल तो आतंकवादी गतिविधियों के कारण जगह–जगह बेरीकेट्स लगा रखे हैं, जगह–जगह मार्ग अवरोधक लगा रखे हैं और उसके कारण एक गाड़ी भी बिना आपकी निगाह के नहीं निकल सकती फिर उसके बाद भी अवैध वाहन चल रहे हैं या क्षमता से अधिक सवारियां उठाई जा रही हैं, उसको रोकने में सक्षम नहीं हैं। आवश्यकता तो इस बात की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रशासन को उत्तरदायी बनायें। अवैध वाहन चलते हुए दिखाई देते हैं या सीमा से अधिक सवारी या माल ढोते हैं और यदि एक भी इस प्रकार का वाहन पकड़ में आता है तो जिसकी भी कस्टडी में, जिसका भी उत्तरदायित्व है, वहां पर चलाते हुए दिखाई देता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है लेकिन वह तो हम करते नहीं, वह हमारी क्षमता, वह हमारी इच्छा नहीं है। प्रशासन पर पकड़ करने की हमारी इच्छा नहीं है और हम जिस जनता के लिए उत्तरदायी हैं, जिस गरीब और किसान की बात हम यहां बैठ कर के करते हैं उसके साथ हम छलावा करते हैं।

पिछली बार उपाध्यक्ष महोदय, हमने नगरपालिका, जे.डी.ए, नगर परिषद को इस प्रकार के अधिकार दिये कि जबर्दस्त शास्ति उनसे वसूल की जाएगी, अतिक्रमणों को उठाया जाएगा, उनका प्रोसिक्यूशन किया जाएगा और अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली। आज उसके क्या परिणाम रहे ? कानून तो हमारे पास इतने अच्छे–अच्छे बने हुए हैं लेकिन उसकी पालना करने वाला, देखने वाला कौन है ? अपनी नाकाबलियत छिपाने के लिए हम जनता पर और भार को बढ़ा रहे हैं और समाज में ऐसे भारी-भरकम गिरोह तैयार कर रहे हैं जिन पर हाथ डालने की प्रशासन में हिम्मत नहीं है, न सरकार की। जो छोटे-मोटे अपराध करते हैं, छोटे–मोटे अतिक्रमण करते हैं, जिनकी क्षमता नहीं कि वह कोर्ट में जा सकें, जिनका प्रभाव नहीं है ऐसे व्यक्तियों पर यह कानून शक्ति से लागू होते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी की भाषा में निवेदन करना चाहता हूं कि हम पैरवी करना चाहते हैं उस गरीब की, हम केवल जबान से पैरवी नहीं करें वरन प्रत्यक्षतः हमको दिखाई देना चाहिए। नियम और कानून हमको ऐसे लाने चाहिए जिनके कारण गरीब का संरक्षण हो और जो प्रभावशाली लॉबी है, जो आज माफिया गिरोह बने हुए हैं, जिस पर हमारा संरक्षण है, बड़े-बड़े अधिकारियों का संरक्षण है, आज इससे क्या होगा ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम ज्यादा शास्ति और इम्पोज कर रहे हैं, जहां इस प्रकार के प्रावधान कर रहे हैं कि उनका प्रोसिक्यूशन किया जायेगा, वहां पर जो रिश्वत की दरें हैं, हम रिश्वत और भ्रष्टाचार को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बढ़ा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर लॉबी ने इस प्रकार

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

का विचार किया है कि भ्रष्टाचार की रकम छोटी हो गयी है इसलिए उसको बढ़ाया जाय। इसलिए हर कानून में यह प्रोविजन डाल दिया जाय जिससे ज्यादा रकम वसूल की जा सके। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए माननीय प्रभारी मंत्रीजी, आप यह बतायें कि ऐसे कौनसे कारण आपके सामने आये कि वर्तमान कानून कार्यवाही करने में सक्षम नहीं रहा। वर्तमान कानून में आपने कितने लोगों को पकड़ा और वे आपके गिरफ्त में नहीं रहे ? आपने कितने चालान किये ? इसके बावजूद भी वह कानून जो है आप नहीं बना पा रहे हैं। यह आप बताने का कष्ट करेंगे इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। हमारी सरकार और आप संवेदनशील हैं, गरीबों को न्याय दिलाना चाहते हैं, गरीब भी कानून के परिधि में आये, यह चाहते हैं। इसलिये इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनाकर मैं यह चाहता हूं कि तीन माह के लिए जनमत जानने के लिये इसको परिचालित किया जाय और उसके बाद इस पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह संशोधन लाये हैं। यह संशोधन जहां पर पूर्व में दो हजार रुपया लिया जा रहा था वहां 5 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल करने और जहां 3 हजार रुपया लिया जा रहा था वहां कम से कम दस हजार रुपये वसूलने की बात की गयी है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, दो तरह के कैरिज हमारे यहां हैं। एक स्टेट कैरिज और एक कांट्रेक्ट कैरिज। इतनी कम क्षमता है स्टेट कैरिज की, 35 प्रतिशत का ही केवल राष्ट्रीयकरण किया गया है बाकी 65 प्रतिशत पर यह कांट्रेक्ट कैरिज चलती हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो सरकारी बसें चलती हैं उनकी स्थिति की तरफ न विभाग का ध्यान है, न सरकार का ध्यान है, न निगम का ध्यान है। उन पर रोज किराये के पैसे बढ़ाये जा रहे हैं जो यात्री यात्रा करते हैं उनकी तकलीफ दूर करने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, उन मार्गों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाय, उनको भी राष्ट्रीयकृत मार्ग किये जायं उनको जहां पर प्राइवेट चलती हैं। सरकार मानने को तैयार हो, हमें कोई संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है। आवागमन के साधन होने चाहिये, आप भी जानते हैं। सुदूर बसे गांवों में, शहरों में जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ एक बार बस सेवा है, दो बस सेवा गंगानगर की तरफ है। यह बात सच है कि दिल्ली के लिये बहुत सेवाएं हैं। लेकिन 99 रुपये अगर टिकट पर छपा हुआ है, वसूला 102 रुपया जा रहा है। इन चीजों की तरफ कौन ध्यान देगा ? हमने सलाह दी थी कि इन मार्गों पर जहां कांट्रेक्ट कैरिज चलते हैं आप बसों को अनुबन्धित करलें, इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करलें लेकिन मैं समझती हूं कि विभाग बिलकुल ध्यान नहीं दे रहा है सुचारू संचालन के लिये। राजस्थान में जहां सेवाएं अधिक देनी चाहिये थीं वहां सेवाओं को कम किया जा रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बसें बसों के कंडक्टर के बजाय चल रही हैं। हानि किसको हो रही है ? सरकार को। देखेगा कौन ? निगम नहीं देखेगा। जोधपुर से बाड़मेर के लिये जहां बीच-बीच में रोक कर सवारी लेकर चलते हैं, अगर कंडक्टर, परिचालक वहां होते तो पैसा बढ़ सकता था और कहीं कहीं परिचालकों को कांट्रेक्ट बेस पर टिकिट कमीशन के रूप में बेचने के के लिये हमारे निगम ने बाध्य किया हुआ है। यह क्या अवस्था है जहां पर सरकारी बस चलती है वहां कमीशन से टिकट बिकेंगे। जहां सरकारी बस चलती हैं, बिना परिचालकों के बस चलेंगी ? जो बस चलेंगी उनकी अवस्था कितनी दयनीय है। आप यात्रा बस में नहीं करते होंगे, बात दूसरी है। मैं बस से ज्यादा यात्रा करती हूं, खिड़की पर शीशे हैं, शीशों पर पर्दे नहीं हैं, शीशें टूटे हुए हैं, कोई खुलता है तो पूरा खुल जाता है, नहीं खुलता है तो बंद में सफर करना पड़ता है। जो सरकारी तौर से सुविधा हमने उपलब्ध कराने का वायदा किया हुआ है वह भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और जहां बसें ठहरती हैं वहां की स्थिति कितनी खराब है। सफाई की कोई स्थिति नहीं है। किस लिये हम बस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं ? अगर हम इन्हीं जुर्माने पर चलाना चाहते हैं, चलें हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इससे छवि खराब होगी हमारी। मैं निवेदन करना चाहूंगी, आपने यहां बसें चलाने के लिये आल इंडिया परमिट जारी किये हुए हैं। जब जारी किये हुए हैं तो उन पर वह बसें चलायेंगे। उन बसों पर आप इतना जुर्माना करें तो वह जुर्माना किस पर पड़ेगा ? जुर्माना जैसे तैसे सब सवारियों से वसूला जायेगा। आप जुर्माना लगायें अगर पुलिस की ओर बस संचालकों की मिली भगत से आप जुर्माना वसूल लें तो बता देना। मैं निवेदन करना चाहूंगी, हमने यहां पर आपसे बार बार कहा कि आप निजी बसों के बजाय सरकारी बसें चलायें, अनुबन्धित करें, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उनका पैसा तय कर दें, जितने किलोमीटर आप संचालित करते हैं, आपका खर्चा होता है उतना उनको दे दें पर वह तो हो नहीं रहा। अभी भी निजी तौर पर बसें बिना परमिट के चल रही हैं और बरसों बरस से चल रही हैं। हमने बार बार आपसे कहा कि इन बसों के संचालन को आप देखें। वह बंद नहीं किया गया। उनको आप बंद कर देंगे ऐसा लगता है क्या ? निगम में आपके जो उड़न दस्ते हैं, कितने कम हैं। आप कैसे उनको चैक कर पायेंगे। मेरे को यह समझ में नहीं आता, एक उड़न दस्ता आपका दिल्ली रवाना हो जाता है तो दूसरी सारी आपकी सड़कें खाली हो जाती हैं और जहां यह मालूम पड़ जाय कि आपका उड़न दस्ता इधर आने वाला है तो उधर दूर-दूर तक पता पड़ जाता है कि आज इधर से जांच होगी इसलिये बस का चालान नहीं करें या गांव के किसी मार्ग से निकालकर उसको लाया जा सकता है। इन सब की ओर आपने कभी ध्यान दिया ?

मैं समझती हूं कि इन सबकी ओर बराबर अनदेखा किया जा रहा है यह सोच करके कि आप इन अव्यवस्थाओं को न सुधारते हुए यह राशि बढ़ा रहे हैं। अच्छा है, राजकोष में राशि आयेगी। मैं यह चाहूंगी कि आप अगर यह बढ़ायें तो वाच करें आप एक महीने में कितना वसूलते हैं, यह सदन को विश्वास में ले करके आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करें। आज तक आपके निगम अध्यक्ष ने इन सब गतिविधियों में कितना अच्छा रोल अदा किया है ? मैं समझती हूं कि आज जो दुकान 260 रुपये में यात्रियों की सुविधा के लिये दी गयी थी बस स्टेण्डों की, उन दुकानों का आपने 6-6 हजार रुपया महीना किराया कर दिया। आज जितने यात्री हैं उनकी जेबें कटती हैं। एक दुकान तो जयपुर में 21 हजार रुपये महीने किराये पर दे दी आपने। वह आदमी आपको कैसे पैसा देगा ? इन सबकी ओर आप नहीं देख रहे हैं। इन सबको आपको देखना था। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस विभाग में थोड़े दिन पहले आये हैं, मैं आपसे मिलने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन सारी अव्यवस्थाओं को आप दूर कर सकें तो ही जुर्माना वसूलना ठीक है वरना इन सारी व्यवस्थाओं को आप सुधार सकें तो इससे अधिक पैसा तो आपके पास वैसे ही आ जायेगा। कांट्रेक्ट कैरिज पर आल इंडिया परमिट या स्टेट परमिट आप दे रहे हैं उनका मिस यूज हो रहा है। वह किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है ? जो मेले के लिये बस जानी चाहिये थी, वह केवल मेले के लिये ही नहीं जाती, रोजना वह बस उन मार्गों पर उन्हीं परमिटों के माध्यम से संचालित होती हैं जो आपके अस्थायी परमिट थे। डेली वह उस मार्ग पर संचालन करते हैं। जो शादी के लिये जानी चाहिये थी, डेली शादी के परमिट बनते हैं, चार महीने से तो कोई शादी नहीं है लेकिन उन माध्यमों से भी उपयोग में लिया जा रहा है। मैं समझती हूं, आप इन सबको देखेंगे। मैं इसी वजह से इसे जनमत जानने के लिये प्रस्ताव करती हूं, कि लोग देखें कि इन अवस्थाओं में जहां बस का संचालन ठीक नहीं है, समय पर बस चलती नहीं हैं, कंडक्टर या जितने ड्राइवर हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, रास्ते में हर मार्ग पर आपकी 6 बसें औंधी पड़ी हुई मिलेंगी। कितना यात्रियों का नुकसान होता है, कितना माल का नुकसान होता है, इसका कोई जवाब है ? बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चम्पालाल बांठिया। (अनुपस्थित) माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे (अनुपस्थित) माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य (अनुपस्थित) माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास (अनुपस्थित) माननीय श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (अनुपस्थित) माननीय श्री जनार्दनसिंह गहलोत (अनुपस्थित) माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रभारी मंत्रीजी ने मोटरयान (संशोधन) विधेयक रखा है, मेरा इसमें यह मानना है कि इतनी गड़बड़ है इस विभाग में कि इसे तीन महीने के लिये जनमत जानने के लिये भेजा जाना चाहिये। क्योंकि यह बात तो ठीक है कि इसमें हमें कोई पीड़ा नहीं है. उपाध्यक्ष महोदय, आप हमसे तीन हजार की जगह दस हजार लो, जो लोग गलत तरीके से वाहन चलाते हैं उनसे दस हजार की जगह बीस हजार लें, कुछ भी लें। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज आपकी जो व्यवस्था है उसको क्यों बदलना पड़ रहा है, क्या इसको आप लागू कर पाये हैं ?

मैं मानता हूं कि आज आपके पुलिस और यातायात विभाग के कर्मचारी और

(श्री जुबेर खान)

अधिकारियों की मर्जी के बगैर उन्हें मंथली दिये, कोई भी मालिक अनाधिकृत तरीके से बस या वाहन नहीं चलाता। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आपने जो लाइसेंस दे रखे हैं, अस्थाई परमिट, वह आपने एक छोटे से पाइण्ट के दे रखे हैं और उस पाइण्ट की आड में वह 50-50 किलोमीटर आगे तक बसों को चलाते हैं सिर्फ आपकी स्थानीय पुलिस और विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर, क्योंकि उनसे मंथली ली जाती है ऊपर तक। आज डी.टी.ओ. और आर. टी. ओ. कहां से मंथली देगा। वह किन लोगों से वसूल की जाती है। आज मंत्री महोदय आप इसकी ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम यह न चले। दूसरा, मंत्री महोदय आप ईमानदारी से सोचकर देखिये कि आज तमाम जो प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, जीपें चल रही हैं, मैटाडोर चल रही हैं, इनको विदड्रा कर लीजिए दो दिन में सड़कों और बस स्टैण्ड पर सवारियों में त्राहि-त्राहि मच जायेगी। जब तक आप लोगों के आने-जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे, आप कैसे निर्भर कर सकते हैं? आज रोडवेज की बस जो आपकी चलती है, आप इनसे कहते हैं कि ज्यादा सवारियां मत भरिये। बस की छतें क्या सवारियों से भरी हुई नहीं चलती? लोग गिरने की स्थिति में होते हैं। आप आखिर लोगों को सेवा तो मुहैया कराइये। अगर आप उनको सुविधा मुहैया नहीं करवा रहे हैं तो लोग प्राइवेट बस से भी जायेंगे, जीप से भी जायेंगे। आप शेखावाटी में देख लीजिए, अगर प्राइवेट जीपें नहीं चलें तो लोगों का आवागमन ही एक प्रकार से रुक जायेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कानून तो बनाइये लेकिन बनाने से पहले यह सोचिये कि इनको लागू करने में हमें क्या दिक्कतें होंगी? आप व्यवस्था कीजिए। बसें बढ़ाइये, चाहे कुछ भी बढ़ाइये या आप चाहे परमिट इश्यू कीजिए यह तो चलनी हैं। एक तो यह है कि अगर आप इनको परमिट देकर करेंगे तो आपको भी कुछ आय होगी। आज कितनी जीपें और कितनी गाड़ियां अनाधिकृत चल रही हैं? आप ऐसी कोई व्यवस्था करें। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं हो, आपके पास बसें नहीं हो, आपका विभाग सक्षम नहीं है तो आप इनको लाइसेंस दीजिए। आप टैक्स लीजिए, कम से कम आपको भी तो कुछ आय होगी और यह चल सकेंगी, नहीं तो यह आपसे आज रुक रहे हैं, न कल रुकेंगे। क्योंकि आपकी स्थानीय पुलिस, आपके विभाग के कर्मचारी और कुछ गेंग भी बन गये, रेकिट बन गये जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों पर, जो अनाधिकृत जीपों, मैटाडोरों और बसों को चलवाते हैं। आप यह भी व्यवस्था करें कि कोई पर्टीकुलर एक रूट स्थायी तौर पर प्राइवेट मालिक को दिया है वह उसको छोड़कर उस रूट पर चलते हैं जहां से आपकी रोडवेज भी जाती है। वह रोडवेज के लोगों को भी पैसा देते हैं, आपके परिवहन विभाग को भी देते हैं, पुलिस को भी देते हैं। एक आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक तो प्राइवेट बस में बैठ लीजिए, ड्राईवर और कंडक्टर का आचरण देख लीजिए और एक रोडवेज की बस में देख लीजिए। काटने को दौड़ते हैं आपके ड्राइवर्स और कंडक्टर्स सवारियों को। तो लोग किस बस में बैठेंगे? आपको

(श्री जुबेर खान)

यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कंडक्टर, ड्राइवर या विण्डो पर, खिड़की पर जो आपका टिकट काटता है, सीधे साधारण लोगों से बदतमीजी से नहीं बोले। कभी कोई व्यक्ति आपके पूछताछ कार्यालय में जानकारी करने जाता है तो उनको किस तरह का जवाब मिलता है, आप सोच नहीं सकते कि किसी तरह का व्यवहार वहां उनके साथ किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इस विधेयक को लाने से पहले आप इस पर जनमत संग्रह कराइये, लोगों की राय लीजिए कि हम किस तरह से इसको करें और किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था हो ? अदरवाइज तो आप कागजों में लागू कर लीजिए इसका कोई इम्प्लीमेण्टेशन नहीं होगा, यह लागू नहीं हो पायेगा। आपके इस विधेयक की खुली मजाक उड़ेगी, आप इस पवित्र सदन से अगर कोई विधेयक पास कराते हैं और उसकी खुली अवहेलना होती है, उसकी आड़ में कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस वाले और दलाल रुपये कमाते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात इस पवित्र सदन के लिए हो नहीं सकती। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब इतने दिनों से चल रहा है तो आप इसको जनमत जानने के लिए भेजिये, इसके ऊपर लोगों की राय लीजिए कि लोग क्या सुझाव देते हैं ? यही मैं कहना चाहता था। (धन्यवाद)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज हमारे यहां जो कानून बनता है, वह बनता ही टूटने के लिए है और यही परिणति आज जो कानून आप पास करने जा रहे हैं, उसकी होने वाली है। इसके पीछे कुछ लाजिक है कानून बनाने से पहले हमें इस बात को पुख्ता तौर पर तय करना पड़ेगा कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं, जिस कानून की हम इतनी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं उससे पहले जो कानून बना हुआ है वह असक्षम क्यों है ? वाहन में पहले ही सवारियां ज्यादा ढोने, माल ज्यादा ढोना आदि पर शास्ति तो है। फिर इस सबके होने के बावजूद भी वर्तमान कानून है, इसकी जो धज्जियां उड़ रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि अकारण ही आपके इस कानून की धज्जियां उड रही हैं। इसके पीछे रीजन यह है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार आज आपके इस विभाग में व्याप्त है, मैं समझता हूं कि किसी भी विभाग में इतना भ्रष्टाचार आपको नहीं मिलेगा। इसका एक सीधा सा कारण यह है कि बड़ी सरलता और आसानी से रास्ते चलते आपकी जेब में पैसे आ जाते हैं। इसके लिए आपको किसी मीडियेटर की जरूरत नहीं। बस जिधर से निकलो, पुलिस का कान्स्टेबल आपको उधर खड़ा मिल जायेगा, आर. टी. ओ. आफिस के लोग खड़े हुए मिल जायेंगे। किसी को पता ही नहीं चलेगा, चुपचाप पैसे लिये, अपनी जेब में डाले और रास्ता तय कर लिया। इन व्यवस्थाओं के चलते इस विभाग की लापरवाही की वजह से न केवल अन्दर बसों में सवारियां अधिक बैठती हैं बल्कि ऊपर भी इतनी सवारियां बैठती हैं,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वह सब भगवान भरोसे ही है। किसी दिन यदि एक्सीडेंट होता है तो दो, पांच, दस, बीस, पचास लोगों के मरने की आशंका हर वक्त बनी रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि रोड़वेज बस डिपो के सामने से आज अनाधिकृत बसें चलती हैं, क्या ऐसे कारण बन गये कि रोड़वेज डिपो के सामने, जहां पर आपके पुलिस की भी व्यवस्था है, जहां पर आपके आर.टी.ओ. आफिस की भी व्यवस्था है, जहां पर स्वयं रोडवेज के कर्मचारियों की भी व्यवस्था है वहां आप बस भरने ही क्यों देते हैं ? वहां से बसें चलने के लिए खड़ी ही क्यों होती हैं ? लेकिन खड़ी होती हैं। उस खड़ी होने के पीछे कारण आपके विभाग की स्वयं की कमजोरियां हैं। विभाग के अधिकारियों की साफ तौर से मंशा है कि हमें कहीं न कहीं से पैसे चाहिए। अन्यथा यदि आपके विभाग के अधिकारी यह तय कर लें कि जिस जगह से यह बसें स्टार्ट होती हैं और पांच-दस बीस मील आगे जाकर जब हम इनको रोकने की कोशिश करते हैं, वहां पर अपनो फ्लाइंग स्क्वायड भेजते हैं. पचास तरह की ※※※ बातें हम वहां जाकर करते हैं, तो क्यों नहीं हम उनको उसी स्पाट पर रोकें जिस स्पाट से बसें भर कर चलती हैं, इस पर तो हम ध्यान देते नहीं हैं लेकिन एक पूरा अमला जिप्सियों और कारों का साथ लेकर चलते हैं, पचास मील आगे जाकर उनको रोकते हैं ताकि वहां पर सुविधाजनक रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बैठकर पैसों का लेनदेन हो जाय, वरना हैड क्वार्टर पर दस तरह की शिकायतें होंगी। मैं इसको भी उचित नहीं मानता। उचित मैं इसलिए नहीं मानता कि जिस तरह से जनसंख्या आज बढ़ रही है, इस जनसंख्या को ढोने के लिए क्या मंत्री महोदय के पास इतने साधन हैं ? यदि आज जितनी प्राइवेट बसें जो चलती हैं, आप कहें तो हम अपनी तरफ से लोगों से निवेदन करें कि आप मेहरबानी करके पांच दिन के लिए अपनी जितनी भी प्राइवेट बसें जीप, टैक्सी जो कुछ भी हैं, उन्हें सड़क से विदड्रा कर लीजिए। क्या इस सरकार की इतनी हैसियत है और इतनी क्षमता है कि राजस्थान में इस बढ़ती हुई आबादी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा पायेगी ? उपाध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्ट उत्तर है, इसमें किसी से पूछने और जांच करने का विषय नहीं है, यह सरकार आज इस बढ़ती हुई जनसंख्या का भार ढोने में असक्षम है। उसके पीछे न केवल आपके विभाग की कुछ कमजोरियां हैं बल्कि आर्थिक समस्या भी निश्चित रूप से सामने होगी। मेरा यह स्पष्ट कहना है कि एक ओर जहां आपके विभाग के पैरेलल एक प्राइवेट रोडवेज का चैनल बना हुआ है, बजाय आप उनको अनआर्थोराइज्ड रूप से चलने की जो सुविधा दे रखी है केवल इसलिए कि उनसे आपके अधिकारी अपनी जेब में पैसा डाल लें, उनको आप यदि परमिट इश्यू करेंगे तो मैं समझता हूं आपके विभाग की आय बढ़ेगी और इन अनआर्थोराइज्ड बसों के चलने से जान और माल का जितना नुकसान होता है उस पर भी निश्चित रूप से पाबंदी लगेगी।

※※※ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमें एक बात और भी देखनी होगी कि आज जितने भी जिलों में जो प्राइवेट टैक्सीज चलती हैं, मसलन जीप वगैरह, उनमें आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक एक जीप में 30–30 सवारियां तक होती हैं। मंत्री महोदय, मैं इस बात की ओर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा कि जिस जीप की क्षमता 6 या 8 व्यक्तियों की होती है, उसमें 30-30 सवारियां ढोयी जाती हैं और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो अभी आप बाहर चलें और चलकर देख लें। सवाल यह है कि इन जीपों को आपरेट करने वाले शख्स कौन हैं? उन जीपों और बसों को चलाने वाले, वह बेरोजगार बंधु हैं जिनकी क्वालीफिकेशन एम.ए. और बी. ए. है। उनको रोजगार की कमी है। रोजगार के अभाव में वह कहीं न कहीं से कर्ज लेकर, बैंकों से लोन लेकर जीपें खरीद लेते हैं। मरता क्या नहीं करता? उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब से शासन में आयी है तब रोजगार के मामले में बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है। जिन विभागों में कहीं दस, बीस, पचास, सौ, दो सौ आदमी सर–प्लस थे, उनको भी बाहर निकालने की बात करते हैं। कहीं रोजगार के नये साधन इन्होंने उपलब्ध कराये हों, मुहैया कराये हों, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता और आप स्वयं भी इस बात की ताईद करेंगे कि बेरोजगारी दूर करने के मामले में यह सर–कार बिल्कुल असफल रही है। आखिर यह बेरोजगार लोग जाये कहां? और मैं तो यदि इस बात के लिए चेलेंज शब्द भी काम में लूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जो भूखा–नंगा, पढ़ा लिखा ग्रेज्युएट जीप चलाता है, भले ही आप उस पर 5 हजार के बजाय 20 हजार रुपये की शास्ति आरोपित कर दें लेकिन 20 हजार रुपये के बदले में इतना जरूर होगा कि आपके विभाग के जो अधिकारी हैं कल तक उससे 200 रुपये चार्ज करता था, वह अब उससे 500 रुपये चार्ज करने लग जायेगा। लेकिन यह जो रोड पर चलने वाली बसें, टैक्सीज उसी रोड पर चलेंगी, वह किसी कीमत पर बन्द नहीं हो सकती हैं। फिर ऐसे क्या कारण हैं कि वह सब कुछ तो चलेगा और कानून की धज्जियां उड़ाने के लिये इस कानून को भी आप पास कराने जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसकी जड़ में जाना होगा, केवल मात्र शास्ति का पैसा बढ़ाने से समस्या का कोई हल होने वाला नहीं है। आखिर लोगों की जान माल की भी रक्षा करनी है, लोगों को बेरोजगारी की समस्या से पीछा छुड़वाना है और लोगों को सारी सुविधायें उपलब्ध करानी हैं तो आपको अपने साधन बढ़ाने होंगे। अब साधन कैसे बढ़ाने होंगे। यह बहुत स्पष्ट है। आज जितने भी कानून बने हुये हैं उन कानूनों के रहते आसानी से राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन यह तभी सम्भव है जब आप दृढ़ संकल्प हो, आपके अधिकारी इस बात के लिये दृढ प्रतिज्ञ हों कि जो कुछ भी मिल रहा है उसी में हमें सन्तोष है अन्यथा यह सारे कानून आप धज्जियां उड़ाने के लिये बना रहे हैं इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी।

आज बेरोजगार युवक जाये कहां। आपसे वह एक सवाल पूछता है कि उन्होंने जो डिग्रियां ली हैं बैंक से लोन लिया है आखिर उस लोन की अदायगी कहां से

(श्री राजेन्द्र पारीक)

होगी। आप उस गरीब से 2 हजार रुपये के बजाय 5 हजार रुपये की शास्ति आरोपित करके क्या हासिल करना चाहते हैं ? यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो उस गरीब को रोजगार दीजिये और बैंकों से कहिये कि कमें किश्तों में पैसों को किसी तरह से वसूले लेकिन उसको यदि आपने सड़क से हटा दिया तो वह पीछे नहीं हटेगा और पुरजोर शब्दों में इस बात की मांग करेगा, किसी ने किसी तरह से इस रोड पर आये। मैं इस बात को बहुत अच्छा नहीं मानता हूं कि लोगों की जान-माल को जोखम में डाल कर उनको सड़कों पर सवारी ढोने दें। लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी देखना होगा कि जो लोग इन वाहनों में सवारी करके मर रहे हैं उधर वे परिवार का पेट पालने में अपने आपको कमजोर पाते हैं। इन हालात में दोनों परिस्थितियां हैं। आप भले ही कितनी शास्ति निश्चित करें, आपको सरकारी स्तर पर यह तय करना होगा कि राजस्व की जो हानि हो रही है उसके पीछे क्या कारण हैं। राजस्व की ज्यादा वसूली तो आप अपने अधिकारियों का आचरण सुधार करके, क्योंकि अधिकारियों के दिमाग में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त हो गया है, उसको समाप्त करके ही आप कर पायेंगे अन्यथा इसका विरोध हर स्तर पर होगा। आज जो गरीब व्यक्ति टैक्सी चलाते हैं वह कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ नहीं हैं। यदि आपको देखना है तो रात में वीडियो कोच यहां से चलते हैं किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको सड़क पर चलते हुए रोक दें। रोकते किन को हैं ? जो गरीब अपनी छोटी-मोटी टैक्सी लेकर सड़क पर चलता है उसको रोक कर पैसा वसूल करने की आप बात करते हैं। जितने भी वीडियो कोच चलते हैं वे आपके अधिकारियों के चलते हैं, मिनिस्टरों के चलते हैं, बड़े बड़े एम. एल.एज. के चलते हैं और हो सकता है उसमें किसी पार्टी का कोई आदमी लिप्त हो। पार्टीज का सवाल नहीं है अधिकारियों के वर्चस्व का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब वह गरीब तो उस कानून के दायरे में जाता है, लेकिन ये लोग उससे वंचित कैसे रहते हैं ?

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट और होम डिपार्टमेण्ट दोनों माननीय मंत्रीजी आपके पास हैं। आप इस बात की व्यवस्था करें कि आपका पुलिस महकमा इन सारी अनियमितताओं को रोके। साथ साथ में रोडवेज से ज्यादा पैसा वसूलने की आपकी मन्शा बनी रहती है, परन्तु रोडवेज डिपो पर लोगों को कुछ सुविधायें भी उपलब्ध करवायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को आप निर्देशित करें कि वे अपने किसी अधिकारी को जयपुर में रोडवेज डिपो पर भेज कर दिखवालें। बड़ी बड़ी पीतल की नेम प्लेट्स लगी हुई हैं, लीयो क्लब, फलाना क्लब परन्तु पानी तक की व्यवस्था नहीं है। केवल रोडवेज डिपो पर लोगों के नाम पर प्रचारित करने के लिये इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिये परन्तु पानी की व्यवस्था नहीं। वहां पर पानी की व्यवस्था कौन करवाएगा ? क्या आपके विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं है। यह तो सुलभ काम्प्लेक्स बन गये वरना तो आपके जो सार्वजनिक शौचालय डिपो पर बने हुये हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, आप

(श्री राजेन्द्र पारीक)

स्वयं चल कर देख लीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब विसंगतियों को देखते हुये मेरा आपके माध्यम से नम्र निवेदन है कि यह सरकार जो आज कानून पास कराने जा रही है उसे तीन माह के लिये जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिये कहें।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री रामेश्वरदयाल यादव।

श्री रामकिशन : मेरा नाम भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम तो बहुत पहले आ गया था मगर आप उस समय अनुपस्थित थे।

श्री रामकिशन : पहले कैसे आपने कृपा कर दी ?

श्री उपाध्यक्ष : उसी क्रम में आया था मैंने कृपा नहीं की।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल कहा था कि सरकार की मन्शा बिल्कुल सही है कानून सख्त बनें लेकिन सवाल तो यह है कि इन कानूनों पर अमल कैसे हो और जब तक अमल की व्यवस्था नहीं हो मैं नहीं समझता कि सरकार की मन्शा पर हमें कोई शक है। जो आज हालत है जिस तरह से प्राइवेट और चोरी से व्हीकल चल रहे हैं, उससे जीवन को भी खतरा है, राजस्व हानि भी होती है और सबको जानकारी है। आप जिस तरह के जुर्माना वगैरह का प्रावधान कर रहे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कमी हो लेकिन सवाल यह है कि आपके पास इस तरह की मशीनरी है कहां ? मैं इस संबंध में सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां दो तरह के गैर कानूनन व्हीकल्स चलते हैं। एक तो वह हैं जिन्होंने परमिट ले रखे हैं लेकिन परमिट की कण्डिशन्स को फुलफिल नहीं करते और दूसरे वह हैं जो न परमिट ले रखे हैं, न रजिस्ट्रेशन और वैसे ही चलाते हैं। एक तो मंत्रीजी को सुझाव यह देना चाहूंगा कि इस संबंध में जुर्माना दोनों पर अलग अलग होना चाहिये। आपने एक ही राशि रखी है। एक ही तरह का प्रावधान रखा है। इस संबंध में मेरा आपसे सुझाव यह है कि परमिट की कण्डिशन्स को फुलफिल करने वालों के खिलाफ कुछ और होना चाहिये और जो बिल्कुल ही गैर कानूनी ढंग से, न रजिस्ट्रेशन है और न कुछ है वैसे ही चलाते हैं उन पर जुर्माने की रकम दूसरी होनी चाहिए। एक फर्क तो आपको जरुर करना चाहिये।

दूसरा मेरा इस संबंध में सुझाव यह है कि जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे सामने समस्या यह है कि आप उन व्हीकल्स को रोक तो देते हैं लेकिन आपके पास दूसरी आल्टरनेटिव व्यवस्था तो कुछ है नहीं। मैं तारीफ करूंगा भरतपुर के एस.पी. गर्ग की कि जिन्होंने भरतपुर में कम्प्लीटली इसको रोक दिया था और राजस्व की वृद्धि जिस तरह से हुयी थी आप भरतपुर का आंकड़े मंगवा कर देख लें। लेकिन वहां एक दूसरा संकट जरूर था। हर दिन हम देखते थे, हमारी और बात तो छोड़ दें। हम कभी मीटिंग करते थे तो कार्यकर्ता कहते कि साहब आने का कोई साधन ही नहीं है इसलिये हम तो लेट आये हैं,

(श्री रामकिशन)

4 बजे। अगर आप यह व्यवस्था चाहते हैं तो आपके पास इतनी व्यवस्था जरूर होनी चाहिये कि इसको रिप्लेस करने के लिये आपके पास कोई न कोई साधन हो।

तीसरी स्थिति यह है, यह बिल्कुल सच बात है कि आज राजस्थान में बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार मिलता नहीं है। जमीन की सीमा कम होती चली जा रही है। अब इन सब लोगों के रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपके पास। रूट हो गये नेशनेलाइज। छोटे छोटे रूट पर चलने में शायद इनको लाभ नहीं होता हो या कोई दूसरी दिक्कत हो। इस समय समग्र सवाल को इस ढंग से देखना चाहिये और इनके लिये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। यह मौजूदा और आने वाले समय में और भी आवश्यक है क्योंकि आबादी जिस तरह से बढ़ रही है आने जाने के साधनों की जिस तरह से लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह की लोग सुविधा चाहते हैं। निश्चित तौर पर छोटे-छोटे गांवों में हम देखते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पहले 4–6 मील लोग पैदल चले जाते थे। आज एक घंटा भी खड़े रहेंगे लेकिन एक किलोमीटर पैदल नहीं जायेंगे। इसलिये बात यह है कि लोगों की इच्छा बढ रही है इनके लिये साधन चाहिये। लेकिन साथ ही साथ इसको रेग्युलेट कैसे करेंगे कि आपको राजस्व घाटा भी नहीं हो, रोडवेज को भी नुकसान नहीं हो और साथ साथ में लोगों रोजगार मिलता रहे। केवल एक पक्ष से इस सारी जिम्मेदारी से अलग हो जायेंगे तो दूसरी समस्या हल नहीं होगी।

तीसरा मेरा इस संबंध में यह सुझाव है कि आप जरा इस विभाग को थोड़ा कसें। आज इस विभाग की हालत यह है कि आर.टी.ओ. की पोस्ट खाली पड़ी है। आपकी बहुत सी जगह खाली पड़ी हैं। अब पता नहीं आपकी डी.पी.सी. नहीं होती या कोई और आपका झंझट है या पता नहीं मुख्य मंत्रीजी ने कोई लिस्ट दे रखी हो कि इनको करो आप नहीं करना चाहते हैं। यह तो आप जाने क्या झगड़ा है लेकिन मैं आपसे इतना सा कहना चाहता हूं इस संबंध में भी आपकी वैकेन्सीज हैं उनको भरनी चाहिये जिससे आप अपने महकमे को प्रभावशाली बना सकें। आपके यहां सब इन्स्पैक्टर्स की जगह खाली पड़ी हैं, आपके पास स्टाक ही नहीं है और आप टैक्नीकल का नाम लेकर, अब सब इन्स्पैक्टर टैक्नीकल क्या करेंगे केवल फिटनेस के मामले में हो सकते हैं, बाकी जो ग्रेज्युएट हैं जिनका केवल टैक्स कलेक्शन का काम है उनकी भरती करके अपने महकमे को सक्षम बनाना चाहिये। अगर यह सब बातें एक साथ करेंगे तो तब तो होगा इसका कोई इम्पैक्ट और अगर आपने टुकड़ों टुकड़ों में किया तो इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। मान लीजिये मंत्रीजी यह सवाल अखिल भारतीय बन चुका है, कानून तोड़ने की आदत और कानून का पालन नहीं करने की आदत यह सारे देश में बढ़ती चल रही है। इसके लिये राज भी जिम्मेदार है। जब राज का भय नहीं है। राज का कोई प्रभाव नहीं हो तो समाज का आदमी कानून को तोड़ता चला

(2.00 म.प.)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

जाता है। आज हर एक आदमी जानता है कि

(श्री रामकिशन)

मैं 500 रुपये दूंगा, 200 रुपये दूंगा, कुछ नहीं होगा ।

लेकिन भरतपुर की जानकारी कर लो, जब एस. पी. गर्ग थे । उसके पहले जब बस वगैरह चलती थीं तो मैंने सुना था कि नगर थाने के लिए 1 लाख रुपया महीना देते थे, प्राइवेट बस वाले, टैक्सी चलाने वाले, एस. पी. पहुंच गया तो रुक गये, रुक कैसे गये । इसके लिए प्रावधान करना चाहिए जैसे कल किया था सरकार के किसी अफसर को जिम्मेदार बनाना चाहिए चाहे एस. पी. हो, चाहे कलेक्टर हो, गैर कानूनी व्हीकल, जैसा मैंने कहा पहले उनको अल्टरनेटिव रोजगार की व्यवस्था करके करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी एस. पी. की होगी, कलक्टर की होगी या ट्रान्सपोर्ट ग्राफिसर की होगी और उसके लिए भी सजा का ऐसा प्रावधान करें जैसा कानून तोड़ने वालों के लिए करते हैं । ऐसा मानकर चलें कि भ्रष्टाचार का मसला है, जब तक ग्राफिसर्स का सहयोग नहीं होगा, पुलिस के ग्राफिसर्स, ट्रान्सपोर्ट के ग्राफिसर्स, रोडवेज के ग्राफिसर्स का सहयोग नहीं होगा तब तक गैर कानूनी व्हीकल नहीं चल सकते हैं । रोकना चाहें तो रोक सकते हैं मगर सारा संकट यह है कि हम कानून तो बना देते हैं लेकिन कानून पर अमल की व्यवस्था नहीं है, न हमारे पास पर्याप्त स्टाफ है, न सुलझे हुए लोग हैं, न मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि सारे लोग ईमानदार हैं । अब ईमानदारी का संकट तो अलग है, उस पर अलग से चर्चा करें लेकिन जो बढ़िया से बढ़िया अफसर हों, उन लोगों को लगायें । कानून को ऐसा बनायें चाहे जैसा बनाना चाहें बनायें उस पर अमल हो । अमल से पहले जो लोग प्रभावित हों उनके लिए अल्टरनेटिव रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे समय लग जाये, अमल करने में देरी हो जाये लेकिन तीन-चार कामों को साथ करेंगे तो राजस्व भी बढ़ेगा और कानून की मर्यादा भी कायम रहेगी और साथ साथ समाज में कानून तोड़ने की आदत बनती चली जा रही है, उस पर अंकुश लगेगा । अगर एक तरफा काम किया, प्रशासनिक काम करके और दूसरे सवालों को छोड़ दिया तो यह मामला नहीं सुलझेगा । मैंने तीन चार सुझाव दिये हैं । मैं इन पर लम्बा बोलने की स्थिति में नहीं हूं । मैं यही कहूंगा कि इस पर आप गम्भीरता से विचार करें । जहां तक आपने सख्त सजा का, जुर्माने का प्रावधान किया है, मैं निश्चित तौर पर ऐसे कानून का समर्थक हूं जिससे समाज की मर्यादा कायम हो लेकिन मर्यादा कायम करने से पहले वातावरण बनाना पड़ता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि दूसरी शर्तों को भी फुलफिल करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री हेतराम बेनीवाल ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा नाम है ।

श्री सभापति : क्षमा करें । माननीय श्री हेतराम जी, मुझे उपाध्यक्ष महोदय आपका नाम बता गये थे लेकिन आपका नाम बाकी है ।

माननीय श्री रामेश्वर दयालजी । क्षमा करें ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, मोटर व्हीकल बिल पर जो चर्चा सदन में हो रही है जिसमें कुछ पनिशेबल ग्राफेंस के लिए प्रोविजन्स रखे हैं, इस प्रोविजन्स कोई भी बुरा नहीं कहेगा । हर सरकार की कोई नीति होती है लेकिन जहां नीति होती है वहां सरकार की नीयत भी साफ होनी चाहिए । नीति के अनुसार नीयत साफ रखकर कानून-कायदों को हम लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं । मैं यह इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि गृह मंत्री जी के पास यातायात विभाग है, अगर अकेला यातायात विभाग ही होता तो कह सकते थे कि मेरे पास समुचित पुलिस की व्यवस्था नहीं है । दोनों विभाग आपके पास हैं । क्या हम पनिशेबल ग्राफेंस बनाने के बाद, क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से नेशनल हाईवे या छोटे रूट्स है उनके ऊपर हम माकूल व्यवस्था वाहनों की कर पायेंगे ? हमारी रोडवेज की क्षमता कितनी है ? आगे हम कितनी क्षमता बढ़ा पायेंगे । नेशनल हाईवे पर जो आज अवैध वाहन चल रहे हैं क्या यह सच नहीं है कि अवैध वाहनों का संचालन करने में जितना सहयोग ग्रापरेटर्स का है मैं समझता हूं कि उससे कम सहयोग यातायात विभाग और पुलिस विभाग का भी नहीं है ।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि चौमूं से जयपुर के बीच में 6 थानों के सामने से होकर 33 किलोमीटर की दूरी तय करके उस वाहन को जयपुर पहुंचना होता है और मैं समझता हूं कि हर थाने वाले उन वाहनों को चैक करते हैं । सभापति महोदय, एक जीप में 30–35 सवारियां भरकर लाते हैं और जब एक्सीडेंण्ट होता है....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो चौमूं से जयपुर या चौमूं से ऊपर ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सुनिये पहले । सुनने की क्षमता रखिए । मैं कहना चाहता हूं कि जब उनका एक्सीडेंण्ट होता है तो समाचार छपता है । जैसे पिछले वर्ष चौमूं के पास जीप ट्रक भिड़ंत में 14 मरे । एक जीप का एक्सीडेंण्ट होता है, जिसमें 14 व्यक्तियों की जानें एक साथ गई । हर थाने वाला, यातायात विभाग का इन्सपेक्टर निश्चित तौर पर एण्ट्री फीस के नाम से या किसी न किसी रूप में सुविधा शुल्क के नाम से हर गैर कानूनी वाहन से वसूल करते है । माननीय गृह मंत्रीजी नेशनल हाईवे से पास भी होते होंगे । आप और तो छोड़िये जहां राजस्थान की सीमा समाप्त होती है और हरियाणा की प्रारम्भ होती हैं या अन्य जगह जहां आपकी चैक पोस्ट हैं आप एक अननोन फिगर की हैसियत से जाकर खड़े हो जायं । आपके विभाग का, यातायात विभाग का कोई चपरासी से लेकर सी. टी. ओ. तक या टैक्स वसूल करने वाले कार्मशियल टैक्सेज विभाग, किसी भी विभाग का हो क्या किसी भी वाहन को बिना सुविधा शुल्क दिये, आगे प्रवेश होने देते हैं ? नहीं होने देते हैं । यह भ्रष्टाचार का खुला रूप है । वह चाहे नगरपालिका की चुंगी चौकी पर जाते हैं तो चुंगी चौकी पर बैठा नगरपालिका का कर्मचारी एक ही बात करता है कि तीन का प्रवेश लेना है या पांच का ? अगर पांच देंगे तो उस वाहन को आगे एण्ट्री के लिए एक स्लिप फाड़कर के देंगे । तीन देंगे तो बिना

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

प्रवेश स्लिप के प्रवेश देंगे। यही हालत यातायात विभाग और पुलिस विभाग की है। हर त्योहार पर हर थाने के सामने मैं देखता हूं। मैं बनीपार्क से आगे रहता हूं अम्बाबाड़ी में, पानी पेंच पर, नुक्कड़ पर जो सिपाही छोटी सी डायरी और कलम लेकर खड़ा होता है पूछता है एण्ट्री करवायी है, एण्ट्री किसी बात की ? इस बात की कि चाहे मंथली हो, चाहे 6 माही हो या त्रैमासिक हो वह वसूल करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि....

(2.08 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो अवैध वाहन चलते हैं उनकी निश्चित रूप से रोकथाम होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अवैध वाहन भी दो तरह के हैं जैसा माननीय सदस्य ने कहा एक वह हैं जिनके पास कुछ कण्डीशन्स के साथ परमिट हैं कुछ वाहन ऐसे हैं जिनके पास न तो परमिट है न कंडीशन्स हैं। ऐसे वाहनों के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। अभी जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि ऐसे अवैध वाहन, चाहे वह बेरोजगार युवाओं के हों, चाहे प्राइवेट आपरेटर्स के हों उनको चलाने के लाइसेंस दे रखे है तो या तो रूट तय कर दीजिए इतने किलोमीटर तक इस शहर में यहां से यहां तक चल पायेंगे या नेशनल हाईवे पर डी. बार कर दीजिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए या यह कर दीजिए कि जिन सड़कों के ऊपर या जिन रास्तों के ऊपर आपका कोई वाहन नहीं है, उन पर उन्हें संचालन करने की अनुमति दे दीजिए ताकि वहां पर अपने वाहन चला सकें। बाकी चाहे आर. एफ. सी. हो, चाहे बैंक वाले हों, वे कहते हैं कि व्हीकल एडवांस है उन पर 40 प्रतिशत से ऊपर रिकवरी नहीं होती है। इसलिए हम व्हीकल एडवांस बन्द कर रहे हैं। आर. एफ. सी. कहती है कि हमारा रिकवरी पर्सेण्टेज बहुत डाउन जाता है। हम कानून के ऊपर कानून बनाते रहेंगे, इस तरह से प्राइवेट आपरेटर्स को वाहन खड़ा करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो चाहे कामर्शियल बैंक हों, चाहे आर एफ.सी. हो, उनका रिकवरी पर्सेण्टेज निश्चित तौर से घटेगा। कानून बनाने के साथ साथ हमको यह भी देखना चाहिए कि उन वाहनों की उपलब्धता कहां हो सकती है। सरकारी वाहन, जैसे पथ परिवहन निगम की बसें हैं उनकी क्षमता हमारे पास कितनी है, इस रूट पर कितनी चलनी चाहिए और कितनी नहीं चलनी चाहिए। सेड्ब्रेज के अन्दर जब हल तलाश करते हैं तो हमको जवाब मिलता है कि आपके चौमूं रूट पर हर पांच मिनट में आपको बस उपलब्ध कराते हैं। लेकिन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी नहीं हैं, कि पांच मिनट में बस उपलब्ध कराते के बावजूद भी अगर ये प्राइवेट वाहन नहीं हों तो आने-जाने वाले लोगों का क्या हाल हो। बस के अन्दर नहीं; ऊपर बैठने के बाद भी जगह नहीं मिले। जहां हम प्राइवेट वाहनों को यह दोष देते हैं कि ये गैर कानूनी रूप से चलते हैं, निश्चित तौर से नियम होने चाहिए, पनिशेबल आफेंस होना चाहिए, दण्ड प्रक्रिया की सारी प्रक्रिया एडाप्ट होनी चाहिए। लेकिन उसके पैरेलल

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

हमको यह भी देखनी चाहिए कि सरकार इन पैसेंजर्स की एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या साधन मुहैया करा रही है। या आप इस पर चिन्तन, मनन, अध्ययन करने के बाद कोई स्पष्ट नीति इस मामले में इस हाउस में या जनता के सामने रखें कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बाद ये बड़े वाहन नेशनल हाई-वे पर चलेंगे, प्राइवेट वाहनों को हम छोटे रूट पर देंगे, जीपों और दूसरे वाहनों को और भी छोटे रूट पर चलने की अनुमति देंगे। इनकी एक संख्या निर्धारित करें कि जीप में अगर इतनी सवारी से ज्यादा होंगी तो उन पर इतनी हैवी पैनल्टी होगी। एक बार, दो बार, तीन बार होने के बाद हम उस ड्राईवर का लाइसेंस समाप्त करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि चौमू के पास जीप-ट्रक भिड़न्त में जो 14 व्यक्ति एक साथ मरे थे, उनमें इसका जो ड्राइवर था वह भी खुदा को बन्दा ही गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी इस तरह के अवैध वाहन चलते हैं उनमें 50-60-70-75 पर्सेण्ट ड्राइवर्स शराब के नशे में धुत्त रहते हैं। आज सुबह सवाईमाधोपुर के एक मन्दिर की चर्चा हो रही थी। उसमें कह रहे थे कि मन्दिर के ठीक सामने ही शराब की दुकान है। जहां भी बस स्टैण्ड्स हैं उनके बिलकुल नजदीक हमने शराब की दुकान खोल रखी है। वहां पैसेंजर्स की सुविधा के लिए और कोई सुविधा चाहे हमने नहीं उपलब्ध करायी हो, लेकिन शराब की दुकान निश्चित तौर से इतनी नजदीक खोल रखी है कि अगर ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद भी घूंट लेने जाय तो तुरन्त घूंट लेकर वापस आकर उसमें बैठ सकता है। गृह मंत्रीजी, आपके पास गृह विभाग भी है, यातायात विभाग भी है। मैं यह कहना चाहूंगा जितनी शराब की दुकानें इन बस स्टैण्ड्स के नजदीक हैं, आप मेहरबानी करके उनको कम से कम एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर करवाइये। वे घूंट लेकर सीधे बस स्टैण्ड पर आते हैं, रोजाना झगड़े होते हैं। ड्राइवर तो बैठता है सो बैठता है, और तो और पैसेंजर भी सोचता है कि ड्राइवर भी घूंट लेने गया है मैं भी एक घूंट लेकर वापस आकर बैठ जाऊं। इन परिस्थितियों के अन्दर मेरा निवेदन है कि यह कानून अच्छा है, मैं इसका कोई विरोध करना नहीं चाहता, लेकिन जो पनिशेबल आफेंस बनाए उसके पैरेलल सरकार की नीयत भी साफ होनी चाहिए। आप नीति स्पष्ट कर रहे हैं तो नीयत भी साफ करें। इसके पैरेलल फैदर हम क्या और मुहैया कराएंगे, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमाकान्त जी, प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव रखेंगे। आप इसके बाद में। पहले इनका नाम है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें मेरा एक संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप भी बोलेंगे इनके बाद में।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन

(श्री रमाकान्त शर्मा)

आया है यह सैक्शन 39 और सेक्शन 66 के अन्दर है। जहां सैक्शन 39 बिना परमिट के जो अवैध वाहन चलते हैं उनसे सम्बन्धित है, सैक्शन 66, किसी एक पर्टिकुलर रूट पर व्हीकल चल रही है या नहीं चल रही है जो उसके लिए प्रैस्क्राइब्ड है या वहां पर नम्बर आफ पैसेंजर जो चल रहे हैं वे मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं चल रहे हैं और साथ ही साथ जो वेट प्रैस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा तो नहीं है, इसी तक सीमित है।

मेरा नम्र निवेदन माननीय मन्त्रीजी से यह है कि जो यह हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है। काफी मोटा तो मोटर व्हीकल एक्ट है और उसके जो नियम हैं वे तो उससे भी पांच गुना मोटे हैं।

अभी पिछले सत्र में बात आयी कि बहुत अवैध वाहन चल रहे हैं। तो विभाग के अन्दर सिर्फ एक ही बात घुसी कि अवैध वाहन चल रहे हैं, अवैध वाहन चल रहे हैं। और एक पैच वर्क की तरह अवैध वाहनों के मामले में यह संशोधन ले आये। जब कि इस एक्ट और नियमों में इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं, सभी में इस प्रकार का एक संशोधन चाहिए कि स्ट्रिंजैण्ट एक्शन लिया जा सके और जिससे, इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हो रही है वह स्थिति पैदा न हो। यह विभाग की और सरकार की आदत है कि एक बात चल जाती है तो उसी बात को लेकर काम शुरू कर देते हैं। काम्प्रिहैंसिव तरीके से सारी बातों को नहीं सोचते। यदि विभाग या विधि विभाग, इस सारे एक्ट के अन्दर क्या-क्या कमियां हैं उन सारी कमियों को एक साथ लेकर आते तो हम शायद पब्लिक पर ज्यादा बैटर इम्पैक्ट पैदा कर पाते। आज स्थिति यह है कि जो नियम हैं सड़क पर एक भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। इंजिन से धुआं निकल रहा है कार्बन मोनो आक्साइड। कार्बन मोनो आक्साइड एक हजार सीसी हो तो 100 आदमियों को मारने के लिए काफी है। वह तो भगवान की कृपा है कि कुछ पेड़-पौधे हैं, सड़कें खुली हुई पड़ी हैं, आदमी ज्यादा होते नहीं, वर्ना तो उस निकले हुए धुएं से आदमी तत्काल मर सकता है। गाड़ियों के पीछे की तरफ जो असबाब है वह है तो वजन के बराबर ही इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते परन्तु 20 फीट बाहर निकला हुआ है। पीछे से गाड़ी आती है वह ब्रेक लगाती लगाती भी....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : सरिये उसके पेट में घुस जाते हैं। रोजाना एक्सीडैण्ट हो रहे हैं। गाड़ियां आमने–सामने आती हैं, बीच में खड़ी हो जाती हैं। वह उससे बात कर रहा है वह उससे बात कर रहा है। पीछे से गाड़ी आती है और टक्कर हो जाती है। इस प्रकार की जो लालैसनैस हमारी सड़कों पर है, कभी–कभी तो एक बात दिमाग में आती है कि किसी भी देश की व्यवस्था क्या है, कैसा प्रशासन चल रहा है इस बात को देखना है तो उस देश की सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख लीजिए। जैसा ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक की कण्डीशन है वही देश की कण्डीशन है, वही प्रान्त की कण्डीशन है और वही राज की कण्डीशन है।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

आज स्थिति सड़कों पर इस प्रकार की है कि कोई ट्रक या कोई बस, कानून से कोई सम्बन्ध नहीं रखते अपना। उसका एक्सल निकल जाता है, उसका ब्रेक निकल जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब सर्टिफिकेशन का प्रोविजन है, सर्टिफिकेशन के प्रोविजन में उसको देखा जाता है तो सर्टिफिकेट लेते ही फिटनैस के तीसरे ही दिन उसका एक्सल निकलकर पहिया क्यों बाहर आ जाता है? उसमें क्या यह आवश्यक नहीं था? मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन प्रोविजंस के अन्दर भी जो पनिशमैण्ट है उस पनिशमैण्ट को बहुत स्ट्रिंजैण्ट बनाया जाता। इस प्रकार के सारे के सारे प्रोविजंस हैं—बाहर निकलने का भी प्रोविजन है, गैस निकले नहीं उसका भी प्रोविजन है, फिटनैस का भी प्रोविजन है। सारे प्रोविजन हैं एक्ट के अन्दर, पर उनके अन्दर तो स्ट्रिंजैण्ट बनाने की आवश्यकता सोची नहीं मन्त्री जी ने और एक अवैध वाहन की बात लेकर हमने स्ट्रिंजैण्ट बनाने की कोशिश की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मेरी यह है कि पहले जो शास्ति, फाइन किया हुआ था वह दो हजार रुपए और तीन हजार रुपए क्रमशः था। माननीय मंत्री महोदय से, आपके द्वारा, थोड़ा-सा जानना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है, ...(व्यवधान) उपस्थित कर रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : आप मुझे व्यवधान क्यों कर रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको सुना नहीं रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : मेरा ध्यान सदा कुर्सी पर ही रहता है, दायें-बायें आपकी तरह मेरा ध्यान नहीं जाता।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, महावीर जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बहुत धीरे से। अब मैं व्यवधान नहीं डालूंगा। इसी एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इसमें क्या है, मन्त्री महोदय की सुविधा के लिए कौनसे पाइण्ट से उनको अवगत कराएं। अब हम शान्त रहेंगे।

श्री रामकिशन : जब आये थे सच बोलने की प्रतिज्ञा ली थी लोगों ने।

श्री रमाकान्त शर्मा : दो हजार रुपए, तीन हजार रुपए की शास्ति का जो प्रावधान था, मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या कोर्ट्स ने जहां दो हजार का प्रावधान है वहां दो हजार का और जहां तीन हजार का फाइन है वहां तीन हजार का फाइन लगाया है क्या? जहां छः महीने की सजा है वहां किसी एक को भी छः महीने की सजा तो दूर छः दिन की सजा भी दी क्या? जब आपने जो प्रावधान कर रखा है उसके मुताबिक छः महीने की सजा नहीं दे रहे, दो हजार की जो पैनल्टी लगायी वह नहीं दे रहे, कहीं दो सौ कहीं एक सौ रुपए लगाते हैं—

(श्री रमाकान्त शर्मा)

यह कहां गारण्टी है कि 5 हजार– 10 हजार कर देंगे, मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास है और वह 5–10 हजार लगायेगा, क्योंकि आपने इसमें आब्जेक्टिव क्लाज में लिखा है, इसका मेन आब्जेक्टिव यह है कि यदि हम फाइनेंशल बहुत बड़ा बर्डन कर देंगे, फाइनेंशल बड़ी पेनल्टी लगा देंगे तो इसके बाद में इस प्रकार की गलती होती है, इस प्रकार का वायलेशन जो होता है, वह वायलेशन नहीं होगा। परन्तु जो 2–3 हजार की शास्ति यूटिलाइज को नहीं किया गया है, छः महीने की जो सजा प्रेस्क्राइब्ड है, वह किसी को नहीं दी गई है तो फिर कहां इस बात की गारण्टी है कि केवल मात्र 5–10 हजार रुपए की शास्ति का प्रावधान कर देने से इकोनोमिक आधार पर उन पर भार पड़ जायेगा और वह आइन्दा इस बात की गलती नहीं करेंगे।

मेरा इस मौके पर एक और नम्र निवेदन है कि आज कानून का पालन नहीं होने की वजह से जहां कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है और एक आदमी मर जाता है, जनता फौरन कानून को अपने हाथ में ले लेती है और वह रास्ता बन्द कर देती है, लक्कड़–पत्थर लगा–लगाकर सैंकड़ों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं कहीं पर तो ट्रक ड्राइवर की मौत की हालत तक हो जाती है। ठीक है, उसकी गलती है, कानून का उसको ध्यान रखना चाहिये, पर जनता के मन के अन्दर एक ऐसा अविश्वास पैदा हो गया है कि शायद पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है इसलिये जो कुछ करना-कराना है, यहीं खड़े होकर वायदा करा लो, उसको पकड़ लेंगे या ऐसी चीज करवा लेंगे। पिछले 5–7 वर्षों से यह प्रवृत्ति पैदा हुई है, इतनी भारी खराब प्रवृत्ति पैदा हुई है कि इस लालसैनस का जो नतीजा है, बहुत बुरा निकलने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ शास्ति को बढ़ावें या घटावें यह बात नहीं है, विभाग को और माननीय मंत्रीजी को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जो एग्जिस्टिंग कानून है, बहुत सफिशियेंट है, उस सफिशियेंट कानून के तहत जज इसकी पालना करायें तो जो सड़क पर दुर्दशा है, वह दुर्दशा सारी की सारी रुक सकती है।

इसलिये दो बातों को देखते हुए, एक तो यह पेचवर्क है, दूसरा अच्छी तरह से सोचा नहीं गया है, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन के लिये क्या आवश्यकता है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि फालतू में इसको प्रेस्टिज इश्यू नहीं बनायें, काम्प्रिहेंसिव तरीके से इस पर सारा सोचना है। इसलिये इसको सलेक्ट कमेटी को दे दीजिये जहां इस पर बहुत अच्छी तरह से विचार हो सकता है। ....(धन्यवाद)।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेतरामजी बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मोटर यान (संशोधन) विधेयक यातायात मंत्रीजी ने पेश किया है, असल में इसमें सिर्फ अवैध वाहन जो राजस्थान में चल रहे हैं उन अवैध वाहनों के चलने से जो क्षति हमारे एक्सचेकर की हो रही है या जो जनता में

(श्री हेतराम बेनीवाल)

एक इस तरह का वातावरण बन रहा है, उसको सब्साइड करने के लिये इन्होंने दो क्लाज़ में संशोधन किया है। वास्तव में सही बात है कि मोटर यान विधेयक में सिर्फ यह प्रोविजन कर देने से, जुर्माने की रकम बढ़ा देने से जिस तरह की जो राजस्थान में व्यवस्था है उस व्यवस्था में जिस तरह से अवैध वाहन चल रहे हैं, दो तरह के अवैध वाहन हैं राजस्थान में। एक तो अवैध वाहन वे हैं जो अपनी जीविका के लिये एक व्यक्ति जीप या कोई और अन्य वाहन लेकर, जो कानूनी नहीं हैं, परमिट नहीं लिया है, वह सड़क के ऊपर जहां उसको मौका मिलता है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दौड़ाकर अपनी जीविका अर्जित करता है। ये अवैध वाहन शुरू से चल रहे हैं और इनको रोकना सम्भव भी नहीं है। गांवों में प्राइवेट चलते हैं, थोड़ी सी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लम्बे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। इस तरह के अवैध वाहन के लिये कोई और वैकल्पिक व्यवस्था जब तक हम नहीं करें, उस गांव से आने की, उस क्षेत्र में कोई बीमार हो गया, परेशान हो गया, उसको लाने की उस तरह की व्यवस्था हमारे गांव में या उन कस्बों में जब तक नहीं होगी, निश्चित तौर से ये अवैध वाहन रुकेंगे नहीं इन पर चाहे जितने जुर्माने का प्रावधान करें। जुर्माना होगा तो उसका नतीजा एक ही होगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से कहूं कि आपका जो इन्स्पेक्टर है, डी.टी.ओ. है उनका रेशो बढ़ जायेगा। जितने जुर्माने का इसमें प्रोविजन होगा उतनी वह रिश्वत की रेट बढ़ा देंगे। और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि इसकी कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था हो, इसका कोई अन्य तरीका हो।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, इस प्रदेश में 1990 से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की हकूमत कायम है, इससे पहले अवैध बसें चलें, यह सोचा नहीं था। अवैध बसें चलती थीं, छोटे-छोटे रूट्स पर, थोड़े रूट्स पर जबरदस्ती और गुंडागर्दी से कोई बस चला लेते थे पर जिस तरह से अवैध वाहनों का चलन 1990 के बाद हुआ है, जिस बहुल्ले से हुआ है वह मेरी समझ में नहीं आता। माननीय यातायात मंत्रीजी ने जब यह जुर्माना 2 हजार, 4 हजार रुपए का रखा हुआ है, यह अवैध वाहनों को चलाने वाला बड़ा गिरोह है। ये छोटे-मोटे लोग नहीं हैं, ऐसे नहीं हैं कि उन्होंने जीविका के लिये अवैध वाहन चलाने शुरू किये हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास करोड़ों की सम्पत्ति है और जो हजारों रुपए रोज कमाते हैं। इसलिये उनका यह बहुत बड़ा एक बिजनैस है। उस बिजनैस के मालिक हैं, बहुत साधन-सम्पन्न लोग हैं। साधन सम्पन्न लोग तकरीबन सभी, जिन्हें और धन्धा अच्छा नहीं लगता, वे इसमें आ गये हैं। सत्ता पक्ष के भी आ गये और दूसरे नेतागण भी आ गये। यानी नेताओं की बसें....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी कोई बस नहीं है। आप किस का नाम ले रहे हैं? नाम लेकर बताओ। अगर सत्ता पक्ष

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और विपक्ष की बात करते हो तो किस-किस का नाम ले रहे हैं आप ? नाम लेकर बात कहो ।

श्री हेतराम बेनीवाल : देवीजी, नाम भी ले रहा हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसे वेग में ही कैसे बात कह रहे हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : नाम लूंगा तो तकलीफ़ होगी । इसलिये नाम नहीं ले रहा हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी । सामने बात आएगी । आप ऐसे पत्थर मार रहे हैं कीचड़ में जिसके सबको छींटें लग रहे हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे कह रहा हूं कि जयपुर के अन्दर 200 बसें चलती हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो किनकी चलती हैं ? नाम बताओ । मेरी नहीं है कोई भी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपके सिंधी-कैम्प से चलती हैं । कौन चलाता है ? यातायात मंत्रीजी क्या करते हैं और क्या करते हैं मुख्य मंत्रीजी ? आपकी नाक के नीचे से 200 बसें चलती हैं और 200 बसों में....(व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नाम बताओ ना ।....(व्यवधान)....यदि नाम नहीं बताते तो अपनी बात वापस लीजिये । नाम आपके पास हैं तो बताओ । आप सभी को रांग बाक्स में खड़ा कर रहे हैं । खुद रांग बाक्स में हो आप ।

श्री हेतराम बेनीवाल : कौन उनको चलाने की परमिशन देता है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला अरोड़ा जी, आप आसन से बात करें ।....(व्यवधान)....माननीय उजला अरोड़ा जी, आप बिराजें ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा को क्यों दर्द हो रहा है, उसको मैं समझ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप नीति की बात करिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह कह रहा हूं कि अगर सत्ता पक्ष के लोग इसमें नहीं हैं तो राजस्थान सरकार के सारे अधिकारी होते हुए, राजस्थान के सारे मंत्री और मुख्य मंत्री के इस शहर में रहते हुए, और रोडवेज के डिपो के पास ही यह 200 बसें बाकायदा परिचालन करती हैं, वहां से ही टिकट कटते हैं, आपके कैम्पस में जाकर वहां टिकट काटते हैं....(व्यवधान)....

श्री रमाकान्त शर्मा : यह अवैध वाहन कब से चल रहे हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : 1990 से ।

श्री रमाकान्त शर्मा : उससे पहले कभी आपने अखबार में नहीं पढ़ा कि अवैध वाहन चल रहे हैं ?....(व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बिल्कुल गलत बोल रहे हैं । इनको वापस लेना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह किस के अवैध वाहन हैं ? क्यों नहीं रोकते ? आपका विभाग क्यों नहीं रोकता ?

श्री दिग्विजय सिंह : श्री हेतराम जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ...(व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी : सत्ता पक्ष के लोगों के नाम लें। कौन हैं ?... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती तारा जी, बिराजें।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, मंत्री हैं ...(व्यवधान)....राज हम चलाते हैं या आप चलाते हैं ? अगर बसें हमारी चलती हैं, तो आप चलवाते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आरोप लगाने से पहले आपके पास तथ्य होने चाहिये, नाम होने चाहिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरे पास तथ्य 200 बसों के हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नाम बताइये।

श्री हेतराम बेनीवाल : 200 बसें किसकी हैं जिन्होंने परमिट ली हैं.... (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : नाम बताइये, नहीं तो अपनी बात वापस लीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : जिन 200 बसों का जिक्र कर रहा हूं, उनके परमिट.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं, माननीय सदस्य, आप बहुत लम्बा चौड़ा बोल चुके हैं। आप बैठिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : इन 200 बसों के पास कान्ट्रैक्ट कैरेज के नाम से परमिट हैं और कान्ट्रैक्ट कैरेज का एक साल का टैक्स है, एक लाख बीस हजार रुपए। इन कान्ट्रैक्ट कैरेजेज की बसें रेग्युलर तरीके से गंगानगर से जयपुर, उदयपुर से जयपुर, जयपुर से भीलवाड़ा, सारे शहरों के अन्दर प्लाइ करती हैं, और इन बसों का जो रोड टैक्स होता है, अगर गंगानगर के रूट पर चले तो 1100 रुपये होता है।....और उस बस को किराया देते हैं 325 रुपये। इस प्रकार से जो 800–900 रुपए की राजस्थान सरकार के टैक्स की चोरी यह अवैध वाहन वाले करते हैं, जिन अवैध वाहनों की संख्या दिनों-दिनों बढ़ती जा रही है।....

श्रीमती तारा भण्डारी : रोडवेज को मुनाफा कितना हुआ है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह बसें आपकी हैं क्या ? यह बसें आपकी हैं क्या, यह बतायें आप ? आप क्यों उछल रही हैं ? इसका मतलब है कि बसों में हिस्सा है आपका। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बी. जे. पी. वाले नहीं हैं तो अच्छा है। मैं रुकवा रहा हूं। मै आपसे निवेदन करूं कि यह जो अवैध वाहनों के माफिया हैं इनका कितना असर है।....(व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरी कोई बस नहीं चलती है। मैं बसों में जरूर चलती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं चल रही हैं, बिराजिए आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : इन बसों को चलाने वाले कितने असरदार लोग हैं वह इस बात से जाहिर हो जाएगा कि पिछले साल गंगानगर से जयपुर चलने वाली बसें हैं, उनके मालिकों ने रेलवे का टाइम बदलवा दिया था। जो हमारी जयपुर की एक्सप्रेस चलती है, गंगानगर से 6.15 बजे चलती है। हरियाणा का एक स्टेशन पड़ता है, अहलनाबाद, जो कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं है, सिर्फ प्लेटफार्म है उसका आता है। हरियाणा गवर्नमैंट से लिखवा दिया कि हमारे यहां यह गाड़ी 5 बजे आनी चाहिए। इसका मतलब गंगानगर से वह ढाई बजे चलनी चाहिए। 6 महीने तक गाड़ी गंगानगर से ढाई बजे चली। ढाई बजे चलने का मतलब सारी गाड़ी खाली और सारी सवारियां बसों में। हरियाणा चीफ मिनिस्टर के रिस्तेदार हैं, उनकी बसें चलती हैं, 8-10 बसें चलती हैं। उन्होंने उनसे मिलकर हरियाणा गवर्नमैंट से छोटासा पत्र निकलवा दिया कि हमारे यहां इसकी कोई सुरक्षा की गारन्टी नहीं देंगे, इसलिए यह ट्रेन दिन में आ जानी चाहिए। आ जानी चाहिए अहलनाबाद में और अहलनाबाद में आने का टाइम बदलने के कारण गंगानगर के यात्रियों को मजबूर होकर उस ट्रेन को छोड़कर अन्य प्राइवेट बसों में चलना पड़ता है। फिर हमने गंगानगर के कलक्टर से लिखवाकर दिया 6 महीने बाद कि इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी पुलिस साथ चलेगी तब जाकर वह दुबारा शुरु हुई है।

यातायात मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूं कि इतना असरदार है माफिया गिरोह कि हमारी जो गाड़ी आती है गंगानगर एक्सप्रेस उसको कभी टाइम से नहीं आने देते हैं। ड्राइवर और गार्ड को पैसे देकर गाड़ी हमेशा 3-4 घंटे लेट करवा देते हैं ताकि इस प्रकार का एटमासफियर बने कि गाड़ी खाली चले। इस तरह का जो माफिया गिरोह है। वह जो प्लाई करता है वह आपके इस कानून से नहीं रुकेगा। आपका कानून कहां रोकता है, जहां वह बसें आपको रास्ते में मिल गई, रास्ते में उनसे ले लिया। यह मेरे समझ में नहीं आता कि जयपुर से ढाई सौ बसें चलती हैं, यहीं कर दो सीज और थाने में बन्द कर दो। आप कहते हैं ना कि 6 महीने का प्रोवीजन किया है, एक एक को 6-6 महीने की सजा दो, याद आ जाय उन्हें, बसें बन्द हो जाएं। पर निश्चित तौर से यह जो बात कह रहे थे कुछ माननीय सदस्य और श्रीमतीजी, मुझे समझ में नहीं आती; पता लग जाएगा रोकते वक्त। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस माफिया गिरोह को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाने का तय करें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जीपें चलती हैं या जो अवैध वाहन चलते हैं सस्ते उनसे जितने एक्सीडेंट्स शुरू हो गए हैं, एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। सूरतगढ़ रोड पर, चौमूं रोड पर या ऐसे जो बिजी ट्रेफिक वाले रोड्स हैं उन पर। उसकी वजह यह है कि जीपें जो चल रही हैं या जो वाहन चल रहे हैं वह वास्तव में सारे कोई आथोराइज्ड वाहन नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि एक जीप है, उसका इंजन कोई और है, उसका चैसिस कोई और है, उसका गेयर किसी और कम्पनी का है, यानी ऐसी गाड़ी, मेरी समझ में नहीं आता

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कि किस तरह से पास कर देते हैं, क्या आपके ट्रेफिक रूल्स हैं उनके अन्दर क्या जुगाड़ बना रखा है, खिलौना बना हुआ है, कोई गाड़ी नहीं है। उसमें कहीं इंजन का, कहीं का एलाइनमैंट, कहीं का कुछ और इस तरह की गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर्स यात्रियों को लेकर रोज एक्सीडेंट्स सड़कों पर करते हैं। क्या आपने इस तरह का प्रावधान किया है कि ऐसे वाहनों को सही ढंग से चलाने की व्यवस्था हो जिनसे एक्सीडेंट्स नहीं हों।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो हमारी सड़कों की स्थिति है वह निश्चित तौर से दयनीय है और सड़कों की स्थिति की वजह से भी एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सीडेंट्स ज्यादा इस वजह से भी होते हैं, पिछली बार जो चौमूं में एक्सीडेंट हुआ उसमें 25 सवारियां थीं, अभी भी 30-30, 40-40 सवारियां एक जीप पर चलती हैं उसकी वजह यह है कि हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं है। इस समय मैं यह तो नहीं कह सकता कि राजस्थान सरकार के पास पूरे के पूरे साधन हैं, हमारे पास इतने साधन हैं कि उनकी जगह उन्हें लगा दें, पर हम प्राइवेट संस्थाओं से कह कर या प्राइवेट लोगों को परमिट देकर भी व्यवस्था करा सकते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रोविजन करने से कुछ नहीं होने वाला है इसलिए इस सम्बन्ध में काम्प्रिहैंसिव व्यवस्था करने के लिए एक समिति को सौंपा जाए। वह समिति इसकी पूरी व्यवस्था करे और पूरी व्यवस्था करके कुछ इस तरह के नियम बनाएं जिस वजह से अवैध वाहन जो राजस्थान में चल रहे हैं वह रुकें। अवैध वाहन जो चल रहे हैं उनसे एक नुकसान और हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह नुकसान हमारे एक्सचेकर का हो रहा है, हमारे रोडवेज में बहुत घाटा हो रहा है, रोडवेज का घाटा भी हमारा घाटा है। अगर रेलवे में घाटा होता है वह भी निश्चित तौर से हमारे देश का घाटा है, वह भी घाटा हमारा है। इस तरह से प्राइवेट प्लाई हो रहा है इसको रोकने के लिए इसको निश्चित रूप से कमेटी को सौंपा जाय और इसको दुबारा से लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव है। जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव है और उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस कानून की मूल भावना का प्रश्न है, किसी भी माननीय सदस्य ने इसका कोई विरोध नहीं किया है कि यह एक्ट या शास्ति जो लगाई है वह नहीं लगाई जानी चाहिए थी। यह जरूर कहा है कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी और जो मौजूदा व्यवस्था है, उसमें आप सुधार कर लेते तो शायद यह जो आपने इन्क्रीज की है वह नहीं करनी पड़ती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत सत्र में इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई थी, माननीय सदस्यों ने

(श्री दिग्विजय सिंह)

चिन्ता व्यक्त भी की थी और चिन्ता व्यक्त करते हुए बातें कही थी कि क्लैन्डेस्टान आपरेशन्स इतने अधिक बढ़ रहे हैं, उनका इफैक्टिवली कंट्रोल या उनके ऊपर चैक नहीं हो पा रहा है। खास तौर से शटल रूट्स के ऊपर जो वाहन चलते हैं। जीप चल रही हैं जिनमें 8 सवारी या 6 सवारी बैठनी चाहिए उसके स्थान पर चौमूं से जयपुर जो जीपें आती हैं उनमें 30–30, 40–40 सवारियां बैठ कर आती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। कई गाड़ियां तो ऐसी हैं जिनके पास कोई परमिट नहीं है, टैक्सी भी नहीं है और प्राइवेट के नाम से वह चल रही हैं। उनको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाय या उनको चैक किया जाय। उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इमीजिएटली कुछ कदम उठाएं। इसलिए हमने यह संशोधन एक्ट में इस बिल के माध्यम से रखा है।

माननीय सदस्य ने कहा कि कांम्प्रिहैंसिव बिल हाउस के सामने ले आते जिसके अन्दर दूसरी जो कमियां थीं ट्रांसपोर्ट या मोटर व्हीकल एक्ट में, वह भी पूरी होती। इस प्रकार की जो बातें हैं उन सबके सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो बातें यहां पर आ गई हैं रोडवेज के सम्बन्ध में और यह बात कही कि हम क्लैन्डेस्टाइन आपरेशन्स रोकने तो जा रहे हैं पर क्या हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था तैयार है? कहीं ऐसा न हो जाय कि इनके ऊपर ज्यादा शास्ति लगने से इनका प्लाइंग बन्द हो जाय। दूसरी व्यवस्था हमारे पास नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर हमने चर्चा की है और रोडवेज की बसें जो आज के वक्त में चल रही हैं, उसके सारे सिस्टम को हमने दुबारा रिवाइज्ड करने के लिए एक कमेटी बनाई है और इस बात के ऊपर सरकार विचार कर रही है कि केवल राष्ट्रीयकरण के नाम से ही सारे रूट्स ले लेना, फिर उन रूट्स की व्यवस्था नहीं होना, यह राज्य सरकार के लिये उचित नहीं होगा। इसलिये हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे कई रूट्स हैं जो रोडवेज के लिये अलाभकारी हैं। ऐसे रूट्स को हम ओपन कर दें और ओपन करने के बाद में जो इसके ऊपर इंडीविजुअल एप्लाई करना चाहता है प्राइवेट ऑपरेटर उसको ले सकता है। इस संशोधन के लाने की खास मन्शा यही थी कि आज से पहले जो शास्ति लगी हुई थी उसके अन्दर अन्दर हजार रुपए पहला ऑफेन्स के ऊपर प्रोविजन था और सेकिण्ड ओफेन्स होता है तो उसके अन्दर पांच हजार रुपए का प्रोविजन था। इसके साथ साथ सैक्शन 192 को सैक्शन 207 के साथ ही पढ़ा जाना चाहिये। जिसके अन्दर सैक्शन 66 के अन्दर लिखा है कि–

"the expression or without the permit required by sub-section (1) of section66' as occurring between the expression section 3 or section 4" and the expression "he may" shall be deleted."

'may' का जो प्रोविजन दिया था उसके अन्दर मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह चाहे तो कर सकता है। आज दिन तक की स्थिति यह थी कि जो मजिस्ट्रेट थे वह उस सीमा तक शास्ति लगा सकते थे और कम भी कर सकते थे, परन्तु अब इसके जुड़ने के बाद यह अनिवार्य हो जाएगा कि पहले

(श्री दिग्विजय सिंह)

आफेन्स के अन्दर पांच हजार रुपए और दूसरे आफेन्स के ऊपर 10 हजार रुपए की शास्ति लगानी पड़ेगी या 6 महीने की सजा भी इसमें आ जाएगी। आपने जो बातें कहीं उससे मैं सहमत हूं कि यह करने से कोई इसके ऊपर नियन्त्रण हो जाएगा ऐसी बात नहीं हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी और व्यवस्था के लिये को-आर्डीनेशन पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैण्ट में नहीं होगा तब तक इसको बढ़ाने से जैसा आप कह रहे हैं वह पूरा लागू हो जाये ऐसी नहीं है। पर यह जरूर है कि इससे एक साइकिक फियर उनमें निश्चित रूप से डवलप होगा और प्रथम पैनल्टी बढ़ती है, दूसरी पैनल्टी बढ़ती है, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि अगर यह पेनल्टीज बढ़ रही है तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। अगर आपरेटर्स रेग्युलरली परमिट लेकर के चला रहे हैं, उस परमिट का वायोलेशन नहीं करते हैं और उनकी टर्म्स एण्ड कंडीशन्स का वायोलेशन अगर नहीं हो रहा है, तो यह शास्ति बढ़ भी गई तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह तो वही लोग आपत्ति कर सकते हैं जो कण्डीशन्स वायोलेशन कर रहे हैं। वायोलेशन करने के बाद में जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि वह मेल-मिलाप करके उस ओफेन्स को कम करने की कोशिश करते हैं। खास बात यह है कि उसके ऊपर कम्पाउण्ड करवा करके व्हीकल छूट जाते हैं या रजिस्ट्रेशन भी ले जाते हैं, अब हमने सैक्शन 207 के अन्दर प्रावधान किया है कि वह रजिस्ट्रेशन सीज हो जाएगा जब व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सीज हो जाएगा यो नेचुरली वह व्हीकल भी सीज हो जाएगा। इस प्रकार क्लैन्डस्टाइन आपरेशन्स जो कर रहे हैं, वह क्लैन्डस्टाइन ऑपरेशन्स नहीं कर पाएंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय कोई रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से नहीं क्लैन्डेस्टाइन ऑपरेशन्स बढ़ रहे हैं और खास तौर से जीपों की वजह से एक्सीडेन्ट्स हो रहे हैं, उनको कैसे कम किया जाए, कैसे कम से कम हो सकें उस दृष्टि से फाइन इम्पोज ज्यादा बढ़ाया है, बाकी कोई रेवेन्यू अर्न करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने किया हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो जनमत जानने हेतु और इसके पहले माननीय श्री हतरामजी बेनीवाल ने जो कान्ट्रेक्ट करेज के बारे में और 200 बसों के बारे में कहा, मैं इसके लिये जानकारी कर लूंगा। अगर अनअॉथोराइज्ड हैं, परमिट्स के बिना हैं, तो निश्चित तौर से इसके नीचे आएंगी और उनको भी देना पड़ेगा। कान्ट्रेक्ट केरेजेज के बारे में यह बात सही है कि यह कई जगह चल रहे हैं, उसके लिये हमने एक कमेटी बना दी है, वह इस सारी स्थिति को देख रही है। कान्ट्रेक्ट केरेजेज जो इर्रेगुलर चल रहे हैं, इल्लीगल चल रहे हैं और पैसा भी राज्य सरकार को कम आता है, किस प्रकार से उनको हमारी परिधि में ले लें ताकि यह रूट्स पर चल सकें और राज्य सरकार को पैसा भी मिल जाए। यह कमेटी जब निर्णय कर लेगी उसके बाद ही कुछ कहना सम्भव होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उनियारा में कितनी प्राइवेट जीपें चल रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : सब जगह चल रही हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उनियारा की बात कह रहा हूं। उनियारा में कितनी चल रही हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : आपको संख्या याद होगी, कुछ जीपें तो आपकी चल रही होंगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी तो कोई नहीं चल रही है, आपकी भी नहीं चल रही है लेकिन उनियारा में कितनी चल रही हैं ? उनियारा आपकी कान्स्टीट्यूएंसी है। उनियारा में कितनी जीपें अवैधानिक रूप से चल रही हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : मेरी कान्स्टीट्यूएंसी जरूर है लेकिन मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं इसलिए उनको ज्यादा मालूम होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह कोई जवाब थोड़े ही हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पोल्यूशन और ट्रेफिक हेजर्ड की बात माननीय श्री रमाकान्तजी ने कही, निश्चित तौर से पोल्यूशन और ट्रेफिक हेजर्ड आज पापुलेशन एक्सप्लोजन के कारण और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने के कारण भी हो रहा है। पोल्यूशन के सम्बन्ध में भी हमने कदम उठाये हैं। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमैण्ट ने पोल्यूशन के लिये यहां मशीनरी उपलब्ध करवाई है, जो चैक कर रही है और उसके बाद में जो पोल्यूटेड पाई जाती हैं उनके ऊपर वहीं जुर्माना किया जा रहा है। इससे इसका कोई प्रसंग नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति को सुपुर्द किए जाने और जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव रखे हैं उनको माननीय सदस्य वापस ले लेंगे और इसको स्वीकार करेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है उसके बारे में माननीय मंत्रीजी को एतराज है। उसका जवाब तो मुझे देना ही है।.... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : एक बार मंत्रीजी और बोलेंगे एक बार आप और बोल सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। बिराजिये। जवाब तो मंत्रीजी ने दे दिया।.... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : बैठे बैठे यों-यों कर रहे हैं। यह बात सही है कि बैठे बैठे भी इनके झाले ठीक लगते हैं.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : बोलने का अधिकार हर सदस्य को है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बैठे बैठे झाले देने का अधिकार नहीं है, बैठे बैठे प्रद्युम्नसिंहजी के झाले भी ठीक लगते हैं.... (व्यवधान)....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह खड़े खड़े +++ करें यह भी अधिकार नहीं है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोंक से आने वाले माननीय विधायक इस बात का जवाब चाह रहे हैं जो मैं देना भूल गया। कितने अवैध वाहन पकड़े, अप्रैल से लेकर जुलाई, 1992 तक, हमने 26 हजार 4 सौ 9 वाहनों को चैक किया जिनमें से 19 हजार 92 वाहनों के चालान किये गये तथा 3 हजार 8 सौ 26 वाहन जब्त किये।

श्री रमाकान्त शर्मा : इस पर मतदान हो उससे पहले मैं संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतरामजी और रह गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मौका दें तो कुछ बात कह करके मैं भी प्रस्ताव वापस ले लूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

माननीय श्री रमाकान्तजी ने प्रवर समिति को सौंपने का जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया था उसको वापस लेने की अनुमति चाही है। क्या सदन इसको वापस लेने की अनुमति देना चाहता है ? इसमें हेतरामजी का भी है।

प्रश्न यह है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री दिग्विजय सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1992 को पारित किया जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट लाए हैं पैनल्टीज को बढ़ाने का, मैं इसका विरोध करता हूं। विरोध का एक इसका कारण है, श्रीमन्, इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो आपका एग्जिस्टिंग कानून है, वह अपने आप सफिशियंट है, अगर उसको सिंसियरली सरकार इम्प्लीमेंट कराने की सोचती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आपको जानकर ताज्जुब होगा, हालांकि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बात कान्ट्राडिक्टरी लगेगी, मुझे इस स्टेज पर यह बात नहीं कहनी चाहिये लेकिन अनग्राफिशियली रोडवेज के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य परिवहन निगम की और सरकार को और सरकार को 70 करोड़ रुपए साल का इस क्लैन्डेस्टाइन आपरेशन्स से घाटा उठाना पड़ रहा है।

It is not a small amount, 70 करोड़ रुपए का एमाउन्ट है। आप कहेंगे कि आप कहां से यह फिगर्स लेकर आए हैं। आपने तो काल्पनिक आधार पर यह फिगर्स दिये हैं लेकिन इन्फार्मल तरीके से इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, मैं उन अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आफिशियल रिकार्ड के ऊपर यह बात नहीं है। मैं पी.यू.सी. का मैम्बर हूं इस नाते मेरी जानकारी में यह चीज है है श्रीमन्। अब सवाल यह आता है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, यह बात भी सही है कि यह बहुत पहले मामूली तौर से क्लैंडेस्टाइन आपरेशन्स राजस्थान के अन्दर होते थे लेकिन इस सरकार के आने के बाद से, ये रोड़वेज की जो हड़ताल हुई थी, उसके बाद आपने जो प्राइवेट व्हीकल्स को प्लाई करने के अधिकार दिये टेम्परेरी परमिट्स के ऊपर, उसके बाद से यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ गई और अब आज हालत यह है, श्री हेतराम जी कह रहे थे वह बात सही है, आप चले आइये, ठेठ सिंधी कैम्प के आगे से लेकर पोलो विक्ट्री तक आपको सैकड़ों की संख्या में बसेज खड़ी मिल जाएगी जो चल रही हैं। अब 2000 रुपए रोज पैनल्टी देने के बाद भी चल रही हैं। हकीकत यह है कि पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैण्ट के लोगों ने मिलकर माहवारी बांधी हुई है, माहवारी ले रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं और ये गाड़ियां चल रही हैं। आप बताइये, उदयपुर तक कितने जिले पार करके जा रही हैं। जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ भी हो सकता है, बांसवाड़ा तक जा रही हैं। अब आप बताइये, आखिर है क्या यह ? मंत्री महोदय, आपके पास दोनों महकमें हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग भी आपके पास है, पुलिस विभाग भी आपके पास है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा काफी संख्या में बसें तो पुलिस वाले और ट्रांसपोर्ट आफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों की ही हैं। अगर सरकार की इच्छा है, आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अधिकार दीजिये, उनको जिम्मेदारी सौंपिए उन्हें इन्टरफियर आप मत करिये, सुविधा उनको दीजिए, पुलिस का एक डी.आई.जी. लगाइये, एस.पी. लगाइये, तीन दिन के अन्दर क्लैंडेस्टाइन आपरेशन्स रुक जायेंगे। एस. पी. भरतपुर ने कैसे रोक दिए थे। एस.पी. भरतपुर ने क्लैंडेस्टाइन आपरेशन्स कैसे रोक दिए थे, यह बता दीजिए, एक विल थी, एक इच्छा शक्ति थी। आपने इस एक्ट के अन्दर अमैंडमैंट करके यह स्थिति बनाई है आज देखिये रसीद कहां किसने कितने की काटी एक-एक बस की, अनलाफुल बस की जो प्लाई कर रही है, रसीद काट दी फिर भी चल रही हैं। एक महीने की रसीद काट दी और सामने काटी है, अब आप कहेंगे, रसीद तो है और उसके बाद भी रोजाना चल रही हैं। रसीद काटने के बाद, पैनल्टी इम्पोज करने के बाद भी चल रही हैं और पैसे ले रहे हैं बराबर, दिखाने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के लिए कि कल को कोई पूछताछ हो, हमने इतनी की है; हमने इतना पैसा वसूल किए, फिर आप 10 दिन के पैसे लगा दीजिये। 10 दिन में 20,000 रुपए देने के बाद कोई बस चल ही नहीं सकती। यह मैं आपसे कहता हूं, 10 पैनल्टीज इम्पोज कर दीजिये उसके ऊपर, अगर एक दिन बस चल जाय तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप में इच्छा शक्ति का अभाव है, उस कमी का नाजायज फायदा उठा कर आज बदस्तूर उनमें भी देखा-देखी कम्पीटिशन है। आज रोडवेज का किराया कम कर दीजिये, रोडवेज घाटे में नहीं जाएगी तो होगा क्या? आज रोडवेज से इनका किराया कम है, इन बसों का जो उदयपुर चल रही हैं, भीलवाड़ा चल रही हैं, गंगानगर चल रही हैं, रोडवेज से 5 रुपए, 10 रुपए कम, वीडियो दिखाते जा रहे हैं, टेप बजाते जा रहे हैं, बसों की हालत बढ़िया है उनसे, कम्फर्टेबल जर्नी है उनसे, जल्दी पहुंचाते हैं और आपके कंडक्टर और ड्राइवर का व्यवहार खराब, बसों की हालत खराब, कपड़े फटते हैं उसके अन्दर, ब्रेक डाउन हो रही हैं, स्टेपनी होती नहीं है उनके अन्दर, सामान उनके अन्दर है नहीं, आज रोडवेज की बसों की हालत क्या है और आपने अब तक 35 प्रतिशत नेशनलाइज्ड करने की बात की है, 65 प्रतिशत रूट्स की आज हालत क्या है। ये तो वे रूट्स हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर प्राइवेट बसें आलरेडी चल रही हैं लेकिन यह 35 प्रतिशत नेशनलाइज्ड है। इनके ऊपर क्लेडेस्टाइन आपरेशन्स ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लिक्रेटिव है आपके पास, रोडवेज के पास 10 रूट्स हैं आज की तारीख में जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आमदनी हो रही है। उन रूट्स के ऊपर क्लेंडेस्टाइन आपरेशन्स रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी आदमी पैदल नहीं चलना चाहता है, साधन चाहिये, ट्रांसपोर्ट के, उनको चाहिये और आपके पास है नहीं, आज आपको सोचना पड़ेगा, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। आपको इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पोल्यूशन की समस्या है, सारा का सारा मामला आपका यह है कि आपकी कोई ट्रांसपोर्ट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, कोई गवर्नमेंट की पालिसी है नहीं, जब तक कि आप क्लियर कट पालिसी नहीं बनाएंगे मैं तो नेशनलाइजेशन के पक्ष में नहीं हूं। मैं शुरू से कहता हूं, एक ही विकल्प है आपके पास, आप कई दफा आए, आपको मालूम है आपको रोडवेज क्या कर रही है। आज मुनाफे में आए है, बड़ी अच्छी बात है। रोडवेज भी वही हरकत कर रही है जो प्राइवेट आनर्स हरकत कर रहे हैं। धौलपुर से बिना परमिट के आपकी रोडवेज की बसें यू.पी. में चक्कर लगा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पता लगाया है फिर ये मुनाफे की बात कर रहे हैं। हालत यह है कि ले जा, क्योंकि रोडवेज की गाड़ियों का चालान तो होता नहीं, कोई पुलिस वाले चैकिंग कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट वाले चैकिंग कर रहे हैं। रोडवेज की बसें लखनऊ और बदायूं के चक्कर लगा रही हैं, एटा के चक्कर लगा रही हैं। रोडवेज की बसें वही हरकत कर रही हैं, जो कि प्राइवेट आनर्स क्लेंडेस्टाइन आपरेशन्स कर रहे हैं, वह का वह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

काम रोडवेज की बसें कर रही हैं आज की तारीख में। आप मुनाफे में आ गये, चोरी रोडवेज भी कर रही है। आज स्थिति क्या हो रही है आपकी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ट्रांसपोर्ट की नई पालिसी बनाये। आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या होने वाला है। आपने रिश्वत की रेट बढ़ा दी, आपका अपना चैकिंग का स्टाफ है, उसकी रिश्वत की रेट जो 200 रुपए लेते थे, अब 1000 रुपए लेंगे। बोल भई, क्या दे रहे हो, आज तू क्या दे रहा है? अब उसकी 1000 रुपए रेट होगी। मेरा आपसे निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) मदन दिलावर, जी आपके समझ के बाहर की बात है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं, तो मेरा आपसे निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बिल को करिये विदड्रा, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, एग्जिस्टिंग ला सफिशियेंट है, अगर आप उसको सिन्सियरली, विल पावर के साथ इम्प्लीमैंट करें। आप करेंगे कहां से, आज हालत यह है जिलों में ट्रांसपोर्ट विभाग में अधिकारी कर्मचारी लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मजबूर कर रहे हैं। आप फ्री रहने दीजिये। एक पालिसी बनाइये। ट्रांसपोर्ट की इसके अन्दर आज हालत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, आज रोडवेज की बात नहीं, शास्ति की बात कर रहे हैं। आपके जिले के ट्रांसपोर्ट आफिस में, there is enough corruption, गाड़ियां ट्रांसफर कराके लाइये, कोई बाहर से गाड़ी, ट्रेक्टर खरीदकर लाइये। अभी एक किस्सा आया है मेरी निगाह के अन्दर, एन.ओ.सी. चाहिये एन. ओ.सी. वहां से ले आइए, 2500 रुपए लगेंगे, वह रोता-पीटता गया, सिर फोड़ता रहा एक महीने तक, जाकर कलक्टर के यहां दरख्वास्त दी कि यह आज तक 2500 रुपए किस बात के मांगे जा रहे हैं। यह रेट तो इसकी 600–700 रुपए लगते हैं, and you will be shocked, 650 के 2500 रुपए मांगे थे, ट्रांसपोर्ट आफिस के बाहर दलाल बैठे हुए हैं, आप कहिये कि यह जो सिस्टम है, उसको बंद कर देंगे। ट्रांसपोर्ट आफिस के बाहर आपके दलाल बैठे हुए हैं जो खुले आम फार्म भरने की सारे काम की जिम्मेदारी लेते हैं। आप इतने पैसे दीजिये हमको, हम आपका काम करा देते हैं। आप आ जाइये और 3 दिन बाद अपने कागज ले जाइये। वह आपकी नाक के नीचे सब काम हो रहा है। वे पैसे लेते हैं। अपना पैसा रखकर जिन्हें पैसे बंटने होते हैं, उसका बंटवारा हो जाता है, पैसे बंट जाते हैं।

(3.00 म.प.)

आप करना क्या चाहते हैं? आपकी इच्छा शक्ति क्या है? आप इस एक्ट को लाकर राजस्थान की जनता को गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप ऐसा अधिकार इन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ में दे रहे हैं जिससे रिश्वतखोरी बढ़ेगी अगर आपकी इच्छा शक्ति यही है। मैं कहता हूं आप तय कर लीजिए 6 महीने कोई इंटरफिरेंस नहीं होगा और आप यह अधिकार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दे दीजिए। इस डिपार्टमेंट में करप्शन को एक एक एजेन्सी खत्म कर देगी आप पुलिस की बात तो छोड़िये। आप पनैल्टी दबाकर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इम्पोज कर दीजिए। लेकिन होगा कहां से ? हालत यह है कि जो चैकपोस्ट हैं, वहां चपरासियों के लिए भी जयपुर से आडर्स जाते हैं। आप करना क्या चाहते हैं ? मेरा मन्त्री महोदय आप से निवेदन है कि आप काम्प्रिहेंसिव बिल लाइये। आप ट्रांसपोर्ट पालिसी अनाउंस कीजिए, सदन के माननीय सदस्यों को इन्वाल्वड कीजिए और डिटेल्ड डिस्कशन कीजिए वरना इससे कुछ नहीं होगा सिवाय भ्रष्टाचार बढ़ने के। इस एक्ट से आप जनता को कोई राहत नहीं पहुंचायेंगे और आपको बहुत साफ शब्दों में अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहीं आप इनको भी रोक देंगे तो जनता त्राहि-त्राहि करती फिरेगी और इससे जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रोड़वेज का प्रश्न है बड़े जोर-शोर से यहां यह कहा गया कि राजस्थान पथ परिवहन निगम पहली बार इतने लाभांश में आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय यातायात मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है जिसमें रोड़वेज के उन कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया है, उसको इसमें से अगर लेस कर दें तो आपका लाभांश कितना बचता है ? आपकी देन-दारियां क्या हैं ? उनको निकालकर आप फिर नये आंकड़े बतायें तो कोई बात समझ में आती है। उपाध्यक्ष महोदय, कानून बनाने से और संविधान संशोधन करने से किसी चीज का हल नहीं निकल जाता। एक शायर ने सही कहा है—

"मस्जिद तो बना दी परवर ने,
इमां की हरारत वालों ने,
और मन जो पुराना पापी था,
बरसों में नमाजी हो ना सका।"

इसलिए इन कानून-कायदों से और संशोधनों से कुछ नहीं हो सकता।

श्री दिग्विजय सिंह : यह शेर आप लिखकर भी दे दें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लिखने वाले बैठे हुए हैं, मुझे लिखकर देने की जरूरत नहीं है, प्रतिवेदक मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहले से ही जो कायदे-कानून हैं अगर उन पर ईमानदारी से अमल किया जाय, उनको सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो इन नई चीजों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वे चाहे प्राइवेट बस हो, चाहे रोड़वेज की बस हो, नियम तो दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। मान लीजिए अगर एक सरकारी अधिकारी मर्डर करे तो क्या उस पर दूसरा कानून लागू होगा और एक प्राइवेट आदमी करे तो उस पर दूसरा लागू होगा ?

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान रोड़वेज की बस अपने राज्य से बाहर जाने के लिए आपने कितने परमिट लिए हुए हैं ? दिल्ली के लिए जहां तक मुझे जानकारी है मात्र 20 परमिट लिए हुए हैं। आप कितनी बसें आपरेट कर रहे हैं उसको भी तो आपको

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या स्थिति है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो बसें जा रही हैं उनके परमिटों का जरा आप अवलोकन करावें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जो रिपेयर के लिए सामान खरीदा जाता है उसके लिए नियम तो यह है कि इन्होंने एक ट्रेड मार्क या सेन्ट्रल स्टोर्स परचेज डिपार्टमेंट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक विभाग है उसने रेट कान्ट्रैक्ट कर रखा है उसने मार्क तय कर रखा है कि इस मार्क का सामान खरीदेंगे। लेकिन उसकी एन. ए. सी. अगर दुकनदार दे कि यह सामान हमारे यहां उपलब्ध नहीं है, लेकिन रोड़वेज विभाग का एक अधिकारी उसको प्रमाणित कर देता है कि यह सामान नहीं मिल रहा है और जाकर दिल्ली से ले आओ। आप बाडी बनवा रहे हैं। राजस्थान में भी बसों की बाडी बनाने के छोटे-छोटे कारखाने हैं लेकिन आप बाडी बनाने के लिए गोवा में जा रहे हैं, गोवा में अच्छी बाडी बन रही है। कोई अहमदाबाद में जा रहा है, कोई टाटा में जमशेदपुर जा रहा है और इस बहाने रोड़वेज के अधिकारी भारत-भ्रमण करने में लगे हुए हैं। इस ओर यातायात मन्त्री महोदय आपको ध्यान देना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं....

श्रीमती तारा भण्डारी : कड़वा ही कड़वा बोलेंगे ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं इसके लिए यातायात मन्त्री महोदय को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। यह जो बिगड़ा हुआ ढांचा है उसको सुधारने में समय लग सकता है लेकिन एक बात आप सुनेंगी तो आपको भी तकलीफ होगी और आपको भी मेरा समर्थन करना पड़ेगा। मैं एक बात यह कह रहा था पहले एक योजना चालू की और हर रूट का इन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया। उस टारगेट से अगर ज्यादा अमाउंट की प्राप्ति होगी तो कण्डक्टर को इतना प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन दिया जाएगा। आज उसको खत्म कर दिया। उसके क्या परिणाम रहे ? आपको इस सम्बन्ध में सोचना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा के इस पवित्र सदन में हम बैठे हुए हैं और इस पर यहां चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बड़े दुःख के साथ और सारे सदस्यों का इस पर तज्जोह चाहूंगा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबन्धक, सेन्ट्रल बस स्टेण्ड, जयपुर ने क्रमांक 1740 पर एक आदेश निकाला कि राजस्थान के माननीय सांसद और विधायकों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा करने पर उनको स्लिप भरकर दें तो उनके हस्ताक्षर ड्यूटी आफिसर से अटैस्टैड कराये जाएं।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : विथड्रा कर लिया वह तो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन मैं कहता हूं वह निकाला ही कैसे था ? विथड्रा करना अलग चीज होती है। आपको

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

इस बात पर +++ आनी चाहिए, आप समर्थन कर रहे हैं उसका। मैं भुगतभोगी हूं। मैं एक दिन रात को 12.15 बजे की बस से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा था। मैंने पूर्व में आरक्षण करा रखा था। मैं जब सिंधी कैम्प के बस स्टैण्ड पर गया और मैंने अपनी स्लिप पेश की तो मुझे कहा गया कि आप ड्यूटी आफिसर से अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करवाकर लाइये।

एक माननीय सदस्य : कई मिसयूज करते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सुन लीजिए, वह आप करते होंगे। मैंने एक स्लिप बुक भी पूरी नहीं की। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप बात सुनिए। यह सारे सदस्यों का सवाल है। आप सदस्य विरोधी हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे कहा गया कि हस्ताक्षर प्रमाणित कराइये। जब मैं ड्यूटी आफिसर के कमरे में हस्ताक्षर प्रमाणित कराने गया....

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। बैंक में जब जाते हैं तो छोटा सा कर्मचारी दस्तखतों को देखता है या नहीं देखता है?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बैंक की बात और है। यह हमारा अधिकार है। आप इनकी तरफदारी कर रहे हैं।.... (व्यवधान)....

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, शर्माजी इस पक्ष में है कि इनको हर प्रकार से, हर जगह चैक किया जाय। अगर इस पक्ष में हो तो बहुत अच्छी बात है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है इनको चैक कराना हो। ये कार में ही यात्रा करते होंगे, हम बस में यात्रा करते हैं इसलिए हमारे लिए यह बात जरूरी है। आपको क्या परेशानी हो रही है इससे? मुझे यह कहा गया ड्यूटी आफिसर से हस्ताक्षर प्रमाणित कराइये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : राजस्थान पथ परिवहन निगम के लिए यह बिलकुल सही बोल रहे हैं। यह पराकाष्टा है कि एक थर्ड ग्रेड आदमी से हमारी स्लिप अटैस्टैड करानी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा विधायकों का अपमान और कोई नहीं हो सकता। माननीय यातायात मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे +++ एम. डी., चेयरमैन को हटायें जो विधायकों की अवमानना करते हैं। मेरे साथ ऐसा 10 बार हो चुका है। मैं रोजाना राजस्थान रोड़वेज से जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है, विराजिए।

श्री अनंग कुमार जैन : कल शाम को कोटा से 5 बजे वाली डीलक्स बस सस्पेण्ड कर दी। उसकी सवारियों को इतनी भारी परेशानी उठानी पड़ी कि वे खड़े-खड़े सिरोही वाली गाड़ी में आये। यह बिलकुल सही बोल रहे हैं। ....(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : श्री रमाकांत जी, अब बोलिए। श्री किशनगोपालजी कोगटा, अब बोलिए। अब क्या हुआ ?....(व्यवधान)....

श्री रमाकान्त शर्मा : बैंक में आप एम. एल. ए. नहीं रहते हैं क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप इसको छोड़ दीजिए, आपस में मत उलझिये कोई फायदा नहीं है। ....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : बैंक के अन्दर हस्ताक्षरों के नमूने हैं।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी, चालू रखिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ड्यूटी आफिसर के कक्ष में गया। ड्यूटी आफिसर छुट्टी पर थे। मैं वापस बुकिंग क्लर्क के पास गया कि साहब, ड्यूटी आफिसर तो आज छुट्टी पर हैं, वे हैं नहीं, अब आप बताइये इनको किससे प्रमाणित कराऊं। मुझे कहा कि मैं तो टिकट नहीं दूंगा। 12.15 बज गए, बस निकल रही थी। मैंने राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष श्री कोरानीजी को फोन किया। जवाब मिला वह किसी पार्टी में गए हैं। उसके बाद मैंने प्रबंध संचालक श्री सिद्धू को फोन किया। श्री सिद्धू ने उस बुकिंग क्लर्क को निर्देश दिए कि आप इनको टिकट दे दें तब जाकर मुझे टिकट मिली और यह मेरे साथ ही नहीं जैसा झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, मेरे से पहले बस में जाने वाले और माननीय सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है।

मैंने यातायात मन्त्रीजी, राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष को और यातायात आयुक्त महोदय को चिट्ठी लिखी। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक उस चिट्ठी का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आपने कह दिया उठ करके, कि साहब, वह आदेश जो निकाला था वह आदेश विदड्रा कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं—किसी को मैं मार दूं, पीट दूं और बाद में माफी मांग लूं, यह क्या तरीका हुआ। मैं आज इस सारे हाउस की तरफ से यह मांग करना चाहता हूं कि यह सदस्यों को अधिकार है, प्रिविलेज है राजस्थान विधानसभा के इस सदन की तरफ से, कोई नान गजेटेड आफिसर अथाराइज्ड नहीं हो सकता कि वह हमारे हस्ताक्षरों को प्रमाणित करे। अलवत्ता उन सदस्यों की, जिनके ऊपर यह आरोप लगते हैं कि वह अपनी स्लिप बेचते हैं, आप जांच करा लीजिए। उनकी कराइये, पता पड़ जायेगा कि कौन लोग हैं वह किस के पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो जिस दिन विधायक चुन कर आया तब एक बुक जो पचास की दी गई थी वह भी आज तक नहीं भरी है, केवल आधी ही काम आई है। लेकिन इस तरह का अपमान इस सदन के सदस्य बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए यातायात मन्त्री महोदय, आपको कार्यवाही करनी चाहिए उस अधिकारी के खिलाफ कि उसने किस हैसियत से, किस पावर के तहत, किस कानूनी अधिकार के नाते उस आदेश को निकाला था और उसके खिलाफ कार्यवाही करके सदन को अवगत करायें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रोडवेज के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं, एक स्थान की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छे काम किये होंगे, उनकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए लेकिन एक जगह स्थिति यह थी—एक प्राइवेट बस तो पीछे चल रही थी और एक रोडवेज की बस आगे चल रही थी। रोडवेज की बस में सवारियां बैठी हुई थीं, प्राइवेट बस में सवारियां कम थीं क्योंकि वह लेट आई। रोडवेज के ड्राइवर ने बस को खड़ी कर दिया। पूछा कि क्या हुआ, तो कहा कि बस खराब हो गई। जब पूछा कि भाई, खराबी क्या हो गई तो कहा कि साहब, चल ही नहीं रही। उसकी सवारियों को टिकट वापस लौटाये गये, प्राइवेट बस में बैठ कर वह सवारियां गई और पीछे वह रोडवेज की बस लेकर चला गया। मैंने डिपो मैनेजर को चिट्ठी लिखी, बस का नम्बर वगैरह सब बताया कि इतने बजे की बात है। उस पर क्या जानकारी होती है, क्या इन्क्वायरी होती है, मेरे कोई समझ में नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानता हूं कि आपने राजस्थान पथ परिवहन निगम को स्वायत्त निगम बना रखा है लेकिन स्वायत्तता के नाम पर भ्रष्टाचार की छूट नहीं दी जा सकती, स्वायत्त के नाम पर मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती। मैं आपके सामने, आपके माध्यम से, एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान परिवहन निगम में मुख्यालय/कार्मिक/के.स./87 क्रमांक 107 दिनांक 30.11.89, के द्वारा आठ पद सृजित किये जाते हैं, 30.11.89 को। क्या लिखा जाता है—सम्भाग स्तर पर वर्तमान में निम्न शिड्यूल संचालित किये जा रहे हैं—जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर भरतपुर अतः संचालन व्यवस्था नियंत्रित करने हेतु प्रत्येक सम्भाग में आगार प्रबन्धक का एक-एक पद छः माह के लिए स्वीकृत किया जाता है। पद स्वीकृत किये गये 30.11.89 को और इन आठ पदों पर नियुक्ति के लिए डी.पी.सी. में चयन कर लिया गया 28 तरीख को। दो दिन पहले। यानि पद सृजित हो रहे हैं 30.11 को और उस पद के अगेंस्ट में डी.पी.सी. में सलेक्शन कर लिया गया दो दिन पहले। दो दिन पहले क्यों कर लिया गया कि इसमें राजस्थान पथ परिवहन निगम के एक अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, उनको 28 तारीख को रिलीव होना था। उनका भी एक रिश्तेदार इसमें था तो दो दिन पहले ही वह उनकी डी.पी.सी. करके उनको प्रमोट कर गये जबकि पोस्ट 30 तारीख को सृजित हुई। इस तरीके के कारनामे हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में जांच करनी पड़ेगी और जो लीकेज हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको स्वायत्ता के नाम पर, कार्पोरेशन के नाम पर छूट नहीं दी जा सकती। माननीय यातायात मंत्रीजी, आपके पास यातायात विभाग के साथ-साथ पुलिस विभाग भी है, इस तरीके के मामले आप चाहेंगे तो मैं आपको विद सबूत, विद फाइल, विद डेटाज उपलब्ध कराऊंगा बशर्ते आपकी नीयत सही हो और आप इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, अनियमितता करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की नीयत रखते हों तो मैं निश्चित रूप से आपको सुलभ कराऊंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : माहिर साहब, आपको शक है क्या मेरी नीयत पर ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। इस सम्बन्ध में करना चाहते हैं क्या। शक की बात नहीं कह रहा। इसलिए मैं यह कह रहा हूं.... (व्यवधान)....

श्री नत्थी सिंह : इनको शक नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : आपकी नीयत पर मुख्य मंत्रीजी को शक था, उनको नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कि इस बिल को आज तक इस सदन के अन्दर रखने की, और पारित करने की....

श्री उपाध्यक्ष : यह बहस का मुद्दा नहीं बनाया जाय।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनको शक बिल्कुल नहीं है पर हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आजकल शक्की हो रहे हैं इसलिए कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमालसिंह जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कन्क्लूड करते हुए कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, इसको पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो पुराना है उसी को आप ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो चांस ही चला गया आपका प्रवर समिति वाला, अब कहां प्रवर समिति है। माननीय जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान संशोधन विधेयक जो मोटर व्हीकल एक्ट में रखा है, कर-वंचना को रोकने के लिए, क्लैन्डस्टाइंग आपरेशन को रोकने के लिए एक अच्छा प्रयास है, होना चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी को एक सलाह देना चाहता हूं कि आपके क्लन्डस्टाइंग आपरेशन केवल इस कानून से रुक जाएंगे, मेरी ऐसी मान्यता नहीं है, यह इस तरफ एक अच्छा प्रयास जरूर हैं। लेकिन कानून में और भी बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो इस मोटर व्हीकल एक्ट में, चूंकि यह सेंट्रल एक्ट हैं, इसमें अमैण्डमैंट आपको करने पड़ेंगे। अभी जैसे सदन के माननीय सदस्यों की राय आई, कानून में एक संशोधन हुआ कि क्लैन्डस्टाइन आपरेशन पर पहली बार अपराध करने पर दो हजार, दूसरी बार अपराध करने पर तीन हजार की पैनल्टी होगी तीसरी बार करने पर और पैनल्टी बढ़ती जाएगी। राजस्थान के ट्रांसपोर्टर्स की जितनी यूनियनें हैं वह सब ओवर लोडिंग के मामले में और दूसरे ट्रांसपोर्ट के मामले में भी हाई कोर्ट में गई हैं और राजस्थान हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया कि एक हजार से ज्यादा पैनल्टी करने का अधिकार आपको नहीं हैं और वह आज से नहीं, पिछले तीन-चार साल से मामला पैण्डिग पड़ा था। आज से कोई छः महीने पहले वह फाइनल भी हो गया वह फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ आ गया और प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के हक में चला गया। तो मैं यह नहीं कहता हूं, कानून में ऐसी बाधाएं भी आप देख लें कि कल को कानूनी कसौटी पर यह कोर्ट में जाकर कहीं चैलेन्ज नहीं हो जाय और

(श्री जगमाल सिंह यादव)

रुक नहीं जाय। इस कानून का सारा अध्ययन करके आप इसका पूर्णतः संशोधन कराएं, इसी एक क्लॉज से नहीं।

दूसरे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास इस समय मुश्किल से 750 कर्मचारी हैं जिसमें मंत्रीजी, आपका कमिश्नर भी है, सैक्रेटरी भी है और आपके चपरासी भी हैं। आज साढ़े तेरह लाख के लगभग ट्रांसपोर्ट राजस्थान में हैं। जयपुर की सड़कों पर प्रति माह पांच सौ छः सौ नये व्हीकल आ जाते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। आपके इस विभाग में भर्ती और नयी भर्ती चाहे वह बाबुओं की हो, चाहे एनफोर्समेंट स्टाफ की हो, वह गत कई वर्षों से हुई नहीं। व्हीकल लगातार इस तेज गति से बढ़ते चले गये कि हम 85 में जब विधान सभा के सदस्य चुनकर आये; जितने आदमी हमको जयपुर की सड़कों पर नजर आते थे आज उतने व्हीकल हमको जयपुर की सड़कों पर नजर आते हैं और यही गति हुई बाकायदा पूरे राजस्थान के लेवल पर। उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि गत दस वर्षों से जो इनके पास एनफोर्समेंट स्टाफ था वह एनफोर्समेंट स्टाफ बाकायदा रिटायर होता गया तो स्टाफ की संख्या तो कम होती चली गई। आप कल्पना कीजिए कि पूरे राजस्थान में आठ सौ का जहां स्टाफ है, जिसमें सैक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी शामिल है और चपरासी एवं बैरियर को गिराने-उठाने वाला भी शामिल है तो इनके पास, मेरा जहां तक विचार है, एनफोर्समेंट का जो स्टाफ बचा, उसमें से कुछ तो इनको हैड आफिस में चाहिए, कुछ इनको आर. टी.ओ. ऑफिस, जो रीजनल ऑफिस होता है, उसमें बाकायदा डी.टी.ओ. वगैरह कुछ पेपर वर्क करने के लिए चाहिए। राजस्थान में माननीय गृह मंत्रीजी के पास इस विभाग में 35 डी.टी.ओ. हैं। इनमें से बहुत से तो यहां हैड आफिस में हैं। बहुत से ऐसे नकारा हो चुके हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, जयपुर से बाहर पोस्टिंग नहीं चाहते। तो इस स्थिति में आप जो कानून बनाओगे इसको एक्जीक्यूट करने का काम तो आपके पास का एनफोर्समेंट स्टाफ ही करेगा और एनफोर्समेंट स्टाफ की हालत यह है, आप से नहीं छिपी है कि राजस्थान के लेवल पर जहां साढ़े तेरह-चौदह लाख के लगभग व्हीकल्स हैं, वहां साढ़े सात सौ का स्टाफ और उसमें भी एनफोर्स करने वाला स्टाफ आपके पास 70–80 के लगभग है तो आप कैसे कल्पना कर रहे हैं कि इस कानून को एक्जीक्यूट करा लेंगे आप। मेरी यह सलाह आपको है, क्योंकि यह इसलिए निकला कि एक जिले में एक डी.टी.ओ. और एक जिले में आपके पास दो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होते हैं। एक जिले में सैकड़ों रूट्स हैं जो निकलते हैं, आपकी बसें जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हालत आज यह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यातायात मंत्री महोदय भी मानेंगे कि एक्साइज की चोरी करते हुए भी लोग जंगल में देशी शराब, गैर कानूनी शराब निकालते हैं, दूसरी किसी भी चीज की चोरी करते हुए डरते हैं लेकिन यह टेण्डेंसी राजस्थान में बन गई कि कोई बस खरीद लाओ, परमिट लेने की भी जरूरत नहीं है। बिना परमिट चलाओ, चाहे परमिट से चलाओ। हालत यह होती चली गई कि जो नर्मी बरती गई, जिस हिसाब से कानून लचर रहा या आपके

(श्री जगमाल सिंह यादव)

एनफोर्समेंट स्टाफ की कमी रही या पुलिस विभाग की उसमें कुछ कमियां रहीं, इस हालत में हालत यह हो गई कि किसी को कोई धन्धा नहीं मिले तो एक लाख और डेढ़ लाख की बस खरीद लाओ और प्रति दिन एक हजार, दो हजार रुपए कमा लो क्योंकि न टैक्स देना पड़ता है, पुलिस से अपनी कुछ सांठ-गांठ कर इस तरह से कर लेते हैं। तो मेरी आपसे राय यह है कि पहला काम यह है, इस कानून को अगर आप एक्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो तुरन्त सारे, किसी भी स्तर पर आप चाहे इसको कोई हाई पावर कमेटी से, मुख्य मंत्रीजी से बात करके इस कानून को अगर एक्जीक्यूट करना चाहते हैं तो तुरन्त आप एनफोर्समेंट स्टाफ बढ़ाइये, क्योंकि छः महीने पहले, एक साल पहले आपने टोल टैक्स और लागू कर दिया। उस टोल टैक्स के लिए जितने आपको स्टाफ के लोग चाहिए, तो वह आधे आपने टोल टैक्स में दे दिये तो आपके पास तो एनफोर्समेंट स्टाफ रह गया 45 और 40 जबकि जिले हो गये 30 तो एक जिले में एक आदमी भी आपका नहीं होता है तो कहां से आपका एक्जीक्यूशन होगा ला का।

जहां तक माननीय सदस्य ने बताया कि अभी मुझे सूचना मिली, पता नहीं मैं इस बात को नहीं मानता हूं पहली बात तो सिगनेचर अटेस्टेड कराने की बात जो है वह रोडवेज के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। राजस्थान विधान सभा से जो भी स्लिप बुक हमें मिलती है उसमें से हम पर्ची काटकर देते हैं उसकी तीसरी स्लिप विधान सभा में आती है, उसका रिएम्बर्स-मैण्ट बाकायदा राजस्थान विधान सभा के द्वारा होता है। उनके लिए अगर हस्ताक्षर प्रमाणित कराने की बात हो, कोई शंका हो, कोई बिल उनके इस मामले में अटकते हों, किसी एम.एल.ए. के फर्जी सिगनेचर साबित हुए और असेम्बली सचिवालय ने उसका रिएम्बर्समैण्ट करने से या पेमेण्ट करने से रोक दिया, अगर ऐसी बात है तो माननीय मंत्रीजी रोडवेज को तो कोई नुकसान होगा नहीं। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि कई बार ऐसा हुआ कि 4 एम.एल.ए. एक साथ सफर करने लगे तो उन्होंने कहा कि साहब आप अलग से बस बुकिंग कराइये। एक साथ रोडवेज में दो से ज्यादा एम.एल.ए. नहीं चल सकते। यह भी अगर है तो फिर सवाल वही आयेगा कि निगम पर क्या है। निगम अगर किसी की लाइबिलिटी ढो रहा है तो शिक्षा विभाग की ढो रहा होगा, समाज कल्याण विभाग की ढो रहा होगा और भी दूसरे हैं उनकी ढो रहा होगा लेकिन राजस्थान विधान सभा का सदस्य जो बस में यात्रा कर रहा है वह तो बाकायदा असेम्बली सचिवालय से जिस तरह से रेल्वे से पैमेन्ट होता है उस तरह से जो बिल आते हैं उनका रिएम्बर्समैण्ट होता है। अगर इस तरह का कोई भी कानून है तो वह न केवल गैरकानूनी है बल्कि यह एक तरीके से विधायकों की तौहीन करने जैसा आदेश है। कोई सरकुलर है उसको आप तुरन्त बन्द करें।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि वलैन्डस्टाइन आपरेशन्स रोकने के बारे में....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उसके खिलाफ कार्यवाही क्या होगी ?

श्री जगमाल सिंह यादव : कार्यवाही तो होनी चाहिए वैसे। उसका थेला लगता ही नहीं है। वह तो आपका सचिवालय देता है। अगर सचिवालय यह कहे कि सिगनेचर ठीक नहीं हैं, रिएम्बर्समेंट नहीं करते हैं तो यह सवाल उठेगा हस्ताक्षर अटेस्टेड करने का।

दूसरा मेरा आपसे यह कहना है कि आप रूटों का राष्ट्रीयकरण करें। आपको दिल्ली पैसा नहीं दे रही हैं, बसें परचेज करने के लिए तो आपका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो लोगों को आवश्यकता होगी ट्रान्सपोर्टेशन की। तो प्राइवेट क्लैन्डस्टाइन आपरेशन्स स्वतः ही बढ़ेंगे, क्योंकि जहां आवश्यकता होगी वहां लोग अपनी बसें लगायेंगे। इसमें भी एक नीति का निर्धारण कर लें। पहले भी कई बार इस पर विचार हुआ है इस स्थिति में तो मेरी राय है नहीं। मेरी राय यह नहीं है कि 30, 40, 50 और 60 किलोमीटर पर जो डिविजनल हैडक्वाटर्स हैं उनके आस-पास का जो क्षेत्र है उसको रोडवेज से ले लिया जाये और प्राइवेट ट्रान्सपोर्टर्स को उसमें परमिट कर दिया जाये। मेरी राय यह है कि जहां 'सी' क्लास रूट है 'बी' क्लास रूट है और 'ए' क्लास रूट है आपके रूट की तीन वर्गीकरण हैं तो जो 'बी' क्लास रूट ऐसे हैं कि जिनको आप नहीं ले पा रहे है और आर्थिक दृष्टि से आपके मुनाफे में नहीं हैं, 'सी' क्लास रूट पर सारा दे दीजिए, सी क्लास रूट पर न प्राइवेट ट्रान्सपोर्टर्स चलाने के लिए तैयार हैं और न आपका रोडवेज चलाने को तैयार है तो उस स्थिति में अगर ट्रान्सपोर्ट की इस पालिसी से, ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था और सुविधा से अगर कोई वंचित है तो वह ग्रामीण एरिया है।

क्योंकि 'सी' क्लास की जो रूट्स हैं वह ग्रेवल रूट हैं और ग्रेवल रूट पर न तो प्राइवेट ट्रान्सपोर्टर्स चलाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह के उनके खर्चे जाते हैं वह तैयार ही नहीं हैं और आपको टैक्स देते हैं। फी आप चलने नहीं देते हैं इसलिए मेरी आपसे यह राय है कि बढ़िया रूट तो रखें रोडवेज के पास जो रूट आपको अन-इकानामिकल लगें कि इसमें तो फायदा नहीं है, उन रूटों को आप दे दीजिए प्राइवेट वालों के पास। लेकिन एक बात मैं आपसे और यह कहता हूं कि बिना परमिट के जो बसें चल रही हैं, परमिट का वायोलेशन एक दूसरी बात है, आज आपका परमिट जयपुर से दिल्ली मिला हुआ है और आप दिल्ली से आगे मोदीनगर चले गए या यहां से शाहपुरा के आगे बस कोटपूतली पहुंच गयी, यह परमिट का वायोलेशन है। उस पर इतनी सख्त सजा की अपेक्षा आपको सख्त प्रावधान कानून में यह करना पड़ेगा। जिन बसों ने कोई परमिट ही नहीं लिया, जिनके पास कोई किसी तरह का परमिट ही नहीं है, यह परमिट का वायोलेशन ही नहीं बल्कि सम्पूर्णतः चोरी करते हैं, सीनाजोरी करते हैं उनके लिए आपको सख्त प्रावधान करना पड़ेगा। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। वह आमद सब माइनस में आएगी, क्योंकि जब बिना परमिट के एक प्राइवेट आपरेटर बस को चला रहा है उस रूट की मालिक की स्थिति यह होती है कि वह आपको दो हजार, तीन हजार महीने का टैक्स पे करता है जिसने परमिट उठा रखा है और उस परमिट उठाने के बाद भी कुछ लगी बंधी माहवारी पुलिस स्टेशन या डी.वाई.एस.पी. आफिस जो भी पड़ते हैं उन सब पर होती

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है और यही सारी प्रक्रिया उस बिना परमिट वाले को देनी पड़ती है। फिर आपका परमिट कोई रखेगा ही नहीं। परमिट वाले ट्रान्सपोर्टर्स अपने स्वाभिमान के लिए किसी एस.एच.ओ. या डी.वाई.एस.पी. से चेलेन्जबाजी करता है कि मेरा कानूनी अधिकार है और क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलता है इसलिए कहीं फिटनेस के नाम पर या किसी दूसरे के नाम पर उसको बन्द करता है और वह प्राइवेट ट्रान्सपोर्टर्स जिसने परमिट ही नहीं लिया और सारे पुलिस आफिसर्स उसके मित्र हैं इसलिए जब तीन हजार रुपए का नेट वही भुगतान परमिट वाले को करना पड़ रहा है और वही उनको करना पड़ रहा है जिनके पास किसी तरह का कोई परमिट नहीं है तो फिर स्थिति यह आयेगी कि आपके परमिट धड़ाधड़ इस राजस्थान में जितने लोगों के पास परमिट हैं वह सरेण्डर करना चाहेंगे। परमिट जब सरेन्डर होंगे तो आपको टैक्स नहीं मिल पाएगा इसलिए मेरी राय यह है कि परमिट वाले जो लोग हैं, परमिट का जो वायोलेशन है यह भी कानून तोड़ने की बात है उन पर उतना सख्त कानून नहीं बनाया जाये जितना कि जिनके पास परमिट नहीं हैं उन ट्रान्सपोर्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही चाहे बस को सीज करने की बात है, 5 हजार से बढ़ाकर, मैं तो यह समर्थन करता हूं कि आप भले ही इसे 15 हजार करें लेकिन परमिट वाले पर थोड़ा कम और इसमें ज्यादा करें जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी.... (व्यवधान).... आप बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रूल्स का वायोलेशन तो स्वयं रोडवेज डिपार्टमेन्ट ही करता है। रोडवेज की बसों में आगे की सीट जो होती है और जिसके ऊपर तीन सवारियां बैठा करती थीं उसको हटाकर इन्होंने टूल बाक्स बना दिया है और वह इसलिए बना दिया कि रोडवेज को टैक्स की बचत हो जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि जो टूल बाक्स बना रखा है उस पर सवारियां बैठती हैं लेकिन गवर्नमैण्ट को लास न हो इसलिए रोडवेज ने एक तरीका निकाल लिया कि सीट हटाकर इसको टूल बाक्स बना दिया जाये। यह तो स्वयं रूल्स का वायोलेशन है। जब गवर्नमेन्ट डिपार्टमैन्ट रूल्स का वायोलेशन करती है तो क्या गवर्नमैन्ट इसको अलाउ करेगी?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, सुन ली बात। जवाब दे देंगे। माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक को वापस लेने के बारे में कहा और उसके पीछे उद्देश्य और भावना यह थी कि जो कुछ भी इसमें प्राविजन्स स्ट्रिंजेण्ट किये गये हैं उनसे कोई सक्सेस होने वाली नहीं है बल्कि करप्शन बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ आपने यह बात भी कही कि ट्रान्सपोर्ट सिस्टम के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा और यह विचार कई माननीय सदस्यों ने बताया है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से

(श्री दिग्विजय सिंह)

राज्य सरकार और हम इस बात पर सोच रहे हैं और प्रधान मंत्रीजी ने भी इस बात को कहा है कि लिबरलाइजेशन की पालिसी एडाप्ट करके हमको चलना चाहिए। यह जो नेशनेलाइजेशन का कन्सेप्ट बना हुआ था उस पर और भी हम दुबारा से सोच रहे हैं और जैसा तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार का एक सिस्टम ट्रान्सपोर्ट पालिसी में हम बनायें हालांकि इस बिल से कोई संबंध नहीं है लेकिन मैं जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई है जो 'ए' क्लास 'बी' क्लास और 'सी' क्लास के रूट्स हैं उनको निगम अपने स्तर पर देखे और अपने स्तर पर देख कर जिस संभाग के अन्दर उसको आमदनी अच्छी प्राप्त हो रही हो, जिस सम्भाग के अन्दर आमदनी 70 पर्सेन्ट से ऊपर हो रही हो, जो सम्भाग ऐसा हो जहां बसें चल रही हैं और वहां आमदनी नहीं हो रही है और हम लोस में जा रहे हैं तो हम ऐसे स्थानों से अपनी बसों को वापस ले लें और जहां हमको मुनाफा चलता आ रहा है याने मुनाफा और होता हो इसलिए 'ए', 'बी' और 'सी' क्लास की बात आपने कही है हम निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन रूट्स के ऊपर जहां कि रोडवेज की बसों के चलने से हानि हो रही है तो उसके ऊपर दुबारा से हम विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा विशेष तौर से इस बात के लिए कि आपने एक बात कही कि प्राइवेट बसों के क्लैन्डस्टाइन आपरेशंस के कारण रोडवेज को करीब 70 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। वर्तमान में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आर.एस.आर.टी.सी. 12 करोड़ के प्राफिट में है....(व्यवधान)....

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, मैं आपको इन्टरप्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि अगर यह लासेस नहीं होते, आज 12 करोड़ के मुनाफे में रोडवेज आ गया अगर यह क्लैन्डस्टाइन आपरेशन से पैसा अधिकारी और कर्मचारियों की जेबों में आ रहा है रोडवेज का घाटा 82 करोड़ का होता। यह मेरे कहने का अभिप्राय था।

श्री दिग्विजय सिंह : यह आप कह रहे हैं। इस क्लैन्डस्टाइस आपरेशन को रोकने के लिए ही इस प्रकार की कार्यवाही करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री मोहम्मद माहिर आजाद ने रोडवेज के एक परिपत्र का हवाला दिया मुझ से पर्सनली भी मिले हैं और उन्होंने कहा, मैंने तुरन्त लिखा उसके बाद में उस आदेश को तुरन्त निरस्त कर दिया गया। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए आपसे कह सकता हूं कि जिस भी अधिकारी ने यह कार्यवाही की है उसके खिलाफ मैं जांच करा कर निश्चित रूप से उसको दण्डित करूंगा, यह आपको विश्वास दिला सकता हूं। मैंने यहां भी पूछा था कि रोडवेज के अन्दर पहले एक प्रावधान था कि विधायकों के लिए सीट रिजर्व रहा करती थीं। विधायकों के लिए दो सीट रिजर्व रहती थी....(व्यवधान)....वह अब वापस करने के लिए उनको

(श्री दिग्विजय सिंह)

हिदायत दे रहे हैं ताकि रोडवेज के अन्दर विधायकों के लिए सीट निश्चित रहे। कभी भी वह जायं तो वह सीट उसके लिए रहेगी। बस के एक मिनट चलने के पहले तक वह रिजर्व रहेगी। बस चल पड़ेगी उसके बाद में, साथ चलते वक्त कोई आता है तो वह रिलीज हो जाएगी, यह व्यवस्था भी कर दी जाएगी....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : एक साथ कितने विधायक एक बस में सफर कर सकते हैं, यह बता दें ?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक साथ एक बस में....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : रिजर्वेशन तो चाहे आप 2 का ही रखिये, मगर लाइन में जाकर टिकट लेकर कितने लोग एक साथ सफर कर सकते हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बस में अगर 7 विधायक भी सफर करना चाहते हैं और उसकी सूचना विधायक डिपो को देते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर वह सीट मिल जाएगी।

श्री जुबेर खान : वह आप निर्देश दे दीजिए क्योंकि अब तक ऐसा नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं कह रहा हूं, अगर 7 विधायक सफर करना चाहते हैं और आप डिपो मैनेजर को पूर्व सूचना दे देते हैं तो आपको बैठने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री जुबेर खान : नहीं, जगह अवेलेबिल है तो क्या अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे ? बात यह है....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय यातायात मंत्रीजी, हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि भाई दा में कोई बस दिल्ली जा रही है, उसमें 30 विधायक खड़े हैं और 36 सीट हैं और वह सब अपने कूपन रोडवेज को दे रहे हैं तो क्या 30 को आप अलाऊ कर देंगे या नहीं करेंगे ? क्योंकि पेमेण्ट तो आपका असेम्बली करेगी, आप किसी को फ्री तो नहीं....

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने बात कही कि 36 सीटों पर बैठे हैं और 30 विधायक जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आखिर वह भी पब्लिक के आदमी हैं, हम भी पब्लिक में से आये हुए हैं, उनको उतार कर यह कहना कि भाई ठीक है, आपको बैठा दिया जाएगा ....(व्यवधान) ....

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह नहीं कह रहा हूं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा पूछ रहे हैं, किसी कार्यक्रम में जाना हो....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कर रहे हैं....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक एग्जाम्पिल कोट करना चाहता हू, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ....(व्यवधान)....

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने जो बात रखी है वह समझ नहीं पा रहे हैं....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जैसे श्री जगमाल सिंहजी ने जिस बात को कहा है···· (व्यवधान)····

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा कहना है कि किसी बस में कोई भी पैसेन्जर नहीं है और आपके 25 विधायक गये, कोई पैसेन्जर नहीं बैठा है, प्रायोरिटी····

श्री उपाध्यक्ष : भाई, एक-एक कर के बोलिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो माननीय सदस्यों का कहना यह है कि अगर 2 से ज्यादा विधायक एक बस में बैठते हैं और टिकट लेते हैं, कूपन देते हैं तो यह कहते हैं कि विधायकों का कोटा 2 का ही है। केवल बस में दो ही विधायक सफर करेंगे बाकी अगर 20 विधायक हैं तो 18 विधायकों को बस में नहीं बैठने देंगे। मेरा कहना है कि जो विधायक आपको डिलप देता है····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज भी मिलती है हर जगह, बिराजिये अब आप। हां, आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता था, श्री जगमाल सिंहजी ने एक एग्जाम्पिल आपके सामने रखी है, 36 सीटें हैं और 30 एम.एल.ए. एक साथ चले गये तो क्या आप प्राथमिकता देंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी बस आ जाएगी भाई।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा गम्भीरता से लें, माननीय विधायकों का मामला चल रहा है, इस आसन पर आप भी विधायक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, मैं भी विधायक हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इसलिए आपको भी आवश्यकता पड़ सकती है इस बात की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक एग्जाम्पिल कोट करना चाहता हूं। दिल्ली में बीकानेर हाउस में राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया और श्री जुबेर खान विधायक दोनों साथ टिकट लेने के लिए गये तो उन्हें वहां कहा गया कि एम.एल.ए. की दो ही सीट हैं और 2 सीट हम आलरेडी दे चुके हैं इसलिए इनको टिकट खरीदनी पड़ी। ऐसी स्थिति में आपको क्लियर निर्देश रोडवेज को देने पड़ेंगे कि अगर आपकी सीट खाली है, चाहे कितने भी एम.एल.ए. हों, उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इस प्रकार के आदेश रोडवेज को देने पड़ेंगे।...(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह जी बोल रहे हैं। ....(व्यवधान)।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात कही है वह तो खेद जनक है लेकिन हमारा अनुभव है, हम चार-चार एम.एल.ए. आए हैं दिल्ली से, कभी टिकट नहीं खरीदा और कूपन से दिया है हमको। यह किसी ऐसे सरफिरे कर्मचारी का काम है इसलिए उस कर्मचारी को कहिये, ऐसा नियम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हां श्री रामसिंहजी, बोल रहे हैं ....(व्यवधान)....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई कायदा नहीं है। माननीय सदस्य जो भी जाना चाहते हैं, 36 आदमी भी जाना चाहते हैं और समय से पहले इत्तिला करते हैं तो मेरा ख्याल से रोडवेज को कोई आपत्ति नहीं है। अगर मान लो किसी ने 12 बजे की बस से सीट बुक करा ली है और फिर एम.एल.ए. जाना चाहे तो कैसे जा सकते हैं? लेकिन अगर एम.एल.एज. ने पहले इत्तिला कर दी है और वह 36 हैं तो भी जा सकते हैं, इसमें कहीं भी पाबन्दी नहीं है। इस तरह का मामला है ही नहीं। जहां तक एक–दो एम.एल.एज. का मामला है, मैं कोई 20 साल से रोडवेज में जाता हूं, आज चार, पांच, दस, बीस एम.एल.एज तक साथ जा सकते हैं। कोई किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। दूसरा, यह मामला है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि एम.एल.एज. के नाम पर कुछ हमारे साथी, मित्र लोग यात्रा करते हैं इसलिए उनको डाउट हुआ होगा लेकिन इनको कितना ही डाउट हो जब एम.एल.ए. कूपन काट कर देते हैं और रोडवेज को इन्कम होती है तो उस अधिकारी को क्या अधिकार है कि वह इस तरह से अटेस्टेड करावें। उसकी तो जांच होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने डेढ़ महीने पहले आपको लैटर लिखा है, तो डेढ़ महीने के बाद में अब आप कह रहे हो कि जांच करवाऊंगा, तो डेढ़ महीने तक आप क्या कर रहे थे? यह बात बता दीजिए ....(व्यवधान)।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे को डेढ़ महीने पहले नहीं लिखा था। मेरे पास आप जब मिले थे, शायद 16 या 17 तारीख की बात थी, आठवें महीने की और 18 तारीख को मैंने लिख कर भेज दिया और उसके बाद मेरे पास जवाब आ गया और उसकी जांच करने के आदेश दे दिये। इसलिए कोई डेढ़ महीने की बात नहीं है। अभी की बात है, गये महीने की बात है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मन्त्री महोदय, एक बात और, टेलीफोन की व्यवस्था किस लिए है? आपके ऊपर एक–एक लाख रुपये खर्च होते हैं। एक लाख रुपये टेलीफोन के प्रतिमाह खर्च होते हैं आपके ऊपर।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य को आप पूछ लीजिए, वह मुझे कब मिले थे। यह गये महीने ही मिले थे और मिलने के दूसरे दिन बाद ही मैंने पत्र लिख कर उनको कहा, यह आदेश गलत है और इस पर फोरी कार्यवाही की जाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 16–8–92 को, एक महीना हो गया।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीनारायणजी। उनको पूछने दीजिए अब।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूं, इसी क्रम में बात है....

श्री उपाध्यक्ष : नाम पुकार लिया उनका, पहले उनको पूछने दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जयपुर से दिल्ली के बीच में जो वातानुकूलित बस प्रारम्भ की है उसमें माननीय विधायकों को सुविधा है या नहीं?

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो है ही ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाह रही थी कि जो....(व्यवधान)....

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खतम कर लूं उसके बाद....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, यह बोल लें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर में, मैं इसी सम्बन्ध में बात कर रही हूं....

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, मैं अपना भाषण खतम कर लूं उसके बाद आप....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कर लेना, मुझे कोई दिक्त नहीं, मैं मेरी बात तो कह दूं । उसमें आएगी मेरी बात ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : हां, कह दीजिए आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या जयपुर से हरिद्वार आने वाली बसों में या सीकर से हरिद्वारा जाने वाली बसों में विधायक सीट नहीं हैं ? मैं मुजफरनगर से 30 जुलाई की शाम को जयपुर आना चाह रही थी, वह बस दिल्ली से सीकर जाने वाली थी । मैंने उसको रोका, तब मुझे कहा गया कि दिल्ली तक जा सकती हूं । मैंने कहा, ठीक है । मैंने उसको कूपन काट कर दिये तो कंडक्टर ने कहा इसमें कोई विधायक सीट नहीं है । यह मैं आपको बताना चाहती हूं । मैंने कहा, भाई इस पर सीट नम्बर लिख दो, मैं कहां बैठूं अगर इसमें विधायक सीट नहीं है, तो कहा कि जहां मर्जी हो वहां बैठ जाओ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 49 नम्बर की सीट पर बैठने पर फिर मैंने कहा, शिकायत पुस्तिका दो । कन्डक्टर ने कहा कोई शिकायत की पुस्तिका नहीं होती । मैंने आपके यहां सूचना दी है । कोई विधायक सीट नहीं, कोई शिकायत की किताब नहीं ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : यह अस्मा का मामला बहुत गम्भीर है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वास्तव में उसमें विधायक सीट नहीं है ? मैंने पूछा तो बोला, नहीं है । ऐसी कितनी बसें चलती हैं जिनमें विधायक सीट इंगित नहीं की हुई हैं ? मंत्री महोदय अपने उत्तर में शामिल कर के बतायें ।

एक बात और पूछना चाहती हूं, जब रोडवेज की हड़ताल चल रही थी, सरकार ने विधायकों की सूचना सस्पैण्ड नहीं की । जिन विधायकों ने उन दिनों में यात्रा की उन लोगों का क्या कसूर था, अगर यात्रा करनी पड़ती है तो करनी पड़ती है । क्या सरकार द्वारा उस समय यह कहना कि रोडवेज की बस से ही संचालित होंगे तो उनका रियम्बर्समेण्ट होगा अन्यथा नहीं होगा, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह राजस्थान विधान सभा देगी, आपने बिल पेश किया है तो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय बतायें कि क्या उनके जाने के यात्रा व्यय का भुगतान आपके द्वारा होगा या सरकार के द्वारा ? विधान सभा ने तो मना कर दिया, विधान सभा तो मना करती है।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये आप, प्रभारी मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं 29 अक्टूबर को दिल्ली गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहिये। माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल था, बिल तो मोटर व्हीकल्स (राजस्थान अमेंडमेंट) हैं, रोडवेज की चर्चा तो मैंने आपने कही इस वजह से इसका जवाब दे दिया था। उपाध्यक्ष महोदय; एक बात राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, आपके प्रशासन को और चुस्त किया जाय और कमिशनर को अधिकार ज्यादा दिये जाय तो हमारे पास में जो मौजूदा स्थिति है उसमें भी राजस्व की वसूली अच्छी हो सकती है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष 92–93 में जो हमारा लक्ष्य 162.80 करोड़ था। उसके अगेन्स्ट में जुलाई तक हमने 58.88 करोड़ रुपये की वसूली की है। इससे मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो कमिशनर हैं और उसके नीचे के लेबल के आफिसर्स हैं वह निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से इन्तजाम कर रहे हैं और निष्पक्षता से भी काम कर रहे हैं। माननीय श्री जगमालसिंह जी ने एक बात कही, मैं उसके लिये स्वीकार करता हूं कि जिस अनुपात के अन्दर मोटर और मोटर व्हीकल्स बढ़ रही हैं उस अनुपात के अन्दर स्टाफ और हमारा बढ़े ताकि बढ़ने से जो आमदनी की हमारी कमी रहती है और सुस्तता रहती है वह भी ठीक होगी। अगले क्रम के अन्दर हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके अन्दर हम मांग रखेंगे कि वहां स्टाफ बढ़ाया जाय। बाकी का उत्तर मैंने पूर्व में ही दे दिया है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब कोई उत्तर नहीं आएगा। माननीय श्री महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक स्पष्टीकरण केवल।

श्री उपाध्यक्ष : कायका स्पष्टीकरण ? सारी बातें आ गयीं, माननीय श्री महावीरजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप विराजें तो।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका था। और भी सदस्य बोलेंगे। कहीं तो सीमा होनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन पर विराजे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये, क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, अपनी जगह से बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं वहां जाकर पूछ लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। अपनी सीट पर जाइये कृपया। क्या है, बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रभारी मंत्रीजी संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, एक बात ध्यान में आयी है, मैं गृह समिति का चेयरमैन हूं, इस नाते से सारे विधायकों को यह सुविधा प्राप्त है, कुछ विधायक इसमें रहे हुए हैं जो इस मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य हैं और विधान सभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है, चाहे यह चीफ व्हिप वगैरह हैं, उनको यह सुविधान प्रदान नहीं की गयी है। क्या माननीय मंत्री महोदय इन....

श्री जुबेर खान : उनको कार तो दी गयी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, रविबार को....

श्री हेतराम बेनीवाल : उनको छीन लो। आप कार की सुविधा लेकर बस की सुविधा देना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई मन्त्री जैसे हमारे श्री भंवरलालजी शर्मा है, वह बस से यात्रा करते हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : कौन ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्री भंवरलालजी शर्मा बस से यात्रा करते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कौन से शर्मा ? इंदिरा गांधी नहर मन्त्री ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या यह प्रोविजन रखेंगे ? ....(व्यवधान)...वह तो आपको भी मिल जाएगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तो वोट पटाने के लिए करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए क्या मन्त्रीयों को यह सुविधा देने का विचार रखते हैं ? एक।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत चिन्ता की आपने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्योंकि आप संसदीय कार्य मन्त्री भी हैं....

श्री नत्थी सिंह : मन्त्रियों की सुविधा का अलग कानून बना हुआ है। उस कानून की सुविधा मिलती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा जो है, इनको रेलवे कूपन्स देती है....

श्री जगमाल सिंह : यह किस बिजनेस पर बोल रहे हैं ? किस बिजनेस पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना गलत बोल रहे हैं आप।

श्री जगमाल सिंह : मजाक हो रहा है, साहब हाउस का।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाइये।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, नहीं, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसके ऊपर विचार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। अब किस बारे में ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना, सारे उत्तर आये हुए हैं। माननीय जनार्दनसिंहजी गहलोत साहब, बहुत हो चुका इस पर। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक वन क्वेश्चन।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें हो रखी हैं। उत्तर आ गया है। अब इसका एण्ड ही नहीं है। अन लिमिटेड बोल रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा रही है इस सदन की....

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा के अनुसार जितना अलाउ करना था उतना अलाउ कर दिया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जब मन्त्री रिप्लाई देते हैं उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन, सप्लीमेण्टरी पूछ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिये बहुत सारे आपने। आपने भी पूछे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उस अधिकार से आप कैसे माननीय सदस्यों को रोक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अधिकार है लेकिन मैं किस पर बुलाऊं आपको। रिप्लाई आ चुका है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने रिप्लाई दिया है उस पर मुझे एक सप्लीमेण्टरी क्वेश्चन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कोई एण्ड ही नहीं होगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं, एण्ड तो कभी होगा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वास्तव में जनार्दनसिंह जी....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जब तक आप सदन में हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं काहे पर बुलाऊं आपको। जितना बोलना था, माननीय मन्त्रीजी बोल चुके हैं। ऐसा कौनसा महत्वपूर्ण रह गया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मन्त्री महोदय से क्वेश्चन पूछने का राईट एम. एल. ए. का है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उस समय बिराज नहीं रहे थे। जितने सवाल पूछने हैं, एक बजे से 4,

(श्री उपाध्यक्ष)

तीन घण्टे तक इस पर लिया है। जितनी इस पर चर्चा होनी चाहिये....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछना तो मैं सोचता हूं सदन के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गहलोत साहब प्लीज। श्री गहलोत साहब, प्लीज। इस पर, प्लीज, नहीं नहीं, हो चुका है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई पहाड़ टूट रहा हो, अगर आपको एक क्वेश्चन में तकलीफ हो रही हो....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पहाड़ नहीं टूट रहा है। पारित होने के बाद बोले जायेंगे आप।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पारित होने के बाद कहां बोला ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो फिर कौनसा रह गया ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपने पारित अभी किया ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। आपने पारित किया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो अलाउ कर दूंगा लेकिन आखिर सीमा तो होगी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा नम्र निवेदन है कि basically we are the legislators.

श्री उपाध्यक्ष : एग्रीड।

श्री परसराम मदेरणा : And the people have given mandate, you see, to legislate law makers.

बाकी तो झगड़े बगड़े अपन करते, है, यह तो अपन डेविएट हो रहे हैं। पहले यहां पर बिल्स पर चर्चा, जो है, उस ओर बैठने वाले चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा बिल पर बोलते थे। एक एक क्लाज के ऊपर 6–6 घंटे बहस चली होगी। इसलिये कोई because when a wrong law, you see, is enacted and passed by this House, अगर वह गलत है then we become the laughing stock, not only of the courts, but बाहर भी हम लाफिंग स्टॉक बनते हैं, कोर्टस् में भी लाफिंग स्टॉक बनते हैं। बेसिकली हम लेजिस्लेटर्स हैं। बिकाज इम्पार्टेण्ट बिल पास हो रहा है उस वक्त कोई इस तरह की इनफार्मिटी रह जाती है, किसी माननीय सदस्य को अगर वह पूछना चाहता है, हुआ यह है कि जीरो आवर में चले गये, चार घंटे, बिल्स चले गये, रेलिगेट हो गये, बैकग्राउण्ड के अन्दर, प्रेस वाले भी भाग जाते हैं करीबन चार बजे यहीं से। इसका मतलब यह हुआ कि लेजिस्लेटिव बिजनेस को मोस्ट अन इम्पार्टेण्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस सदन की। इसलिये आप मेहरबानी करके थोड़ा इसमें लिबरल होइये। अगर आपको दस बज जाएंगे तो बैठे रहेंगे। आप एक डिमांड को पास कराने के लिये एक बजकर दो मिनट तक बैठे रहते हैं। इसमें पांच-सात मिनट और लग जाएंगे, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन क्वेश्चन जो कोई इम्पार्टेण्ट है....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन था जितने बोले है, अलाउ किया है। आपको भी अलाउ कर दूंगा मैं, श्री जनार्दनसिंहजी को।

श्री परसराम मदेरणा : और उसमें भी कोई इनफरमिटी रह जाय, ऐसा है, थर्ड रीडिंग चल रही है उस वक्त कोई भी ऐसी बात रह जाय, इनहरेंट इनफरमिटी रह जाय, क्योंकि अब यह मैं यहां देख रहा हूं, मैं भी प्रभारी रहा होऊंगा कोई 50–60–100 बिल का, मैंने अपोजिशन के बहुत से अमेंडमेंट आन दी स्पाट स्वीकार किये हैं क्योंकि उसमें लेकूना रह गया था ड्राफिटंग में या स्कीम आफ दी बिल में। इसलिये कोई एक प्रश्न पूछता हूं, आपको थोड़ा लिबरल होना चाहिये इस मामले के अन्दर, क्योंकि थर्ड रीडिंग चल रही हैं।

Third reading of the Bill is very important.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जनार्दन-सिंहजी, आप पूछें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सही मायने में बहुत ऐसा प्रश्न था जो कि मेरी समझ में रिप्लाई में नहीं आ पाया उस पर क्यों नहीं पूछ रहा था, कोई ऐसा अमेंडमेंट भी नहीं था। मैं एक ही बात पूछ रहा था, पहले, उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों को बसों की चैकिंग का पावर था। उसके बारे में आपने अभी घोषणा में क्या कहा, आप वापस वेरीफिकेशन करेंगे या अभी भी वह नियम बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मैं उसकी क्वेरी कर रहा था आपसे। क्योंकि एम.एल.ए. की कई बार अजीब स्थिति हो जाती है, उपाध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. जाते हैं जगह जगह बसें भरी रहती हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, कितना इम्पार्टेण्ट मैटर है जो रेज किया है। एम.एल.ए. की पिटाई हुई है जब उन्होंने जा करके चैक करने की बात कही बिकाज उसका प्रोविजन ला में नहीं रखा। एक्जीक्यूटिव आर्डर निकाल दिया। वह एम.एल.ए. मेरे बिल्कुल पड़ौसी थे जब में बी–1 में था, जहां आज कल माननीय सदस्या बिराज रही हैं। मेरे पास वाले एम. एल.ए. की जब उसने चैक करने की बात की तो उन्होंने, कंडक्टर वगैरह ड्राइवरों ने मिलकर धुनाई कर दी, क्योंकि ला का बैकिंग नहीं था। आपने अमेंडमेंट नहीं किया ला में।

श्री केदार नाथ शर्मा : मैंने अमेंडमेंट किया था ला में।

श्री परसराम मदेरणा : बाद में किया था वह, पहले नहीं किया था।

श्री केदारनाथ शर्मा : ताकि आपको कंडक्टर, ड्राइवर सैल्यूट मारे, इसलिये अमेंडमेंट किया था।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : बस इसी क्वेरी का मैं जवाब चाह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण बात की रिपलाई आ रही है, कृपया शांत रहिये।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि एम.एल.एज. को चैकिंग की पावर दी

(श्री दिग्विजय सिंह)

जाय, पहले थी, मेरी जानकारी नहीं है, मैं अभी पहुंचकर जांच कर लूंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं, अभी भी है।

श्री दिग्विजय सिंह : अगर अभी भी पावर है, कहीं विथड्रा कर ली गयी है तो दुबारा देखकर हम दे देंगे। पर आपने जैसा बताया कि उसमें सम्भावना यह भी है कि जब चैक करने के लिये एम.एल.ए. अकेला रह जाय और दूसरे वाले मिल जाय तो उसके साथ दूसरी परिस्थिति भी बन सकती है। इसलिए इसको सोच समझ करके आप कर लें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पावर्स हैं मंत्री महोदय। अगर आपको यह जानकारी नहीं हैं कि पावर्स हैं या नहीं हैं ...

श्री दिग्विजय सिंह : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विधायक महोदय को चैकिंग के अधिकार दिये जायें मैं इसके पक्ष में हूं। आप चैकिंग की पावर्स ले सकते हैं ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं ना।

श्री दिग्विजय सिंह : और नहीं हैं तो मैं इसकी जांच करके पावर्स देने के लिए जो स्थिति होगी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बहुत लचर बात है। गृह मंत्रीजी बहुत कमजोर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने आश्वासन दे दिया है।

प्रश्न यह है कि मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

अपराधी परिवीक्षा (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1990 प्रभारी मंत्रीजी विचारार्थ प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक पर विचार
अपराधी परिवीक्षा (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1990

श्री कुन्दन लाल मिगलानी (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधी परिवीक्षा (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहां पर संशोधन लाये हैं, इसके उद्देश्य और कारणों का खुद अनुकरण करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन यहां परम्परा ही नहीं है। इन्होंने इसमें यह प्रावधान रखने का प्रयास किया है, कि आज तक जो कोई कर रहे थे, वह गलत कर रहे थे और यह अब सही करने के लिए, अर्थात् सदा-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चरण ज्ञात करने के लिए कि पूर्व में अपराधी का आचरण कैसा रहा, यह जान कर ही उसको छोड़ा जाए वरना नहीं छोड़ा जाए। अभी अपराध ज्ञात हो जाने पर भी प्राय: बहुत दिनों तक चलते रहते हैं, ऐसे समय में उनको छोड़े जाने के लिए प्रक्रिया यह थी कि अगर न्यायाधीशों को यह विश्वास हो जाता था तो वह उनको छोड़ देते थे। 21 साल से कम उम्र के जो नाबालिग लोग हैं, जो ऐसे अपराधी की श्रेणी में गिने जाऐंगे, मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि उनके सदाचरण की फाइल थानों के माध्यम से पिछले इतिहास को जानकर जब वह फाइल आएगी तभी उन्हें छोड़ पाऐंगे और वह सारा भी उनको अभिलिखित करना होगा। अभी पासपोर्ट कार्यालय में यह जानने के लिए भेजा जाता है कि अमुक व्यक्ति यहां का नागरिक है, कैसा इसका आचरण है? 6-6 महीने थानों से फाइलें नहीं आती, आपको भी शायद ऐसा अहसास हुआ होगा। कितनी लम्बी प्रक्रिया में हम इसे डाल रहे हैं। मैं यह नहीं कहती जांच नहीं होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहना चाहती हूं कि अपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें दो प्रक्रिया सामने आयी। नाबालिग के सम्बन्ध में होगा कि इसके अभ्यास में नहीं है, ऐसे ही अपराध कर दिया होगा....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर है। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, परम्परानुसार पैर ऊपर करके सदन में बैठ नहीं सकते हैं, आपको यही ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पैर ऊपर नहीं हैं, घुटने हैं। आप भी सैनी साहब खड़े होकर जवाब देते।

श्री मदनलाल सैनी : मेरे तो पैर लम्बे हैं, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आपको दृष्टिदोष है। आप दृष्टि दोष का इलाज करवाइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपसे लम्बे पैर तो श्री सैनीजी, श्री मिगलानीजी के होंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लोग तो हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं, यह पैर पर पैर रखकर बैठे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मंत्री महोदय निवेदन करना चाहूंगी इनके उद्देश्य और जो कथन है, यह पूर्णतया मुझे स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। यह किस प्रकार से इनको, जिन्होंने मृत्यु कारिक नहीं की है, या आजीवन कारावास की सजा नहीं हुई है, उनके संबंध में जब वह छोड़ें नहीं जायेंगे, ऐसा कौनसे उनके आचरण की जांच करना चाहते हैं, यह बतायें। वैसे भी नाबालिग लोगों को अलग से रखा जाता है। अलग से जानकर के कि उन्होंने पूर्व में ऐसा कुछ नहीं किया है, उनको छोड़ दिया जाता था। अब आप क्या करने वाले हैं? इसलिए थोड़ा आप यह स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री जगमाल सिंह जी। (अनुपस्थित)। श्री श्रीचंद कृपलानी। (अनुपस्थित) श्री गोविन्दसिंह जी गुर्जर। (अनुपस्थित)। श्री महावीर प्रसाद जैन, प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जरिये जो व्यवस्था करना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा लोक कल्याणकारी राज है। हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उत्तरदायी बने, इसके बजाय हम हर रास्ते ऐसे ढूंढ रहे हैं, अमेण्डमैंट ऐसा ला रहे हैं, जो अपने अपराध को, अपने उत्तरदायित्व को छिपाता है। मुझे करेक्ट करेंगे प्रभारी मंत्रीजी। उनकी जानकारी में है या नहीं है लेकिन उनके अधिकारी जानकारी दे देंगे। मैं निवेदन यह करना चाहता था कि यह अब इसमें जो प्रोविजन करना चाहते हैं वह यह है कि जो सदाचरण के कारण और परिवीक्षा पर जिनको छोड़ा जाता था, वह मेरी जानकारी के अनुसार कोर्ट को यदि रिपोर्ट नहीं मिलती थी, उसके कारण कोर्ट परिवीक्षा पर उनको छोड़ देती थी। अब यह प्रोविजन ला रहे हैं कि जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं जाए, परिवीक्षा अधिकारी जब तक रिपोर्ट नहीं दे तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही अच्छा आचरण हो। कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह इनकी रिपोर्ट के बिना छोड़ दे। होना तो यह चाहिए था, अमेण्डमेंट तो यह लाना चाहिए था कि निश्चित अवधि में जब कोर्ट यह मानता है कि उसका आचरण कैसा है ? उसको छोड़ा जाना उचित है या अनुचित है। इसके बजाय कोर्ट ने जब उनके परिवीक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट नहीं दी तो कोर्ट ने रिपोर्ट उनको छोड दिया, अधिकारी इनके ध्यान में लाये कि हमारी रिपोर्ट के बिना वह छोड़ देते हैं उसके कारण से यह पता ही नहीं चलता और अपराधी छूट रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि अपराधी छूटें या अपराधिक मनोवृत्ति पर अंकुश न लगे लेकिन कोई सदाचरण के कारण छूटता है तो उसका अधिकार है। कोर्ट को छोड़ने का अधिकार है, तो उस पर यह पाबंदी लगायी जाये, आप अपनी गलती को दुरुस्त नहीं करें और कोर्ट के ऊपर यह पाबंदी लगाने जा रहे हैं कि जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आए, आप मागेंगे तब जाकर रिपोर्ट आऐगी और तब उनको छोड़ा जाऐगा। मेरा ऐसा निवेदन हैं, मैं यह अपेक्षा करता हूं माननीय प्रभारी मंत्रीजी से कि अमैण्डमेंट इस प्रकार का लायें कि निश्चित अवधि में कोर्ट को रिपोर्ट मिलनी चाहिये और समय पर जिसका सदाचरण है वह छूटना चाहिए। मुझे केवल इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमाकान्तजी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के दो भाग हैं। जहां तक 21 वर्ष से नीचे की बात है वहां कोई विशेष इसमें संशोधन नहीं है जैसा पहले था वैसा ही आगे भी है जो एनी अदर इन्फारमेशन की बात थी, आवश्यक नहीं थी उसको ड्राप किया गया है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है।

इसका दूसरा भाग है 21 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं जिनको प्रोबेशन पर छोड़ा

(श्री रमाकान्त शर्मा)

जाता है उनके सिलसिले में पहले कोर्ट में यह मेंडेटरी नहीं था। कोर्ट चाहती तो प्रोबेशन ग्राफिसर से रिपोर्ट मांग सकती थी। कोर्ट नहीं चाहती तो प्रोबेशन ग्राफिसर से कोई रिपोर्ट की ग्रावश्यकता नहीं थी। इस संशोधन के द्वारा यह मेंडेटरी करना चाहते हैं कि छोड़ने से पहले कोर्ट को प्रोबेशन ग्राफिसर से रिपोर्ट मांगनी ही मांगनी है। इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि जब भी कोर्ट के सामने कोई इस प्रकार का मामला ग्राता है, प्रोबेशन पर छोड़ने की बात उन लोगों के लिये होती है जिन लोगों से ग्रपराध ग्रन्जाने के ग्रन्दर, सदा ग्रच्छे ग्रादमी रहे हैं, ग्रौर ग्रन्जाने में ग्रावेश में किसी प्रकार का ग्रपराध हो गया है उस सिलसिले में उनको प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाये दो साल के, एक साल के ग्रौर इस दौरान यदि फिर वह कोई गड़बड़ कर दें तो प्रोबेशन के द्वारा उनको फिर दुबारा पकड़ लिया जाए।

(4.00 म.प.)

ग्रब सवाल यह है, जब इस प्रकार का ग्रपराधी ग्राता है तो उस समय जो पुलिस ग्राफिसर इन्वेस्टीगेशन करता है तो उस समय उसके द्वारा उसके तथा उसके पिता दादा ग्रादि का ग्राचरण मालूम कर लिया जाता है ग्रौर जब उसका चालान पेश करते हैं तो चालान के ग्रन्दर पी. पी. की ड्यूटी होती है कि वह सारी बात वहां पर पूरी तौर से बताए। फिर भी सी.ग्रार. पी.सी. के सैक्शन 248 के ग्रन्दर प्रावधान है कि जब कन्वीक्शन ग्रार्डर सुनाया जाता है कि ग्रमुक को दो साल की सजा दी या चार साल की सजा दी है या जितने भी समय की सजा दी जाती है, उस ग्रपराधी को शो काज नोटिस होता है। शो काज नोटिस के समय के ग्रन्दर फिर पी.पी. को चांस मिलता है कि वह कहना चाहता है कि नहीं इसका ग्राचरण ठीक नहीं है ग्रौर उस नोटिस के दौरान कम्पेरेटिवली सोशल वेलफेयर ग्राफिसर या प्रोबेशन ग्राफिसर को कुछ कहना हो, तो वह ग्रपनी बात कह सकते हैं। फिर भी न जाने कब प्रावधान किया गया है सही बात है, जैसा कि ग्रभी मेरे से पूर्व माननीय श्री महावीरजी ने कहा कि सोशल वेलफेयर ग्राफिसर के मन के ग्रन्दर कुछ बुरी भावना है। वह यह समझता हैं कि हमारी पंचायत होनी चाहिये ग्रौर हमसे बिना पूछे किसी भी ग्रादमी को नहीं छोड़ना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पुलिस के पास, सारा का सारा एक तरह से जाल सा फैला हुग्रा है सब बात की जानकारी करने का। ग्रगर वह जानकारी नहीं दे सकती तो सोशल वेलफेयर ग्राफिसर के पास कौनसा इक्विपमैण्ट है, सोशल वेलफेयर ग्राफिसर जो एक इन्सपैक्टर श्रेणी का एक बहुत छोटा ग्रधिकारी होता है। न उसके पास कोई ग्राउण्ड लेवल पर किसी प्रकार की संस्था है, न उसके पास प्रक्रिया है, न उसके पास जानकारी करने का कोई तरीका है। उसके बारे में कह दिया जाय कि वह ग्राकर ग्रपनी रिपोर्ट दें, उसके बाद उसको प्रोबेशन पर छोड़ा जाएगा। ऐसे इनकाम्पीटेण्ट, इनएफीशिएंट एक छोटे से लेवल के ग्रधिकारी को यदि इन कानून की प्रक्रिया के ग्रन्दर बाधा डालने दी जाएगी तो मैं समझता हूं कि न्याय के ग्रन्दर बहुत बड़ा ग्राघात पहुंचेगा।

(श्री रमाकांत शर्मा)

मेरा निवेदन यह है कि इसमें होगा क्या ? यदि किसी आदमी को प्रोवेशन आफिसर को छोड़ना है तो वह अक्युज्ड हो जाएगा उस प्रोवेशन आफिसर के पास और वह उस पर दबाव डाल सकता है, वह सारी रिपोर्ट बदलवा सकता है, यही बात नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : उसको जाने का चांस मिलेगा क्या ?

श्री रमाकांत शर्मा : जाने का चांस क्यों नहीं मिलेगा। वह तो बाहर खड़ा हुआ है, चला जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छी बात बतायी। दो तरह की स्थिति हो सकती है। एक स्थिति तो यह है कि जिस किसी आदमी की जमानत नहीं हुई जिस वक्त में प्रोसीक्यूट किया गया और वह जेल के अन्दर है। उसकी जमानत नहीं हुयी है, अब ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए उसकी प्रोवेशन आफिसर से रिपोर्ट मंगवाई जाती है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है और प्रोवेशन आफिसर इस बात की इन्तजार कर रहे हैं कि उसका कोई रिश्तेदार आएगा मुझसे बात करेगा। तब तक वह जेल के अन्दर सड़ता, रहेगा दो–चार–छः महीने। दूसरा, इस प्रकार की स्थिति भी हो सकती है कि जिन्होंने जमानत करवा ली, जमानत पर वह छूटे हुए हैं। मान लीजिये उनके आचरण में कुछ गड़बड़-सड़बड़ है और प्रोवेशन आफिसर इस तरह की रिपोर्ट दे सकता है तो वह जाकर इन्फ्लुएंस करेंगे और दो वर्ष, पांच वर्ष रिपोर्ट ही नहीं आएगी। ऐसी स्थिति के अन्दर न्याय की जो प्रक्रिया है वह सारी इनस्टाल हो जाएगी। मुझे कहना नहीं चाहिये एक और हम बिन्दु पैदा कर देंगे भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार का बिन्दु इस न्याय प्रक्रिया के अन्दर गड़बड़ करेगा और वह बिन्दु पैदा कर देंगे। जो बहुत छोटे तबके के हैं। पुलिस के सीनियर आफिसर्स इस बात को देख चुके हैं, पी.पी. अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका है उसके बाद एक इन्स्पैक्टर को यह पावर्स दे दी जाय तो यह उचित नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा आज मौजूदा हालत के अन्दर इतने भारी पेन्डेन्सी केसेज की कोर्ट्स के अन्दर हजारों की तादाद में केसेज पेंडिंग पड़े हुये हैं। अब आप, एक इस प्रकार की प्रक्रिया और उसमें डालना चाहते हैं। पेन्डेसी बढ़ेगी तो क्या विधि विभाग ने हाई कोर्ट से सलाह ले ली है ? इस मामले में कन्सल्ट किया है हाई कोर्ट से कि हम यह प्रावधान करने जा रहे हैं इससे जो पेन्डेन्सी बढ़ेगी उसके लिये आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ? मैं समझता हूं कि इस बारे में जो राय लेनी चाहिये, नहीं ली गयी है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि यह जो संशोधन का प्रावधान किया है उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और यह एक न्याय की प्रक्रिया के अन्दर बाधा डालेगा, परन्तु फिर भी यदि विभाग इस बारे में कुछ कहना हो तो इसको प्रवर समिति को सौंप दें वहां इस बारे के अन्दर विस्तार से विचार किया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जैसा कार्य, माननीय सदस्या ने फरमाया कि यह थानों के मार्फत आते हैं। थानें तो वहीं तक ही सीमित रहते हैं जब उस बच्चे को दोषी मान लिया जाता है, दोषी मान लिया, कोर्ट से आ गया....

श्री रमाकांत शर्मा : मैंने बच्चों के लिये नहीं कहा....

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : आप बिराजिये। उनका जवाब दे रहा हूं, आपसे पहले भी माननीय सदस्या बोल चुकी हैं, उनका जवाब देना अनिवार्य है। क्योंकि थानों की सीमा वहीं तक रह जाती है जब उनका दोष मान लिया जाता है और उस वक्त थानों से रिपोर्ट नहीं ली जाती। मैं वह बच्चें जो नाबालिग होते हैं वह शिशु गृह में आ जाते हैं और शिशु गृह में आ जाने के बाद जो प्रोवेशन आफिसर होता है व उस वार्डन के साथ सम्पर्क करता है, यानी उसका जो क्षेत्र है उसमें जितने भी शिशु गृह आयेंगे उन बच्चों की निगरानी उन वार्डनों की मार्फत वह करवाता है, उनके चाल चलन की निगरानी करता है और उनके सुधार के लिये वह अपनी तरफ से राय देता रहता है, कोई थाने का इसमें रोल नहीं रहता। उसके बाद माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि इसमें अधिकारियों को और अधिकार आ जाएंगे, वह ऐसे केसेज को पेंडिंग रखेंगे या करप्शन आ जायेगा। ऐसी बात नहीं है। हर अधिकारी को शक की निगाह से देखा जाय या ऐसी शंका की जाय कि करप्शन बढ़ेगा, मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी निगरानी प्रोवेशन आफिसर की तरफ से की जाती है दूसरे किसी का उस बच्चे के साथ उतना संबंध नहीं रहता है। जानकारी केवल मात्र उस आफिसर या उस चिल्ड्रन होम के....

श्री रमाकांत शर्मा : बच्चे की बात नहीं है माननीय मंत्री महोदय 21 साल से ऊपर....

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : मैं आपकी 21 वर्ष की बात मान लेता हूं मगर जब वह बच्चा था शिशु गृह में आया तब वह....

श्री रमाकांत शर्मा : बच्चा था। 21 से ऊपर का शिशु गृह में नहीं आता है।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : प्रोवेशन तो बच्चे का ही होता है। अगर इसमें देखना है, नियम में यह भी प्रावधान है कि 18 साल या 21 के बाद जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो उनको वहां से हटा दिया जाता है, वह दूसरी जेल में भेज दिए जाता हैं और वे ही रहते हैं। इसमें प्रोवेशन का सवाल तो आता ही है न कि बच्चे के लिए कि 21 साल से ऊपर वालों के लिये। हमारा प्रोवेशन आफिसर्स वह केवल 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं उनको ही देखते हैं। आप 21 साल की बात कह रहे हैं वह इस प्रोवे-में आता ही नहीं है। आप यह....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी सब के लिये कामन लागू होता है Section 4 of the Act is common for all not for children.

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : नहीं, प्रोबेशन तो नाबालिग के लिये ही लागू होता है ना कि बालिग के लिये होता है।

श्री उपाध्यक्ष : खैर आप कहिये जो कुछ भी कहना हो।

श्री कुन्दल लाल मिगलानी : तो 21 साल के बाद वह बालिग हो जाता है। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इन्होंने यहां फरमाया, एक शंका जाहिर की इससे पेन्डेन्सी बढ़ेगी या करप्शन बढ़ेगा। जिसका उनके साथ लम्बे समय तक संबंध रहे, उनको ज्यादा ध्यान रहता है। फिर आप कह रहे हैं कि कोर्ट में जो सरकारी वकील होता है या पुलिस वाले होते है, हायर अथोरिटी अधिकार उसकी जानकारी लेते हैं। उनके पास बच्चा रहता ही नही है। बच्चा जिनके पास रहता है····

श्री रमाकांत शर्मा : मुझे क्षमा करना। विभाग ने आपको सारी बात नहीं बतायी। दो सैक्शन हैं—Restrictions on imprisonment of offender under 21 years, और दूसरा है power of court to release certain offenders on production of good conduct for any other purpose.····(व्यवधान)····। मैंने 21 वर्ष से नीचे वाले के लिए नहीं कहा है।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : अब आपको मैं निवेदन करने जा रहा हूं····

श्री रमाकांत शर्मा : जो 21 साल से ऊपर न तो आपके होम से आता है वह तो अपने घर से आता है।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रोबेशन में यह बात नहीं आती। मेरा आप अर्ज सुन लीजिये उसके बाद आप बोल लें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)····

श्री उपाध्यक्ष : यह जवाब दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? कृपयां शांति रखिये।

श्री केदार नाथ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कन्फ्यूजन यह है स्टेटमेण्ट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स—It has been seen that offenders : 'Offenders' word है। इसलिए आपकी बात ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Yes 'Offenders' है।

यह सब पर है Section 4 is applied to all persons not to chilredn.

श्री रमाकांत शर्मा : अनजाने में गलती हो जाती है तो सोचा जाता है कि भीतर रखने में गड़बड़ी हो जायेगी यह अपने घर पर रहे। प्रोबेशन के अन्दर और उस दौरान उसको अधिकार है। ony other offenders, यदि मान लीजिए भले आदमी से डेथ हो जाये तो उसको भी प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो बच्चे होते हैं वही प्रोबेशन आफिसर के ही अण्डर में रहते हैं, उनकी जानकारी में रहते हैं और उनके सुपरविजन में रहकर वह सारी की सारी····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, यह बच्चों की बात नहीं है। जो आफेण्डर्स 21 साल से ऊपर के हैं उनके लिए भी है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैं प्रोबेशन की बात कर रहा हूं। वह तो माइनर बच्चों के लिए आता है न कि मेजर बच्चों के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : नो नो। नो माइनर्स मेजर्स के लिए भी आता है।

श्री रमाकांत शर्मा : प्रोबेशन माननीय मंत्रीजी केवल बच्चों के लिए ही नहीं होता है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए होता है। बच्चों की बात नहीं है, बच्चों के लिए प्रोबेशन होम हैं यह बड़ों के लिए भी है। मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि बड़े भी प्रोबेशन पर छूटते हैं।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : समाज कल्याण में माइनर बच्चे प्रोबेशन से ही आते हैं न कि साल से ऊपर के आते हैं। इसलिए इसमें मेजर की बात क्यों करते हैं? (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया एक मिनट बिराजिए। (व्यवधान)....

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : शिशु गृह होते हैं वह बच्चों के लिए ही होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी एक मिनट बिराजिए।

श्री रमाकान्त शर्मा : मंत्रीजी मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं इसमें दो अलग-अलग अमैण्डमैंट हैं एक बच्चे जो 21 वर्ष से नीचे के हैं और एक 21 वर्ष से ऊपर के है। 21 वर्ष से नीचे वालों के लिए तो वही है जो आप फरमा रहे हैं, परन्तु 21 वर्ष से ऊपर वालों के लिए अमैण्डमैंट किया हैं। पहले यह मेण्डेटरी नहीं था इसको मेण्डेटरी किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसराम मदेरणा बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि (व्यवधान)....एक मिनट श्री मदेरणा साहब।

श्री परसराम मदेरणा : थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। I am in the possession of the floor of the House and I am not going to yield. I have been asked by the chair, you see, to take precedence over you. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो थानगाजी से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे है दी प्रोबेशन आफ आफेण्डर्स एक्ट, 1958 का सैक्शन 4 जो है वह सभी के लिए है और सैक्शन 6 जो है वह 21 साल से कम उम्र वालों के लिए है। दोनों के लिए अमैण्डमैण्ट आपका एक ही है। ज्यादा अमैण्डमैण्ट नहीं किया है, प्रभारी मंत्रीजी आपने बहुत छोटा सा अमैण्डमैण्ट किया हैं "if any" वर्ड ओमिट किया है, इसमें भी एक वर्ड ओमिट किया है। "if any" "if any" करने से जो इसके कोन्सीक्वेंशियल इफेक्ट हो रहे हैं वह वही हो रहे हैं जो थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं। इसलिए यह जो कन्फ्यूजन प्रभारी मंत्रीजी आपको है कि यह सभी प्रकार के लोगों के लिए नहीं है, यह सब प्रकार के लिए भी है

(श्री परसराम मदेरणा)

21 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए भी है और 21 साल से अधिक उम्र वालों के लिए भी है। दोनों के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह कह रहा था कि यह ऐसा विषय है जिस पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है। मैं भी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सुझाव है प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उस पर चर्चा हो जाय। क्योंकि इसका आगे जाकर इम्प्लीकेशन होगा। ज्यादा चिन्तन के साथ हाउस में आ जाएगा।

श्री केदार नाथ शर्मा : आज तो इण्टरविन ठीक किया है। मूव तो करो।

श्री परसराम मदेरणा : अभी माननीय मंत्री पी.एच.ई.डी., लोकल सेल्फ और स्पोर्टस, आया तो ब्रोन्ज भी नहीं पर स्पोर्टस मंत्री, आपने बहुत सोच समझ कर यह बात कही है "if any" वर्ड को ओमिट करते ही कोर्ट की डिसक्रिएयनल पावर से ज्यादा पावर आप एक प्रोबेशन आफिसर को देने जा रहे हैं, देने ही नहीं जा रहे हैं आप उसको मैण्डेटरी रख रहे हैं। कोर्ट के लिए कि आप को यह ओबटेन करनी पड़ेगी ओबलीगेटरी रख रहे हैं कि आप अगर सर्टिफिकेट दोगे गुड कण्डक्ट का प्रोबेशन आफिसर को इतनी वाइड डिसक्रिएशन दिया जा रहा है कि अगर आप कहोगे तो गुड कण्डक्ट होगा। कोर्ट के ऊपर डिसक्रिएशन नहीं छोड़ा है। यह बहुत आर्बिटरी ला है, सलैक्ट कमेटी को रेफर होना चाहिए विस्तृत चर्चा होकर अमैण्डमैण्ट के साथ बिल लाना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तब ही कहा था कि क्या यह सिद्ध हो रहा है कि कोर्ट गलत कर रहा है ? क्या यह सिद्ध हो रहा है कि प्रोसिक्यूटर्स गलत हैं ? यह बहुत अच्छी बात है कि आप प्रवर समिति को सुपुर्द कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सदन की यही इच्छा है कि समिति को सौंप दिया जाय तो मैं भी प्रस्ताव करता हूं कि अगर समिति को सौंपा जाय तो ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर मगर नहीं। आप प्रभारी मंत्री है। आप प्रस्ताव रखिए।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैं प्रस्ताव ही कर रहा हूं। मैंने प्रस्ताव ही किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रस्ताव तो आलरेडी है उसको स्वीकार करते हैं, खतम हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : यह सूड लेजिस्लेटर मूव है। सलैक्ट कमेटी का जो प्रस्ताव है वह स्वीकार कर लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो कह रहा हूं इसमें सूड लेजिस्लेटर क्या करेगा ? अगर आपका प्रस्ताव मैं मंजूर करता हूं तो आपको खुश होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : Unfortunately, I have not moved any resolution to-day.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अपराधी परिवीक्षा (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री शांतिलाल चपलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोडा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जो संशोधन लाये हैं। आज तक धर्म निरपेक्ष राज्य की वजह से हमने जातियता को प्रोत्साहन नहीं दिया अब तक जो मंशा रही है वह सबको समान न्याय की मंशा है। माननीय मंत्री महोदय जो संशोधन लाये हैं वह इस प्रकार का है कि यदि अनुसूचित जाति जन जाति के लोगों के साथ किसी सवर्ण के द्वारा अपराध किया जाय तो उसको जुर्माना और सजा इस प्रकार से हो और अगर अनुसूचित जाति जन जाति के लोग आपस में झगड़ें तो कोई जुर्माना और सजा नहीं होगी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सवर्ण सवर्ण के लोग आपस में लड़ें और अनुसूचित जाति जन जाति के लोग आपस में लड़े, तो दोनों में अगर बराबर सजा का प्रावधान कर देते तो कानून की मंशा पूरी हो जाती। मंत्री महोदय मेरी बात से सहमत होंगे और इसमें जो कमी रही है उसको आप देखेंगे।

मैं मानती हूं कि किसी को किसी के प्रति अत्याचार नहीं करना चाहिए और अगर अत्याचार किया जाता है तो सामान्य कानून के माध्यम से जिसने अपराध किया है उसको दण्डित कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से अलग से लाये हैं इसके कारण क्या हैं ? क्या सामान्य कानून फेल हो गया है ? क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसे प्रावधान नहीं है जो अलग से कानून आपको लाना पड़ा है ? इस सबको आप देखें, अगर मान लीजिए किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति वाले ने किसी सवर्ण की कोई झूठी रिपोर्ट कर दी तो फिर आप कैसे देखेंगे ? झूठी रिपोर्ट पर एक बार तो जुर्माना वसूल कर लेंगे। मैं एक बात पूछना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहती हूं कि जब आपस में लड़ाई होती है, पड़ौस में सब लोग रहते हैं, लड़ाई हुई, मारपीट हुई, ज्यादा बात बढ़ी तब जुर्माना इतना अधिक लगा दिया कि जिसने अपराध कारित किया है वह अगर दे नहीं सकता, तो उसकी आर्थिक स्थिति को भी तो देखने की बातकरें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आपने चिन्तन किया हो तो बतलाइये अन्यथा एक अनावश्यक विवाद पैदा हो जाएगा। कोई भी किसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करेगा, किसी को भी फांसेगा। यह आपके, मेरे सब के साथ, किसी के भी साथ समाज में घटित हो सकता है। इन सब बातों को देखते हुए आप मुझे अपनी तर्क संगत राय से समझाएं कि आप इसको किस प्रकार लाये हैं। तब तो मैं मेरा जनमत वापस लेने की बात करूंगी, अन्यथा मेरी शंकाएं हैं, आप समाधान करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है, है तो वापस ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीचन्द कृपलानी (अनुपस्थित), माननीय श्री जुबेर खान (अनुपस्थित), माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत (अनुपस्थित), माननीय श्री राजेन्द्र पारीक (अनुपस्थित), माननीय श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (अनुपस्थित)। माननीय श्री रमाकान्त जी। प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय पहले अपने तर्क से समझाएं तो मैं कुछ समझूं। आप इस स्थिति में हमको लाइये कि हमारी समझ में बात पूरी आ जाय। क्या सामान्य कानून फेल हैं? अगर सामान्य कानून की स्थिति इतनी खराब है तो मैं वापस ले लूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में वे बोल रहे हैं, बैठिये न आप।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 357 सी.आर.पी.सी., जो केन्द्रीय एक्ट है उसमें यह बिलकुल स्पष्ट है कि किसी भी जाति का हो, उसको यदि किसी प्रकार की इंजरी किसी ने पहुंचायी है या उसकी डैथ हो गयी है इंजरी से तो उसके वारिस को या उसके जो सम्बन्धी हैं उनको कोर्ट कुछ न कुछ कम्पनसेशन दिलाएगी। अब इसमें केवल इतना-सा संशोधन हमने किया है, 357 में तो बिलकुल क्लीयर है, सभी जातियों के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से नहीं किया है, इसमें जो हम ला रहे हैं, यदि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर किसी ने कोई इंजरी कारित की है या चोट पहुंचायी है तो उससे उसको कम्पनसेशन दिलाया जाएगा। यह इतना-सा सिम्पल-सा एक मैटर है, मैं नहीं समझता कि कोई इस बात के लिए एग्री नहीं करेगा कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को इस तरह कम्पनसेट नहीं किया जाय। आपस में शिड्यूल्ड कास्ट के लोग लड़ जाते हैं तो उनकी आमद के सोर्सेज ही लिमिटेड हैं इसलिए इसको इसमें नहीं रखा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : धारा 317 के तहत क्या जो अपराध कारित करता है....

श्री उपाध्यक्ष : एक बार और मौका मिल जाएगा आपको बोलने का।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मौके के लिए नहीं बोल रही। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस विधान के सम्बन्ध में बातचीत करने में इतनी उपहासास्पद स्थिति कैसे पैदा कर सकते हैं ? मैं कोई बात पूछना चाहती हूं, दूसरी बार मौका मिलेगा मुझे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछिये न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम किसलिए यहां आते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछिये, अलाउ किया है आपको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम अगर विधान के सम्बन्ध में नहीं बोलेंगे तो काहे के लिए बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको अलाउ किया है, बोलिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे माननीय मन्त्री महोदय यह बताएं कि धारा 317 जो सामान्य कानून में है, क्या उसमें किसी भी अनुसूचित जाति/जनजाति को कम्पनसेशन दिलाने का प्रावधान है या नहीं ? केवल सवर्णों का है क्या ? अगर आप सभी कह रहे हैं तो फिर अलग से लाने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : 357 में तो स्पष्ट है। सी.आर.पी.सी. आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं। यह तो मैं कह रहा हूं वह इसलिए कि किसी भी प्रकार से गरीब आदमी जो सवर्ण, अनुसूचित जाति या जनजाति का है उस पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो। इससे थोड़ी कमी आएगी कि उसको कम्पनसेट करना पड़ेगा। दैट इज दी ओनली थिंग।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपकी बात से सन्तुष्ट हूं, पर अगर झूठी रिपोर्ट हुई तो आप क्या करेंगे ? इस पर भी कुछ आपने ध्यान दिया है क्या ? इसकी किस तरह से देखभाल होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : वह अदालत के निर्णय के द्वारा कम्पनसेट होगा, डाइरेक्ट ही हो जाएगा क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बात कर रही हूं अभी, एक मिनट ठहरिये। मैं पूछना चाहती हूं, मन्त्री महोदय, आप इसको देखें। जो मेरा तर्क है उस सारे को देख कर आप इसको पास कर सकते हैं। मैं मेरा प्रस्ताव वापस ले लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित किये

(श्री उपाध्यक्ष)

जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन), विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री शान्तिलाल जी चपलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसराम जी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, प्रभारी मन्त्रीजी जो अमैण्डमैण्ट लाए हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन क्रिमनल प्रोसीजर कोड के सैक्शन 357 के सब सैक्शन (1) में जो आपका अमैण्डमैण्ट है।

"When a court imposes a sentence of fine or sentence including sentence of death of which fine forms a part, the court may"....

यहां पर आप कुछ एड करना चाहते "May" और "When passing the jndgment" के बीच में। एक्सप्रेशन क्या है ? "....and where the person against whom an offence is committed belongs to a scheduled caste or a scheduled tribe, but the accused person does not so belong, the court shall, when passing the judgment, order the whole or any part of the fine recovered to be applied."

इसमें "court may" के बाद में जो "and" वर्ड यहां यूज किया गया है यह, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गलत ड्राफ्टिग दिख रहा है। एक्सप्रेशन जो इसका है, क्योंकि आपने "....court may and where such an expression does not you know, connote the real meaning and it seems to be a bad draft.

इसलिए जो लीगल ड्राफ्ट्समैन है उसको आप कंसल्ट करिये। मुझे इतना ही कहना है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : हमने इसको देखा है और "shall" शब्द इसीलिए यूज किया गया है कि यह मैण्डेटरी प्रोविजन है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह नह कह रहा। "shall" आप यूज कीजिए। "shall' एक थोड़े ही यूज किया है आपने, आपने तो पूरे के पूरे तीन सैण्टेंस दिये हैं, साढ़े तीन। 'court may' और when passing the judgment' के बीच में आपने पूरा का पूरा 'and when the

(श्री परसराम मदेरणा)

person against whom an offence is committed belongs to a scheduled caste....'

"may और "and" दोनों साथ आने से इसका कंस्ट्रक्शन मुझे कुछ गलत दिख रहा है। मैं यह कह रहा हूं "shall" के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कई दफा "shall" डिस्क्रिशनरी भी है और कई दफा "shall" कमाण्ड भी है।

अब माननीय सदस्य को अपना कुछ इन्टरप्रिटेशन है I never claim to be correct in every respect. मेरा संशय ही है, मैं समझता हूं केवल संशय है। अगर यह सैण्टेंस ठीक है तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं तो पाइण्ट आउट कर रहा हूं। थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य भी elucidate and further throw some light and that too is a backon one, and I shall welcome it.

श्री रमाकांत शर्मा : मै कोई जवाब के फार्म में नहीं, मेरा अपना इण्टरप्रिटेशन है। इसी इण्टरप्रिटेशन के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो केसेज हैं। इसमें मामला यदि एस.सी–एस.सी. के बीच में हो, या एस.टी–एस.टी के बीच में हो, या एस.सी.-एस.टी. के बीच में हो तो कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया है कि वह जो कम्पनसेशन का पार्ट है वह सारे के सारे कम्पनसेशन को सरकार में जमा करा सकता है और जो आदमी अफैक्टेड है उसको उसका कुछ भी हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई उसको इंजरी हो गयी है, हाथ-पांव टूट गये हैं और कुछ हो गया है तो सिविल कोर्ट से वह अपना कम्पनसेशन ले लेगा।

दूसरा मामला इसके अन्दर यह है, यदि मान लीजिये····(व्यवधान)····मैं अर्ज कर रहा हूं····

श्री परसराम मदेरणा : आपका अधिकार चला गया। आप बोल लिये, हाउस बिलकुल आपका व्यूपाइण्ट समझ गया। उसको आप रिपीट कर रहे हैं। मैं उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने तो ड्राफ्टिंग के बारे में एक बात कही है, उसके बारे में कुछ कहना है तो कहिये वरना आप सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्री रमाकांत शर्मा : ड्राफ्टिंग जो किया गया है, वह बिलकुल सही है, शत-प्रतिशत सही है। "and" उस केस के अन्दर है जहां पर एस.सी.–एस.टी. अफैक्टेड है। उसमें तो "and" करके "shall" हो जायेगा और जो उससे पहले "may' है, वह "where" बताया गया है वह क्लाज को क्वालिफाई करता है और उस क्वालिफिकेशन के तहत जो जाएगा वहां पर तो यह मेंडेटरी है और उस क्वालिफिकेशन के पहले है, वहां पर यह डिस्क्रिशनरी है। इसलिये वह "may" के बाद में जो····

श्री परसराम मदेरणा : Legal knowledge has become a science now.

श्री रमाकान्त शर्मा : नहीं, साहब मैं अंग्रेजी भी जानता हूं। हिन्दी-अंग्रेजी में कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : You are not a legal person. You are unnecessarily throwing bad light while explaining something in the House.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18-9-1992 के प्रात: 11·00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदुनन्तर सदन की बैठक म.प. 4·31 बजे शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 1992 के मध्याह्न पूर्व 11·00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ठ—1

तारांकित प्रश्न संख्या 27 का विवरण

गणेश मंदिर, रणथम्भौर ट्रस्ट, सवाईमाधोपुर की गत पांच वर्षों की आय निम्नानुसार हुई है :

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	1986–87	82,781·54	19242·71
2.	1987–88	91,961·29	20221·00
3.	1988–89	1,13,804·54	29674·10
4.	1989–90	1,50,679·74	42422·05
5.	1990–91	1,95,266·55	46992·57

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

वर्ष 1991–92 में खोले गये महाविद्यालय

34. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार का वर्ष 1991–92 में राज्य में पांच राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो यह महाविद्यालय कहां कहां खोले गये हैं ?

(2) जिन-जिन स्थानों पर यह महाविद्यालय खोले गये हैं, क्या वहां उपयुक्त व्यवस्था है, यदि हां, तो इनमें कितनी कितनी जमीन हैं ।

(3) इन महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है ?

(4) क्या सरकार द्वारा जिला अलवर के गोविन्दगढ़ कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार किया गया था ? यदि हां, तो वहां महाविद्यालय खोलने में क्या कठिनाई सामने आई ?

(5) गोविन्दगढ़ (अलवर) में सरकार कब तक राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1991–92 की बजट घोषणा में 5 राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी । इनमें से सलूम्बर, बयाना तथा बालोतरा में राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं तथा बिड़ला महाविद्यालय, भवानीमंडी को अधिग्रहित किया गया है ।

(2) जिन स्थानों पर महाविद्यालय खोले गये हैं वहां पर भवन व भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(अ) राजकीय महाविद्यालय सलूम्बर, वर्तमान में कक्षाऐं उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही हैं । भूमि आवंटन करने हेतु उपखंड अधिकारी, सलूम्बर को निवेदन किया हुआ है । भूमि आवंटन के पश्चात् अध्यक्ष विकास परिषद सलूम्बर जनसहयोग से भवन निर्माण करायेगी ।

(ब) राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा महाविद्यालय की कक्षाऐं उच्च प्राथमिक विद्यालय में चल रही हैं । प्रशासक, नगरपालिका बालोतरा को महाविद्यालय भवन के लिए नक्शा भेजा जा चुका है तथा राज्य सरकार ने नगरपालिका, बालोतरा को भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करदी है ।

(स) राजकीय महाविद्यालय, बयाना, महाविद्यालय एक उच्च प्राथमिक

(उच्च शिक्षा मंत्री)

विद्यालय में कार्यरत है। जिलाधीश ने उपखंड अधिकारी को भवन–निर्माण हेतु जनसहयोग से कराने का निर्देश दिया है।

(द) बिडला महाविद्यालय, भवानीमंडी, था जिसे अधिग्रहित कर लिया गया है महाविद्यालय के पास स्वयं का भवन एवं 46 बीघा भूमि उपलब्ध है।

(3) उपरोक्त महाविद्यालयों की छात्र संख्या 1991–92 में निम्न प्रकार थी :—

राजकीय म. वि.	छात्र संख्या
सलूम्बर	64
बालोतरा	98
बयाना	161
भवानी मंडी	272

(4) गोविन्दगढ़ जिला अलवर में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निरीक्षण करवाया गया था। निरीक्षण के पश्चात गोविन्दगढ़ में वर्ष 1991–92 में महाविद्यालय खोले जाने हेतु निर्णय नहीं लिया गया।

(5) गोविन्दगढ़ जिला अलवर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

उमरावगिरी मठ गृह निर्माण समिति उदयपुर के विरुद्ध शिकायतें

35. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उमरावगिरी मठ गृह निर्माण सहकारी समिति, उदयपुर एक पंजीकृत समिति है ? यदि हां, तो उसका पंजीकरण और गठन किन उद्देश्यों के लिए किया गया ?

(2) इस समिति में विभाग द्वारा जनवरी 1986 से दिसम्बर, 1990 तक किसे प्रशासक नियुक्त किया गया है और उस समय विभाग में उप-रजिस्ट्रार के पद पर कौन कार्यरत था।

(3) क्या समिति की सूरजपोल (उदयपुर) स्थित लगभग 1000 वर्गफीट को श्री भैरू लाल पूर्विया को बिना समिति की अनुमति के 25 रु. वर्गफीट के हिसाब से बेची गयी ? यदि हां, तो क्या इस भूमि विक्रय पर प्रशासक एवं उप रजिस्ट्रार की सहमति है ? यदि हां, तो उक्त पदों पर कौन और क्या गैर सदस्य को भूमि विक्रय की जा सकती है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री भैरू लाल को बाद में समिति का सदस्य प्रशासक द्वारा बनाया गया ? यदि हां, तो श्री भैरू लाल सदस्य कब बने और यह जमीन कब बेची गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस समिति के पंजीकृत

(सहकारिता मंत्री)

उपनियम संख्या–4 के अनुसार उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

1. समिति के सदस्यों के लिए गृह निर्माण के लिए नक्शा तैयार करना और उस पर अनुमानित व्यय की योजना बनाना तथा सम्बन्धित नगर विकास न्यास या नगर पालिका से स्वीकृति लेना।

2. सदस्यों के हितार्थ सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन व शारीरिक विकास के लिए संस्था स्थापित करना और उनको चलाना।

3. सदस्यों की सुविधा हेतु गृह या अन्य भवन निर्माण का कार्य करना अथवा कराना।

4. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुसार चल व अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना, खरीदना, रहन रखना, पट्टे पर देना व अन्य प्रकार से बेचना।

5. सदस्यों को गृह निर्माण के लिये उचित ब्याज दर पर ऋण देना या गृह निर्माण के लिए सदस्यों द्वारा प्राप्त ऋण के लिए गारन्टी देना।

6. समिति के सदस्यों के गृहों की मरम्मत कराना, परिवर्तन करना या अन्य प्रकार देखभाल करना।

7. निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

8. आवश्यकतानुसार स्वयं के लिए या सदस्यों के लिए गृह निर्माण करना या सदस्य गृह बनाकर आवंटन करना।

9. कर्मचारियों के लिए प्रोविडेन्ट फन्ड या ग्रेच्युटी फण्ड के लिए साधारण सभा की स्वीकृति से नियम बनाना।

10. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु और सदस्यों की सुविधान आराम एवं आथित्य के लिए सभी प्रकार के आवश्यक एवं सुविधाजनक कार्य करना।

(2) श्री होशियार लाल देवपुरा निरीक्षक कार्य. को इस समिति में दिनांक 6.1.86 प्रशासक नियुक्त किया गया। श्री देवपुरा दिनांक 13.2.86 से दिनांक 8.8.86 तक प्रशासक रहे। उस समय उदयपुर में उप रजिस्ट्रार के पद पर श्री किशोर सिंह कार्यरत थे।

(3) जी, नहीं।

(4) श्री भैरू लाल पूर्विया द्वारा दिनांक 15.4.88 को समिति का सदस्य बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर श्री भैरूलाल को दिनांक 16.5.88 को प्रशासक द्वारा सदस्य बनाया गया। श्री भैंरूलाल को समिति द्वारा या प्रशासक द्वारा भूमि बेची नहीं गई थी। समिति के पंजीयन के पूर्व से ही नजूल सम्पत्ति पर श्री भैंरूलाल के कब्जे में 18 × 10 फीट की एक दुकान थी। श्री भैंरूलाल के सदस्य बनने के बाद समिति की आम सभा दिनांक 16.4.89 के प्रस्ताव सं. 10 के निर्णय के अनुसार इस 18 × 10 फुट

(सहकारिता मंत्री)

के 180 वर्ग फीट क्षेत्र को 75 रु. प्रति वर्ग फुट की दर से श्री भैंरूलाल को आवंटित किया गया।

जिला सिरोही के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

36. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले के आयुर्वेद औषधालयों में कितने पद वैद्यों, कम्पाउण्डर्स के तथा कितने अन्य पद कहां–कहां पर कितने कितने समय से रिक्त हैं ?

(2) सिरोही जिले में किन-किन स्थानों पर आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय स्वीकृत हैं तथा कहां–कहां पर भवन नहीं हैं ?

(3) जहां पर भवन नहीं है वहां पर भवन बनाने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक कम्पाउण्डर एवं परिचारकों के रिक्त रहे पदों का विवरण (परिशिष्ट 'क') सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्तमान में सिरोही जिले में 59 आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय स्वीकृत हैं, जिनकी सूची, (परिशिष्ट 'ख') सदन के पटल पर रख दी गयी है। सभी जगह भवन उपलब्ध हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिरोही जिले में स्वीकृत विभागीय आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण (दिनांक 14.9.92 की स्थिति)

क्र.सं.	स्थान औषधालय	स्वीकृत पद	रिक्त पद	दिनांक जब से पद रिक्त हैं
1	2	3	4	5
आयुर्वेद चिकित्सक–पद				
1.	कोजरा	1	1	15-5-91
2.	भूला	1	1	1-9-91
3.	बामनवाडजी	1	1	1-9-91 (1.1.91)
4.	सिरोडी	1	1	दिसम्बर, 1990
5.	हाथल	1	1	1-9-92

1	2	3	4	5
6.	दोलपुरा	1	1	1-1-92
7.	कृष्णगंज	1	1	1-9-92
8.	उड	1	1	1-8-92
9.	रामपुरा	1	1	मार्च, 1992
10.	निचलागढ	1	1	अप्रेल, 1992
11.	भैंसासिंह	1	1	1-9-92
12.	मूंगथला	1	1	1-7-91
13.	जाम्बूडी	1	1	1-9-91
14.	आमथला	1	1	मार्च, 1992
15.	मनादर	1	1	1-8-91
16.	कैलाशनगर	1	1	1–8–92
17.	रोवाडा	1	1	1–12–90
18.	'अ' श्रेणी माउन्ट आबू	3	1	1.9.92

नर्स/कम्पाउण्डर–पद

1.	निम्बज	1	1	27–2–92
2.	चडवाल	1	1	1–9–92
3.	रामपुरा	1	1	1–9–92
4.	भनादर	1	1	1–8–91
5.	'अ' श्रेणी सिरोही	5	1	सितम्बर, 1992

परिचारिक–पद

1.	अच्छपुरा	1	1	1–9–92
2.	मोहब्बत नगर	1	1	1–1–91
3.	देलदर	1	1	1–9–92
4.	पूगनी	1	1	1–1–92
5.	रामपुरा	1	1	मार्च, 1992
6.	जाम्बूडी	1–9–92	1	1–9–92
7.	दोहितरा	1	1	1–7–91
8.	आमथला	1	1	मार्च, 1992

जिला सिरोही में स्वीकृत विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची
(15–9–92 की स्थिति)

क्र.सं.	स्थान औषधालय	क्र. सं.	स्थान औषधालय
1.	स्वरूपगंज	31.	मनौरा
2.	भारजा	32.	मडिया
3.	कोजरा	33.	माकरोडा
4.	भूला	34.	मेरमाण्डवाडा
5.	नितौडा	35.	रामपुरा
6.	वाटेरा	36.	ओर
7.	बामनवाडजी	37.	निचलागढ़
8.	अच्छपुरा	38.	भैसासिंह
9.	नयासानवाडा	39.	मूंगथला
10.	पेशुआ	40.	बोसा
11.	अजारी	41.	जाम्बूड़ी
12.	सिरोडी	42.	दौहितरा
13.	दतानी	43.	उपलागढ़
14.	रेवदर	44.	सातंपुर
15.	निम्बज	45.	गिरवर
16.	भटाणा	46.	किवरली
17.	जैतावाडा	47.	गोपालाबेड़ा
18.	हाथल	48.	आमथला
19.	दोलपुरा	49.	शिवगंज
20.	मारोल	50.	पोसालिया
21.	जीरावल	51.	जोयला
22.	मण्डार	52.	मनादर
23.	मो. नगर	53.	कैलाशनगर (लास)
24.	बैलागिरी	54.	आल्पा
25.	गोल	55.	रोवाडा
26.	देलदर	56.	कानाकोलर
27.	कृष्णगंज	57.	बरलूट
28.	उड़	58.	'अ' श्रेणी सिरोही
29.	फुगनी	59.	'अ' श्रेणी आबूपर्वत
30	चडवाल		

बांसवाड़ा जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

37. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में 218 उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा वर्तमान में छात्रों को अध्ययन कराया जा रहा है ? यदि हां, तो ये शालायें किस किस गांव व तहसील में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बांसवाड़ा जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या पूर्ण नहीं हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ? क्या सरकार रिक्त स्थानों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) के तहत छात्र उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गांव व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। 218 छात्र उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 31 विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या स्वीकृत पदानुसार पूर्ण नहीं है। ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची निम्नलिखित हैं :—

(1) बोरिया (2) माडेलापाडा
(3) बडाना (4) जगपुरा
(5) डूंगर (6) सेमलिया
(7) लकाई (8) रामकागुना
(9) खीटागलिया (10) बारोगमा
(11) टिम्बी (12) हांडी
(13) कोटड़ा राणगा (14) पाटन
(15) उकाल (16) लोहारिया
(17) टिमेड़ा (18) मनड़ी
(19) पोटलिया (20) बरानी
(21) सज्जनगढ़ (22) मच्छारासोत
(23) सातसेरा (24) बावड़ीपाड़ा
(25) भराकुंवा (26) डूंगराबड़ा
(27) महुड़ी (28) परतापुरा
(29) बरेठ (30) नवां गांव
(31) कंधारबाड़ी

जी हां। उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों में से 5 द्वितीय व 27 तृतीय वेतन श्रृंखला के पद रिक्त हैं जिन्हें भरने की कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम हीरापुरा (नैनवां) की खातेदारी

38. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील नैनवां की ग्राम पंचायत माणी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम हीरापुरा के राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार कृषकों में से कितनों की मृत्यु हो चुकी है एवं कितने जीवित हैं।

(2) उक्त ग्राम में कितनों के संयुक्त एवं कितनों के अलहदा अलहदा खाते हैं।

(3) क्या उक्त ग्राम हीरापुर के मृतक

(श्री रामनारायण वर्मा)

खातेदार कृषकों के स्थान पर उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दिये गये हैं। यदि नहीं, तो अब कब तक अंकित कर दिये जायेंगे ऐसे कितने मृतक कृषक हैं जिनके खाते अब तक उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किये गये। नाम एवं खातेदार की मृत्यु की तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील नैनवां की ग्राम पंचायत माणी के ग्राम हीरापुर के राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारान् में से पांच खातेदार कृषकों की मृत्यु हो चुकी हैं एवं 123 खातों के कृषक जीवित हैं।

(2) ग्राम हीरापुर में 20 संयुक्त खातेदार एवं 108 अलहदा खातेदारान है कुल 128 खाते हैं।

(3) ग्राम हीरापुर के पांच मृतक खातेदार कृषकों के स्थान पर दो के वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दिये गये हैं तथा तीन मृतक खातेदारान के खातों नामान्तकरण दर्ज तो कर दिये हैं किन्तु वारिसान की पुष्टि नहीं होने अथवा खातेदार ला–औलाद फौत होने से सबूत साक्ष्य के अभाव में विचाराधीन चल रहे हैं जिनकी सूची संलग्न है।

हीरापुर गांव के निम्न नामान्तकरण, खातेदारों के ला–औलाद फौत होने अथवा उत्तराधिकारी की पुष्टि न होने से विचाराधीन है :—

क्र. सं.	नाम मृतक खातेदार	नामान्तरण संख्या	मृत्यु दिनांक
1.	भूरा श्रा. डालू रेगर निवासी ग्राम करवर	197	4 फरवरी, 1992
2.	देव्या श्रा. श्रीलाल जाट निवासी ग्राम कुम्हारिया	198	मार्च, 1992
3.	श्री रंगलाल श्रा. गणपत मीणा निवासी हीरापुर	201	सितम्बर, 1990

ह./–

जिला कलक्टर, बून्दी।

155

गडरा रोड (बाडमेर) ब्रान्च का निर्माण कार्य

39. श्री अमीन खां (शिव) व श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार इंदिरा गांधी नहर की गडरा रोड जिला बाडमेर ब्रान्च का कार्य बन्द करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो क्यों ?

(2) यदि नहीं, तो इंदिरा गांधी नहर गडरा रोड जिला बाड़मेर ब्रान्च का कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वांछित धन राशि उपलब्ध होने की दशा में यह कार्य वर्ष 2004 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय पर्वों पर पुरस्कारों का वितरण

40. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पन्द्रह अगस्त व छब्बीस जनवरी तथा अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर अधिकारियों/कर्मचारियों व समाज सेवियों को पुरस्कृत किये जाने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) जो व्यक्ति/कर्मचारी/अधिकारी सम्मानित किये जाते हैं, उनका स्तर सम्मानित किये जाने योग्य नहीं होते हुये उन्हें सम्मानित नहीं किया जाय इस आशय से क्या सरकार जिला स्तरीय समिति का गठन करने का विचार रखती है ? यदि, हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय पर्वों पर अधिकारी/कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (इनाम, योग्यता पुरस्कार, एवं योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाना) नियम, 1973 बने हुये हैं। इन नियमों के अन्तर्गत गठित समितियों की सिफारिश के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। समाज सेवियों के संबंध में पृथक से कोई नियम नहीं है किन्तु उत्कृष्ठ सामाजिक सेवा करने वाले व्यक्तियों एवं प्राकृतिक-विपदाओं के समय अपना साहसिक देने वाले व्यक्तियों आदि को भी राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

(2) संबंधित नियमों के अन्तर्गत बनी समितियों की सिफारिश के आधार पर ही केवल योग्य कर्मचारी/अधिकारी को सम्मानित किया जाता है। समाज सेवियों को भी पूर्ण जांच पड़ताल करने के पश्चात उनके उत्कृष्ठ कार्यों को देखते हुये सम्मानित किया जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति को जिनका स्तर सम्मानित किये जाने योग्य नहीं होता है, सम्मानित नहीं किया जाता है इसलिये अलग से जिला स्तरीय-समितियों के गठन की आवश्यकता नहीं है।

तारांकित प्रश्न सं. 41

(स्थगित)

नागौर जिले के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्राचार्य के रिक्त पद

42. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में किन किन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्राचार्य के पद रिक्त हैं ?

(2) रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मकराना सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य का पद दिनांक 22-6-1991 से रिक्त है ? यदि हां, तो अब इसे कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के माध्यमिक, सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्राचार्यों के रिक्त पद निम्नलिखित हैं :—

प्रधानाचार्य : (रा.उ.मा.वि.)

(1) नांवा (2) रियाबड़ी (3) लाडनूं (4) खींवसर (5) पनाना (6) अलाय (7) सान्जू (8) तोशिना (9) जायल (10) छोटी खाटू (11) गुढासाल्ट

प्रधानाध्यापक (रा.मा.वि.)

(1) मिटड़ी (2) जसनगर (3) धनकोली (4) करेड़ी (5) मुग्राना (6) कुरड़ाया (7) श्री बालाजी (8) गगराना (9) कालवा (10) गुढा भगवानदास (11) बेरी जतनपुरा (12) गोपाबड़ी (13) बिरलोका (14) छड़वा (15) लूनवा (16) बिसरनियां कलां (17) सियाला (18) बेराधलकलां (19) बुडसू (20) धुनसुना (21) जालसूनानक (22) नीमड़ीकलां (23) मेड़ (24) बलदू (25) केराप (26) भदवासी (27) दुगस्ताऊ (28) रोल (29) नोपना (30) भेडू (31) तरनाऊ (32) जानेवा (33) सुपालिया (34) जोध्यासी (35) जिलिया (36) गुल्लर (37) बख्तासागर (38) दयालपुरा

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग से आशार्थी उपलब्ध होने ही माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पदों को भर दिया जावेगा। प्राचार्यों के पदों हेतु सर्वोच्च न्यायालय में वाद चल रहा है। वाद का निर्णय होने पर ही पद भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। इस पद पर प्राचार्य का पद–स्थापन आदेश दिनांक 31-8-92 को जारी कर दिया गया है।

जिला दौसा के राजस्व मामले

43. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर की अदालत में दौसा जिले के कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ?

(श्री परसादी लाल मीणा)

(2) क्या सरकार जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए दौसा जिले के मुकदमों की संख्या को देखते हुए राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर का सप्ताह में तीन दिवस कैम्प कोर्ट लगाने का विचार रखती है ?

(3) क्या राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा व अन्य जिलों में भी कैम्प कोर्ट लगाकर मुकदमों की सुनवाई की जाती है ?

उत्तर

(1) राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) के न्यायालय में जिला दौसा के कुल 357 मामले विचाराधीन हैं।

(2) राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) का कैम्प कोर्ट, दौसा जिला मुख्यालय पर लगाने हेतु आदेश जारी किये जा चुके है।

(3) राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर (प्रथम) का कैम्प कोर्ट प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए जिला मुख्यालय, सवाई माधोपुर पर लगाने के आदेश है। राजस्व अपील अधिकारी (द्वितीय) का जिला मुख्यालय दौसा पर कैम्प कोर्ट लगाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

जिला बून्दी में "जीवन धारा" योजनान्तर्गत जारी स्वीकृतियां

44. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) व **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जीवनधारा योजनान्तर्गत अब तक बूंदी जिले में जारी स्वीकृतियों में से कितनी किस-किस कारण से निरस्त की गई हैं ?

(2) क्या स्वीकृति निरस्त किये जाने से पूर्व अपेक्षित प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई थीं ? यदि नहीं तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जीवनधारा योजनान्तर्गत अब तक बूंदी जिले में जारी स्वीकृतियों में से 59 स्वीकृतियां लाभार्थियों द्वारा समय पर कार्य शुरू नहीं किये जाने के कारण, 15 स्वीकृतियां लाभार्थियों के पास पूर्व में ही कुओं के उपलब्ध होने के कारण एवं 1 स्वीकृति भूमि निर्धारित मापदण्ड से अधिक होने के कारण निरस्त की गई है।

(2) जी हां। स्वीकृति निरस्त किये जाने से पूर्व विकास अधिकारी/अधिनस्थ कर्मचारी द्वारा कार्य के मौके का निरीक्षण किया जाता है और कार्य न शुरू करने की स्थिति में लाभार्थी को चेतावनी दी जाती है उसके पश्चात् विकास अधिकारी की सिफारिश पर ही स्वीकृति निरस्त की जाती है। समय पर कार्य शुरू नहीं करने के लिए लाभार्थी स्वयं दोषी है, पूर्व में ही कुआं होने तथा निर्धारित मापदण्ड से भूमि अधिक होने के कारण स्वीकृति निरस्त की गई, उसके लिए सम्बन्धित ग्रुप सचिव पटवारी एवं विकास अधिकारी दोषी हैं।

महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड

45. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कहीं भी महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(2) क्या नागौर जिले में सरकार वर्ष 1992–93 के दौरान कोई महाविद्यालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कहां पर यदि नहीं तो क्यों ?

(3) राजस्थान में वर्तमान में कितने महाविद्यालय कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में किसी भी स्थान पर महाविद्यालय खोलने के निम्नलिखित मानदंड निर्धारित हैं :—

1. प्रस्तावित स्थान के 30 किलो–मीटर दूरी में कोई महाविद्यालय नहीं होना चाहिए।
2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल होने चाहिए।
3. प्रस्तावित स्थान पर महाविद्यालय के लिए भवन इत्यादि की सुविधा जन-सहयोग से उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा
4. अन्य सभी दृष्टियों से प्रस्तावित स्थान महाविद्यालय प्रारंभ करने के उपयुक्त होना चाहिए।

(2) वर्ष 1992–93 के दौरान नया महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए बजट में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, स्थान विशेष के गुणावगुण एवं उपरोक्त मानदंडों के आधार पर समुचित निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

(3) राजस्थान में वर्तमान में सामान्य शिक्षा के 166 महाविद्यालय कार्यरत हैं। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

जिलेवार राजकीय महाविद्यालयों की सूची एवं उसका स्तर

क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	स्तर
1.	अजमेर	1. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	पी.जी.
		2. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	,, ,,
		3. राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	,, ,,
		4. राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	डिग्री
		5. राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी	,, ,,

क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	स्तर
2.	अलवर	6. राजकीय महाविद्यालय, अलवर	पी.जी.
		7. राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर	,, ,,
		8. राजकीय गौरीदेवी कन्या मा.वि., अलवर	,, ,,
		9. राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़	डिग्री
		10. राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़	,, ,,
3.	बांसवाड़ा	11. राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	पी.जी.
		12. ,, ,, कुशलगढ़	डिग्री
4.	बाड़मेर	13. ,, ,, बाड़मेर	पी.जी.
		14. ,, ,, बालोतरा	डिग्री
5.	भरतपुर	15. एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर	पी.जी.
		16. राजकीय महाविद्यालय, डीग	डिग्री
		17. ,, ,, बयाना	डिग्री
		18. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर	,, ,,
6.	भीलवाड़ा	19. राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	पी.जी.
		20. ,, ,, शाहपुरा	डिग्री
		21. ,, कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा	,, ,,
7.	बीकानेर	22. डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	पी.जी.
		23. एम.एस. कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	,, ,,
8.	बूंदी	24. राजकीय महाविद्यालय. बूंदी	पी.जी.
9.	चित्तौड़गढ़	25. राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	पी.जी.
		26. ,, ,, प्रतापगढ़	डिग्री
		27. ,, ,, निम्बाहेड़ा	डिग्री
10.	चूरू	28. लोहिया महाविद्यालय, चूरू	पी.जी.
		29. राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़	डिग्री
		30. ,, ,, सरदार शहर	,, ,,
		31. ,, ,, रतनगढ़	,, ,,
11.	डूंगरपुर	32. ,, ,, डूंगरपुर	पी.जी.
12.	धौलपुर	33. ,, ,, धौलपुर	पी.जी.
13.	श्रीगंगानगर	34. ,, ,, श्रीगंगानगर	पी.जी.
		35. ,, ,, श्रीगंगानगर	डिग्री

क्र. सं.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	स्तर
	श्रीगंगानगर	36. राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़	डिग्री
		37. ,, ,, नोहर	,,
14.	जयपुर	38. ,, ,, कालाडेरा	डिग्री
		39. ,, ,, सांभरलेक	,,
		40. ,, ,, चिमनपुरा	पी.जी.
		41. ,, ,, कोटपूतली	,,
15.	जैसलमेर	42. ,, ,, जैसलमेर	डिग्री
16.	झालावाड़	43. ,, ,, झालावाड़	पी.जी.
		44. ,, ,, भवानीमंडी	डिग्री
17.	जालौर	45. ,, ,, जालौर	पी.जी.
		46. ,, ,, भीनमाल	डिग्री
18.	कोटा	47. ,, ,, कोटा	पी.जी.
		48. राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा	,,
		49. राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा	,,
19.	बारां	50. राजकीय महाविद्यालय, बारां	डिग्री
20.	नागौर	51. ,, ,, नागौर	पी.जी.
		52. ,, ,, डीडवाना	,,
21.	पाली	53. राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, पाली	पी.जी.
22.	सिरोही	54. राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	,,
		55. ,, ,, आबूरोड	डिग्री
23.	सीकर	56. ,, ,, सीकर	पी.जी.
		57. ,, ,, नीम का थाना	डिग्री
		58. ,, ,, रामगढ़	,,
24.	दौसा	59. ,, ,, दौसा	पी.जी.
		60. ,, ,, बांदीकुई	डिग्री
25.	टौंक	61. ,, ,, टौंक	पी.जी.
		62. ,, ,, देवली	डिग्री

क्र. सं.	जिला	महाविद्यालय का नाम	स्तर
26.	सवाईमाधोपुर	63. राजकीय महाविद्यालय, करौली	पी.जी.
		64. राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	डिग्री
		65. राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी	डिग्री
		66. राजकीय महाविद्यालय, हिन्डौनसिटी	डिग्री
27.	उदयपुर	67. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	पी.जी.
		68. राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर	डिग्री
28.	राजसमन्द	69. राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा	पी.जी.

सहायता प्राप्त महविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
1.	दयानन्द कालेज, अजमेर
2.	सावित्री कन्या महाविद्यालय, (अजमेर)
3.	श्री प्राज्ञ महाविद्यालय, विजयनगर (अजमेर)
4.	श्री विजय सिंह पथिक श्रमजीवी महाविद्यालय, अजमेर।
5.	आदर्श डिग्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर।
6.	सोफिया कन्या महाविद्यालय, अजमेर।
7.	बी.जे.एस.आर. महाविद्यालय, बीकानेर।
8.	श्री जैन पी.जी. महाविद्यालय, बीकानेर।
9.	नेहरू शारदा पीठ, बीकानेर।
10.	मोहता कालेज, सादुलपुर।
11.	सोनादेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़।
12.	चूरू कन्या महाविद्यालय, चूरू।
13.	श्रीमती कमलादेवी गोरीदत्त मित्तल महिला महाविद्यालय, सरदार शहर।

1	2
14.	एम. डी. महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
15.	श्री ज्ञानज्योति महाविद्यालय, करणपुर।
16.	नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़।
17.	जी. बी. महाविद्यालय, सांगरिया।
18.	एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
19.	सेठ जी. एन. बिहाणी कालेज, गंगानगर।
20.	शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर।
21.	लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर।
22.	इन्स्टीट्यूट आफ हायर स्टेडीज, जयपुर।
23.	राज. इन्स्टीट्यूट आफ हिस्टोरीकल रिसर्च, जयपुर।
24.	अग्रवाल कालेज, जयपुर।
25.	एस.एस.जी पारीक कालेज, जयपुर।
26.	एस. एस. जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर।
27.	सतसांई कन्या महाविद्यालय, जयपुर।
28.	कनोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर।
29.	श्री वीर बालिका कन्या महाविद्यालय, जयपुर।
30.	जी. बी. पोदार कालेज, नवलगढ़।
31.	मोती लाल कालेज, झुन्झुनू।
32.	एम. जे. साबू महाविद्यालय पिलानी।
33.	बिडला कालेज, चिड़ावा।
34.	इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन, अडावता।
35.	गोमती देवी महाविद्यालय, बड़ागांव।
36.	शारदा सदन कालेज, मुकन्दगढ़।
37.	रूपायान संस्थान, बोरून्दा।
38.	लाचू मेमोरियल आफ साइंस, जोधपुर।
39.	ओंकारमल सोगाणी महाविद्यालय, राणावास।
40.	एस. पी. यू. महाविद्यालय, फालना।

1	2
41.	श्री जैन तेरा पंथी महाविद्यालय, राणावास ।
42.	जी. आर. चमडिया कालेज, फतेहपुर ।
43.	बी.डी. तोदी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ ।
44.	कृष्ण सतसंग बालिका महाविद्यालय, सीकर ।
45.	रामकृष्ण धानुका महाविद्यालय, फतेहपुर ।
46.	भोपाल नोबल्स कालेज, उदयपुर ।
47.	उदयपुर स्कूल आफ सोसियल वर्कस, उदयपुर ।
48.	विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर ।
49.	एम. बी. श्रमजीवी कालेज, उदयपुर ।
50.	जवाहर विद्या पीठ, कानोड़ ।

असहायता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
1.	के.डी. जैन कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर ।
2.	आर्य कन्या महाविद्यालय, अलवर ।
3.	श्री आदिनाथ सांयकालीन वाणिज्य महाविद्यालय, अलवर ।
4.	बिनानी कन्या महाविद्यालय, बीकानेर ।
5.	एम. जी. महाविद्यालय, श्री गंगानगर ।
6.	मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया, श्रीगंगानगर ।
7.	सरस्वति कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर ।
8.	परमानन्द वाणिज्य महाविद्यालय, गजसिंहपुर, श्री गंगानगर ।
9.	हितकारी श्रमजीवी महाविद्यालय, कोटा ।
10.	श्री रामजी दास मोदी विद्या निकेतन, कोटा ।
11.	श्री एच.सी. विधि महाविद्यालय, कोटा ।
12.	बाबा मुगिपा विधि महाविद्यालय, झुन्झुनूं ।
13.	श्रीमती रूकमणी देवी गृह विज्ञान शिक्षा निकेतन, पिलानी (झुन्झुनूं)
14.	महर्षि दयानन्द कन्या महाविद्यालय, रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर ।
15.	गिन्नी देवी सेक्सरिया कन्या महाविद्यालय, चिड़ावा (झुन्झुनू)

1	2
16.	जे.बी. शाह कन्या महाविद्यालय, मुकन्दगढ़ (झुन्झुनूं)
17.	विनोदनी कन्या महाविद्यालय, खेतड़ी (झुन्झुनू)
18.	नवलगढ़ कन्या महाविद्यालय, नवलगढ़ (झुन्झुनूं)
19.	सेठ गंगाधर शिवभगवान महाविद्यालय, बगड (झुन्झुनूं)
20.	आर्य महिला महाविद्यालय, भुसावर, (भरतपुर)
21.	श्री बांके बिहारी कन्या महाविद्यालय, डीग (भरतपुर)
22.	लादू राम अमरचन्द्र गोलेछा महाविद्यालय, खीचन (जोधपुर)
23.	महिला महाविद्यालय, जोधपुर।
24.	श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ महाविद्यालय, जोधपुर।
25.	अग्रवाल सांध्य महाविद्यालय, जयपुर।
26.	खण्डेलवाल वैश्य सांध्य महाविद्यालय, जयपुर।
27.	पारीख सांध्य महाविद्यालय, जयपुर।
28.	खण्डेलवाल वैश्य महाविद्यालय, जयपुर।
29.	खण्डेलवाल कन्या महाविद्यालय, जयपुर।
30.	शिवा समिति आर्य समाज कन्या महाविद्यालय, जयपुर।
31.	श्री भवानी निकेतन कन्या महाविद्यालय, जयपुर।
32.	कुचामन महाविद्यालय, कुचामनसिटी, नागौर।
33.	भारतीय विद्या मन्दिर, बांसवाड़ा।
34.	डा. नगेन्द्र सिंह विधि महाविद्यालय, बांसवाड़ा।
35.	अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, गंगापुरसिटी, (सवाईमाधोपुर)
36.	दयानन्द आर्य बालिका महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर)
37.	अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर)
38.	गायत्री विद्यापीठ कन्या महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर)
39.	आर्य समाज शिक्षा सभा कन्या महाविद्यालय, अजमेर।
40.	टैगोर बाल निकेतन विज्ञान महाविद्यालय, केकड़ी (अजमेर)
41.	आचार्य तुलसी अमृत महाविद्यालय, गंगापुरसिटी (भीलवाड़ा)
42.	केशरी ज्ञान मन्दिर, मुकन्दगढ़ (झुन्झुनूं)
43.	सैक्सरिया कन्या महाविद्यालय, नवलगढ़ (झुन्झुनूं)
44.	संत जनाचार्य महाविद्यालय, जयपुर।
45.	माधवानन्द कन्या महाविद्यालय, जयपुर।
46.	पारीक कन्या महाविद्यालय, जयपुर।
47.	श्री रामकिशोर जुगल किशोर बरासीया महाविद्यालय, सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)

(१६२)

शीतलामाता हाथ करघा सहकारी समिति के विरुद्ध शिकायतें

46. डा. हरिसिंह (फुलेरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शीतला माता हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. चाकसू (जयपुर) में वर्ष 1980 से अब तब कौन-कौन व्यक्ति किस-किस पद पर रहे ? उनके नाम, निवास स्थान के पते व्यवसाय की सूची व वर्तमान सदस्यों के नाम, निवास व पतों का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या समिति के वर्तमान अध्यक्ष जयपुर निवासी हैं ? यदि हां, तो क्या समिति के कार्यक्षेत्र के बाहर का निवासी सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है ? यदि नहीं, तो वर्तमान अध्यक्ष समिति के सदस्य कैसे बने ? सहकारी विभाग के अंकेक्षण तथा अधिकारियों ने उनके निष्कासन की कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(3) क्या वर्तमान अध्यक्ष के अनियमित सदस्य होने की शिकायत संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर को प्राप्त हुई यदि हां, तो उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शीतलामाता हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., चाकसू जयपुर में वर्ष 1980 से अब तक पदासीन व्यक्तियों के नाम, निवास स्थान के पते तथा व्यवसाय की सूची परिशिष्ट "क" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध एक शिकायत संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर खण्ड जयपुर को प्राप्त हुई थी जिस पर श्री एन. के. बोहरा, सहायक रजिस्ट्रार को जांच अधिकारी लगाया गया है। अभी जांच पैण्डिग हैं।

शीतला माता हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि.

परिशिष्ट–"क"

कार्यकारिणी सदस्यों की सूची पंजीयन के समय से अब तक

1. दिनांक 16.11.81 को आम सभा द्वारा	1. रविन्द्र कुमार (ग्राम शीतला डूंगरी चाकसू)	अध्यक्ष	व्यवसाय बुनाई कार्य
	2. श्री अशोक कुमार (ग्राम शीतला डूंगरी चाकसू)	मंत्री	व्यवसाय बुनाई कार्य

	3. श्री जानकी शरण (ग्राम शीतला डूंगरी चाकसू)	कोषाध्यक्ष	व्यवसाय	बुनाई कार्य
	4. श्री मोहनलाल (शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,
	5. श्री राम सिंह (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,
2. दिनांक 25.9.84 को ग्राम सभा द्वारा	1. श्री रविन्द्र कुमार (ग्राम शीतला डूंगरी चाकसू)	अध्यक्ष	,,	,,
	2. श्री रूपनारायण (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	मंत्री	,,	,,
	3. श्री लाखन सिंह (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	कोषाध्यक्ष	,,	,,
	4. श्री विजय सिंह (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,
	5. श्री मोहन लाल (ग्राम शीतला डूगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,
	6. श्री राम सिंह (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,
	7. श्री श्याम सुन्दर (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,
3. दिनाक 21.7.86 को ग्राम सभा द्वारा	1. श्री विमल कुमार (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	अध्यक्ष	,,	,,

		2. श्री विजय नारायण (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	मंत्री	व्यवसाय	बुनाई कार्य
		3. श्री विजय सिंह (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	कोषाध्यक्ष	,,	,,
		4. श्री रूपनारायण (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,
		5. श्री राम निवास (ग्राम शीतला डूंगरी चाकसू)	सदस्य	,,	,,
		6. श्री बंशी (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,
		7. श्री श्याम सुन्दर (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,
4.	दिनांक 18.6.88 को ग्राम सभा द्वारा	1. श्री विमल कुमार (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	अध्यक्ष	,,	,,
		2. श्री राजेन्द्र कुमार (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	मंत्री	,,	,,
		3. श्री बंशी (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	कोषाध्यक्ष	,,	,,
		4. श्री मोहन लाल (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,
		5. श्री राम निवास (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	,,	,,

	6. श्री हिन्द कुमार (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	व्यवसाय	बुनाई कार्य
	7. श्री श्याम सुन्दर (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	"	"
5. दिनांक 14.7.89 को ग्राम सभा द्वारा	1. श्री विजय नारायण (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू	अध्यक्ष	"	"
	2. श्री रुप नारायण (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	मंत्री	"	"
	3. श्री हिन्द कुमार (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	कोषाध्यक्ष	"	"
	4. अब्दुल अजीज (ग्राम शीतला डूगरी, चाकसू)	सदस्य	"	"
	5. श्री अब्दुल सलाम (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	"	"
	6. श्री विजय सिंह (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	"	"
	7. श्री रामसिंह (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	सदस्य	"	"
6. दिनांक 12.6.91 को	1. श्री विजय नारायण (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	अध्यक्ष	"	"
	2. श्री रूप नारायण (ग्राम शीतला डूंगरी, चाकसू)	मंत्री	"	"

3. श्री हिन्द कुमार कोषाध्यक्ष व्यवसाय बुनाई कार्य
(ग्राम शीतला डूंगरी,
चाकसू)

4. श्री अब्दुल अजीज सदस्य " "
ग्राम शीतला डूंगरी,
चाकसू)

5. श्री अब्दुल सलाम सदस्य " "
(ग्राम शीतला डूंगरी,
चाकसू)

6. श्री विजय सिंह सदस्य " "
(ग्राम शीतला डूंगरी,
चाकसू)

7. श्री राम सिंह सदस्य " "
ग्राम शीतला डूंगरी,
चाकसू)

उप निदेशक (पुरुष) शिक्षा, अजमेर मण्डल द्वारा शिक्षकों का स्थानान्तरण प्रकरण

47. **श्री शिवजी राम मीणा** (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय उपनिदेशक (पुरुष) शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर द्वारा उनके पत्र क्रमांक उनिशि./पु./अज./संस्था–4/पफा 252/92–93/10882–905 दिनांक 3–7–92 द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र भिजवाये हैं ? यदि हां, तो इनमें से कितने अध्यापकों का पदस्थापन किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि श्रीमती शशिप्रभा शर्मा, रा.मा.वि. पाडसोली भीलवाड़ा का पदस्थापन/स्थानान्तरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इनमें से किसी भी शिक्षक का अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(2) जी हां। श्रीमती शशिप्रभा शर्मा, व. अ. (अंग्रेजी) रा. मा. वि., पाडसोली (भीलवाड़ा) का अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थायें), चित्तौड़गढ़ के अधीन विद्यालयों में द्वितीय वेतन श्रृंखला (अंग्रेजी) शिक्षक का पद रिक्त नहीं होने के कारण नहीं किया गया।

भरतपुर के भू-प्रबन्ध अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

48. श्री निर्भयलाल (रूपवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध विभाग भरतपुर के सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने कृषि भूमि में प्रस्तावित कालोनी में 74 प्लाट खरीददारी को 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित करने का निर्णय 17.4.86, 27.5.86, 14.7.86, 10.9.87 और 16.11.87 को दिया ? क्या यह निर्णय अवैध था ? प्लाट क्रेताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश आवेदन पत्र दिये जाने के कितने दिवस बाद दिये गये ? पूर्व में इस कृषि भूमि के खातेदार क्या आदेश-कर्त्ता स्वयं ही थे ?

(3) क्या उक्त आदेश को भू-प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर ने 11·8·92 को खारिज कर दिया गया।

(4) क्या उपरोक्त आदेशों से अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की 3 बीघा भूमि विवादित हुई और उस पर अवैध कब्जा हुआ ? यदि हां, तो अवैध कब्जा हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई।

(5) क्या सरकार उक्त सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों के विरुद्ध सरकार एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

(6) अवैध निर्णय देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो अब कब तक करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर द्वारा कस्बा भरतपुर के गत खसरा नं. 903 से बनने वाले हाल ख.नं. 2561 रकबा 1.52 हैक्टर में 72 व्यक्तियों को खातेदार घोषित करने का निर्णय तीन अलग-अलग पत्रवालियों में दिनांक 27.5.86, 14.7.86 एवं 16.11.87 को दिया गया। प्लाट क्रेताओं की सूची परिशिष्ट सं. 1 पर संलग्न है। उक्त तीनों निर्णय भू-प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर ने अवैध मानकर निरस्त कर दिये है।

(2) उक्त आदेश आवेदन पत्र दिये जाने के 15–20 दिवस के अन्तराल में दिये गये है। पूर्व में इस कृषि के खातेदार आदेश-कर्ता सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी स्वयं नहीं थे।

(3) जी हां।

(4) जी हां। लेकिन दिनांक 11.8.92 को सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के निर्णयों को भू-प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

(5) प्रकरण के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट होगी। यदि आवश्यक हुआ तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) जी नहीं। मामले के परीक्षण उपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट 'अ''

मिसल नम्बर 709/86

1. चुरामन सिंह पुत्र सम्पत सिंह
2. पूरन प्रसाद नागिया पुत्र जवाहर लाल
3. ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता
4. बसन्त लाल गुप्ता पुत्र सनेही लाल वैश्य
5. राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ पुत्र रघुवीर सहाय
6. श्रीमति आभा कुलश्रेष्ठ पत्नी राकेश कुमार
7. बदन सिंह पुत्र रामलाल फौजदार
8. प्रहलाद कुमार पुत्र माधो प्रसाद गुप्ता
9. राजवीर सिंह पुत्र बादाम सिंह जाट
10. जगदीश प्रसाद पुत्र राधेश्याम गुप्ता
11. चन्द्रकान्त शर्मा पुत्र ओमराम दत शर्मा
12. श्रीमती आभा कुमारी पत्नी महावीर सिंह जाट
13. विजय कुमार पुत्र कुन्दन लाल अरोड़ा
14. जुगल किशोर पुत्र घनश्याम दास पंजाबी
15. कमल किशोर पुत्र घनश्याम दास पंजाबी
16. रवी प्रकाश पुत्र रामस्वरूप स्वर्णकार
17. प्रमोद कुमार पुत्र रामजीलाल वैश्य
18. सत्यदेव आर्य पुत्र जगन्नाथ आर्य
19. लक्ष्मण सिंह पुत्र बाबू सिंह
20. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. कप्तान सुग्रीव सिंह
21. सुरेश चन्द पुत्र स्व. सोभाराम वैश्य

मिसल नम्बर 932/86

22. कपूर चन्द पुत्र रतनलाल
23. हरीराम पुत्र लच्छीराम
24. गिरधारी लाल पुत्र लालचन्द
25. चन्द्रप्रकाश पुत्र भौरीलाल

26. प्रमोद कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र गर्ग
27. केदारनाथ पुत्र चेतराम
28. रघुवीर पुत्र रामचन्द्र कुन्तल
29. सुबेदार पुत्र खारग
30. पूरनसिंह पुत्र स्व. श्री गिरा
31. अशोक कुमार पुत्र अमर सिंह
32. श्रीमती राजकुमारी पत्नी
33. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी उदयराम शर्मा
34. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पुत्र स्व. छीतरमल वैश्य
35. श्रीमती जय देवी पत्नी हरीराम वैश्य
36. जगदीश प्रसाद पुत्र राधेश्याम वैश्य
37. गणेश चन्द्र पुत्र राधेश्याम
38. फोतीलाल पुत्र बलराम ब्राह्मण
39. राजवीर शर्मा पुत्र सेवाराम
40. राजेन्द्र सिंह पुत्र चिरमोली
41. फूल सिंह पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह
42. श्रीमती आशा शर्मा पत्नी अशोक कुमार
43. सत्य देव आर्य पुत्र जगन्नाथ आर्य

मिसल नम्बर 3986/87

44. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल
45. जगत सिंह पुत्र मांगीलाल
46. गिर्राज सिंह पुत्र मांगीलाल
47. दौलत सिंह पुत्र मांगीलाल
48. हरीओम पुत्र यादराम
49. श्रीमती सरोज पत्नी ओमप्रकाश
50. करम प्रिय पुत्र किशोरीलाल
51. डालूराम पुत्र भोपाली
52. नत्थी लाल मेगद राम
53. श्रीमती फूलवती पत्नी भोलाराम

73

54. श्रोमप्रकाश पुत्र पाच्या कुम्हार
55. रामजीलाल पुत्र खंगलीया
56. पवन कुमार पुत्र कर्म प्रिय
57. प्रेमसिंह पुत्र जोरावर सिंह
58. श्रीमती ममता पत्नी हुसैनी
59. मेगसिंह पुत्र जोरावर सिंह
60. जगदीश प्रसाद पुत्र चिमन सिंह
61. साहब सिंह पुत्र बाबूलाल
62. दामोदर सिंह श्यामा
63. राज्यपाल सिंह पुत्र हंसराज
64. परसाराम पुत्र रामहंस
65. श्रीमती प्यारी देवी पत्नी श्रीश्याम
66. प्रदीप कुमार पुत्र श्यामलाल
67. मुकेश कुमार पुत्र श्याम लाल
68. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रतन सिंह
69. श्रतुल कुमार पुत्र कैलाश चन्द्र दवे
70. श्रीमती शहजादी पत्नी बसीर खां
71. जुगुनु सिंह पुत्र रघुनाथ
72. मगन सिंह पुत्र गिरर्राज सिंह

ह./–
भू-प्रबन्ध अधिकारी
भरतपुर

जिला चूरू में 'अपना गांव अपना काम' योजनान्तर्गत कार्य

49. **श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :** क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1991 से अब तक अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत जिला चूरू में कौन-कौन से कार्य करवाये गये हैं ? पंचायत समितिवार सूची स्वीकृति दिनांक सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पं. स. सुजानगढ़ में इस योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुजानगढ़ में हुए उक्त कार्यों का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1991 से अब तक अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत जिला चूरू में 133 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। पंचायत समितिवार सूची स्वीकृत दिनांक सहित संलग्न है।

(2) पंचायत समिति, सुजानगढ़ में इस योजनान्तर्गत कुल 28 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 24 कार्यों के सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(3) पूर्ण हुए 24 कार्यों में से 3 कार्यों का भुगतान बकाया है। एक कार्य में सामग्री स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं होने के कारण केवल 4,000/–रुपये का भुगतान बकाया है तथा दो कार्यों के भुगतान पूर्व सरपंच के विरुद्ध जांच के कारण रुका हुआ है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का विवरण

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक 4- (1) पुलिस (अ) सर-/विधि/77/5056 दिनांक :—3-11-77

प्रतिलिपि :—1. समस्त अपर पु. म. नि. 2-समस्त पु. उप म. नि. 3-समस्त पु. अधीक्षकगण 4-समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. बटा. एवं एस. पी. जी. तथा आई. आर. बटा. एवं पी.टी एस. 5- प्रधानाचार्य, आर. पी.ए./एपी. सीपी. एवं आर. ए.सी. ट्रेनिंग सेन्टर, जोधपुर। 6- स. पु. म. नि. (2)/यातायात जयपुर 7-निदेशक, वायरलैस/एए. एम. एस./एफ. पी. बी.। 8-मुख्य लेखाधिकारी 9-सहायक लेखाधिकारी 10 लेखाकार भुगतान 11-बिल क्लर्क 12-पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार 13-अपर पु. अ. पी. आर. सी./प्रोसिक्यूसन 14- समस्त जोन आफिसर 15-प्रभारी एस. ओ.वी. 16-प्रभारी इस्टा-1, 16 तथा गुप्त अनुभाग 'अ' शाखा।

ह/-
(ए. पी. तिवाडी)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (1)
राजस्थान, जयपुर।

त्रिलोक/

प्रतिलिपि आज्ञा क्रमांक एफ-14 (84) कार्मिक (क-5)/77 दिनांक 7 अक्टूबर, 77 ओर से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक-क अनुभाग-5 जयपुर, प्रेषिति समस्त विभागाध्यक्ष।

विषय :—लिपिकों का एक ही पद/प्रभार पर तीन वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखे जाने के सम्बन्ध में।

मंत्रालयिक कर्मचारी एक ही कार्य पर लम्बी अवधि तक कार्य करते रहते हैं जिसके फलस्वरूप दूसरे कर्मचारियों को उस कार्य का ज्ञान नहीं हो पाता है तथा तथाकथित विशेषज्ञों के छुट्टी आदि पर रहने के कारण राज्य कार्य में विघ्न पड़ता है। मंत्रालयिक कर्मचारियों के एक ही पद/प्रभार पर लम्बी अवधि तक कार्य करते रहने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई विशेषज्ञ प्रवृति तथा उसके दुष्प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं. एफ 2 (10) सामान्य प्रशासन/ (11) 74 दिनांक 19-6-75 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये थे कि किसी

लिपिक को एक ही पद/प्रभार पर कार्य करते हुए तीन वर्ष अथवा उससे अधिक होने पर उसे दूसरे पद/प्रभार किये जाने की व्यवस्था की जायें।

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि उक्त नीति निदेश की पालना नहीं की जा रही है। मंत्रालयिक कर्मचारियों को एक ही कार्य पर लम्बी अवधि तक काम करते रहने देने के कारण दूसरे कर्मचारियों को उसके कार्य का ज्ञान नहीं हो पाता है तथा उस कर्मचारी में उस कार्य में विशेषज्ञ होने की प्रवृति हो जाती है।

अतः अनुरोध है कि लिपिक वर्ग को एक ही पद/प्रभार पर तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय तक कार्यरत न रखते हुए जहां तक सम्भव हो उन्हें उसी कार्यलय अथवा विभाग के उसी स्थान पर स्थित अन्य कार्यालय में अन्य पद/प्रभार पर बदलते रहने की व्यवस्था की जावें।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक न. 5, (7) पुलिस (अ) सर–का. प्र. सु./77/5057 दिनांक: 3–11–77

प्रतिलिपि :—1–समस्त अपर पुलिस म. नि. गण 2–समस्त. पु. उप. म. नि. गण 3–समस्त पु. अधीक्षकगण 4–समस्त कमाण्डेन्ट, आर. ए.सी. बटा. मय आई. आर. तथा एम.बी.सी. एवं पी.टी.एस.। 5– प्रधानाचार्य, आर.पी.ए./एपी. सीपी एवं आर.एसी. ट्रेनिंग सेन्टर, जोधपुर। 6–निदेशक, वायर लैंस/एफ.एस.एल./एफ.पी.बी. 7–स. पु.म. नि. (2)/यातायात, जयपुर 8–मुख्य लेखाधिकारी पु. मु. 9—सहायक लेखाधिकारी 10—लेखाकार, भुगतान 11—बिल क्लर्क 12—पु.अ. केन्द्रीय भण्डार 13—अपर पु. अ. पी. आर. सी./प्रोसिक्युसन 14—समस्त जोन आफिसर। 15—प्रभारी एस. ओ. बी. 16—प्रभारी इस्ट्रा—1, 11 तथा गुप्त अनुभाग।

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का विवरण

क्र. सं.	नाम पैट्रोल एवं डीजल पम्प मय पता	निरीक्षण दिनांक	अनियमितता का विवरण
1.	मै. दुबे आटो सर्विस, भरतपुर	22-1-91	1. पैट्रोल में केरोसीन तेल की मिलावट
2.	मै. रमेशचन्द्र बीधाराम, छोकरवाड़ा तहसील बैर	22-2-91	1. 256 लीटर डीजल स्टाक में कम पाया 2. मूल्य एवं स्टाक प्रदर्शन नहीं किया।
3.	मै. श्यामलाल दुर्गाप्रसाद, नगर	24-2-91	1. डीजल में गिरावट।
4.	मै. कैलाशचन्द्र कृषि यंत्रालय, सीकरी।	3-6-91	1. बिना लाइसेन्स के कारबार करना।
5.	मै. बाके बिहारी सर्विस स्टेशन, सीकर।	25-7-91	1. स्टाक में 254 लीटर डीजल कम पाया। 2. निरीक्षण पर असल लाइसेन्स उपलब्ध नहीं कराया। 3. जारी बिलों पर फर्म का लाईसेन्स नं. व क्रेता का पता एवं नाम अंकित नहीं किया गया।
6.	मै. बाके बिहारी सर्विस स्टेशन सीकरी।	11-9-91	1. 178 लीटर डीजल के बिल जारी नहीं किये। 2. 1-8-91 के बाद डेनसिटी रजिस्टर संधारित नहीं किया।
7.	मै. महावीर सर्विस स्टेशन, नदबई।	18-9-91	1. स्टाक में 273 लीटर पैट्रोल कम मिला। 2. 32.2 लीटर डीजल अधिक 3. डेनसिटी रजिस्टर नहीं बना।

1	2	3	4
			4. डेनसिटी ज्ञात करने के उपकरण उपलब्ध नहीं करायें।
			5. निरीक्षण में अवरोध पैदा किया।
8.	मै. रमेश चन्द्र बीधाराम छोकरवाड़ा, तहसील बैर	26-9-91	1. मूल्य सूची में स्टाक प्रदर्शन नहीं किया।
			2. 4 हजार लीटर डीजल के विक्रय बिल जारी नहीं किये गये।
			3. डेनसिटी रजिस्टर नहीं बनाया।
			4. रिजर्व स्टाक नहीं रखा।
			5. निरीक्षण के दौरान लाइसेन्स उपलब्ध नहीं कराया।
9.	मै. सोराब खां तेस्की तहसील नगर।	11-10-91	1. बिना लाइसेन्स के डीजल का व्यापार करते पाया गया।
10.	मै. हरीमोहन, उच्चैन तहसील रूपवास।	5-12-91	1. बिना लाइसेन्स के डीजल का व्यापार करते पाये गये।
11.	मै. जय भारत सर्विस स्टेशन, नगर।	18-12-91	1. प्रोसीजरल खामियां।
12.	मै. रमेश चन्द्र बीधाराम, छोकरवाड़ा, तहसील बैर।	2-1-92	1. डीजल में मिलावट।
			2. विक्रय बिलों में नाम व पता अंकित नहीं करना।
			3. कुछ बिल जारी नहीं करना।

(179)

1	2	3	4
			4. डेनसिटी रजिस्टर नहीं रखना ।
13.	मै. सिह सर्विस स्टेशन उच्चैन, तहसील रूपवास ।	28-12-91	1. डीजल की बिक्री के बिल सही नहीं काटे गये ।
14.	मै. माडंन फोटो सर्विस, भरतपुर ।	27-2-92	1. मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं की ।
			2. मूल्य सूची पठनीय नही पाई गई ।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 की सूची

नागौर जिले में संचालित संस्कृत संस्थाओं की सूची

1. राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, सैंसड़ा, नागौर
2. राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, डीडवाना
3. राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मोगास
4. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, लाडनूं ।
5. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बूटीसरा की कांकड में पूनियां की ढाणी
6. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, करण जीयाजी की झूपडी
7. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, तातवास सोननगर
8. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पीह बख्तावर पुरा
9. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बाजवास
10. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भिड़ासरों की ढाणी निम्बी जोधा
11. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, प्रभुनाथ जी की मण्डी, रैण
12. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, देऊ अहीर की ढाणी
13. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पाणुपुरा मालियों की ढाणी
14. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मंगलपुरा पो. खारड़िया
15. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, नरिपास छाजोली
16. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भंवरपुरा, आनन्दपुरी
17. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सामरियों की ढाणी, जालसू खुर्द
18. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, कामखानियों की ढाणी, गोरडी चगवा
19. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, आचीना
20. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सेरानी ढाणी बोहड़ी
21. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जसनगर हरिजन बस्ती
22. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सैंसड़ा
23. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जिलिया
24. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, डाबड़ा

(18)

नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खुलवाने के प्रस्ताव

जिला नागौर

क्र.सं.	स्थान	पं.सं.	प्रस्ताव
1.	थला की ढाणी (पुन्दलोग)	डेगाना	विकास अधिकारी प.स. डेगाना
2.	छाबो की ढाणी (पापड़ीकलां)	डेगाना	” ”
3.	नेत्रा की ढाणी (बाजोली)	मकराना	विकास अधिकारी प.स. पकराना
4.	गिटाला की ढाणी (भैयाखुर्द)	”	” ”
5.	सेवाणा नाड़ा की ढाणी हूडिया	”	” ”
6.	जायल	जायल	विकास अधिकारी प.स. मारवाड़ जक्शन (पूर्व प्रवेशिका की मांग की है किन्तु प्राथमिक कोई नहीं है)

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नति हेतु वरियता के आधार पर प्रस्ताव वर्ष 92-93

1.	रा.प्रा.सं.वि. ईडवा	डेगाना	विकास अधिकारी प.स. डेगाना
2.	रा.प्रा.सं.वि. जैसलाण	लाडनूं	विकास अधिकारी प.स. मकराना
3.	रा.प्र.सं.वि. कुचिपला	मकराना	” ”
4.	रा.प्रा.सं.वि. भंवरपुरा (आनन्दपुरा)	कुचामन सिटी	श्री बिर्धाराम चौधरी विधायक

क्र. सं.	स्थान	प.स.	प्रस्ताव
5.	रा.प्रा.सं.वि. मंगलपुरा	मकराना	विकास अधिकारी प.स. मकराना
6.	रा.प्रा.सं.वि. जसनगर हरिजन बस्ती	रियांबाड़ी	विकास अधिकारी पं.सं. रियांबाड़ी
7.	रा.प्रा.सं.वि. आसनपुर	कुचामन सिटी	सहायक उप निरीक्षक, संस्कृत शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव 92–93

1.	रा.उ.प्रा.सं.वि. मोगास	डेगाना	श्री रिछपाल सिंह मिर्धा विधायक द्वारा शिक्षा मंत्री

परिशिष्ट–6

अतरांकित प्रश्न संख्या 48 का विवरण

इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अनियमितताओं;
भ्रष्टाचार एवं गबन–घोटालों के मामलों का विवरण

		संख्या	राशि (रु.)
1.	**विचाराधीन मामले**		
	अ–अनियमितताओं के मामले।	23	72.22 लाख
	ब–भ्रष्टाचार के मामले		
	(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग	11	जांच होने पर जानकारी होगी।
	(2) प्रशासनिक विभाग के स्तर पर।	कोई नहीं	—
	स–गबन—घोटालों के मामले।	14	4.26 लाख

2. **गत 2 वर्षों में अनियमितताओं को समाप्त किये गये प्रकरण।**

संख्या 1	राशि (रु.) 2	उन व्यक्तियों के नाम जिनके खिलाफ अन्तरग्रस्त थे। 3
1.	80,361.32	1. श्री जगजीत सिंह, अधीक्षण अभियंता (अब सेवा निवृत्त)
2.	39,275.11	1. श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सहायक अभियंता
		2. श्री रूप सिंह, कनिष्ठ अभियंता
3.	82,515.00	1. श्री के.एस. कंग, अधीक्षण अभियंता "
		2. श्री जी.एल. नाहर, अधि. अभियंता "
4.	29,140.00	1. श्री जगजीत सिंह, अधीक्षण अभियंता "
		2. श्री डी. सी. चतुर्वेदी अधि. अभियंता (निधन हो गया है)
5.	26,759.00	1. श्री जगजीत सिंह, अधीक्षण अभियंता (सेवा निवृत्त)
6.	1,25,159.23	1. श्री ओ.पी. यादव, अधि. अभियंता
		2. श्री जी.एल.पी. जैन, सहायक अभियंता
		3. श्री के.पी. जैन, कनिष्ठ अभियंता
		4. श्री आर.एल. माथुर, कनिष्ठ अभियंता

1	2	3
		5. श्री एच.के. गर्ग, कनिष्ठ अभियंता
7.	33,925.00	1. श्री एस.सी. आडवानी, अधीक्षण अभियंता (सेवा निवृत)
		2. श्री बाबू लाल सांखला, सहायक अभियंता
		3. श्री घेवर चंद, कनिष्ठ अभियंता
8.	10,548.00	1. श्री छिन्द्रा सिंह, कनिष्ठ अभियंता
9.	90,391.00	1. श्री चन्द्र सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर (सेवा निवृत)
10.	75,000.00	1. श्री जे.सी. मक्कर अधि. अभियंता
		2. श्री नाहर सिंह, कनिष्ठ अभियंता
कुल रु.	7,93073.66	3. श्री एच.पी. शर्मा, सहायक अभियंता
		4. श्री अमर चन्द, कनिष्ठ अभियंता
		5. श्री डी.सी.कंसल, एस.डी.सी.
		6. श्री कवाली मल, क. अभियंता
		7. श्री विशम्बर सिंह, सहायक अभियंता
		8. श्री जे.पी. त्यागी, सहायक अभियंता
		9. श्री एन.के. गुप्ता, सहायक अभियंता
		10. श्री मनी राम, डी.ए.
		11. श्री शिवचरण व. लि.
		12. श्री रती राम व. लि.

(185)

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	योग
1.	जैसलमेर	1547
		1547
2.	बाड़मेर	3628
3.	जोधपुर	4179
4.	भरतपुर	7
5.	अजमेर	20
6.	झुंझुनूं	277
7.	श्रीगंगानगर	3150
8.	चूरू	349
9.	नागौर	380
10.	अलवर	22
11.	पाली	94
12.	सीकर	390
13.	जयपुर	64
14.	जालौर	80
15.	चित्तौड़गढ़	9
16.	सवाईमाधोपुर	6
17.	टौंक	3
18.	बीकानेर	935
	योग—	13593

क्र.सं.	जिले का नाम	अनुसूचित जाति/ जन जाति	योग
1.	बाडमेर	84	84
2.	जोधपुर	142	142
3.	जैसलमेर	20	20
4.	झुंझुनूं	5	5
5.	श्रीगंगानगर	17	17
6.	चूरू	6	6
7.	नागौर	4	4
8.	अलवर	1	1
9.	सीकर	10	10
10.	जालौर	1	1
11.	सवाईमाधोपुर	6	6
12.	बीकानेर	3	3
		299	299

(187)

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची

सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट सुजानगढ़ के न्यायालय में भूमि रूपान्तरण के विचाराधीन मामलों की सूची

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	क्र. सं.	प्रार्थी का नाम
1	2	1	2
1.	जयसिंह/भैरसिंह राठौड़	21.	घीसूखां/ताजूखां कायमखानी
2.	तखुराम/मनसुखराम कुम्हार	22.	केदारमल/परतूराम ब्राह्मण
3.	मंगलूराम, हीराराम/भूराराम कुम्हार	23.	गणपतराम/मोहिराम ब्राह्मण
4.	मांगीराम/होडराम कुम्हार	24.	नथमल उर्फ/सत्य प्रकाश ब्राह्मण
5.	भंवरसिंह/चौथूसिंह राजपूत	25.	पन्नालाल/चुन्नीलाल माली
6.	नानू/सुखाराम कुमार	26.	दुलीचन्द/ठाकुरसिंह माली
7.	जुगलकिशोर/नथमल, मूलचन्द/फुसाराम	27.	उदयचन्द/मालचन्द माली
8.	मो. इब्राहीम/गुलाम रमुना खीची तेली	28.	हणमानराम/अणदाराम जाट
9.	अहमद हुसैन/हाजी अब्दुल	29.	जीवणराम/हीराराम जाट
10.	सदीक/जगमालदीन काजी	30.	नूरमोहम्मद/अलाइजी लीलगर
11.	किस्तूराम/दूलाराम रैगर	31.	मेगराज/हणूताराम जाट
12.	सफी/अहमद हाजी तेली	32.	अनूखां/अकबरखां कायमखानी
13.	कानाराम/सरदारमल प्रजापत	33.	झुमरमल/चूनाराम जाट
14.	अमरसिंह/भैरूसिंह राजपूत	34.	सूरजाराम/चौखाराम जाट
15.	पूर्णाराम/हणमानाराम जाट	35.	जसाराम/चूनाराम जान्दु
16.	रामेश्वरलाल/जीवणराम जोशी	36.	आशाराम/खामाराम जान्दू
17.	नेमीचन्द/पूनाराम शर्मा	37.	थांवरलाल/मगनाराम सेवटा
18.	जगन्नाथ/सीधाराम ब्राह्मण	38.	रामबक्स राम/पन्नालाल जाट
19.	घीसाराम/कानाराम नाई	39.	हरीसिंह/जैसाराम जान्दू
20.	हीराराम/धरीसासाराम लुहार	40.	डालाराम/आशाराम

1	2	1	2
41.	पूरखाराल/मोतीराम	68.	खीवाराम/मुकन्दाराम माली
42.	कानाराम/श्रासूराम माली	69.	कानाराम/ग्रासूराम
43.	डूंगरमल/सूरजाराम माली	70.	किशोरसिंह, जीवणसिंह/गोर्वसिंह
44.	जयप्रकाश/खेताराम माली	71.	नत्थूराम/घीसाराम माली
45.	भंवरलाल/भूमाराम जान्दू	72.	हनुमानाराम/भीवाराम जाट
46.	ग्रर्जुनजी/धनजी खाती	73.	सोहनलाल/गोमाराम जाट
47.	पूर्णनन्दजी/ग्रर्जुनदास स्वामी	74.	रामचन्द्र/भगवानाराम खाती
48.	बंजरगदास/रामदास स्वामी	75.	भंवरलाल/रूपाराम माली
49.	हीरालाल/गंगाराम माली	76.	शंकरलाल/बीरबलराम दर्जी
50.	सूरजसिंह/खांगसिंह राजपूत	77.	नेमीचन्द/हजारीमल सुनार
51.	मांगीलाल/सागरमल	78.	चुन्नीलाल/ग्राशाराम खाती
52.	भंवरलाल/कानाराम माली	79.	नाथीदेवी/श्रीराम खाती
53.	भागीरथ/पन्नजी खाती	80.	जगदीश/मदनलाल माली
54.	रामूराम/सूरजाराम मेगवाल	81.	घासीराम/ग्रनाराम जाट
55.	सूरजाराम/जालूजी माली	82.	नेमीचन्द/हजारीमल
56.	हनुमान/धनजी राजपूत	83.	टीकूराम/रामचन्द दर्जी
57.	डालचन्द/खेताराम	84	रामलाल/मूलचन्द कच्छावा
58.	चम्पालाल/खेतराम माली	85.	भंवरलाल/नानूराम
59.	भोजराज/खेताराम माली	86.	कालूराम/भैराराम भांड
60.	जयप्रकाश/खेताराम माली	87.	मोहनलाल/नानूराम माली
61.	दोलाराम/गणेशराम माली	88.	पूसाराम/नानूराम
62.	पन्नाराम/सूरजाराम माली	89.	हरीचन्द/तनसुखराम माली
63.	भंवरा/दुलाराम माली	90.	धरमाराम, सुखदेव/तनसुखमाली
64.	विनोदकुमार/जयचन्द	91.	पूसाराम/होजरमल माली
65.	सोहनलाल/भीखाराम जाट	92.	रामलाल/टीकूराम जाट
66.	मु. भीखी देवी	93.	युसुफ रहमत तेली
67.	हुलासचन्द/नानूराम माली	94.	दूलाराम/जयकिशनराम माली

1	2	1	2
95.	मोहम्मद/इब्राहीम तेली	127.	छोटूराम/शिवकरण माली
96.	रसूल/अहमद तेली	128.	मोतीलाल/मानराम माली
97.	हरिराम/बालूराम नायब	129.	लादूराम/कुम्भाराम माली
98.	सफीमोहम्मद/अलादीन काजी	130.	लिछ्याराम/मोटाराम माली
99.	युसुफ तेली	131.	सम्पतीदेवी/भगवानाराम दर्जी
100.	रूपाराम/गणपतराम नायक	132.	नेमाराम/राधाकिशन शर्मा
101.	मोहम्मद रजाक/अली मोहम्मद	133.	गणपतराम/कुभाराम माली
102.	गौरीशंकर/जगनाराम माली	134.	शिभगवान/बजरंगलाल मोरी
103.	जयकरण/जगनाराम माली	135.	बंजरंगलाल/भीवाराम जांगिड़
104.	इसाक/अहमद तेली	136.	अमराराम/गोरूराम जाट
105.	अब्दुला रहमान/पीरबक्स	137.	किशनलाल/नत्थूराम खाती
106.	अलामरसूल/नबजी	138.	रामसेवक/श्रीनारायण मिश्र
107.	फातमा/मो. दादू तेली	139.	करीम बकस
108.	सरीफ/सेना	140.	नत्थू लीलगर
109.	हरुन/यासीन तेली	141.	याकूब/करीमबक्स लीलगर
110.	हरुन/अहमद	142.	कासमखां/जीतूखां कायमखानी
111.	अब्दुल रहमान/उस्मान तेली	143.	मांगीराम/नाई
112.	निजामुदीन/तेली	144.	मोहम्मद/रहीम खां
113.	अब्दुल रहमान/इस्माईल तेली	145.	नूरमोहम्मद/खुदाबक्स
114.	युनुश/सफी मोहम्मद	146.	भोलू/पना भाट
115.	कासम/मोहम्मद पड़िहार	147.	गोविन्दराम/सोहनराम जाट
116.	गिरधारी/चौथमल माली	148.	यासीन/बानीर बिसायती
117.	नानू/मु. देबूराम डाकोत	149.	रामकुमारी/हजारीराम काथक
118.	मोहम्मद अली/अजमेरी	150.	भंवरलाल/जुहारमल कुम्हार
119.	सदीक/जमालू	151.	भंवरलाल/बिद्राराम
120.	इब्राहीम/इस्माईल	152.	बाबूसलाम/गुलाबखां
121.	हमीद/दीनमोहम्मद तेली	153.	नूरमोहम्मद/खुदाबक्स
122.	रामदेव/मगनीराम माली	154.	भंवरलाल/डूंगरमल
123.	सोहन/रामदेव माली	155.	बालकिशन/चिरंजीलाल
124.	बद्रीनारायण/नरसाराम देवीलाल	156.	हनुमानप्रसाद/जुवाराराम प्रजापत
125.	ओमप्रकाश/सीताराम माली	157.	प्रहलादनारायण/महादेव
126.	गणेशराम मेघाराम/शेराराम माली	158.	बाबूलाल/मोहनलाल

1	2	1	2
159.	सीताराम/मोहनलाल	191.	नथमल/हुलसमल हरिजन
160.	छगनलाल/हनुमानसहाय माली	192.	सम्पतराम/हुलशराल हरिजन
161.	मोहन/मालीराम कुमार	193.	महावरीर/खेमाराम हरिजन
162.	कलाराम/छीपा कुमार	194.	बुदाराम/हरीराम खटीक
163.	रामेश्वरलाल/पोकरण माली	195.	सुरजाराम/गजूराम खटीक
164.	त्रिलोकचन्द/भोलाराम माली	196.	सुरजाराम/रतनाराम हरीजन
165.	लिक्षमणराम/गेरूराम माली	197.	जगन्नाथ/मांगूराम हरीजन
166.	जगनलाल/गोरूमाली	198.	शंकरलाल/छोटूराम हरीजन
167.	जसकरण/गोरू माली	199.	श्रोमप्रकाश/छोटूराम हरीजन
168.	लालचन्द/पूर्ण सुनार	200.	श्रवणकुमार/हरीशकुमार हरीजन
169.	चौथूराम/रूपाराम प्रजापत	201.	मोतीलाल/घासीराम श्रार्य
170.	मोहम्मद हुसेन/जीवणहुसैन	202.	सीताराय/हूबाराम हरीजन
171.	मूलचन्द/शंकरलाल माली	203.	श्रजनदेव/बांकेलाल हरीजन
172.	सुखा, दानाराम, चुनाराम	204.	सुरजाराम/मोजाराम खटीक
173.	संसा/खोतुखां काजी	205.	सुरजाराम/गजाराम खटीक
174.	सीताराम/कीनाराम माली	206.	छोटूराम/नाथूराम खटीक
175.	श्रीचन्द/मालूराम माली	207.	मंगी/मोडाराम खटीक
176.	भूराराम/हुफलराम माली	208.	मैना/मालाराम खटीक
177.	ईश्वरराम/बीजाराम जाट	209.	श्रोमप्रकाश/गुलाबचन्द कंजर
178.	सागरमल/बेगाराम माली	210.	सीताराम/नेमाराम प्रजापत
179.	रंगलाल/बेगाराम माली	211.	चांदमल/सरदारमल प्रजापत
180.	कृपाशंकर/बेगाराम मसली	212.	बच्छूराज
181.	ईश्वरराम/बोझाराम जाट	213.	मालाराम/बेगाराम प्रजापत
182.	बेगाराम/जियाराम जाट	214.	भीखमचन्द/तेजाराम
183.	सोलाराम/धन्नाराम माली	215.	भीखमचन्द/डूंगरमल
184.	राजेन्द्र/मांगीलाल	216.	श्राथू/पूर्ण लुहार
185.	मोडाराम/नानूराम जाट	217.	कुशलाराम/हीराराम प्रजापत
186.	कुन्दनमल/टीकूराम	218.	बाबूलाल/नेमीचन्द प्रजापत
187.	दानाराम, गोर्वधनराम/मूलाराम	219.	माणकचन्द/हीरालाल श्रग्रवाल
188.	कानाराम/सुरजाराम खटीक	220.	नेमीचन्द/पहयाराम खाती
189.	भंवरी/टीकूराम हरिजन	221.	मोटाराम/चुन्नीलाल खाती
190.	कालूराम/सुरजाराम भंगी	222.	भंवरीदेवी/किशनलाल महाजन

1	2	1	2
223.	लालूराम/भेराराम माली	239.	दानाराम/रूपाराम मेघवाल
224.	हनुमानप्रसाद/भिवाराम जांगिड	240.	रेखाराम/रूपाराम मेघवाल
225.	पी.डब्लू.डी. वफुसर सालासर रोड़	241.	सोहनराम/खेताराम मेघवाल
226.	भंवरलाल/शोभाशरिया	242.	मालूदीन/सुल्तान पनिहार
227.	पी.डब्लू.डी. यूनियन क्लब	243.	शमशेरसिंह/गुलाब पनिहार
228.	गोदावरी/बालाबक्स अग्रवाल	244.	कालू/नूरमोहम्मद पनिहार
229.	चांदमल/रंगलाल माली	245.	मनसुखराम/पीथाराम
230.	गोविन्दसिंह/हरदयालसिंह राजपूत	246.	मनसुखाराम/पीथाराम
231.	गोपालसिंह/हरदयालसिंह राजपूत	247.	सूरजमल चोरड़िया/एस.बी.बी.
232.	सम्पतराम, मंगतूराम हरीजन	248.	नबाबखां/लादूखां कायमखानी
233.	जीताराम/छीताराम हरीजन	249.	अहमदखां/लादूखां
234.	रामकिशन/जबरीमल हरीजन	250.	याकूबखां/लादूखां कायमखानी
235.	मंगतूराम/लूणाराम हरीजन	251.	जमालखां/भूरेखां
236.	फुलचन्द/रामदेव हरीजन	252.	बाबूखां/नजीरखां कायमखानी
237.	मंगतूराम/भीमाराम हरीजन	253.	सवाईखां/कालूखां कायमखानी
238.	ओमप्रकाश/गुलाबचन्द कंजर		